खण्ड-438, अंक-10
सोमवार, 31 वैशाख, शक संवत् 1923
(21 मई, 2001 ई0)

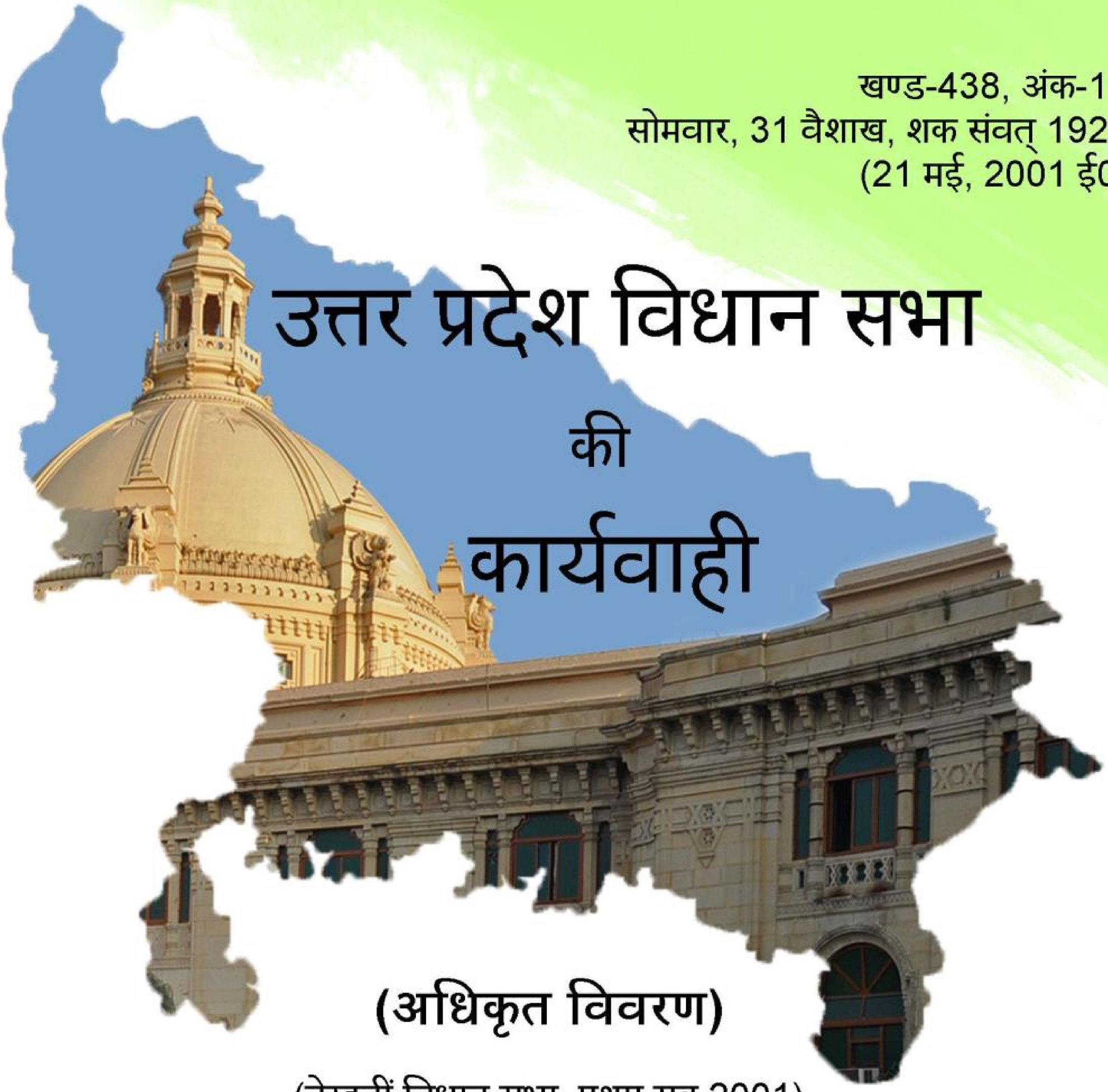

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 438 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नोएडा में भवनों को गिराये जाने संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास (जारी)	1
प्रश्नोत्तर (जारी)	1–2
नोएडा में भवनों को गिराये जाने संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास (जारी)	2–3
प्रश्नोत्तर	3–5
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सत्र की अवशिष्ट कालावधि तक के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	5–6
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का निलम्बन वापस लिये जाने तथा नोएडा में भवनों को गिराये जाने संबंधी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग ...	6–13
प्रश्नोत्तर	13–43
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निलम्बन को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	43
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	43
प्रदेश के कतिपय जनपदों में धार्मिक स्थलों की आड़ में आई० एस० आई० के अड्डे बनाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	43–44
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों को चौड़ा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद आगरा के ग्राम विजोती नई बस्ती के अनुसूचित जाति के लोगों को आम रास्ता उपलब्ध कराने एवं फर्जी बैनामा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद संत रविदास नगर भदोही में विद्युत विभाग भदोही की भूमि पर किये जा रहे अवैध अतिक्रमण को हटवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	45–46
सदन की समितियों के प्रतिवेदनों पर विधान सभा में चर्चा कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	46–48
सत्र के दौरान नीतिगत घोषणायें सदन के बाहर किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	48–52
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	52–70
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधान सभा के तीन सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	70–71

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या 2–आवास विभाग, अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग (जारी)	71–95
कल ऊर्जा विभाग का बजट प्रस्तुत होने तथा बजट साहित्य प्राप्त न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	95
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या 2–आवास विभाग, अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	95–120
वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या– 12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	120–121
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	121–122
प्रदेश में पूर्वांचल के औद्योगिक विकास हेतु स्थापित श्रम विभाग के उप निदेशक कारखाना पद को इलाहाबाद से हटाने पर उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का वक्तव्य	122–124
प्रदेश के सभी चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एण्टी रैवीज इन्जेक्शन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य	124
प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के बावजूद जनपद फिरोजाबाद के कतिपय ग्रामों में आज भी जमींदारी कुप्रथा लागू होने से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में श्री रघुबर दयाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व राज्य मंत्री का वक्तव्य	124–125
जनपद मथुरा में अधिकारियों के संरक्षण में भू-माफियाओं की अवैधानिक गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोइया की सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	125
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां की तहसील खजनी के ग्राम साखहाड़ (बाबू) में विद्युतीकरण व विद्युत संयोजन दिये जाने के संबंध में श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	125–126

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत राजे सुल्तानपुर में सिंह चौक पर विद्युत ट्रान्सफारमर लगवाये जाने के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य	126
उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन में लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को वर्दीधारी घोषित करने के संबंध में आचार्य रामदेव वैश्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	126
ज़िला अस्पताल बहराइच में आंख आपरेशन थियेटर को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	127
प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के कतिपय जनपदों एवं गाजियाबाद जनपद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत अवैधानिक रूप से चल रहे वूचड़खानों एवं पशुबध पर रोक लगाये जाने के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	127–128
लोक निर्माण विभाग, उन्नाव द्वारा एक लम्बे समय से निर्माणाधीन सड़कों को पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदय राज यादव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	128

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 21 मई, 2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
2–अजय राय, श्री	वाराणसी
3–अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
4–अनिल कुमार, श्री	बलिया
5–अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर
6–अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
7–अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
8–अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
9–अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
10–अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
11–अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
12–अशफाक अहमद, श्री	बरेली
13–अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
14–अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
15–ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
16–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
17–कासिम हसन, श्री	फतेहपुर
18–काशी राम, श्री	रामपुर
19–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
20–गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
21–चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी
22–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
23–चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात
24–छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी
25–जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
26–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
27–जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
28–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
29–ज्ञानवती सिंह, डा०	अलीगढ़
30–तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
31–दयाशंकर, श्री	जालौन
32–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
33–देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
34–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
35–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
36–नेतराम सिंह, श्री	एटा
37–पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
38–प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
39–फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
40–वंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
41–बच्चा पाठक, श्री	बलिया
42–बाबू राम, श्री	जालौन
43–बावन सिंह, श्री	गोण्डा
44–बी० के० गुप्ता, श्री	पीलीभीत
45–भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
46–महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
47–मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
48–यशवन्त, श्री	आजमगढ़
49–रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
50–रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया', कुंवर	प्रतापगढ़
51–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
52–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
53–राघव, श्री	सहारनपुर
54–राजा गंजनफर अली खां, श्री	बिजनौर
55–राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
56–राजाराम पाल, श्री	कानपुर देहात
57–राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
58–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
59–राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
60–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुरनगर
61–राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
62–राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
63–राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद

अपूर्व प्रदेश

64–राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
65–राम नाथ, श्री — प्रतापगढ़
66–रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
67–राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
68–राम लखन, श्री — सुल्तानपुर
69–राम ललित चौधरी, श्री — बस्ती
70–रामवीर उपाध्याय, श्री — अलीगढ़
71–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० — मेरठ
72–लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
73–लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
74–विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
75–विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
76–विनय कुमार पाण्डेय 'बिन्नू', श्री — गोण्डा
77–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री — गोण्डा
78–विरेन्द्र सिंह, श्री — वाराणसी
79–विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
80–वेद प्रकाश सिंह, एम० एस०, डा० — बिजनौर
81–शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
82–शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
83–शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
84–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
85–संजय सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
86–सन्त राम सिंह, श्री — जालौन
87–सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
88–सुखपाल पाण्डेय, श्री — बस्ती
89–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री — देवरिया
90–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
91–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
92–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर

अधिसूचना संख्या : 2243/वि०स०/प०का०/29(प)/2000–(टी०सी०) दिनांक 25 नवम्बर, 2000 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के फलस्वरूप दिनांक 9 नवम्बर, 2000 से 22 माननीय सदस्यों का स्थान उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 9 नवम्बर, 2000 से समाप्त हो गया है ।

नोट :–दिनांक 16 अप्रैल, 2001 तक यथासंशोधित ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 21 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 4 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की बैठक 4 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

नोयडा में भवनों को गिराये जाने सम्बन्धी नियम–311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और अक्लियतों पर बर्बर अत्याचार किया जा रहा है । नगर विकास के नाम पर बड़े-बड़े शहरों से एक सोची-समझी रणनीति के तहत उन्हें उजाड़ा जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी इस सूचना को निरस्त कर दिया है । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । मैंने सदन में व्यवस्था दे दी है कि नियम–311 की सूचनाएं नियम–56 में परिवर्तित नहीं की जायेंगी ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जहरीली शराब की बिक्री पर रोक लगाने की सरकार से मांग

**1–श्री राम औतार शाक्य (अनुपस्थित)–

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि अभी हाल में जहरीली शराब के सेवन से जनपद मैनपुरी में लगभग 15 मौतें हो गयी हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में जहरीली शराब से होने वाली ऐसी मौतों को रोकने एवं जहरीली शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कारगर कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

जनपद मैनपुरी की करहल तहसील के कुर्रा थाना अन्तर्गत ग्राम नसीरपुर तथा ग्राम बोझी में दि० 12, 13 व 14 मार्च, 2001 को कथित जहरीली शराब के सेवन से 11 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त आबकारी आयुक्त, आगरा जोन एवं उप आबकारी आयुक्त, आगरा प्रभार से प्रारम्भिक जांच कराई गई । संयुक्त आबकारी आयुक्त एवं उप आबकारी आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी, मैनपुरी एवं पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी के साथ संयुक्त जांच की गई और जांच में यह पाया गया कि कुल 11 मृतकों में ग्राम नसीरपुर के 5, ग्राम बोझी के 4, ग्राम गगरवाला का एक तथा ग्राम गजियापुर का एक व्यक्ति शामिल है । ग्राम नसीरपुर के श्री राम बहादुर जाटव पुत्र श्री लाला राम उम्र लगभग 60 वर्ष तथा श्री जगदीश जाटव पुत्र श्री बाबूराम उम्र लगभग 45 वर्ष की मृत्यु क्रमशः क्षय रोग एवं हृदयाघात से ग्रसित होने के कारण हुई पाई गई, जिसके कारण परिवार के सदस्यों द्वारा उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और गांव में ही अन्तयेष्टि कर दी गई । शेष 9 मृतकों की प्रारम्भिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृत व्यक्तियों ने मदिरा का अत्यधिक सेवन किया था, परन्तु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके मृत्यु का कारण अज्ञात बताया गया है एवं बिसरा जांच हेतु भेजा गया है । बिसरा की जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा नई आबकारी नीति के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 2001 से पूरे प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा जारी नम्बरयुक्त होलोग्राम लगी हुई पाउचों/बोतलों में ही शराब की आपूर्ति की जा रही है, जिससे असली और नकली (शराब) की जांच

सरलता से होलोग्राम देखकर हो सकेगी । इसके अतिरिक्त अवैध शराब की बिक्री रोकने हेतु प्रवर्तन कार्य के अन्तर्गत वर्ष 2000-01 में माह मार्च तक कुल 56,325 अभियोग पकड़े गये जिनमें कुल 7,65,898.28 बल्क लीटर शराब बरामद की गई । इस अवधि में 4 विशेष प्रवर्तन अभियान भी चलाये गये, जिसमें 22,448 अभियोग पकड़े गये हैं तथा इस अभियान में कुल 3,59,719.0 बल्क ली० अवैध शराब पकड़ी गई । जनपद मैनपुरी में गत वर्ष कुल 275 अवैध मद्य निष्कर्षण, 381 मदिरा के अन्य अभियोग, 10 ताड़ी के, कुल 666 अभियोग पकड़े गये एवं 19,116 बल्क लीटर अवैध शराब तथा 280 लीटर ताड़ी पकड़ी गई । जनपद मैनपुरी में अवैध शराब के सेवन से बचने के लिये प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराये गये एवं पम्पलेट छपवाकर जगह-जगह दीवारों पर चिपकाये गये हैं । डिनेचर्ड स्प्रिट को मिथिलीन ब्लू से रंजित करके नीली तथा दुर्गन्धयुक्त बनाया गया है, जिससे उसका उपयोग पेय मदिरा के रूप में न किया जा सके । मिथाईल अल्कोहल को विष अधिनियम की परिधि में लाकर उसके विक्रय हेतु लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है तथा 12 % से अधिक अल्कोहलिक तीव्रतायुक्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की सुरा घोषित कर उसके विक्रय पर रोक लगा दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं को नकल विहीन सम्पन्न कराने हेतु सरकार से व्यवस्था की मांग

**2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं को नकल विहीन सम्पन्न कराने हेतु कोई नई व्यवस्था अपनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

जी नहीं, मा० शि० परिषद्, उ० प्र० द्वारा संचालित परीक्षाओं में नकल रोकने हेतु अनुचित साधन निवारण अधिनियम, 1998 लागू है । नकल को रोकने के लिए परीक्षा केन्द्रों पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं । परीक्षा अवधि में नकल रोकने के लिए केन्द्र व्यवस्थापकों एवं जनपदीय अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किये गये हैं । नकल विहीन परीक्षा संचालित करने हेतु वर्तमान व्यवस्था को ही और प्रभावी बनाने के लिए शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

(1) शासन/निदेशालय के अधिकारियों का सचल दल बनाया गया है ।

(2) सामूहिक नकल वाले परीक्षा केन्द्रों की मान्यता प्रत्याहरित करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(माननीय मंत्री द्वारा लिखित उत्तर पढ़ा गया, इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपनी बात कहते रहे ।)

नोयडा में भवनों को गिराये जाने सम्बन्धी नियम–311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा । मौर्या जी अब आप बैठें । श्री श्यामदेव राय चौधरी जी, अब आप प्रश्न करिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी, जो कुछ आप कह रहे हैं वह अभिलेख पर नहीं आ रहा है । कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये ।

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी का माइक आफ कर दीजिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी आपने मांग कर ली, मैंने आपकी मांग को निरस्त कर दिया । कृपया अब आप बैठें । श्री चौधरी प्रश्न करिये ।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी के खड़े होने पर)

(ब०स०पा० के श्री आर०के० चौधरी, श्री जगदीश नारायण राय एवं श्री फरीद महफूज किदवई सदन की वेल में आ गये ।)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने नकल को रोकने के लिए जो पुरानी प्रभावी व्यवस्था है उसका उल्लेख किया । अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सत्र में यह देखने में आया कि इन सारी व्यवस्थाओं के प्रभावी रहने के बावजूद भी सम्पूर्ण प्रदेश में स्थान-स्थान पर व्यापक तौर पर नकल हो रही है ।

नोएडा में भवनों को गिराये जाने संबंधी नियम–311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप सुसंगत नियमों में सूचना दे दें । मैं विचार कर लूंगा । मैंने सदन में कहा था कि नियम–311 की सूचनाएं नियम–56 में परिवर्तित नहीं की जायेंगी, आप सुसंगत नियमों में सूचना दीजिए । उस पर विचार कर लिया जायेगा, इस तरह से कार्यवाही में व्यवधान डालना उचित नहीं है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाये । आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह पीठ पर आरोप लगा रहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(श्री आर०के० चौधरी, श्री फरीद महफूज किदवई आदि सदस्य सदन के वेल में बैठ गये)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मौर्या जी कृपया आप सदन का त्याग कर दीजिए ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैं नियमों के अन्तर्गत प्रश्रय देता हूं । आप सदन की कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं जहां आप उचित और अनुचित की सीमा पार कर जायेंगे, वहां मैं संरक्षण नहीं दूंगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

कृपया सदन त्याग करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपके निर्देशों का पालन होना चाहिये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह समाचार-पत्रों में नहीं छपेगा । एक शब्द भी नहीं लिखा जायेगा और नाम तक का उल्लेख नहीं होगा । इस तरह से अनुशासनहीनता करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल हो जायेगी हमारे लिये ।

नोट– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे नियम 299 के उप नियम (1) के अन्तर्गत सदन त्याग करने को कहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप सदन त्याग कर दीजिये, यह लिखा नहीं जा रहा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको निर्देशित किया है कि आप सदन का त्याग कर दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैं नियमों के अनुसार कार्यवाही करूंगा। नियमों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तो विचार नहीं करूंगा। मैं आपसे अंतिम बार कह रहा हूं कि सदन त्याग कर दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप पीठ पर आक्षेप लगा रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सत्र की अवशिष्ट कालावधि तक के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सत्र की अवशिष्ट कालावधि तक के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सत्र की अवशिष्ट कालावधि तक के लिये सदन की सेवा से निलम्बित करने का किया है, सदन उससे सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं । मैं विधान सभा रक्षकों से कहता हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सदन से बाहर कर दें ।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 11 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का निलम्बन वापस लिये जाने तथा नोएडा में भवनों को गिराये जाने संबंधी नियम–311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय श्यामदेव राय चौधरी का नाम पुकार लिया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अभी-अभी जब सदन स्थगित हुआ था तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो बहुजन समाज पार्टी के हैं उनको सदन की शेष अवधि के लिए निलम्बन का प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री जी ने रखा था वह संख्या बल के आधार पर पारित भी हुआ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

तो संख्याबल के आधार पर ही पारित होता है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

उनके निलम्बन का प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

जब प्रस्ताव आएगा, तब विचार कर लेंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नियमावली के नियम–311 में व्यवस्था है कि कोई सदस्य आपकी अनुमति से प्रस्ताव कर सकता है । मौर्य जी वही आपसे अनुरोध कर रहे थे । जिस मकसद से यह नियम बना है उसी मकसद के तहत वह प्रश्न उठा रहे थे । वह आपकी अनुज्ञा चाह रहे थे कि वह इस विषय पर आपकी अनुमति प्राप्त कर सकें । अब या तो नियमावली के नियम–311 को समाप्त कर दिया जाए अगर नियमावली में है तो इसके अन्तर्गत प्रस्ताव किया जा सकेगा । अब तक जिस तरह से उस पीठ से आदेश हुए हैं उनका पूरे विपक्ष ने अक्षरशः पालन किया है । सदन को चलाने में मैं समझता हूं कि जितने योगदान की आवश्यकता थी जिस तरह के सहयोग की जरूरत थी ।

श्री अध्यक्ष–

सदन को चलाने में सहयोग है योगदान है लेकिन सदन चले इसीलिये प्रस्ताव किया था मैंने इस सूचना को निरस्त कर दिया था और उनसे यह भी कहा था कि सुसंगत नियमों के अन्तर्गत इसको लाइएगा हम विचार कर लेंगे । नियम–311 की अनुज्ञा नहीं दे रहे हैं यह मैंने बार-बार कहा व उनको अनुमति नहीं दी ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नियम–311 किस दिन के लिये होगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप इस पीठ को सुशोभित कर चुके हैं आप स्वयं जानते हैं । जब सुसंगत नियमों के तहत सूचना आयेगी निश्चित रूप से इस पर सुनने का अवसर देंगे । श्री भाटी जी की इसी विषय पर नियम–56 में सूचना है उस समय अगर कोई विचार व्यक्त करना चाहेगा तो अनुमति दे देंगे ।

श्री बी० आर० वर्मा–

नियम–311 में मैंने नोटिस दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 में दो शर्तें हैं अध्यक्ष की अनुज्ञा मैंने अनुमति नहीं दी, दूसरी चीज अगर उस समय कोई चर्चा हो रही हो, कोई प्रस्ताव सदन के समक्ष विचाराधीन हो उस प्रस्ताव के बारे में नियम–311 में आता है कि उसे निलम्बित कर दिया जाए । जब सदन 11 बजे शुरू हुआ था तो सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं था । अगर सदन को चलाने में कोई चीज विचार के लिये उपस्थित हो उससे संबंधित हो तो नियम–311 में हो सकता है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे यह नियम–311 में है । किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाए । उस समय प्रश्नकाल था प्रश्नकाल को निलम्बित कर दिया जाए यही तो हम आपसे अनुमति चाह रहे थे ।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव के बारे में है । किस नियम को निलम्बित कर दिया जाय ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो प्रश्नकाल है प्रश्न के नियम हैं..

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुमति नहीं दी है । उस समय अनुरोध यह किया था कि इसको सुसंगत नियमों में ले आयें । मुख्य बात यह है कि जिस विषय को आप उठाना चाहते हैं वही विषय माननीय भाटी जी की सूचना में है उसी समय कह लीजियेगा । लेकिन नियम–311 में अनुमति नहीं दूंगा इसका बहुत दुरुपयोग हुआ है । जहां आवश्यकता हुई है, मैंने स्वयं अनुमति दे दी है, यहां तक कि 311 को नियम–56 में परिवर्तित भी किया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

तो यह तय हो गया कि कोई सूचना अब 311 में नहीं ली जायगी ।

श्री अध्यक्ष–

अगर आवश्यक समझी जायगी तो अवश्य ली जायेगी और यह अधिकार तो आपने ही अध्यक्ष पीठ को दिया है । आपको स्वयं भी इससे पूर्व में नियम 311 में अनुमति मिली है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

57 में संशोधन हुआ, उसमें व्यवस्था को लागू किया गया, किसी भी गरीब आदमी को मकान दुकान...

श्री अध्यक्ष–

अब तो आप गुणदोष पर आ गये । मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि सदन की कार्यवाही चलने दें । माननीय भाटी जी की सूचना पर आपको सुन लिया जायगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

अगर आप इस तरह से अपना मन बना लेंगे तो ....., हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि यह नियम–311 में आती है कृपया सुन लें ।

श्री अध्यक्ष –

इसी विषय पर नियम 56 की सूचना है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

दोनों नियम अलग-अलग हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह व्यवस्था तो फिर दे दें कि नियम–311 नियमावली से अलग कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, मैं यह नहीं कर सकता ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपने इससे पूर्व में हम सबको कृपापूर्वक सुना है । यदि यह नियम–311 लायक नहीं हुई तो मैं आपका निर्णय मान लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

इसी विषय पर नियम–311 में भी है और नियम 56 में भी सूचना है । 56 की सूचना स्वीकृत होकर आ गई है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह अपनी उदारता हमारे ऊपर बरकरार रखिये ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका न रखें । नियम–56 में सूचना आयेगी तो मैं आपको सुन लूंगा । एक ही विषय पर 311 और 56 की सूचना ली जाय और 56 की सूचना स्वीकृत हो गई है तो 311 की सूचना का कोई औचित्य नहीं बनता । 56 के समय आपको भी सुन लिया जायगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इससे पूर्व भी आपने हमें 311 में सुना है कभी-कभी 311 में सदन की कार्यवाही स्थगित करके सुना है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कभी-कभी यह भी किया है कि 311 की सूचना को 56 में ले लिया है या उसके तत्काल बाद ले लिया है । परिस्थितियों के अनुसार निर्णय किया जाता है । मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारा कि माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल जाय । चूंकि नियम–56 में सूचना आ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गई है तो नियम 311 की सूचना का कोई औचित्य नहीं है । मुख्य बात यह है आपकी पीड़ा उसके संबंध में आप अपनी बात सदन के सामने रख सकें । आप जानते हैं कि मैं आपका कितना सम्मान करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

आपने एक निर्णय ले लिया है उस पर पुनर्विचार कर लें । हमारी अपनी बाध्यता है विधान सभा में, हम लोग भी आये हैं जनता की समस्याओं को उठाने के लिये । मान्यवर, आज बजट है, उस पर अपने विचार रखने के लिये हम आये हैं, सरकार की तरफ से बिल आते हैं, उस पर अपने विचार रखने के लिये आये हैं । मान्यवर, इससे ज्यादा ज्वलन्त और तात्कालिक विषय आज की तारीख में और कोई नहीं हो सकता है । एक सप्ताह से ऐसे लोगों के मकानों, घरों को ढहाने का काम चल रहा है, आज की तारीख में भी हो रहा है । अगर इसको नहीं सुना जायेगा .....

श्री अध्यक्ष–

जब तक सरकार के पास भी सूचना आ जायेगी कि वस्तुस्थिति क्या है, क्या नहीं ? आप देख रहे हैं कि कार्य सूची में मदें लगी हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एक सप्ताह से वहां पर इस तरह का कार्य चल रहा है और सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आप जानते हैं कि मैं आपकी बात को कितना वजन देता हूं, कितना सम्मान करता हूं । कृपया कार्यवाही चलने दें । जब नियम–56 में इस पर चर्चा होगी, उस समय अपने विचार व्यक्त कर लीजियेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है, और बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि नियमों को निलम्बित करके निर्णय दें ।

श्री अध्यक्ष–

इस पीठ से जो भी विनिश्चय होना था, हो गया है । कृपया कार्यवाही चलने दें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं एक अनुशासित सिपाही हूं ...

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यहां सदन में आने के बाद जो परम्परायें हैं, अपेक्षा की जाती है कि सब उसका अनुपालन करेंगे । जनता की समस्याओं को यहां रखेंगे । यह तो कोई बात नहीं हुई कि सदन की परम्पराएं, नियम, उप नियम सबको ताक में रखकर कि पनाला यहीं बहेगा । इतनी देर से इनकी बात को आप सुन रहे हैं । अपना विनिश्चिय आप दे चुके हैं । उसके बाद भी यह प्रयास करेंगे कि आप अपना निर्णय बदल दें । यह नई परम्परा यहां कायम कर रहे हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

यह कोई नई परम्परा नहीं है । अनेकों बार अध्यक्ष निर्णय देते हैं, अनेकों बार उस पर पुनर्विचार करके उसको बदलते भी हैं । ऐसा नहीं है कि मैं ही कह रहा हूं, अनेकों बार ऐसा अनुरोध करने पर, आवश्यकता पड़ने पर किया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय, अपना विनिश्चय बदला है । अभी चौधरी साहब ने ही कहा । स्वामी प्रसाद जी आपसे अनुरोध कर रहे थे, अनुमति मांग रहे थे, आपको लगा कि सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं । अम्बिका चौधरी जी ने आपसे अनुरोध किया, यह अनुरोध करने का पूरे विपक्ष को अधिकार है । हम जरूर अनुरोध करेंगे कि जो निलम्बन का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री जी ने किया और पूरे सदन ने उसे पास किया, उस पर पुर्नविचार नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि वे सदन में नहीं आ सकते हैं । अगर यह परम्परा न हो कि सदन में जो विनिश्चय हो गया यह निश्चय ही रहेगा ...

श्री अध्यक्ष–

अभी तो मैं नियम–311 की सूचना पर जो विनिश्चय हुआ है, अभी केवल उसकी बात कर रहा हूं। नियम–311 के बारे में मैंने एक विनिश्चय कर दिया इसलिये सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि उसको मानते हुए सदन की कार्यवाही आगे चलने देंगे। अभी प्रश्नकाल हो रहा है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अच्छा नहीं होगा जब सबके लिये वही प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी जो स्वामी जी के लिये अपनाई थी।

श्री अध्यक्ष–

आप जैसे सदस्य से यह अपेक्षा नहीं है कि आप उस प्रक्रिया को अपनायेंगे।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसीलिये आपसे कृपापूर्वक अनुरोध है कि कृपापूर्वक विचार कर लें। स्वामी प्रसाद जी के निलम्बन के लिये जैसे संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव लाये और उसके तहत सदन ने उसको पास कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दें कि वे एक प्रस्ताव लायें और स्वामी प्रसाद जी का निलम्बन वापस हो।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

बी० आर० वर्मा, जी स्वयं उस पीठ को सुशोभित कर चुके हैं और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, उनसे सदन को ऐसी अपेक्षा नहीं है कि आपके द्वारा लिये गये विनिश्चय का बार-बार उल्लंघन करते हैं अपनी बात के लिये खड़े रहना नियम/उप नियम, को न मानना यह निन्दनीय है।

श्री अध्यक्ष–

अनुरोध करने का उनको अधिकार है।

श्री बी० आर० वर्मा–

आप अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो इसकी पुनरावृत्ति होगी जो श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया,

श्री अध्यक्ष–

अनुपूरक प्रश्न चौधरी जी का है प्रश्नकाल चलने दें इस विषय पर नियम–56 में सूचना है उस समय विचार आ जाएंगे।

श्री बी० आर० वर्मा–

मुझे मालूम है सदन का बहुमूल्य समय है, लेकिन सदन किस लिये है नियम–311 में प्रस्ताव की व्यवस्था न होती, लेकिन उसमें व्यवस्था है या तो नियम–311 नियमावली में न रहे।

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 तो रहेगा लेकिन अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव होगा वह सम्मति नहीं दी है।

श्री बी० आर० वर्मा–

हम अनुशासित सदस्य के रूप में उसका पालन करेंगे 311 नियमावली में है आपकी कृपादृष्टि के लिये याचना कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं विनिश्चय का पालन हो लेकिन अनेक बार ऐसे अवसर आये हैं कि नियम–311 में लिया है उसको 56 में सुना गया है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने 311 में अनुमति नहीं दी है उस सूचना को निरस्त कर दिया है अब उस अध्याय को समाप्त कर दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

आपने पहले भी नियम 311 में कृपा दृष्टि बनाई है आप देखें नियम–56 और नियम 311 में सूचनायें ली हैं आपने नियम 311 में मुझे सुना है ऐसा नहीं है आपने 311 में माननीय सदस्यों ने आग्रह किया है तो खड़े होकर निर्देश दिये हैं विशेष उल्लेख में लिया है।

श्री अध्यक्ष–

अवसर और परिस्थिति के अनुसार विनिश्चय समय-समय पर हुए हैं। मैंने विनिश्चय किये हैं।

श्री बी० आर० वर्मा–

हो सकता है हमारी आवाज आप तक न पहुंच रही हो।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं है मौर्या जी की आवाज बड़ी जोर-दार थी।

श्री बी० आर० वर्मा–

मेरा आग्रह है इसे आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

एक आपका औचित्य दूसरा पीठ का औचित्य तो पीठ का औचित्य पहले लिया जाता है, मैंने चौधरी जी को अनुपूरक प्रश्न के लिये समय दिया है।

श्री बी० आर० वर्मा–

कृपा पूर्वक बात को सुन लें मेरा अनुरोध है। पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रश्न प्रहर के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को निर्देश दे दें मुझे एतराज नहीं है। मान्यवर, दो ही चीजें आपसे चाहूंगा। एक तो प्रस्ताव लाया जाय कि उनका निलम्बन वापस लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्नकाल के बाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात कर लूंगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि नियम–311 की जो सूचना दी है उसे प्रश्नकाल के तुरन्त बाद सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यसूची आप देखेंगे तो उसमें नियम–301 और नियम–300 इसमें दो-दो मिनट लगेगा। उसके बाद अपने आप आ जायेगा। नियम–56 में भी यह दूसरी सूचना दी। पहली सूचना पर मुश्किल से चार पांच मिनट का समय लगेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं फिर बल देना चाहता हूं कि प्रश्न प्रहर के बाद इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मुझे विनिश्चय करने की छूट दे दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जब आप विनिश्चय करेंगे तो मेरा आग्रह है कि एक बार सदन में व्यवस्था दी थी कि नियम–311 के अन्तर्गत सूचनाएं अपरिहार्य रूप से पहले नहीं ली जायेंगी । 56 के बाद ली जायेंगी । मान्यवर, माननीय सदस्य बुलन्दशहर ने 56 में दी है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि उनको सुनने के बाद इसको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा है कि मैं इस पर विचार कर लूंगा । लेकिन क्रम निर्धारित करने का अवसर दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि एक बार विनिश्चय कर लिया गया कि 56 की सूचनाएं पहले ली जायेंगी । नियम 311 को परिवर्तित कर देंगे । भाटी जी की सूचना नियमानुसार है तो मेरा आग्रह है कि उनको सुनने के बाद इनको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

कार्यसूची में वह क्रम तो आने दें ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, लगभग 50-55 मिनट से यह प्रकरण चल रहा है । आपने कई बार विनिश्चय को दोहराया है और आग्रह कर लिया कि प्रश्नकाल पहले चलने दें । लेकिन मान्यवर, मजबूर होकर, राजनीतिक आधार पर सदन को हाईजैक करने का अवसर मत दीजिये । मान्यवर, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है । एक माननीय सदस्य यह तय कर लें कि सदन को चलने नहीं देंगे तो क्या यह निरीह प्राणियों की तरह प्रतीक्षा करते रहेंगे । मैं आपका अभिनन्दन करता हूं कि कितनी बार आपने आग्रह कर लिया कि मैं विनिश्चिय कर लूंगा लेकिन सिर्फ इसलिये राजनीतिक विवशता है हमने तय कर लिया है कि चलने नहीं देंगे तो यह न होने दें । प्रश्न प्रहर मूल्यबान प्रहर है सभी लोगों के प्रश्न लगे हैं उनको उनके अवसर से वंचित न होने दीजिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं है । अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उदार हैं तो इनके दल के जो सदस्य हैं उनकी भी व्यथा सुन लें । वे भी इस विषय में कहना चाहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

उनकी भी नियम–51 में सूचना है इसी विषय पर ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिनकी पीड़ा है, वेदना है उन्होंने नियमों के अन्तर्गत सूचना दी है । वह सदन को हाईजैक नहीं करना चाहते हैं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

लेकिन मान्यवर, वह कार्यस्थगन के रूप में नहीं ला सकते ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने नियम–51 में दी है । भाटी जी ने नियम 56 में दी है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

लेकिन मैं आपसे बार-बार अनुरोध करूंगा कि आपने कृपापूर्वक सुना है और विषय उठाये गये हैं ।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, आप धैर्य की प्रतिमूर्ति हैं आपकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है और इनकी जो हठवादिता है उसकी जितनी भी निन्दा की जाये कम है ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

श्री श्याम देव राय चौधरी जी कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न करें ।

(इसी मध्य श्री आर० के० चौधरी, श्री बी० आर० वर्मा, श्री फरीद महफूज किदवई, श्री भोला शंकर मौर्य तथा श्री जगदीश नारायण राय सदन के फ्लोर पर आकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निलम्बन वापसी तथा नियम–311 के अन्तर्गत सूचना को सुने जाने की मांग करने लगे)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप तो अध्यक्ष रह चुके हैं आपको शोभा नहीं देता है कृपया आप अपने स्थान पर रहें ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जानकारी में है कि जो नकल की प्रथा चली है जो लोग नकल करवाते हैं वह ठेका पर नकल करवाते हैं दूसरी तरफ जो आपके प्राविधान हैं ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े श्री आर० के० चौधरी अनुरोध करने लगे कि उन्हें सुन लिया जाये ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

(फ्लोर पर खड़े श्री जगदीश नारायण राय यह कहने लगे कि इतनी बड़ी घटना हुई है और आप देखें यह लोग हंस रहे हैं और मान्यवर, आप संरक्षण दे रहे हैं ।)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह देखने में आया कि नकल धड़ल्ले से हुई है तो क्या मंत्री जी इस बात का जिक्र कर पायेंगे कि जिन नियमों का प्राविधान है तो यदि कक्ष निरीक्षक के संज्ञान में है कि नकल हो रही है तो उनके विरुद्ध व नकल करने वाले छात्रों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, जो उत्तर दिया गया है उसमें है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित परीक्षाओं में नकल रोकने हेतु अनुचित साधन निवारण अधिनियम–1998 लागू है । मान्यवर, जो कार्यवाही के सम्बन्ध में पूछा है तो केन्द्र व्यवस्थापक–29 के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज की गयी 30 केन्द्र व्यवस्थापक बदले गये और 229 कक्ष निरीक्षक के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज की गई तथा एक प्रबन्धक के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज की गयी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अजय कुमार पोइया–

मान्यवर, क्या जिन परीक्षाओं में नकल की घटनाएं प्रकाश में आयीं उनको दोबारा भी परीक्षा केन्द्र बनाया गया ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी से अनुरोध है कि जब नियम–56 आयेगा उस समय पूरी स्वतंत्रता है अपने विचार व्यक्त करने के लिए ।

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, यह व्यवस्था है कि जो सामूहिक नकल के केन्द्र पाये जाते हैं उन्हें डिबार कर दिया जाता है और जो फिर परीक्षा होती है उसमें उसको दोबारा केन्द्र नहीं बनाया जाता है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश में जो नकल के मामले में जो छात्र पकड़े जाते हैं उन नाबालिग छात्रों को पकड़कर उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमें दर्ज कर सरकार उनको अपराधी बनाने का काम कर रही है ? मान्यवर, मैं माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परीक्षा प्रणाली में कोई ऐसा परिवर्तन करेंगे जिससे कि नकल रोकी जा सके बिना संज्ञेय अपराध बनाये और लोगों की जो सही प्रतिभा है उसका सही परीक्षण हो सके, क्या ऐसी कोई कार्ययोजना मंत्री जी ने बनाई है ?

श्री चन्द्र किशोर–

मान्यवर, ऐसी कोई योजना नहीं है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस पर कुछ होना चाहिए यह जनहित से जुड़ा हुआ सवाल है ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने उत्तर दे दिया है कि कोई योजना नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जन समान्य को सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकारी नीति की जानकारी

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में जन-सामान्य को सुरक्षा उपलब्ध कराने की सरकार ने क्या कोई नीति बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या यह सही है कि सरकार ने आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को भी सुरक्षा उपलब्ध कराने की उदार नीति अपनाये जाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

जी नहीं । जन-सामान्य को सुरक्षा प्रदान करना शासन का दायित्व है । परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकतानुसार यथोचित व्यवस्था की जाती है । नई नीति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मेरी रुचि है ।

श्री अध्यक्ष–

बाद में देख लेंगे ।

सेन्चुरी कन्सलटेन्ट द्वारा किये गये करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि सेन्चुरी कन्सलटेन्ट में नागरिकों द्वारा निवेश किये गये धन में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के विरुद्ध मार्च, 2001 में कोई प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त प्रकरण में क्या कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

उक्त प्रकरण में थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ पर दर्ज मु०अ०सं० 256/2001 से 256डी/2001 तक के अपराधों की जांच हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया । उपर्युक्त टीम द्वारा मेसर्स सेन्चुरी कन्सलटेन्ट लिमिटेड के कार्यालयों में सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों को कब्जे में लिया गया । टीम के सदस्यों द्वारा बाम्बे स्टाक एक्सचेन्ज तथा सेबी के अधिकारियों से सम्पर्क करके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गयी । स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त राकेश टण्डन को दिनांक 6-4-2001 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । इस प्रकरण में दर्ज अपराध का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण दिनांक 4-4-2001 को सी० बी० आई० जांच हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया एवं भारत सरकार द्वारा दिनांक 11-4-2001 को इन अभियोगों की विवेचना सी०बी०आई० को सौंप दी गयी है । सी०बी०आई० द्वारा सम्प्रति इन अभियोगों की विवेचना की जा रही है । प्रश्नगत प्रकरण में बाद में दर्ज मु०अ०सं० 256ई/2001 से 256एच/2001 की विवेचना भी उक्त प्रचलित सी०बी०आई० जांच में सम्मिलित करने हेतु दिनांक 10-5-2001 को भारत सरकार से अनुरोध किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा है कि अपराधों की जांच हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर पूर्वी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया । उपर्युक्त टीम द्वारा मेसर्स सेन्चुरी कन्सलटेन्ट लिमिटेड के कार्यालय में सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों को कब्जे में लिया गया, टीम के सदस्यों द्वारा बाम्बे स्टाक एक्चेन्ज तथा सेबी के अधिकारियों से सम्पर्क करके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की गयी तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण जानकारियां क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह जानकारी, चूंकि सारी की सारी जानकारी सी०बी०आई० को सौंप दी गयी हैं, अब हमारे पास कोई रिपोर्ट इस बात की नहीं रही, पूरी जांच सी०बी०आई० द्वारा की जा रही है ।

(श्री बी० आर० वर्मा द्वारा सदन के फ्लोर से लगातार बोलने का प्रयास करते रहने पर सदन में व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, आसन ग्रहण करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक अनुरोध करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अभी नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं एक आग्रह कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आग्रह अस्वीकार है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इसमें अफसरों का और गणमान्य लोगों का निवेश है । क्या माननीय मंत्री जी के पास इसकी सूची है अगर हो तो बता दें ? यह प्रकरण हुए डेढ़ महीना हो गये क्या किसी की गिरफ्तारी हुई और सूची हो तो सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, गिरफ्तारी के बारे में जानकारी दे दी थी कि फलां-फलां की गिरफ्तारी हुई है, नाम बता देता हूं ।

मान्यवर, राकेश टंडन की गिरफ्तारी हुई थी जो अभी सी० बी० आई० न्यायालय की अभिरक्षा में हैं, यह मैंने जानकारी दी थी ।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा बेल में अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

लिस्ट आपके पास है ?

श्री हुकुम सिंह–

पूरी सूची सी०बी०आई० के पास है । जिन लोगों ने शिकायत की थी और बताया था कि हमारा इतना निवेश था, वही सूची हमारे पास है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जिन लोगों ने शिकायत की, उनके अलावा भी तमाम बड़े-बड़े लोगों ने इसमें पूजी निवेश किया था, मैं उनके नाम जानना चाहता हूं ?

श्री हुकुम सिंह–

पूरी सूची तो सी०बी०आई० के पास है ।

(इस समय 12 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उक्त प्रकरण में कितने करोड़ रुपये की धोखा-धड़ी हुई है और उसमें से कितने रुपये की बरामदगी हुई है ? क्या सेन्चुरी कन्सलटेंट्स के द्वारा भाऊराव देवरस संस्थान को भी कोई पैसा दिया गया है, तो वह कितना है ?

श्री हुकुम सिंह–

जो प्रार्थना-पत्र आयें, उनके आधार पर जांच शुरू की गई, उसके आधार पर 11 करोड़ 29 लाख रुपये की धोखा-धड़ी का मामला प्रकाश में आया है। किसने पैसा कहां निवेश किया था, यह पूरी सूची सी०बी०आई० के पास है।

कानपुर दंगे में मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में समायोजित करने की मांग

*3–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में माह मार्च, 2001 में दंगा हुआ था ? यदि हां, तो उक्त दंगे में कितने लोगों की मौतें हुई हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी में समायोजित करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

कानपुर नगर में दिनांक 16 मार्च, 2001 को हुये दंगे में कुल 14 लोगों की मृत्यु हुई है।

केवल स्व० श्री सी०पी० पाठक, अपर जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की पत्नी को शासन द्वारा सेवायोजित किये जाने का औचित्य पाया गया है। दंगों में अन्य मृतकों को सेवायोजित करने का न तो औचित्य है और न ही नियमों में संभव है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु छोटे डीलरों को लाइसेन्स देने की मांग

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल, पेट्रोल तथा मेट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये क्या छोटे डीलरों को लाइसेंस देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नरायन तिवारी)–

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को कृषि कार्य की सुविधा के लिये डीजल के फुटकर विक्रेता नियुक्त हैं तथा शासनादेश संख्या–78/29–7–2001–डी(15)/2000, दिनांक 4 जनवरी, 2001 द्वारा पुनः आवश्यकतानुसार नये पेटी डीजल डीलरों की नियुक्तियां भी प्रक्रिया में है। पेट्रोल का लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मिट्टी तेल के वितरण हेतु थोक विक्रेताओं के अतिरिक्त ब्लाक स्तर पर ब्लाक वितरक, रिटेलर्स तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियुक्त सरकारी सस्ते गल्ले की उचित दर की दुकानों के माध्यम से मिट्टी तेल का वितरण किया जाता है।

पेटी डीजल डीलर का लाइसेन्स राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इस संबंध में जिलाधिकारी को लाइसेन्स प्राधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। पेट्रोल पम्प का लाइसेन्स भारत सरकार एवं संबंधित तेल कम्पनी से दिया जाता है। मिट्टी तेल के थोक विक्रेता का लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का लाइसेन्स राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है जिसके माध्यम से मिट्टी तेल का वितरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज ग्रामीण अंचलों में मिट्टी का तेल जो कोटा धारकों द्वारा दिया जा रहा है उसमें भी वितरण में तमाम धांधलियां होती हैं और पेट्रोल तथा डीजल जो किसानों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है । यह सीधे कृषि कार्य से संबंधित है । उसके लिए मंत्री जी ने कहा है कि 4 जनवरी, 2001 द्वारा पुनः आवश्यकतानुसार नये पेटी डीजल डीलरों की नियुक्तियां भी प्रक्रिया में हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने पेटी डीजल डीलरों को लाइसेन्स देने का कार्य प्रक्रिया में है, और कब तक इसे कार्य रूप में मंत्री जी द्वारा प्रभावी कर दिया जायेगा ?

श्री जयनरायन तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैंने इतना कहा कि पेटी डीजल डीलरों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में जिलाधिकारी के चेयरमैन शिप में एक कमेटी होती है और उसके सदस्य होते हैं और उसमें सिर्फ इतना होता है कि रोड लाइट पर 5 कि०मी० की दूरी के बाद जहां भी आवश्यकता होती है पेटी डीजल डीलरों की नियुक्तियां हो जाती हैं । जहां तक जैसा माननीय सदस्य ने इनकी संख्या जाननी चाही है, मान्यवर, 10-2-99 तक कार्यरत पेटी डीजल की संख्या 4740 है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पेटी डीजल डीलरों की जो दुकानें आवंटित होती हैं क्या उसमें बी०सी०, एस०सी० एवं अन्य वर्ग के लिए आरक्षण की कोई नीति है और दूसरा प्रश्न ये एप्लीकेशन कब प्राप्त हुई, क्या यह आरक्षण का कोटा तय कर दिया गया है कि अमुक-अमुक स्थान बी०सी०, एस०सी० या संवर्ण में आयेंगे, क्या इनका संचालन इन आधार पर हो गया है यदि नहीं हुआ है तो कब तक करा देंगे ?

श्री जयनरायन तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बहुत ही वरिष्ठ सदस्य रघुबर दयाल वर्मा जी को अवगत कराना चाहता हूं कि पेटी डीजल डीलर के लिए आरक्षण तय है । इसमें अनुसूचित जाति के लिए 30 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और इसके अतिरिक्त हारीजेन्टल आरक्षण की भी व्यवस्था है । इसमें महिलाओं को 20 प्रतिशत, लड़ाई में घायल सैनिक के परिवारों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 प्रतिशत, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी विधवा के लिए 1 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में राजस्व आय और व्यय में संतुलन समान रखने हेतु सरकारी उपायों के संबंध में जानकारी

*1–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश की कुल अनुमानित राजस्व आय और व्यय कितना है ? क्या यह सही है कि राजस्व आय की तुलना में व्यय अधिक हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका सन्तुलन समान रखने के लिए कोई उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में प्रदेश की कुल अनुमानित राजस्व आय रुपये 30129.44 करोड़ और राजस्व व्यय रुपये 34161.34 करोड़ है ।

जी हां ।

जी हां ।

राजस्व आय में वृद्धि एवं व्यय में कमी करने के प्रयास किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा आपने उत्तर के दूसरे खण्ड में कहा है कि राजस्व आय में वृद्धि एवं व्यय में कमी करने के प्रयास किये गये हैं । मान्यवर, कौन से प्रयास किये गये हैं और उसके क्या परिणाम आए हैं ? यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

मान्यवर, जो राजस्व आय और व्यय का असुंतलन है उसे दूर करने की दृष्टि से जो प्रयास किया गया है उसे निवेदन कर रहा हूं । जहां तक माननीय सदस्य ने यह पूछा कि परिणाम क्या है परिणाम से ही सारी वित्तीय स्थिति प्रकट हो सकेगी । वर्ष 2000-2001 की तुलना में राजस्व घाटा 2001-2002 में 30.70 प्रतिशत कमी आयी है । इसी तरह से जो राजस्व घाटा 1998-99 में 8696.16 करोड़ था वह वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-2002 में घटकर 4031.90 करोड़ पर आ गया है । इस तरह से राजस्व घाटा कम होता जा रहा है यह हमारे प्रयत्नों का परिणाम है । जो प्रयत्न किये गये हैं उसे निवेदन कर दूं, सदन को ज्ञात है कि पांच वस्तुओं पर और कर लगाया गया था ये हैं–कूड आयल, प्राकृतिक गैस, दस लाख से ऊपर के मशीनें और पुर्जे, बिना लेबी की शुगर और सिगरेट । वाहनों पर भी कर अधिनियम में संशोधन करके 100 प्रतिशत राजस्व बढ़ाने की स्थिति पैदा कर दी गयी है ।

उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में लागत वसूली 6 से 12 प्रतिशत करने का प्रयास किया गया है । पशुपालन विभाग, चिकित्सा विभाग में भी इसी प्रकार के आदेश दिये गये हैं, नजूल भूमि की बिक्री की गयी । जो रिक्त पद एक साल या उससे अधिक समय से पड़े थे । उन 15116 पदों को समाप्त किया गया । इसी तरह से माननीय मंत्रियों का जेब खर्च जो चर्चित रहा उस पर अंकुश रखने के लिए उप समिति का गठन किया गया था । उस उप समिति ने अपनी संस्तुति मुख्य मंत्री जी को प्रस्तुत कर दी है । जो सरकारी धन खजाने से निकाल कर बैंकों में पोस्ट आफिस में जमा करने की प्रक्रिया चल रही थी उस पर रोक लगा दी गयी है जिससे कैश फ्लो बना रहे । भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि जो धन सीधे जिलों को भेज दिया जाता है वह राज्य सरकार के माध्यम से भेजा जाये जिससे कैश फ्लो बना रहे । मान्यवर, जो मुख्य-मुख्य व्यय के कारण थे उसमें सुधार करने का प्रयत्न किया गया । पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू की गयी, समयमान वेतनमान दिया गया, पेंशन में वृद्धि हुई, उसके कारण व्यय बढ़ा था । व्यय बढ़ने के बाद भी आय के श्रोत बढ़ाकर राजस्व घाटे को कम किया गया है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विगत 1999-2000 में जो धन आपने जिलों में भेजा था, अधिकांश समय तक ट्रेजरी पर पाबन्दी लगी रही और उसमें से धन निकाला नहीं जा सकता था । उससे साबित होता है कि आपकी सरकार पूरी तरह से दिवालिया थी, विकास कार्य पूरी तरह से बाधित हुआ । उसका एक कारण और भी है कि इन्होंने केन्द्र सरकार से कहा था कि हम इतना धन उगाही करेंगे जिससे मैचिंग ग्रान्ट मिल सके, वह भी उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया । 2001-2002 में जैसे सड़क, बिजली, सिंचाई आदि महत्वपूर्ण विभागों के बजट में घोषणा हुई थी उसमें कटौती कर दी गयी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो आपने राजस्व घाटे की कमी की बात बताई है क्या वह इसलिए है कि जो बजट में विकास कार्यों में बढ़ाया था ।

मान्यवर, जैसे सड़क, बिजली तमाम विकास की मदों में, उसमें कटौती की वजह से विकास घाटा कम दिखा रहे हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव उर्फ 'हरीश जी'–

मान्यवर, जहां तक भुगतान में रुकावट का सवाल है, किसी न किसी मद को बीच-बीच में कुछ दिनों के लिए रोका गया है, यह रणनीति है मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने जिन विभागों के बारे में प्रश्न उपस्थित किया है, उनमें कोई रुकावट नहीं आने दिया गया है । इन्हीं प्रशासनिक व्यय, वेतन भत्ते हैं, विकास संबंधी मदों में कोई रुकावट नहीं आने दी गयी । मान्यवर, जहां तक यह निर्माण, विकास संबंधी कार्यों के बारे में कहा गया है, उसके संबंध में प्रकट है कि पूंजीगत परिव्यय में 2000-2001 में 3874.22 करोड़ रुपये दिये गये थे और 2001-2002 में 4457.144 करोड़ रुपये दिये गये हैं, जिसमें 15.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

श्री आर० के० चौधरी–

(सदन के वेल से) मान्यवर, सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें । मान्यवर, यह नियम–311 की सूचना है, इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें । यह अत्यन्त ज्वलन्त समस्या है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें और अपनी बात वहां से कहिये । सदन अव्यवस्थित है, पहले सदन को व्यवस्थित करें ।

श्री बी०आर० वर्मा–

(सदन के वेल से) मान्यवर, जब सदन अव्यवस्थित है तो कार्यवाही कैसे चल रही है, कृपया इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें ।

(सदस्यों के अपने स्थान पर न जाने तथा घोर व्यवधान होने पर)

नोट :–नत्थी (घ) तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

सरकार द्वारा वाह्य सहायतित परियोजनाओं में बन्द पड़ी परियोजनाओं को संचालित करने की मांग

*2-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कौन-कौन सी बाह्य सहायतित परियोजनायें चलायी जा रही हैं ? क्या यह सही है कि उनमें से कुछ परियोजनायें धनाभाव के कारण बन्द हो गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार उनको संचालित कराने हेतु क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह-

प्रदेश में वर्तमान में कृषि, समन्वय, लघु सिंचाई, ऊर्जा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, नगर विकास, वन एवं वित्त विभाग की 13 वाह्य सहायतित परियोजनायें चल रही हैं ।

जी नही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के भूमि भवन आदि विक्रय पर लिए जा रहे विकास शुल्क को विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद को दिये जाने की मांग

*3-श्री रघुवर दयाल वर्मा-

क्या पंजीयन तथा न्यायालय शुल्क एवं मनोरंजन कर मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद में भूमि भवन आदि के विक्रय पर बैनामा पंजीयन कार्यालय-ट्रेजरी में दो रुपया प्रति सैकड़ा की दर से विकास शुल्क गत 12 वर्षों से वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो वह धनराशि इस समय कितनी है ? क्या यह जमा धनराशि (विकास शुल्क) जनहित में विनियमित क्षेत्र और नगर विकास में लगाने हेतु विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद को दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह-

जी हां ।

फिरोजाबाद में दिनांक 1-4-89 से दो रुपया प्रति सैकड़ा की दर से अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूल किया जा रहा है ।

फिरोजाबाद में विकास प्राधिकरण के गठन से पूर्व दो प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में रु० 2,15,90,595.00 तथा विकास प्राधिकरण के गठन के बाद 31-3-2001 तक रु० 6,27,19,942.00 वसूल किया गया है । विकास प्राधिकरण फिरोजाबाद का गठन दिनांक 7-4-95 को किया गया है तथा 1-4-95 से 31-3-2001 तक रु० 6,08,38,968.00 की जो धनराशि संकलित की गयी है उसमें से रु० 48,67,117.00 विभागीय अनुषांगिक व्यय कम करते हुए वितरित की जाने वाली धनराशि रु० 5,59,71,891.00 होती है जिसमें से फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण को शासनादेश दिनांक 11-8-95 के अनुसार देय हिस्सा 0.67% अर्थात् रु० 1,87,50,570/- है ।

प्राधिकरण द्वारा 30-6-95 से 30-9-99 तक रु० 1,02,12,604.00 मात्र धनराशि का बिल प्रस्तुत किया है लेकिन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विकास प्राधिकरण के द्वारा शासकीय बकाया के समायोजन सम्बन्धी विभागीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अभी भुगतान नहीं किया गया है । निर्धारित प्रक्रियानुसार बिल प्राप्त होने पर ही फिरोजाबाद विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान किया जा सकेगा ।

प्रदेश आई०एस०आई० की गतिविधियों के रोकथाम की सरकार से मांग

*4–डा० ज्ञानवती सिंह तथा श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पाकिस्तानी, खुफिया एजेंसी (आई०एस०आई०) द्वारा आतंकवाद/अस्थिरता की गतिविधियां जारी हैं ? यदि हां, तो जनवरी, 2000 से जनवरी, 2001 तक इस प्रकार के कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार ने उक्त गतिविधियों की रोकथाम के लिए कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रदेश में आई०एस०आई० तथा उसके समर्थित तत्वों द्वारा आतंकवादी गतिविधियां करने की सूचनाएं समय-समय पर प्राप्त हुई हैं ।

प्रश्नगत अवधि में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विस्फोट की 7 घटनायें घटित हुई । विभिन्न राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त 22 संदिग्ध व्यक्तियों को इस अवधि में गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी ।

शासन द्वारा उक्त गतिविधियां रोकने हेतु निम्न कदम उठाये हैं :–

1–आई०एस०आई० की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के 22 जनपदों को सम्वेदनशील जनपद के रूप में चिन्हित किया गया है ।

2–उपरोक्त जनपदों में जनपद स्तर पर मासिक रूप से तथा मण्डल स्तर पर 2 माह में एक बार राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही तथा इनकी गतिविधियों आदि की नियमित समीक्षा करने हेतु क्रमशः जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त को निर्देश दिये गये हैं ।

3–भारत नेपाल सीमा पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अप्रैल 1997 में उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पुलिस का गठन किया गया जिसके अन्तर्गत दो विशेष सीमा जोन गोण्डा तथा पीलीभीत और तीन विशेष परिक्षेत्र स्थापित हैं और सीमा पर 47 पुलिस चौकियां भी स्थापित की गयी हैं ।

4–विघटनकारी तत्वों/आई०एस०आई० एजेण्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु मई 1998 में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया ।

5–अभिसूचना संकलन हेतु रेंज तथा जनपद स्तर पर अभिसूचना इकाईयों सृजित की गयी हैं और प्रदेश अभिसूचना मुख्यालय पर मानीटरिंग हेतु विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है ।

6–जाली भारतीय मुद्रा से सम्बन्धित मामलों की छानबीन हेतु विशेष जांच प्रकोष्ठ (जाली नोट/सिक्के) का गठन आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई०ओ०डब्लू) के अन्तर्गत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में आई०एस०आई० द्वारा चलाये जा रहे जाली नोटों के मामले

*5–श्री विजय पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में आई०एस० आई० द्वारा जाली नोट चलाये जाने के कितने मामले वर्ष 1997 से 25 फरवरी, 2000 तक प्रकाश में आये हैं ? क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रदेश में जाली भारतीय मुद्रा की बरामदगी के प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं किन्तु इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों के आई०एस०आई० से सम्बन्धों की पुष्टि नहीं हुई है।

जी हां।

जाली भारतीय मुद्रा से सम्बन्धित प्रकरणों की छानबीन हेतु आर्थिक अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत विशेष जांच प्रकोष्ठ (जाली नोट/सिक्के) का गठन दिनांक 28-3-2000 को किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में आई०एस०आई० एवं उसके सहयोगी संगठनों की गतिविधियों की रोकथाम हेतु निम्न उपाय भी किये गये हैं :–

1–आई०एस०आई० की गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के 22 जनपदों को संवेदनशील जनपद के रूप में चिन्हित किया गया है।

2–उपरोक्त जनपदों में जनपद स्तर पर मासिक रूप से तथा मण्डल स्तर पर 2 माह में एक बार राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही तथा इनकी गतिविधियों आदि की नियमित समीक्षा करने हेतु क्रमशः जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त को निर्देश दिये गये हैं।

3–भारत नेपाल सीमा पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अप्रैल 1997 में उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पुलिस का गठन किया गया जिसके अन्तर्गत दो विशेष सीमा जोन गोण्डा तथा पीलीभीत और तीन विशेष परिक्षेत्र स्थापित हैं और सीमा पर 47 पुलिस चौकियां भी स्थापित की गयी हैं।

4–विघटनकारी तत्वों/आई०एस०आई० एजेण्टों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु मई 1998 में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया।

5–अभिसूचना संकलन हेतु रेंज तथा जनपद स्तर पर अभिसूचना इकाईयों सृजित की गयी हैं और प्रदेश अभिसूचना मुख्यालय पर मानीटरिंग हेतु विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन निगम में संविदा के आधार पर नियुक्त चालकों एवं परिचालकों को नियमित करने की मांग

*6–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में परिवहन निगम में संविदा पर चल रहे चालकों एवं परिचालकों को नियमित करने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

जी नहीं।

निगम में इन चालकों/परिचालकों को तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही रखा जाता है। अनुबन्ध की शर्त में स्पष्ट किया गया है कि इनका भविष्य में निगम में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस अधिनियम 1870 में संशोधन के सम्बन्ध में जानकारी

*7–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या पंजीयन तथा न्यायालय शुल्क एवं मनोरंजन कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 में संशोधन करते हुए क्या सरकार न्यायालय शुल्कों में कोई परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश कोर्ट फीस अधिनियम 1870 में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य न्यायालय शुल्क को युक्तिसंगत बनाना है । इस प्रस्ताव पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के बार एशोसिएशनों, मा० उच्च न्यायालय की बार एशोसिएशन व बार कौंसिल आदि से अभिमत मांगे गये हैं । उनके अभिमत प्राप्त होने पर उन पर सम्यक विचार-विमर्श करके ही प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाना है ।

लखनऊ में प्रदूषण की रोकथाम हेतु बैटरी चालित वाहनों को चलाने की मांग

*8–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ में डीजल/पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से प्रदूषण में वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चलने वाले वाहनों के स्थान पर बैटरी चालित वाहन चलाये जाने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं ।

चूंकि लखनऊ महानगर में डीजल/पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से प्रदूषण में वृद्धि नहीं हो रही है अतः केवल बैटरी चालित वाहन चलाये जाने की योजना नहीं बनायी गयी है, बल्कि स्क्रबर युक्त (धुवां नियंत्रण की मशीन) टैम्पों/टैक्सी को ही सिटी बस संचालित मार्गों के अतिरिक्त अन्य मांगों पर संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है । बैटरी चालित टैम्पों/टैक्सियों के संचालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं एवं धान की खरीद सुनिश्चित कराने की मांग

*9–श्री बी० आर० वर्मा–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं एवं धान का सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर किसान का गेहूं एवं धान की खरीद सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि किसानों को अपने गेहूं और धान को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर इस समय बेचना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्यों पर किसानों से प्रदेश में विभिन्न क्रय एजेन्सियों के माध्यम से जनपदों में शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्र स्थापित कर मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूं व धान की खरीद प्रतिवर्ष की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये जाने पर गेहूं व धान की खरीद क्रय केन्द्रों पर लाये जाने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला मुख्यालयों से 20 कि०मी० की परिधि में आने वाले राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत किये जाने का प्रस्ताव

*10–श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में जिला मुख्यालय से 20 कि०मी० की परिधि में आने वाले राष्ट्रीयकृत मार्गों को अराष्ट्रीयकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर कब तक निर्णय लेकर उसे लागू कर दिया जायेगा ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जनपद मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय अथवा मुख्य स्थान से सीधी परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये राष्ट्रीयकृत मार्ग के 16 कि०मी० से अनधिक दूरी के मार्गाशों पर प्राइवेट वाहनों को चलाने के लिये प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या–2058/30-2-99–232/99, दिनांक 16-9-99 को जारी की गई है ।

प्रश्नगत प्रकरण में जारी की गई प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 16-9-99 के संबंध में सुनवाई श्रवणाधिकारी द्वारा की जा रही है । श्रवणाधिकारी के निर्णय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती ।

अतारांकित प्रश्न

ग्राम उमरवहना जनपद फतेहपुर की रजनी देवी की हत्या से संबंधित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

1–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 7/8-4-2001 को ग्राम उमरवहना, थाना–मलवा जनपद–फतेहपुर की रजनी देवी की हत्या करके उसके सास, ससुर, ननद एवं पति द्वारा लाश को गायब कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अपराध के लिए दोषी सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या संबंधित थाने से अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट भेजी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं । दिनांक 23-4-2000 को श्री राम भरोसे सिंह पुत्र ईश्वर दयाल सिंह की लिखित सूचना पर मु०अ०सं०–71/2000 धारा 498ए/304बी/201 भा०दं०वि० सुनील, श्रीमती भूरी, श्रीमती अनीता देवी, श्रीमती संतोष देवी, रघुनाथ, निवासीगण उमरवहना के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । विवेचना से रंजनी देवी की हत्या कर शव गायब करने की पुष्टि नहीं हुई । अपितु रंजनी देवी के जीवित होने तथा राजू नामक व्यक्ति के साथ शादी करके रहने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ।

नामित अभियुक्तों में से सुनील, श्रीमती भूरी ने दिनांक 1-5-2000 व रघुनाथ ने दि० 24-2-2001 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तथा श्रीमती अनीता देवी तथा संतोष देवी द्वारा दि० 16-5-2000 को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से गिरफ्तारी का स्थगनादेश प्राप्त किया गया ।

सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध धारा–498ए भा०दं०वि० व 3/4 द०प्र०सं० प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में डग्गामार वाहनों द्वारा यात्रियों से मनमानी किराया वसूल करने के संबंध में कार्यवाही

2–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद उन्नाव के मार्गों–उन्नाव हरदोई मार्ग, उन्नाव चकलवंशी वाया संडीला मार्ग, उन्नाव पुरवा मार्ग, उन्नाव बीघापुर तकिया मार्ग, लालकुआं भोजपुर मार्ग

उन्नाव हसनगंज मार्ग पर डग्गामार वाहनों द्वारा यात्रियों से मनमानी किराया वसूला जा रहा है ? क्या यह सही है कि इससे परिवहन निगम को घाटा भी हो रहा है ? यदि हां, तो क्या इसे रोकने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मार्ग हरदोई–उन्नाव, उन्नाव–सण्डीला वाया चकलवंशी तथा उन्नाव–हसनगंज अराष्ट्रीयकृत है और निजी बस स्वामियों द्वारा शासन की अधिसूचना दिनांक 10-3-2000 द्वारा निर्धारित किराये की दर के अनुसार ही यात्रियों से किराया लिया जा रहा है । इन मार्गों पर कोई ओवरचार्जिंग नहीं की जा रही हैं ।

मार्ग उन्नाव–पुरवा, उन्नाव–बीघापुर तकिया, भोजपुर–लालकुंआ राष्ट्रीयकृत है, जिस पर निजी बसों का संचालन नहीं हो रहा है । निगम की बसों द्वारा भी निर्धारित किराये से अधिक किराया लिए जाने की कोई शिकायत संज्ञान में नहीं आयी है ।

जी नहीं । राष्ट्रीयकृत मार्गों पर उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के ही बसों का संचालन होता है । इन मार्गों पर अनाधिकृत रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

वर्ष 2000-2001 में इस प्रकार की वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान 738 वाहनों के चालान हुए, 240 वाहनें बन्द की गयी, जिसमें से 62 वाहनें बिना परमिट थीं । किये गये चालानों के प्रति आलोच्य अवधि में रु० 2,28,600.00 प्रशमन शुल्क तथा रु० 3,43,426.00 कर के रूप में वसूली गयी । इस प्रकार परिवहन विभाग अनाधिकृत संचालन के प्रति जागरूक है ।

अपराध संख्या–165/2001 थाना बेवर जनपद मैनपुरी में पंजीकृत मुकदमें में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

3–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अपराध संख्या 165/2001 थाना बेवर जनपद मैनपुरी में नेशनल पब्लिक स्कूल बेवर जनपद–मैनपुरी के केन्द्र व्यवस्थापक श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

उक्त अभियोग की विवेचना प्रचलित है तथा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है जिसके आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

जिला कारागार हरदोई के विचाराधीन बन्दी भयन्नु का पुलिस अभिरक्षा में भागने के कारण दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

4–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कारागार हरदोई के विचाराधीन बन्दी भयन्नु पुत्र मुन्नू जिला हरदोई से दिनांक 30-11-1999 को पुलिस अभिरक्षा से पलायन कर जाने के कारणों की मजिस्ट्रीयल जांच रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट हरदोई के पत्रांक–1378/जे० ए०/मजि० जांच बन्दी भयन्नू/2000, दिनांक 25-4-2000 के साथ सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, न्याय अनुभाग–3 को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त मजिस्ट्रीयल जांच में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) हरदोई, श्री राजेन्द्र सिंह गौर को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई का उक्त पत्र दिनांक 25-4-2000 न्याय अनुभाग–3 में फैक्स से दिनांक 18-5-2001 को उपलब्ध कराया गया है ।

(ख) मजिस्टीरियल जांच में श्री राजेन्द्र सिंह गौर के विरुद्ध मात्र लापरवाही का आरोप है ।

(ग) जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

जनपद सहारनपुर में जनसंख्या के आधार पर पुलिस कर्मियों की कमी को देखते हुए पुलिस बल में वृद्धि की मांग

5-श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद सहारनपुर में पुलिस कर्मियों की जनसंख्या के आधार पर कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनसंख्या के अनुपात में नागरिकों की सुरक्षा हेतु पुलिस कर्मचारियों को तैनात करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जनपद सहारनपुर में पुलिस बल का नियतन राज्य की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध पुलिस बल के औसत के अनुरूप है । उपरोक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चन्दौली एवं मिर्जापुर में ग्राम पंचायतों में खाद्यान्न एवं किरोसिन तेल के लाइसेन्स आरक्षण के आधार पर देने की मांग

6–ई० सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ग्राम पंचायतों में खाद्यान्न एवं किरोसिन तेल के लाइसेन्सी दुकानों के आवंटन में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो आरक्षण का प्रतिशत क्या है और जनपद चन्दौली के तहसील चकिया एवं मीरजापुर जनपद के चुनार तहसील में उक्त आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कितने-कितने व्यक्तियों को लाइसेन्स आवंटित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

वर्तमान शासनादेश के तहत राशन के दुकानों के चयन में निम्नवत् आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने के निर्देश हैं :–

1–अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
2–अनुसूचित जनजाति	02 प्रतिशत
3–अन्य पिछड़े वर्ग	27 प्रतिशत

निम्नलिखित वर्ग के व्यक्तियों को होरिजेन्टल आरक्षण भी निम्न प्रकार अनुमन्य है :–

(क) आरक्षण की दुकानों के चयन में महिलाओं को 20 प्रतिशत ।

(ख) लड़ाई में मारे गये सैनिक परिवार के सदस्य/लड़ाई में घायल हुए सैनिकों के परिवार के सदस्य, भूतपूर्व सैनिक 08 प्रतिशत ।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी पत्नी विधवा 05 प्रतिशत ।

(घ) विकलांग व्यक्तियों को 02 प्रतिशत ।

जनपद चन्दौली के तहसील चकिया में वर्तमान में कुल 11 दुकानों के लिए स्थान रिक्त हैं जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 02 दुकानें चयन की प्रक्रिया में है । इसी प्रकार जनपद मीरजापुर की तहसील चुनार में वर्तमान में रिक्त 39 दुकानों के सापेक्ष अनुसूचित जाति को 08 दुकानों का आवंटन होना है जिसमें 03 दुकानें आवंटित कर दी गई हैं शेष 05 राशन की दुकानें अनुसूचित जाति को आवंटित होना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के विमल कुमार गुप्ता की पुत्री की मृत्यु की जांच विषयक कार्यवाही

7–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विमल कुमार गुप्ता निवासी कैलाश नगर मथुरा की पुत्री की मृत्यु की जांच कर एफ० आई० आर० दर्ज करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–/44-211/मथुरा/2001 दिनांक 28-3-2001 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

इस प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा क्षेत्राधिकारी, नगर से करायी गयी । जांच से ज्ञात हुआ कि आवेदक द्वारा अपनी पुत्री कुमारी प्रियंका को बीमार हालत में दि० 27-2-2001 को जिला चिकित्सालय में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था । रोगी हृदय रोग व खसरा निमोनिया रोग से पीड़ित थी जिसका इलाज सुचारु रूप से किया गया । जांच में यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि रोगी का हृदयवाल्व खराब होने के कारण उसका इलाज पूर्व में अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में चल रहा था किन्तु रोगी की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी । जांच से चिकित्सकों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में एस०ओ० गोविन्दनगर द्वारा श्री बुलबुल निवासी कृष्ण गंगा लाल दरवाजा को उत्पीड़ित करने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

8–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस० ओ० गोविन्द नगर जनपद मथुरा द्वारा श्री बुलबुल निवासी कृष्ण गंगा लाल दरवाजा मथुरा का उत्पीड़न किये जाने की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/एम–/44208/मथुरा/2001 दिनांक 28-3-2001 पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रकरण की जांच उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के माध्यम से करायी गयी । जांच से पाया कि आवेदक बुलबुल शर्मा व उसके भाई योगेश मो० कृष्ण गंगा श्री राजेन्द्र सारिया के मकान में काफी समय से किराये पर रह रहे हैं । मकान मालिक ने उक्त मकान का इकरारनामा शेखर आदि के नाम कर दिया और शेखर आदि उक्त मकान के किरायेदारों से मकान खाली करने की बात कही थी जिस पर किरायेदारों ने मकान खाली करने से मना कर दिया । जबरन मकान खाली करने एवं उत्पीड़न करने की बात निराधार है । शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 द०प्र०सं० की कार्यवाही की जा चुकी है ।

प्रदेश में पेटी डीजल डीलर्स से आधुनिक यंत्रों से नाप कराने की मांग

9–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि पेटी डीजल डीलर्स के द्वारा डीजल नाप पुरानी पद्धति द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार आधुनिक यंत्रों द्वारा नाप किये जाने का आदेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

पेटी डीजल डीलर की व्यवस्था किसानों की सुविधा के लिये की गई है । बांट–माप विभाग द्वारा निर्धारित मापक से नापकर डीजल बिक्री की जाती है ।

पेटी डीजल डीलर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–19806/97–मैसर्स दुर्गा आयल कम्पनी बनाम राज्य सरकार में यह निर्णय दिया गया है कि पेटी डीजल डीलर विक्रेता किसी भी प्रकार से टैंक में तेल भंडारित करके फुटकर में डिस्पेंसिंग पम्प से विक्रय करने का अधिकारी नहीं होगा । तद्नुसार राज्य सरकार द्वारा भी शासनादेश दिनांक 21-8-98 द्वारा समस्त मण्डलायुक्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला सहकारी बैंक लि० देवरिया के संचालक मण्डल द्वारा लिए गये निर्णयों का सचिव/महाप्रबन्धक से अनुपालन कराये जाने की मांग

10–श्री राधेश्याम सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप निबन्धक सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश गोरखपुर के द्वारा दिये गये विधिक मार्ग दर्शन के आधार पर सभापति देवरिया कसया जिला सहकारी बैंक लि० देवरिया द्वारा दिनांक 22-2-2001 को बुलाई गयी संचालक मण्डल की अधियाचित बैठक सम्पन्न हुई थी, जिसमें 2/3 संचालक (10) उपस्थित होकर प्रस्ताव संख्या–1 से 5 तक का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किये ? यदि हां, तो क्या सचिव/महाप्रबन्धक देवरिया कसया जिला सहकारी बैंक लि० देवरिया के संचालक मण्डल द्वारा सर्व सम्मति से लिये गये निर्णय का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री ("पटेल" राम कुमार वर्मा)–

जी हां ।

जी नहीं ।

सचिव/महाप्रबन्धक से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

जनपद उन्नाव के सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि० शाखा पुरवा के अधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति के किसान को फर्जी प्रकरण में फंसाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

11–श्री उदयराज यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15-3-2001 व पत्रांक–1 नं० 203329 दिनांक 24-4-2001 जो उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि० शाखा पुरवा जनपद उन्नाव के अधिकारी/कर्मचारी तथा बैंक अमीन द्वारा अनुसूचित जाति के गरीब किसान को फर्जी प्रकरण में फंसाकर धन उगाही करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में था और जिसकी प्रति शाखा प्रबन्धक, उन्नाव को भी भेजी गई थी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कुमार वर्मा–

जी हां।

निबन्धक को जांच के आदेश दिए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राम जन्म भूमि अयोध्या में सिक्ख श्रद्धालुओं को दर्शन में हो रही परेशानी

12. डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अयोध्या स्थित रामजन्म भूमि के दर्शन हेतु जाने वाले सिक्ख श्रद्धालुओं को कृपाण धारण करके मन्दिर परिसर में जाने पर प्रशासन द्वारा प्रतिबन्ध लगाया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि वहां पर तैनात केन्द्रीय एवं प्रादेशिक सुरक्षा बल द्वारा कृपाण धारण करने वाले सिक्खों को कृपाण उतारने के लिये बाध्य किया जाता है ? यदि हां, तो क्या शासन सुरक्षाबलों की इस कार्यवाही पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद विवादित परिसर के दर्शन हेतु जाने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा कारणों से किसी प्रकार का शस्त्र लेकर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

जी नहीं। सिक्ख श्रद्धालु धारण करने वाले शस्त्र सामान घर में रखकर दर्शन हेतु जा सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ जिले में नियम विरुद्ध ब्लाक आरगनाइजर को विंग इंचार्ज बनाकर मकान किराया भत्ता देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

13–श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

क्या होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे लखनऊ जिले में वैतनिक प्लाटून कमान्डरों की तैनाती होने के बाद भी ए० टू० डी० सी० के पद पर वैतनिक प्लाटून कमाण्डर के स्थान पर नियमों के विपरीत ब्लाक आरगनाइजर को नियम के विरुद्ध तैनात किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या नियमों के विपरीत शहरी कम्पनियों में निरीक्षक व वैतनिक प्लाटून कमाण्डर के स्थान पर ब्लाक आरगनाइजर को विंग इंचार्ज बनाया गया है तथा उन्हें शहरी मकान किराया भत्ता व शहरी भत्ता नियम विरुद्ध दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस नियम विरुद्ध कार्य के लिये कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

इस संबंध में जांच कराई जा रही है। जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद महराजगंज के फरेन्दा तहसील मुख्यालय पर बस स्टेशन का निर्माण

14–श्री विनोद मणि–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महराजगंज में फरेन्दा तहसील मुख्यालय पर दान दी गयी भूमि पर बस स्टेशन के निर्माण हेतु 28 नवम्बर, 1997 को निविदा का प्रकाशन विभाग द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो बस स्टेशन के निर्माण हेतु शासन ने कितना धन अब तक विभाग को अवमुक्त किया है ? क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त निर्माण शीघ्र कराने हेतु आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

शासन द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

यात्रियों की कम संख्या को देखते हुये बस स्टेशन के बजाय बस शेल्टर बनाये जाने हेतु परिवहन निगम द्वारा रु० 1.50 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है ।

जिला बांदा के पठकन टोला शहर नरैनी में बेचा राम बाई के मकान की दीवाल गिराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

15–श्री बाबूलाल कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम स्वरूप पुत्र कालीचरन सोनकर निवासी पठकन टोला शहर नरैनी थाना–कोतवाली नरैनी जिला बांदा तथा बेचा राम बाई के मकान की दीवाल मुन्नी पुत्र सूरजदीन ने गिरा दिया था जिसकी सूचना उन्होंने दिनांक 10-10-2000 को उप जिलाधिकारी नरैनी, पुलिस कोतवाली नरैनी को दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्रीमती रामबाई बेवा मुन्ना लाल निवासी पठकन टोला द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-10-2000 को उप जिलाधिकारी नरैनी को दिया गया था ।

प्रश्नगत शिकायती प्रार्थना-पत्र की जांच प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नरैनी से करायी गयी । जांच से पाया गया कि प्रतिपक्षी श्री मुन्नी लाल की दीवार उसकी स्वयं की जमीन पर बनी हुई थी और उसमें दरवाजा भी था । आवेदिका रामबाई ने उपर्युक्त जमीन पर धारा–145 सी०आर०पी०सी० की कार्यवाही की मांग की थी, परन्तु जांच से धारा–145 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी । आवेदिका की कोई दीवार नहीं गिराई गयी बल्कि उसके द्वारा सरकारी जमीन पर दीवार बनाने हेतु खोदी जा रही नींव को उप जिलाधिकारी, नरैनी के आदेशानुसार रोका गया था । विवादित जमीन पर उप जिलाधिकारी, नरैनी के आदेश से यथास्थिति बनी हुई है ।

जनपद मथुरा के थाना नरहोली में अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों के उत्पीड़न का प्रकरण

16–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना नरहोली मथुरा में अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों को उजाड़ने तथा उत्पीड़न किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–/44-276/मथुरा/2001 दिनांक 29-3-2001 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

इस प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा क्षेत्राधिकारी, सदर से करायी गयी । जांच से ज्ञात हुआ है कि ऐसा कोई विवाद या घटना का घटित होना नहीं पाया गया । जिससे यह स्पष्ट है कि कथित व्यक्तियों ने अपने द्वारा या अपने आदमियों से हरी सिंह व अन्य लोगों के मकान तोड़वाये गये हैं और न ही कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में आया कि कथित व्यक्तियों द्वारा शिकायतकर्ता हरी सिंह आदि व्यक्तियों की भयभीत कर उन्हें जाति सूचक शब्दों का उच्चारण कर अपमानित किया गया हो

शिकायतकर्ता की झोपड़ी पूर्णरूप से सुरक्षित है फिर भी शिकायतकर्ता की सुरक्षा हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में मु०अ०सं० 249/2000 में मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही

17–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं० 249/2000 थाना सदर बाजार में वर्णित मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–/209/मथुरा/2001 दिनांक 28-3-2001 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त आख्यानुसार श्री अजय कृष्ण सारस्वत नि०–1556 बाढ़पुरा थाना सदर बाजार मथुरा की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०–249/2000 धारा 409 भा०दं०वि० एवं 4/10 पी०जी०टी० ऐक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण श्रीमती सन्तोष पूनिया व रघुवीर सिंह सारस्वत के विरुद्ध दि० 16-12-2000 को पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना दो उप निरीक्षकों द्वारा की गयी जिन्होंने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट सं०–8 दि० 12-2-2001 को प्रेषित की । तदोपरान्त वादी की शिकायत के आधार पर थानाध्यक्ष, सदर बाजार को उक्त विवेचना सुपुर्द की गयी और अभियोग का शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में यमुना नदी में गिरने वाले गन्दे नाले

18–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी में गिरने वाले एक नये गन्दे नाले के निर्माण कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–/44-275/मथुरा/2001 दिनांक 29-3-2001 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी हां ।

नगर पंचायत, गोकुल में जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), मथुरा द्वारा गोकुल नगर पंचायत के मौनी बाबा आश्रम, गढ़रिया पाड़ा, खिड़की मोहल्ला एवं ढीला पाड़ा जादव बस्ती के पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण किया जा रहा था जिसे यमुना नदी के किनारे निस्तारित किया जाना प्रस्तावित था । उक्त नाला निर्माण का विरोध स्थानीय निवासियों द्वारा किया गया था । तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया एवं नये नाले को यमुना की ओर न गिराकर सीवेज फार्म की ओर डाइवर्ट करने का सुझाव नोडल अधिकारी, यमुना कार्य योजना, मथुरा को दिया गया । जिसके फलस्वरूप डूडा द्वारा उक्त प्रस्तावित नाले को अब यमुना में न गिराकर सीवेज पम्पिंग स्टेशन गोकुल की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा की कोतवाली में पंजीकृत मु०अ०सं०20/2001 पर कृत कार्यवाही का विवरण

19–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं० 20/2001 थाना कोतवाली मथुरा की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी०एम०/ वि०को०/एम–2/44287/मथुरा/2001 दिनांक 29-3-2001 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

इस प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा क्षेत्राधिकारी, नगर द्वारा सम्पादित की गयी । जांच के दौरान यह पाया गया कि वादी श्री पी० डी० गौतम नि०–गली गंगा सिंह धौली प्याऊ, मथुरा द्वारा दि० 9-1-2001 को असामाजिक तत्वों द्वारा घर में घुस कर मारपीट करने के सम्बन्ध में सुबोध एवं वीरेन्द्र रावत नि०–धौली प्याऊ थाना कोतवाली, मथुरा के विरुद्ध मु०अ०सं० 20/2001 धारा 323/504/506/324/307/452/325 भा०द०वि० थाना कोतवाली पर पंजीकृत कराया गया । विवेचना के दौरान दोनों अभियुक्तों को दि० 18-1-2001 को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया । विवेचना के दौरान उक्त अभियोग धारा 323/504/325/324 भा०द०वि० में परिवर्तित किया गया उसके बाद इस अभियोग की विवेचना एस०आई०एस० शाखा, द्वारा की गयी जिन्होंने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व विवेचक द्वारा तरमीम की गयी धारा 323/324/325/504 भा०द०वि० के अन्तर्गत जुर्म का होना पाते हुए दि० 25-2-2001 को आरोप पत्र पेषित किया गया है ।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में 6 कैपर रोड पर निर्माणाधीन व्यावसायिक बहुखण्डी भवन के निर्माण को अग्रिम आदेशों तक रोक के बावजूद निर्माण कार्य कराये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

20–श्री शिव सिंह चक–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में 6 कैपर रोड पर निर्माणाधीन व्यावसायिक बहुखण्डी भवन का निर्माण कार्य अग्रिम आदेशों तक रोके जाने हेतु निबन्धक सहकारी समितियों ने पत्र सं० 1559 दि० 20-12-95 द्वारा आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश के पश्चात भी दिनांक 20-12-95 को ही ठेकेदार एवं पी०सी०एफ के मध्य अनुबन्ध गठित कर निबन्धक के आदेश की अवहेलना कर कार्य को प्रारम्भ करा दिया गया ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? इस निर्माण कार्य में पी०सी०एफ० की कितनी धनराशि व्यय हुई और इसके लिए दोषी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

भुगतान का प्रकरण मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है । मा० न्यायालय के निर्णयोपरान्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

मोहम्मदी (खीरी) में अग्निशमन उपकेन्द्र का निर्माण कराये जाने की मांग

21–श्रीमती कृष्णाराज–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-3-2000 जो मोहम्मदी (खीरी) में अग्निशमन उपकेन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । मोहम्मदी (खीरी) में सीजनल अग्निशमन व्यवस्था उपलब्ध है । प्रदेश की सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत अग्निशमन उप केन्द्र स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

जिला सहकारी बैंक लि० उन्नाव में सचिव/महाप्रबन्धकों के स्थानान्तरण में मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

22–श्री उदय राज यादव–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी बैंकों के कर्मचारियों के वार्षिक व सामयिक स्थानान्तरण हेतु निबन्धक, सहकारी समितियां, उ० प्र० लखनऊ ने अपने पत्रांक सी–128/अधि०/दिनांक 19-1-96 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्गत किये हैं ? यदि हां, तो राज्य कैडर के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के वार्षिक व सामयिक स्थानान्तरण हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त किस स्तर से निर्गत किए गए है ? यदि हां, तो क्या जिला सहकारी बैंक लि०, उन्नाव से नियुक्त वरिष्ठ प्रबन्धकों और सचिव/महाप्रबन्धकों के स्थानान्तरण में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा के सदस्य वरिष्ठ प्रबन्धकों एवं सचिव/महाप्रबन्धकों के स्थानान्तरण के विषय में सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा विनियमावली के विनियम–38(सी) की व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्यतः एक स्थान से 5 वर्ष से पूर्व स्थानान्तरण न किये जाने की व्यवस्था है ।

जनहित, कार्यहित व अपरिहार्य परिस्थितियों में यथा-स्थिति प्रशासनिक कारणोंवश उपर्युक्त स्थानान्तरण व्यवस्था में निर्धारित अवधि से कम अवधि में भी स्थानान्तरण जिला सहकारी बैंक लि०, उन्नाव के मामले में किये गये हैं ।

उ० प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन में मुख्यालय लखनऊ के सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचारों की जांच सतर्कता प्रकोष्ठ से कराये जाने की मांग

23–श्री शिव सिंह चक–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मित्रसेन यादव पूर्व सांसद श्री अनुज यादव पूर्व सांसद श्री विनय कटियार पूर्व सांसद श्री उबैदुर्रहमान स०वि०स०, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी स०वि० सभा के पत्र क्रमशः दिनांक 12-7-94, 2-12-97, 21-10-2000, 17-2-2001 तथा पूर्व स०वि०स० श्री शेर बहादुर का पत्र सी०एम०/वि० को०/एम–1/32425/अम्बेडकर नगर दिनांक 3-3-2000 व सी०एम०/वि०को०/एफ–881-931/2000 दिनांक 16-4-2000 व प्रश्नकर्ता का पत्रांक–2 नं० 209311 दि० 20-10-2000 क्र–2 नं० 20326 दि० 26-2-2001 विधायक कोष्ठक के माध्यम से भेजे गये हैं जिसमें आठ बिन्दुओं की जांच के साथ उ०प्र० कोआपरेटिव फेडरेशन के मुख्यालय लखनऊ के सामान्य प्रबन्धक

के विरुद्ध भ्रष्टाचारों की जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

श्री उबैदुर्रहमान, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 16-10-2000, श्री शेर बहादुर, सदस्य, विधान सभा के पत्र क्रमशः दिनांक 24-3-2000, 28-4-2000 श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 17-2-2001 तथा प्रश्नकर्ता (श्री शिव सिंह चक) का पत्र दिनांक 26-2-2001 प्राप्त हुये हैं ।

उक्त पत्रों में से प्रश्नकर्ता के पत्र दि० 26-2-2001 सतर्कता अधिष्ठान से जांच अधिष्ठान से जांच कराने की अपेक्षा की गयी है । शेष शिकायती पत्रों में उच्च स्तरीय जांच कराया जाना अपेक्षित है ।

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, सदस्य विधान सभा के पत्र दि० 17-2-2001 व प्रश्नकर्ता के पत्र दि० 26-2-2001 में निबन्धक, सहकारी समितियों की जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं । शेष उपरोक्त पत्र पर विभागीय जांच करा ली गयी है । प्राप्त जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० को-आप० फेडरेशन, लखनऊ के मुख्यालय में वर्तमान सामान्य प्रबन्धक (निर्माण) के समस्त प्रकरण की जांच की मांग

24–श्री शिव सिंह चक–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० को-आप० फेडरेशन, लखनऊ में मुख्यालय के वर्तमान सामान्य प्रबन्धक (निर्माण) के समस्त प्रकरण की जांच हेतु समिति वर्ष 1995 में गठित की गयी थी, जिसके सदस्य सामान्य प्रबन्धक (प्रशा०) श्री ए० एम० रिजवी, सामान्य प्रबन्धक, श्री प्रतीक संजर (सामान्य प्रबन्धक) थे ? क्या यह सही है कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दि० 20-03-1995 व 22-3-1995 द्वारा यह संस्तुति की गयी थी कि इसकी जांच सतर्कता अधिष्ठान से कराई जाए ? यदि हां, तो क्या जांच सतर्कता विभाग से कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर, थाना–जलालपुर की पुलिस द्वारा किये गये उत्पीड़न के विरुद्ध श्रीमती सुदामा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार का शिकायती पत्र

25–श्री श्रीराम यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिदेशक उ० प्र० लखनऊ का पत्र सं० 14/2001 दिनांक 18-1-2001 जो श्रीमती सुदामा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासी ग्राम–मझगवां थाना–जलालपुर जनपद जौनपुर के शिकायती पत्र के सम्बन्ध में है और जो थाना जलालपुर जनपद जौनपुर की पुलिस द्वारा किये गये उत्पीड़न की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, की जांच हेतु जांच प्रकोष्ठ, (डी०जी०पी० कार्यालय) को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच आख्या प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज नाथ सिंह–

जी हां, पुलिस महानिदेशक, उ० प्र० के आदेशानुसार पुलिस उपाधीक्षक/प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा जांच कराई गई ।

शिकायत प्रकोष्ठ की जांच के उपरान्त थाना जलालपुर, जनपद जौनपुर पर पंजीकृत अभियोग अ०सं०–8/2001 धारा 379 भा०द० वि० की विवेचना जोनल एस०आई०एस० से कराये जाने, श्री कामता प्रसाद एवं महाबल को बिना औचित्य के थाने लाने एवं प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं इस मामले में संलिप्त पुलिसकर्मियों का स्थानान्तरण अन्यत्र सुदूर थाने में करने हेतु पुलिस अधीक्षक, जौनपुर को निर्देशित किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के निर्देश पर मु०अ०सं०–8/2001 धारा 379 भा०द० वि० की विवेचना हेतु समस्त कागजात जोनल एस० आई० एस० को स्थानान्तरित किये जा चुके हैं और विवेचना जोनल एस०आई०एस० से प्रचलित है प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध उ० प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की दंड एवं अपील नियमावली, 1991 के प्रस्तर 14(2) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जा रही है तथा साथ ही उनका स्थानान्तरण थाना जलालपुर से अन्यत्र किया जा चुका है ।

जनपद मथुरा में प्राचीन दुर्लभ मूर्तियों को खण्डित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

26–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा में ठाकुर जी की प्राचीन व दुलभ मूर्ति जो भूमि माफियाओं द्वारा स्वार्थों की पूर्ति हेतु खण्डित कर दिये जाने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–/44162/ मथुरा/2001 दिनांक 28-3-2001 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रकरण में क्षेत्राधिकारी, नगर जनपद मथुरा द्वारा जांच की गयी जांच से पाया गया कि रंगेश्वर गली, मथुरा में ठाकुर शत्रुधन गोपाल जी महाराज का लगभग 200 वर्ष पुराना मन्दिर है, जिस पर आवेदिका सरिता रानी व विपक्षी उमाशंकर दीक्षित के बीच दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन है ।

ठाकुर शत्रुधन गोपाल जी महाराज की प्रतिमाओं को खुर्द-मुर्द करने के आरोप में मौके की जांच से पाया गया कि जिस स्थान पर प्रतिमायें स्थापित थीं वह स्थान काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था जिसका उमाशंकर दीक्षित द्वारा विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करा कर मन्दिर का जीर्णोद्धार कराना चाहते हैं तथा प्रतिमाओं को एक कोठरी में रख कर पूजा अर्चना की जा रही है । आवेदिका द्वारा लगाया गया आरोप निराधार एवं असत्य है ।

जनपद मथुरा ग्राम लालपुर निवासी शेर सिंह की ट्रैक्टर चोरी व पुत्र की मृत्यु के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण

27–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शेरसिंह व अन्य निवासी ग्राम लालपुर जनपद मथुरा की ट्रैक्टर चोरी व पुत्र की मृत्यु के सम्बन्ध में न्याय दिलाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्र सी० एम०/वि०को०/एम–/44198/ मथुरा/2001 दिनांक 28-3-2001वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा से प्राप्त सूचना के अनुसार दि० 10-9-2000 को श्री पदम सिंह द्वारा थाना मुगर्रा पर मु०अ०सं०–131/2000 धारा 364 भा०द०वि० का अभियोग ओम प्रकाश के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । विवेचना के दौरान अभियुक्त ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा घटना का इकबाल करते हुए अपने साथ लक्ष्मन, चरनसिंह एवं माधव को भी घटना में शामिल होना बताया । अभियुक्तों के बयान के आधार पर दि० 12-11-2000 द्वारा 120 बी/201/302 भा०द०वि० की उक्त अभियोग में बढ़ोत्तरी की गयी । अभियुक्तगण ओम प्रकाश एवं लक्ष्मन के विरुद्ध आरोप पत्र सं०–12/2001 दि० 31-1-2001 को न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है । ट्रैक्टर की बरामदगी एवं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कड़े निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में राशन की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पुनः आरम्भ कराने की मांग

28–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में राशन की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–/44285/मथुरा/2001 दिनांक 29-3-2001 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जनपद मथुरा के शहरी क्षेत्र में उचित दर की दुकानों में आरक्षण की गणना करने तथा किसी स्थान विशेष पर कौन सी उचित दर की दुकान का लाइसेंस किस वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित माना जायेगा, इस संदर्भ में आरक्षण की गणना करने तथा किसी स्थान विशेष पर कौन सी उचित दर की दुकान का लाइसेंस किस वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित की जायेगी । इन सभी बिन्दुओं पर शासन का मार्गदर्शन शीघ्र ही जारी किया जायेगा ।

जनपद मथुरा में गिरफ्तार फर्जी सुभाष चन्द्र बोस उर्फ बाबा जय गुरूदेव उर्फ तुलसी बाबा के विरुद्ध कार्यवाही

29–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद स्थित तथाकथित फर्जी नेता सुभाष चन्द्र बोस उर्फ बाबा जयगुरुदेव उर्फ तुलसी बाबा को रासुका के अन्तर्गत बन्दी बनाये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–2/44398/मथुरा/2001 दिनांक 30-3-2001 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां !

प्राप्त पत्र की जांच उप जिलाधिकारी, मथुरा से करायी गयी । जांच से पाया गया कि जयगुरूदेव धर्म प्रचारक संस्था के नाम राजस्व अभिलेखों में 45.060 हे० भूमि तथा उनके शिष्यों के नाम

11.673 हे० भूमि दर्ज है । यह संस्था लगभग पिछले 20-25 वर्षों से कार्यरत है तथा संस्था द्वारा ग्राम समाज की भूमि व उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम की भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायतें प्राप्त हुई जिस पर जांच करायी गयी । जांच आख्यानुसार यह पाया गया कि इस संस्था द्वारा ग्राम समाज की भूमि, मेला मैदान, परती भूमि, हरिजन आबादी व उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है । ग्राम सभा भूमि से बेदखल करने हेतु धारा 122बी०ज०वि० एवं भू० व्य० अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है ।

जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त प्रार्थना पत्र में पुलिस विभाग से सम्बन्धित बिन्दु के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

(1) राष्ट्रीय राज मार्ग नं०–2 पर कोई भी अवरोध जयगुरूदेव आश्रम में रहने वाले व उनके समर्थकों द्वारा नहीं लगाया गया है बल्कि यातायात व्यवस्था तथा वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगाये गये हैं ।

(2) जयगुरूदेव एवं उनके समर्थकों द्वारा वातावरण दूषित किया जा रहा है, गंदगी फैलायी जा रही है और छात्रों को परीक्षा देने में अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है यह कथन असत्य है इस प्रकार की कोई घटना/सूचना थाना–नरहौली एवं जनपद के किसी थाने पर किसी के द्वारा नहीं दी गयी है ।

(3) अभियोग अपराध सं०–56/2001 धारा 395/397 भा०द०वि० बनाम सामालिया आदि वादी प्रदमन सिंह जो जयगुरूदेव आश्रम से सम्बन्धित है, के द्वारा पंजीकृत कराया गया है इस अभियोग की विवेचना के दौरान उक्त अभियोग धारा 147/148/149/307/504 भा० द०वि० में तरमीम किया गया है एवं उक्त अभियोग को विवेचना प्रचालित है ।

(4) अभियोग अपराध सं०–56ए/2001 धारा 395/397 भा०द०वि० बनाम तुलसीदास चेला घूरे लाल आदि 7 नफर के विरुद्ध वादी राजवीर सिंह नि० महौली, थाना–नरहौली द्वारा पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

(5) विभिन्न अंचलों के अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के आश्रम में नाजायज असलहों से लैस होकर रहने की पुष्टि नहीं हो सकी है क्योंकि थाना नरहौली के अभिलेखों के अनुसार कोई व्यक्ति अवैध असलाह से लैस अपराधिक प्रवृत्ति का नहीं पकड़ा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा में थाना जलेसर में पंजीकृत अपराध संख्या 418/2000 से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

30–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु० अ० सं० 418/2000 थाना जलेसर एटा के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि०को०/एम–2/44291/मथुरा/2001 दिनांक 29-3-2001 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

अभिलेखानुसार प्राप्त होना नहीं पाया गया ।

उल्लेखनीय है कि प्रश्न में अंकित मु० अ० सं०–418/2000 धारा 406/भा० द० वि० दि० 25-12-2000 को वादी श्री सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा पुत्र श्री हंसराज नि० 899 चावड़ गेट, हाथरस

जनपद–हाथरस की तहरीरी सूचना पर अभियुक्त अभय चतुर्वेदी पुत्र फतेहनाथ चतुर्वेदी नि० डिफेन्स कालोनी, थाना–कोतवाली पड़ाव जनपद ग्वालियर, म०प्र० व दीपक के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । अभियोग की विवेचना से जुर्म धारा 381/411 भा०द०वि० का पाये जाने पर धारा 406 से धारा 381/411 में तरमीम किया गया । विवेचना से प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों में से यकील व मोहम्मद शफीक थाना–देहलीगेट अलीगढ़ को दि० 29-01-2001 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । अभियुक्त गोपीचन्द्र को दि० 25-12-2000 को व अभियुक्त विजय अरोड़ा तथा ओमी को दि० 13-3-2001 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । नामित अभियुक्त अभय चतुर्वेदी को दि० 10-1-2001 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा घटना में चोरी किये गये घुंघरू व घण्टी चार कुन्तल बरामद की जा चुकी है । अभियुक्त अभय, यकील, शफीक, गोपी के विरुद्ध आरोप प्रकाशित होने पर आरोप पत्र सं०–28 दि० 4-2-2001 को चालान न्यायालय किया गया । शेष अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोपाल सिंह सेवानिवृत्त 37वीं वाहिनी पी०ए०सी० कानपुर को संशोधित पेन्शन में भुगतान की मांग

31–श्री शिव सिंह चक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोपाल सिंह सेवानिवृत्त 37वीं वाहिनी पी० ए० सी० कानपुर जिनका पी० पी० ओ० नं० 27743 है, वर्ष 1981 में सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या उन्हें वर्ष 1986 से संशोधित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त को संशोधित पेंशन का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां । श्री गोपाल सिंह को पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रुज आलम उर्फ चांद मियां मकान नं०–48 कछियाना जनपद उन्नाव में अपहरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानकारी

32–श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री रुजआलम उर्फ चांद मियां पुत्र अच्छे भाई मकान नं० 48, कछियाना थाना कोतवाली जनपद उन्नाव का अपहरण दिनांक 10-10-96 को हुआ था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच उनकी फ़ाइल नं० सी० बी० 279/97/6/697 द्वारा सी० बी० सी० आई० डी० से करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ?

श्री राजनाथ सिंह–

श्री रुजआलम उर्फ चांद मियां के दिनांक 10-10-96 को सायं 5.30 बजे से गायब होने के सम्बन्ध में सूचना उनके पिता श्री अच्छे भाई द्वारा दिनांक 13-10-1996 को थाना कोतवाली उन्नाव पर दी गयी थी ।

श्री अच्छे भाई के प्रत्यावेदन के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण की विवेचना शासनादेश संख्या–506खवि/छः–4-97 दिनांक 6 जून, 1997 द्वारा सी०बी०सी०आई०डी० को अभिदिष्ट की गयी।

प्रकरण में सी०बी० 279/97 पर जांच प्रचलित है।

प्रदेश में वाहन चालकों को कम्प्यूटराइज्ड स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स हेतु आमंत्रित निविदाओं से सम्बन्धित शिकायती पत्र पर कराये गये विधिक परीक्षण के रिपोर्ट की जानकारी

33–श्री ओम प्रकाश–

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र, 2001 के पहले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सभी जनपदों में वाहन चलाने वालों को कम्प्यूटराइज्ड स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स जारी करने हेतु अक्टूबर, 2000 में दूसरी बार आमंत्रित निविदाओं में कतिपय निविदाताओं द्वारा आमंत्रित निविदा की शर्तों के प्रतिकूल अपनी शर्तें लगाने तथा तथ्यों के तोड़मरोड़ कर निविदा प्रस्तुत किये जाने के संबंध में श्री राजेश पाण्डेय सदस्य, विधान परिषद् के शिकायती पत्र पर मुख्य मंत्री द्वारा दिसम्बर, 2000 में सी० एम०/वि०को०/एम–2/39859/2000 द्वारा परिवहन मंत्री को अक्टूबर, 2000 में प्राप्त सभी निविदाओं को विधिक परीक्षण प्रमुख सचिव–न्याय से कराकर 15 दिन के अन्दर अंतिम निर्णय लेने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

मा० मुख्य मंत्री जी द्वारा श्री राजेश पाण्डेय मा० सदस्य विधान परिषद् के शिकायती पत्र दिनांक 02-12-2000 पर परिवहन मंत्री को प्रमुख सचिव, न्याय से परीक्षण कराकर अपनी आख्या के साथ पत्रावली प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये थे।

परिवहन आयुक्त द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निविदाओं को निरस्त कर दिया गया है।

बरडिहा से मिर्जापुर तक बस सेवा संचालित कराने की मांग

34–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बरडिहा से इलाहाबाद वाया लालगंज बस संचालन हेतु यू०पी० जर्नलिस्ट्स एसोसियेशन के अध्यक्ष श्री शशिभूषण दूबे का पत्र दिनांक 6 मार्च, 2001 ए० आर० एम० मिर्जापुर डिपो को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत पत्र के आधार पर बरडिहा से मिर्जापुर मार्ग का सर्वे कराकर प्रश्नगत मार्ग पर बस सेवा संचालित कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

बरडिहा से इलाहाबाद वाया लालगंज मार्ग की कुल दूरी 130 कि०मी० है, जिसमें लालगंज से इलाहाबाद तक का 123 कि०मी० मार्गांश अधिसूचित है। लालगंज से बरडिहा तक 7 कि०मी० का भागांश अनधिसूचित है, जो टूटा-फूटा, गड्ढायुक्त खड़न्जा का है, जो बस संचालन के योग्य नहीं है। बरडिहा के यात्री अन्य साधनों से लालगंज आकर निगम की बसों का लाभ उठा रहे हैं।

जनपद बांदा श्री बलदेव प्रसाद ग्राम डाडी का पुरवा, थाना कोतवाली देहात जमालपुर को मारने, अपमानित करने वाले पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

35–श्री बाबूलाल कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलदेव प्रसाद पुत्र रामकुमार अनुसूचित जाति निवासी ग्राम डाडी का पुरवा मजरा महोरवर थाना कोतवाली देहात जमालपुर जनपद–बांदा के साथ रामगंगा कमाण्ड के ठेकेदार सज्जन द्विवेदी व उनके साथ दो अन्य लोगों तथा पुलिस चौकी इंचार्ज द्वारा बुरी तरह से डंडों से मारपीट करने व अपमानित करने की घटना के संबंध में दिनांक 7-12-2000 को उनका प्रार्थना-पत्र ए० डी० एस० पी० बांदा को, प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक लखनऊ को दिनांक 8-12-2000 को फैक्स द्वारा प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी नगर, बांदा से करायी गयी तो दोनों पक्षों में झगड़ा होने की बात प्रकाश में आयी । इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों में सुलहनामा भी हो गया है । पुलिस चौकी इंचार्ज द्वारा श्री बलदेव प्रसाद को मारने-पीटने सम्बन्धी आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बलिया के स्व० कुन्ज बिहारी राय, ग्रा० अजोरपुर, थाना–नरही जीवन रक्षा एवं जमीन जायदाद की सुरक्षा के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने वाले पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

36–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 अक्टूबर, 2000 को स्व० कुन्ज बिहारी राय, निवासी ग्राम व पोस्ट अजोरपुर मंझरियां, थाना–नरही जिला बलिया की हत्या कर दी गयी थी ? क्या मृतक की जीवन रक्षा एवं जमीन जायदाद को बचाने के संबंध में मा० गृह राज्य मंत्री का पत्रांक 1049 दिनांक 29-3-2000 एवं 1023 दिनांक 2-2-2000 तथा मा० पंचायती राज मंत्री का पत्रांक 110 दिनांक 16-1-2000 पुलिस अधीक्षक बलिया को भेजा गया था ?यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में वर्णित अभियुक्तों के विरुद्ध कोई मुकदमा कायम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त के संबंध में प्रशासनिक जांच कराकर दोषी स्थानीय पुलिस को दण्डित किया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां, श्रीमती चन्द्रावेती पत्नी स्व० श्री कुंज बिहारी राय की तहरीर के आधार पर थाना नरही में मु०अ०सं० 304/2000 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया व विवेचनोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या–97 दिनांक 1-11-2000 को न्यायालय प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है । मा० गृह राज्य मंत्री जी के दोनों संदर्भित पत्र अभिलेखों में प्राप्त होना नहीं पाये गये । मा० पंचायती राज्यमंत्री जी का पत्र दिनांक 6-1-2000 प्राप्त हुआ था ।

जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी, सदर द्वारा की गयी । जांच के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था कि विपक्षीगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत पाबन्द करायें । परन्तु थानाध्यक्ष द्वारा प्रश्नगत कार्यवाही नहीं की गयी । प्रारम्भिक जांच के पश्चात दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मनोज धोबी मऊ कोतवाली की फर्जी मुडभेड़ दिखाकर हत्या करने वाले पुलिसजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

37–श्री मोख्तार अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 1-4-2001 को मनोज धोबी नामक व्यक्ति को मऊ कोतवाली के पुलिस कर्मियों द्वारा उसके घर से पकड़ कर मऊ शहर में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या कर दी गयी है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि मनोज धोबी के पिता हनुमान राम को भी पुलिस उसी के साथ घर से पकड़ कर ले गई थी जिन्हें चिरैया कोट थाने में तब तक बन्द रखा गया जब तक उनके पुत्र की फर्जी मुठभेड़ में हत्या नहीं कर दी गयी ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

जनपद पुलिस को दूरभाष पर प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा दिनांक 1/2-4-2001 की रात्रि में तीन कथित बदमाशों का पीछा किया गया तो भागते हुए व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया । आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा भी फायर किया गया जिसमें एक बदमाश मौके पर मारा गया जिनकी शिनाख्त मनोज धोबी के नाम से हुई ।

जी नहीं ।

क्षेत्राधिकारी नगर मऊ द्वारा छानबीन से मनोज धोबी और उसके पिता हनुमान राम को दिनांक 1-4-2001 को उसके घर से पकड़कर पुलिस द्वारा ले जाने की बात प्रकाश में नहीं आयी है । उक्त पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रीयल जांच जिला मजिस्ट्रेट मऊ के आदेशानुसार नगर मजिस्ट्रेट मऊ को सौंप दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में जेल से फरार बाल कैदियों की सुरक्षा में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

38–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आगरा में जनवरी, 2001 में कितने बाल कैदी कब-कब जेल से फरार हुये हैं ? क्या सरकार इसके लिये बाल कैदियों की सुरक्षा में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

जिला कारागार, आगरा की बाल कारागार से दिनांक 16-1-2001 को तीन किशोर विचाराधीन बंदियों के पलायन किये जाने की घटना हुई है ।

कार्यवाही प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 12 बजकर 21 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 36 मिनट के लिए स्थगित कर दी।

(12 बजकर 36 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निलम्बन को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सदन की अवशिष्ट कालावधि तक के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित करने का प्रस्ताव निरस्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को सदन से निलम्बित करने का प्रस्ताव निरस्त किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई। नियमानुकूल होने के कारण सभी सूचनाएं स्वीकार की गयीं लेकिन श्री भीम प्रसाद सोनकर श्री राजपाल सिंह जी के सदन में अनुपस्थित होने पर उनकी सूचनायें नहीं ली गयीं।

(स्वीकृत सूचनाएं सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं।)

प्रदेश के कतिपय जनपदों में धार्मिक स्थलों को आई०एस०आई० के अड्डे बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रूप चौधरी–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्रदेश में आई०एस०आई० की बढ़ती गतिविधियों की ओर आकर्षिक करना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से आई०एस०आई० प्रदेश में अपने एजेन्टों के माध्यम से अपना जाल फैला रही है। नैपाल सीमा से सटे हुए जनपदों व पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के सभी प्रमुख नगरों में आई०एस०आई० ने अपने ऐजेन्ट नियुक्त कर दिये हैं। पिछले दिनों लखनऊ, हापुड़, पिलखुवा (गाजियाबाद) में आई०एस०आई० के एजेन्ट पकड़े और मारे गये हैं। इन घटनाओं से साबित होता है कि पूरे प्रदेश में आई०एस०आई० सक्रिय हैं और कोई भी बड़ी वारदात होने की आशंका है।

यह भी देखने को मिला है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद और आगरा आदि जनपदों में तेजी से हजारों की संख्या में धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया है। इन स्थलों के निर्माण में करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं परन्तु स्थानीय नागरिकों से इनके निर्माण में चन्दा अथवा सहयोग नहीं लिया गया है और न ही जिला प्रशासन अथवा राज्य सरकार से

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इनके निर्माण की अनुमति नहीं ली गयी है । इसी प्रकार नेपाल सीमाओं जनपदों में इस प्रकार के धार्मिक स्थल बड़ी संख्या में बनाये गये हैं । इस प्रकार की जानकारियां मिली हैं कि आई०एस०आई० धार्मिक स्थलों को बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । इस प्रकार निर्माण कार्य में मदद करके आई०एस०आई० इन धार्मिक स्थलों को अपने ऐजेन्टों की शरण स्थली के रूप में प्रयोग कर रही है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि त्वरित कार्यवाही करवाकर दोषियों को दण्डित करवाने का कष्ट करें ।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों को चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[महोदय, आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि जनपद हरदोई की नीचे लिखी सड़कें संकीर्ण होने के कारण भारी यातायात तथा बहुतायत संख्या में ट्रकों, बसों, ट्रक्टरों तथा जीपों व दुपहिया वाहनों के चलने के कारण आये दिन दुघर्टनायें होती रहती हैं गंगा नदी पर बने मेंहदीघाट पुल से सीतापुर लखनऊ इत्यादि जनपदों में भारी वाहन इन संकीर्ण सड़कों से गुजरते हैं और कानपुर शहर से प्रदेश के अन्य जनपदों का व्यापार भी होता है जिससे सम्बन्धित यातायात इन्हीं सड़कों से होता है इसके अतिरिक्त गंगा जी के तट पर वर्ष में कई बार मेलों का भी आयोजन होता है जिसमें विभिन्न जनपदों से आये वाहनों का संचालन भी इन्हीं सड़कों से होता है तथा गंगा जी के तट पर लाखों श्रद्धालु जनता को भी लायी ले जाया जाता है सड़कें संकीर्ण होने के कारण और कम चौड़ा होने के कारण दोहरे वाहन नहीं चल पाते इसी कारण दुघटनाओं से जानमाल का नुकसान पहुंचता रहता है इसे मुक्ति हेतु सन्दर्भित सड़कों को चौड़ा किये जाने की नितान्त आवश्यकता है ।

1–सण्डीला मेंहदीघाट रोड मल्लावां राघौपुर होते हुए मेंहदीघाट पुल तक ।

2–बिलरायां पनवारी रोड बिलग्राम से छिबरामऊ होते हुए गंगापुल मेंहदीघाट से जी०टी० रोड तक ।

3–प्रताप नगर माधौगंज रोड से मेंहदीघाट जो जिला मुख्य मार्ग है नबाबी समय से कच्चा चौड़ा रोड बना है इसी रोड को माधौगंज से इस्लामपुर जगाई होते हुए मटियामऊ मगरहा मेंहदीघाट गंगापुल से जी० टी० रोड तक ।

4–बिलग्राम पनवारी मार्ग से ग्राम पर सोला के पास से जो रामेश्वर पुरवा तक खड़ण्जा रोड गया है इस रोड को भी चौड़ा कर डामरीकृत कर दिया जाय जिससे गंगा स्नान, कार्तिक पूर्णिमा मेला में जनता को आवागमन की सुविधा हो सके ।

5–सीतापुर से प्रतापनगर चौराहा होते हुए बघौली तथा माधोगंज होकर मेंहदीघाट पुल से जी० टी० रोड तक ।

6–हरदोई उन्नाव रोड पर भगवन्त नगर चुंगी से गंज मुरादाबाद तक ।

यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है अतः सदन के संज्ञान में लाया जाना नितान्त आवश्यक है जिससे कार्यवाही होकर इन उपरोक्त सड़कों को चौड़ा किया जा सके और आम जनता को आने जाने की सुविधा प्राप्त हो सके ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आगरा के ग्राम बिजौली नई बस्ती के अनुसूचित जाति के लोगों को आम रास्ता उपलब्ध कराने एवं फर्जी बैनामा कराने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आगरा जनपद के थाना तहसील बाह गांव बिजौली नई बस्ती जो कि पूर्णतः जाटव बाल्मीकि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है जो आम रास्ता मुख्य सड़क तहसील रोड से सम्पर्क मार्ग लगभग 150 फीट की लम्बाई है तथा 16 फीट चौड़ाई की सिंचाई विभाग की नलकूप की नाली थी अब वर्तमान में सभी लोग आम रास्ते के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रयोग में ला रहे थे जिस पर 50 फीट पर ग्राम समाज का खड़ण्जा भी लगा हुआ है तथा 100 फीट जो कि वर्तमान में कच्चा मार्ग है, के सहारे राकेश गुप्ता आदि लोगों द्वारा उससे लगी भूमि को कब्जे में लेकर प्लाटिंग करके रास्ते को बन्द कर दिया है उस 16 फीट चौड़ा रास्ता को प्लाटिंग में रजिस्ट्री भी कर रहा है तथा भूमि माफियाओं द्वारा संगठित गिरोह बना लिया। क्षेत्र में से अनुसूचित वर्ग एवं अन्य लोगों का रास्ता बन्द कर दिया है जिससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त हो गया है। लोग भयभीत हैं भूमि माफियाओं द्वारा अनुसूचित वर्ग को आवंटित किये जाने की स्थिति में पलायन की स्थिति आ गयी है तथा पलायन किये जा रहे हैं। कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन एवं शासन को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है परन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आम रास्ते को चालू रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है और न ही भूमि माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करके जेल भेजने हेतु कार्यवाही नहीं की गयी है जिससे फर्जी रजिस्ट्री बैनामा करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अमल में होती तो उनके हौसले पस्त होते।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि अनुसूचित वर्ग को आम रास्ता उपलब्ध कराये जाने, पलायन को रोकने के साथ फर्जी बैनामा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करके रासुका के अन्तर्गत कार्यवाही के साथ अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया जाना सुनिश्चित करे जिससे 16 फीट की चौड़ाई का रास्ता स्थानीय नागरिकों को मिल सके।]

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में विद्युत विभाग भदोही की भूमि पर किये जा रहे अवैध अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० पूर्णमासी पंकज–

[मान्यवर, कृपया जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में विद्युत विभाग भदोही की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा जबरन अवैध कब्जा किया जा रहा है। जिससे भदोही नगर में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जबकि इसके पूर्व एक बार किये जा रहे अवैध कब्जे को रोकने हेतु माननीय ऊर्जा मंत्री जी के भी द्वारा भी जिला प्रशासन को आदेश दिया गया था। विद्युत विभाग के कर्मचारियों एवं जनता द्वारा आन्दोलन कर विरोध किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक श्री एस०एन सिंह का स्थानान्तरण कर आन्दोलन को दबाने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप कर्मचारियों द्वारा जिले की विद्युत आपूर्ति बन्द कर दिये जाने से जनमानस को काफी परेशानी उठानी पड़ी। दैनिक जागरण में दिनांक 19-5-2001 में कर्मचारियों द्वारा स्थानान्तरण न रोकने पर एवं कब्जा न रोकने पर आन्दोलन तेज करने की धमकी भी दी जा रही है।

नोट :–] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्युत विभाग की उक्त भूमि करोड़ों की सम्पत्ति है जिस पर कब्जा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है जिस पर रोक न लगने से जनमानस एवं कर्मचारियों में व्यापक रोष एवं क्षोभ है ।

अतः कृपया जनहित में जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विद्युत उप केन्द्र की भूमि पर किये जा रहे अवैध कब्जे पर तत्काल रोक लगाने एवं स्थानान्तरित किये गये कर्मचारी के स्थानान्तरण रोकने हेतु शासन को निर्देशित कर वक्तव्य दिलाने की कृपा करें । ।

सदन की समितियों के प्रतिवेदनों पर विधान सभा में चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21-5-2001 को नियम 300 के अन्तर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना मा० डा० अशोक बाजपेयी की है ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, विधान सभा की कई समितियां हैं जो उनको कार्य दिये जाते हैं वह उनका अध्ययन और परीक्षण करती हैं और अपने प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती हैं । विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली में जो उनके अधिकार निर्धारित किये गये हैं उनके बारे में अनुच्छेद 216 में दिया गया है ।

"समिति का प्रतिवेदन समिति के सभापति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जिसने प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये हों या समिति के किसी सदस्य द्वारा जो सभापति द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों या सभापति की अनुपस्थिति में या जब वह प्रतिवेदन उपस्थित करने में असमर्थ हो तो समिति द्वारा प्राधिकृत किसी सदस्य द्वारा उपस्थापित किया जायगा और सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित कराने वाले सदस्य यदि कोई अभ्युक्ति करें तो अपने आपको तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेंगे या समिति द्वारा की गयी सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेंगे ।

सम्बन्धित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को जब तक के लिए वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे ।

प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरान्त किन्तु उपस्थिति की तिथि से 15 दिन के भीतर मांग किये जाने पर, अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उस प्रतिवेदन पर विचार के लिए समय नियत करेंगे । सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिए जायेंगे ।"

मान्यवर, नियमों में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार प्रतिवेदन पर विचार किये जाने की व्यवस्था है ।

मान्यवर, लोक लेखा समिति एक महत्वपूर्ण समिति है और वह महालेखापरीक्षक द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसका साल भर परीक्षण करके अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करती है । समिति तमाम जो गम्भीर मामले होते हैं और जिन विभागों द्वारा उदासीनता बरती जाती है या लोक धन का दुरुपयोग किया जाता है उस बारे में विचार करके प्रतिवेदन देती है और वह सदन में प्रस्तुत किया जाता है । मान्यवर, कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा नहीं होती है इसलिए महत्वपूर्ण विषय रह जाते हैं । इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो सके और जिन पर दायित्व निर्धारित किया गया है उनके विरुद्ध कार्यवाही हो सके । सरकार इसको गम्भीरता से नहीं लेती है ।

विधान सभा में समितियों के प्रतिवेदनों पर चर्चा न होने के कारण तमाम महत्वपूर्ण संस्तुतियां निष्प्रभावी रह जाती हैं । कार्य पालिका मनमाने ढंग से सार्वजनिक धन का व्यय करती है ऐसे में सदन का चिन्तित होना स्वाभाविक है । इसलिए हम चाहते हैं कि जो व्यवस्था प्रक्रिया नियमावली में दी गयी है, प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया जाय और उस पर चर्चा करने की तिथि नियत की जाय । बजट सत्र के अलावा अन्य सत्र 4-5 दिन के होते हैं इसलिए समय नहीं निर्धारित हो पाता है । बजट सत्र में भी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद इतना समय नहीं रह जाता है कि उस पर गम्भीरता से चर्चा हो सके । इसलिए अनुरोध करता हूं कि प्रतिवेदन पर चर्चा कराने की व्यवस्था हो ताकि वर्ष भर के परिश्रम के बाद समितियों के जो प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हैं उन पर चर्चा हो सके ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, बड़ी सुदृढ़ व्यवस्थायें इस विषय पर हैं । हलांकि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है वह स्वयं लोक लेखा समिति के सभापति भी हैं । यह प्रश्न ऐसे माननीय सदस्य को उठाना चाहिए था जो सभापति न होते । आपने जिस नियम को पढ़कर सुनाया उसमें स्पष्ट प्राविधान है कि क्या कार्यवाही होगी । यह भी हमें समझना चाहिए कि यह जो समितियां हैं वह मिनी हाउस के रूप में काम करती हैं । उसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व होता है और वहां काम करने का माहौल अलग होता है ! वहां पर सभी निर्णय सहमति से होते हैं । हम लोग एक स्वर से उस रिपोर्ट को तैयार करते हैं । मैं सौभाग्य से लोक लेखा समिति का सभापति लम्बे समय तक रहा हूं और सदस्य भी रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि शासन स्तर पर इस पर गम्भीरता से विचार होता है और अगर कहीं सिफारिश से भिन्न मत होता है तो उच्चतम स्तर पर, कैबिनेट स्तर पर विचार होता है उससे नीचे नहीं । अगर शासन का मत अलग होता है तो ऐसी स्थिति में मंत्रि-परिषद् स्तर पर उसमें निर्णय हो सकता है, इसलिए मैं समझता हूं कि हाउस में सारी बातों की चर्चा होने लगेगी तो फिर कोई उपयोगिता नहीं रह जायगी । समितियां अत्यन्त सोच समझकर सिफारिशें करती हैं और उनका बड़ा भारी महत्व है । वह महत्व बना रहने दें, इस औचित्य के प्रश्न को निरस्त करने की कृपा करें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मैंने एक परम्परा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है । ऐसी परम्परा रही है कि समितियों के जो प्रतिवेदन होते हैं उन पर सदन में संक्षेप में चर्चा की जाती है । मैंने उनके अधिकार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र के बारे में कोई बात नहीं की । यह मुझे भी मालूम हैं कि समितियां सदन का मिनी स्वरूप होती हैं, सर्वाधिकार समितियां हैं व शासन समितियों को गम्भीरता से लेता है लेकिन ऐसी परम्परा रही है कि समितियों के जो प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं उस पर सदन में चर्चा हो जाती है ताकि जो कमियां हों उनकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सदन में चर्चा होने पर कोई आपत्ति नहीं है । सवाल यह है कि हम भी 25-26 सालों से देख रहे हैं कि कोई परम्परा हो ही नहीं पायी । जब मैं इन समितियों का सभापति था उस समय मैंने भी प्रयास किया लेकिन चूंकि समितियों में सारी बातें इतने विस्तार से आ जाती हैं और इतनी सार्थक चर्चा हो चुकी होती कि एक-आध अपवाद को छोड़कर उस पर सदने में चर्चा कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती । माननीय सदस्य जागरूक हैं न जाने कितने प्रश्न उन समितियों की रिपोर्ट के आधार पर आते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा की विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए प्रक्रिया नियमावली के नियम 216 उप नियम (4) में यह व्यवस्था है कि चर्चा की मांग करने पर चर्चा होती है व अध्यक्ष उसके लिए समय निर्धारित करते हैं चूंकि यह व्यवस्था है कि प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के 15 दिन के भीतर यदि कोई सदस्य प्रतिवेदन पर चर्चा की मांग करते हैं तभी मा० अध्यक्ष उसके लिए चर्चा के लिए समय निर्धारित करते हैं । मैं समझता हूं यदि मा० सदस्य विभिन्न प्रतिवेदनों पर रुचि लेंगे और चर्चा की मांग करेंगे तो निश्चित रूप से उसके लिए समय आवंटित किया जायेगा । नियम 216(4) में मांग करने पर ही चर्चा हो सकती है । इसी के साथ इस सूचना का निस्तारण किया जाता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

डा० अशोक बाजपेयी जी ने जिस प्रकरण को यहां उठाया और इस सम्बन्ध में मा० संसदीय कार्य मंत्री जी का जो कथन है मैं विनम्रतापूर्वक उससे असहमत हूं । यह ठीक है आपने व्यवस्था दे दी वह नियम के अनुकूल है किन्तु शासन की ओर से यह कहना कि यहां पर विचार करने की परम्परा नहीं रही है या उसकी आवश्यकता नहीं है चूंकि यह मिनी हाउस है यह लोकतन्त्र की मान्यताओं के विपरीत है । कार्य विभाजन की दृष्टि से सदन को चलाने में कठिनाई न हो इसलिए समितियों का गठन किया गया । नियमावली में चूंकि प्राविधान है इसलिए यह परम्परा आपकी ओर से तय कर दी जाए कि जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट हों उन पर सदन में अवश्य विचार हो जाए ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री का कहने का आशय जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि चूंकि इन समितियों में हर दल का प्रतिनिधित्व रहता है और आमतौर से सर्वसम्मति से प्रतिवेदन होते हैं इसलिए कदाचित चर्चा करने की आवश्यकता नहीं ।

सत्र के दौरान नीतिगत घोषणायें सदन के बाहर किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार व कुंवर रेवती रमण सिंह की है ।

* श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 168 की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जिसके तहत विधान सभा का गठन होता है । अनुच्छेद 172 में सदन का कार्यकाल क्या हो यह बहुत पारदर्शी है । अनुच्छेद 164(2) सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को प्रतिपादित करता है ।

(किसी सदस्य का सेलुलर फोन बजने पर)

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

प्रमोद तिवारी जी आपका तो नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरी वैसे ही आवाज ऐसी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

इनकी आवाज सेलुलर फोन की तरह है ।

श्री प्रमोद कुमार–

इनके विभाग को देखते हुए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता । कदाचित मुख्य मंत्री जी ने इसे सदन के बाहर उठाया था उस समय हमने इस बात को उठाया था कि विपक्ष तैयार हो तो अक्टूबर में चुनाव कराये जा सकते हैं । मान्यवर, सम्पूर्ण विपक्ष में कार्यवाही में अंकित करा दिया कि अक्टूबर में चुनाव के लिए तैयार है । अगर उसकी हिम्मत है, माननीय मुख्य मंत्री जी पीछे न हटें, तो चुनाव अक्टूबर में करा लें । वैसे 162(2) में संयुक्त जिम्मेदारी होती है । संसदीय कार्य मंत्री एक तरह से सरकार का प्रवक्ता होता है सदन में, और यदि कोई बात संसदीय कार्य मंत्री के हवाले से आती है, तो उसका महत्व और बढ़ जाता है । इनके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि परम्परा इस पीठ से बार-बार स्थापित की गयी है कि अगर कोई महत्वपूर्ण घोषणा, नीतिगत घोषणा हो, तो उसे सदन जब चल रहा हो, तो उस समय सदन में करना चाहिए । मैं सहमत हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री जी के कहने से यह बयान दिया होगा और चूंकि बयान दिया है, कहा है तो हम इसको स्वीकार करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि सरकार अक्टूबर में चुनाव कराने के लिए कृत संकल्प है । अभी कैराना में संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बयान दिया वह सदन के अन्दर भी नहीं दिया । यहां आपकी पीठ से बहुत दिनों से कहा गया कि दो सत्र और हों और मैं समझता हूं कि यह अन्तिम सत्र होगा यदि अक्टूबर में चुनाव होंगे और होने भी चाहिए यदि मुख्य मंत्री जी पीछे न हटें । तो मैं आपकी अब इस पर व्यवस्था चाहता हूं । अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने स्रोत की बात पूछी, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब सुबह हमारी भाभी जी और इनकी पत्नी चाय लेकर वहां आयीं तो उन्होंने यह बात इनसे सुनी और मुझे बतायी कि अक्टूबर में चुनाव कराये जाने की बात हुई है, तो यह बात मुझे श्रीमती हुकुम सिंह जी द्वारा पता चली । मैं पत्र का संज्ञान नहीं ले सकता यह भी आपने कहा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, प्रमोद कुमार जी ने नियम 300 पर जो सवाल उठाया है वह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह सवाल पूरे प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है कि चुनाव अक्टूबर में या मार्च में होंगे । समय-समय पर इस विधान सभा में भी यह महत्वपूर्ण सवाल आया है । कदाचित इसमें आपने विवेक का इस्तेमाल इस सदन में नहीं किया, अपना मत नहीं दिया है कि उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है । आज लखनऊ में और इलाहाबाद में जुलाई में तारीख लगी है । इसके बावजूद प्रतिदिन अखबारों में लेख आ रहे हैं, आज भी भूतपूर्व राज्यपाल गुजरात त्रिवेदी जी का लेख आया है । मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में कहा था यदि विपक्ष चाहे तो अक्टूबर में चुनाव होंगे । कदाचित हुकुम सिंह जी यह भी कहेंगे कि मैंने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया । मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी यह जानते हैं कि जिसके सामने बयान दिया वह गवाही देने तो आयेगा नहीं । यह जो भ्रम की स्थिति पूरे देश और प्रदेश में फैली हुई है मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं इस सदन में यह घोषणा करें कि क्या चुनाव अक्टूबर में होंगे पूरा विपक्ष चाहता है या मार्च में होंगे । मैं वही व्यवस्था आपके माध्यम से चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इससे पूर्व भी सदन में इस विषय पर चर्चा हुई और संविधान के अनुच्छेदों का भी उल्लेख यहां पर किया गया । उस समय भी सरकार का पक्ष रखते हुये स्पष्ट किया था कि जो संविधान में व्यवस्था है, सरकार उसके अनुरूप करेगी । संविधान में व्यवस्था है उसके अनुसार मार्च तक इस विधान सभा का कार्य-काल है, जो कहा गया । मुझे पता नहीं अप्रैल तक है या मार्च तक है । 26 मार्च तक

कार्य-काल है । जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके अनुसार बैठक अप्रैल में हुई है । यह एक बिन्दु ऐसा है जिसके बारे में कह सकते हैं कि 26 मार्च को नोटिफिकेशन हुआ । यह स्पष्ट है कि पहली बैठक के बाद से 5 साल कार्य-काल विधान सभा का है । संविधान के बाद दो संस्थायें और हैं चुनाव आयोग और न्यायालय । चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है उसके बाद प्रकरण माननीय न्यायालय के विचाराधीन है । बार-बार एक बात कही गई है कि मैंने ऐसा बयान दे दिया । मान्यवर, मैं गांव में था वहां स्थानीय पत्रकारों के साथ विभिन्न विषयों पर बात हो रही थी । वहीं पर संविधानिक स्थिति के बारे में किसी ने पूछना चाहा कि आप चुनाव कब तक करायेंगे । मैंने कहा कि संविधानिक स्थिति 5 साल के कार्यकाल के बाद की है बाकी सरकार का अपना विवेक होगा । मान्यवर, यह भी पूछा गया कि क्या आप इन्कार कर सकते हैं कि अक्टूबर में चुनाव होंगे । मान्यवर, इन्कार करने की स्थिति में हम कहां हैं लेकिन वर्तमान सरकार या विधान सभा का कार्यकाल मार्च तक है । मान्यवर, इसमें कौन सी ऐसी घोषणा मैंने कर दी । 5 साल का कार्यकाल सदैव रहा है । हां, आपकी सरकार को यह सुअवसर नहीं मिला । यह इस सरकार ने स्पष्ट कर दिया है । पांच साल तक विराजमान होने का मौका हम आपको देंगे तब आपने इस सरकार के कार्यकाल में, इस पार्टी के नेतृत्व में 5 साल तक आपको यहां पर विराजमान रहने का अवसर दिया, मान्यवर, यह औचित्य के रूप में कहीं से नहीं लगता इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इन्होंने पूरी तरह से इंकार नहीं किया जो कहा उससे स्पष्ट है कि वह हो भी सकता है और नहीं भी । मान्यवर, आज तो माननीय मुख्य मंत्री जी भी हैं । उनको याद दिलाना चाहता हूं मान्यवर, राम चरित मानस की एक दो पंक्ति कहकर "रघकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई ।" माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यदि विपक्ष चाहता है, अक्टूबर में चुनाव करा देंगे ।

* मुख्य मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

मान्यवर, संविधान में प्राविधान पूरी तरह से स्पष्ट है यह बात सच है कि जिस समय इस सदन का सत्र प्रारम्भ हुआ था उस समय विपक्ष कुछ मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा कर रहा था और मैंने देखा श्रीमन् विपक्ष के लोग कुएं में कूद पड़े थे, कूदे ही नहीं पड़े थे बल्कि वे लेटे भी थे । स्वाभाविक रूप से मुझे भी चिन्ता हुई थी कि विपक्ष यही चाहता है कि सदन की कार्यवाही नहीं चलनी चाहिये । मैंने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि अगर कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं तो इस सदन का कार्यक्रम बहुत लम्बे समय तक खींचने का कोई औचित्य नहीं है । इस समय मैं देख रहा हूं कि विपक्ष भी इस सदन की कार्यवाही चलाने में पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, मैं इसके लिये श्रीमान बधाई भी देना चाहता हूं और धन्यवाद भी । इसीलिये मैंने कहा था कि अगर विपक्ष चाहेगा तो हम उसके पहले भी चुनाव कराने पर गंभीरतापूर्व विचार कर सकते हैं यह बात कही थी मैंने कि मंत्रि-परिषद् में हम इस पर विचार कर सकते हैं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विभिन्न दलों के नेताओं ने कोई सूचना भले ही यहां पर दे दी हो आपके पास, लेकिन मैं उसका खुलासा नहीं चाहता । मैं अनुरोध यही करूंगा कि मत ऐसा कीजिये, मैं जानता हूं कि विपक्ष के भी सभी विधायक सहमत नहीं है मिलकर बहुत सारे लोगों ने आग्रह किया है कि विधान सभा का कार्यकाल 26 मार्च, 2002 तक है इसके पहले चुनाव नहीं होने चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विपक्ष एक मत नहीं हैं मैं पूरे विपक्ष की तरफ से कहना चाहता हूं एक मत है भले ही मुख्य मंत्री जी और इनके सहयोगी दल एक मत न हो, लेकिन विपक्ष एकमत है अक्टूबर में चुनाव करा दें ।

(व्यवधान)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

भाई हमारे कुंवर रेवती रमण जी ने चुनाव के संबंध में बात कही है मैं गम्भीरता के साथ बताना चाहता हूं कि संविधान का 172 अनुच्छेद बनाया तो उस वक्त 1947 में विरोध पक्ष की दस बीस सीट होती थीं अब यह इतने विपक्ष में बैठते हैं, तब सोचते होंगे हम ही मालिक रहेंगे । अब हमारी सरकार पांच साल से है हमें कोई परेशानी नहीं है, यही डरवाते हैं, हम तो दो-दो साल में चुनाव कराने के लिये तैयार हैं । क्षत्रिय जिया साल 18 बाकी जीवन धिक्कार को ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

डा० साहब अकेले सदन में ऐसे हैं कि यह गंभीरता पूर्वक भी बात कहते हैं तो पूरा सदन ठहाके लगाता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हर दल के नेता हर सदस्य आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं और अक्टूबर में चुनाव चाहते हैं पूरा विपक्ष अक्टूबर में चुनाव चाहता है अगर यह चुनाव टालते हैं तो सत्तापक्ष चाहे किसी डर से न करावें । मुख्य मंत्री जी पर किसी मंत्री को इस तरह छींटाकसी नहीं करनी चाहिये कि "क्षत्रिय जिया 18 साल बाकी सब धिक्कार" तो मुख्य मंत्री जी अगर क्षत्रिय हैं तो वह 18 साल से कम नहीं हैं तो उनको क्या धिक्कार है ?

(व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह–

अभी तो इनको 6 महीने पूरे नहीं हुये हैं इनको 18 साल पूरे हो जाने दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

विपक्ष के कुछ लोग नहीं चाहते हैं चुनाव अक्टूबर में हो मुख्य मंत्री जी ने यह कहा तो समाजवादी पार्टी की ओर से रेवती रमण जी ने अक्टूबर में चुनाव कराने की इच्छा जाहिर की है । कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोद कुमार जी ने कहा है बहुजन समाज पार्टी ने तो एक महीने पहले सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि अक्टूबर में चुनाव करायें जायं, यह विपक्ष के नाम पर टाल मटोल क्यों कर रहे हैं यह क्यों नहीं कहते हैं कि चुनाव लड़ने में अक्षम हैं यदि विपक्ष का कोई ऐसा व्यक्ति या नेता ने आपसे इस प्रकार का अनुरोध किया है तो उसका खुलासा होना चाहिये ताकि गलत संदेश न जाये । यह विपक्ष का नाम आरोपित करके बताते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली है कि मैं भारत के संविधान के प्राविधानों के प्रति पूर्ण निष्ठा रखूंगा और यह उसका अनुपालन कर रहे हैं ।

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

कुंवर साहब और समाजवादी पार्टी से अपेक्षा की जाती है उन्होंने अनेक बार कभी-कभी बाबा साहब के बारे में या बहुजन समाजपार्टी के बारे में कुछ कह दिया हो लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता स्वयं बाबा साहब के बनाये हुए सिद्धान्तों को तोड़ना चाहते हैं। जो संविधान उन्होंने बनाया है उसे वह तोड़ना चाहते हैं।

श्री बी०आर० वर्मा–

शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है अगर पढ़ा होता तो यह बात वह न कहते।

चौधरी लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, मेरी एजूकेशन उनसे ज्याद है। मैं पोलीटिकल साइंस से एम०ए० हूं।

* श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं उनकी क्वालिफिकेशन नहीं जानना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो आर्टिकिल 172 है, इसमें जो डिबेट हुई है संविधान सभा पर अगर उसको पढ़ा होता तो बाबा साहब ने क्या कहा है उससे भिज्ञ होते। उसको पढ़ लिया होता उसमें उन्होंने बताया है। लोक सभा और विधान सभा का कार्यकाल तय होने की बात आयी है उसमें क्या लिखा है उसको पढ़ने की कृपा करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संविधान में क्या है क्या नहीं, लेकिन कैबिनेट एक सरकार की नीति बनाती है उसमें यह है कि दो बच्चे पैदा करो यह नीति [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिये। यह लिखा नहीं जायेगा। प्रस्तुत सूचना पर माननीय प्रमोद कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह, एवं माननीय मुख्य मंत्री व संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है इसलिये इस सूचना को निरस्त करता हूं। चुनाव की घोषणा करना चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में आता है इसलिये निरस्त करता हूं।

मद संख्या 3,4,5 व 6 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या–7 ले रहा हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 मई, 2001 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुईं। शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गईं–इसमें पहली सूचना डा० अशोक बाजपेई व कुंवर रेवती रमण सिंह की, श्री प्रमोद कुमार व श्री अखिलेश कुमार सिंह की तथा डा० धर्मज्ञ मिश्र जी की है। यह तीन सूचनायें प्राप्त हुईं. लेकिन इनका विषय एक ही है वह है "प्रदेश में निरन्तर बढ़ते प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में" दूसरी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह भाटी की "जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोयडा प्राधिकरण द्वारा बिना नोटिस दिये ग्राम बरौला में सैकड़ों आवास व दुकाने गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।"

श्री कौकब हमीद जी व अन्य सदस्यों की सूचना थी, वह नियम 51 में चूंकि वक्तव्य आ गया है, इसलिये इनको निरस्त करता हूं। बाकी जिन सदस्यों की सूचनायें निरस्त की गई हैं–उनका नाम डा० धर्मज्ञ मिश्र हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, हमने जो सूचना दी थी वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है । कई हजार शिक्षक धरना दे रहे हैं । राजधानी के अन्दर धरना दे रहे हैं उसी से संबंधित सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

बाद में देख लेंगे दूसरी सूचना को हम पहले ले लेते हैं । यह सूचना जो भाटी जी ने दी थी इस पर मौर्य जी व वर्मा जी ने भी नियम 311 में अपनी बात रखनी चाही थी । माननीय वर्मा जी अध्यक्ष रह चुके हैं माननीय भाटी जी और उनका विषय एक ही है जो कि उन्होंने नियम 311 में उठाने का प्रयास किया था, अतः माननीय वर्मा जी पहले अपनी बात कह ले उसके बाद माननीय भाटी जी अपनी बात रख लेंगे ।

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, मेरे स्थान पर पार्टी के नेता माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी से कुछ और अपेक्षा थी लेकिन चूंकि वह कार्यवाही में लिखा नहीं गया है कि पीठ पर आक्षेप न करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो सदैव पीठ का सम्मान किया है और करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया सीधे विषय पर आ जाइये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत मैंने आपसे अनुरोध किया था आज पूरे उत्तर प्रदेश में वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत नगर विकास के नाम पर दलितों और पिछड़ों और अल्पियत समाज के लोगों को शहर से बाहर निकालने का काम कर रही है । मान्यवर, अभी-अभी गौतमबुद्ध नगर में नोयडा विकास प्राधिकरण ने वहां पर पिछले सप्ताह में लगातार और आज भी वहां पर निरन्तर यह चर्चा चल रही है कि वहां पर सलेरा गांव जहां पर दो हजार घर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के हैं उनको बिना किसी पूर्व सूचना के उजाड़ दिया गया । इसी तरह से होशियारपुर में यादवों के 200 घर बिना किसी सूचना के बुलडोजर लगाकर पूरे गांव को ध्वस्त कर के उनको उजाड़ दिया गया । आधापुरगांव में 40 दर्जन परिवारों को, उनकी भी बस्ती उजाड़ दी गई और बरौला गांव में 200 घर जो लगभग सभी दलितों और पिछड़ों के हैं, बिना किसी सूचना के निकाल दिया गया ।

मान्यवर, सूचना देना तो दूर रहा किसी भी प्रक्रिया का वहां पर न तो पालन किया गया, मान्यवर, न ही किसी की लिखित सूचना थी और घर खाली करा दिये गये । नतीजा यह हुआ कि लगभग 2500–3000 के लगभग घर एक हफ्ते के अन्दर बिना किसी सूचना के ध्वस्त कर दिये गये । दैनिक उपभोग की वस्तुओं को बर्बाद कर दिया गया सारा का सारा सामान उनकी गृहस्थी का और पहनने के वस्त्र, खाने पीने का सामान मलवे के अन्दर दबकर के बर्बाद हो गया । यह प्रक्रिया निरन्तर वहां चल रही है । मान्यवर, अनेकों जानवर मर गये, मान्यवर, वहां पर बदबू से पूरा क्षेत्र भरा हुआ है महामारी और बीमारी फैलने की आशंका है ।

मान्यवर, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी मौके पर गई थीं और इन चारों गांवों को मौके का मुआयना किया । मान्यवर, नोयडा विकास प्राधिकरण ने जिस बर्बर तरीके से विध्वंस की कार्यवाही की है मान्यवर, उससे सारी की सारी मानवता सहम जाती है, सरकार का यह कदम नादिरशाही जैसा दिखता है । मान्यवर, आज भारतीय जनता पार्टी, अपने चहेतों को और धर्म के नाम पर धंधा करने वाली तमाम संस्थाओं को सुख-सुविधा देने के लिये और उनकी मुंह मांगी मुराद को पूरा करने के लिये दलित, दलित बस्तियों को आज उजाड़ा जा रहा है ।

(इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए ।)

पिछड़ों की बस्तियों को उखाड़ा जा रहा है, अक्लियत समाज के लोगों को शहर से बाहर किया जा रहा है जबकि वहां पर तथाकथित धर्म के नाम पर तमाम प्रमुख संस्थायें सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा जमाये बैठी हुई हैं एक ओर भारतीय जनता पार्टी के चहेते, एक ओर धर्म के नाम पर धंधा करने वाली तमाम प्रमुख संस्थायें बेखौफ होकर सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा जमाये हुये हैं । दूसरी ओर पिछड़ों दलितों और अक्लियत समाज के लोगों को जबरिया उजाड़ा जा रहा है ।

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 14 अप्रैल, 1997 को जबकि इसी विधान सभा ने एक नियम कानून बनाया था कि यदि किसी भी जगह से कमजोर तबके के लोगों को या अक्लियत बस्तियों को या दलित समाज के लोगों को हटाना अत्यन्त आवश्यक ही है तो उनकी कहीं न कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जायेगी उसके बाद ही इस प्रकार का कोई काम होगा तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह सरकार खुद इस सदन के बनाये हुये कानून को धता बताते हुये मनमाने तरीके से गरीबों पर कहर बरपा कर रही है । बड़े पैमाने पर जिस तरह से बस्तियां उजाड़ी गई हैं उससे आज हजारों की तादात में लोग भूखे प्यासे नंगे, खुले आसमान के नीचे, चिलचिलाती धूप में बिलबिला रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने मनमाने पूर्ण तरीके से, तानाशाही तरीके से, सामन्ती तरीके से जुल्म ज्यादती कर उनकी बस्तियों को तोड़ करके यह काली करतूतें करती जा रही है उससे पूरे प्रदेश में विशेष रूप से दलितों में, पिछड़ों में अक्लियत समाज के लोगों में एक भय व्याप्त है, आक्रोश व्याप्त है वह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

गौतमबुद्ध नगर में नोयडा विकास प्राधिकरण ने कोई यह पहला कार्य नहीं किया है इससे पहले भी लखनऊ में इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, बनारस और गोरखपुर में भी दलित पिछड़े और अक्लियत समाज के लोगों की बस्तियों को उजाड़ा गया है । आज जो इस प्रकार का घोर अन्याय किया जा रहा है, एक समाज विशेष के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी अपने चहेतों को, पूंजीपतियों को, थैलीशाहों को पार्क बनाने के नाम पर, सुविधा देने के नाम पर, सौन्दर्यीकरण के नाम पर विकास के नाम पर जिस तरीके से बस्तियों को उजाड़ रही है लाखों लोगों को बेघर किया जा रहा है, मान्यवर, आज उनके सामने रोटी कपड़ा मकान की समस्या आ गई है । इससे गरीब, दलितों पिछड़ों और अक्लियत समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है और असंतोष है यदि समय रहते सरकार ने कोई कठोर उचित कार्यवाही नहीं की तो बहुत बड़ा आन्दोलन हो सकता है ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत लोक महत्व का विषय है, अविलम्बनीय है और इसकी तात्कालिकता भी है क्योंकि आज हजारों लोग घर विहीन हो गये हैं हजारों लोगों के सामने रोटी, कपड़ा मकान का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है । हजारों लोग आज खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है, नोटिस नहीं दी गई, उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई इसलिये इसकी तात्कालिकता को देखते हुये इस लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बहुत ही अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर बोलने का मौका दिया, आभारी हूं । मान्यवर नोएडा में आये दिन बहशीपन की वारदातें नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा की जाती है । उसी प्रसंग में पिछले दिनों जहां होशियारपुर में मकान गिराये गये, उसके बाद आगाहपुर, गिझोड़, छलेरा, सदरपुर, चौड़ा रघुनाथपुर में गिराये गये, वहीं 18-5-2001 को बरौला गांव में सैकड़ों मकान नोएडा प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिये । बड़ी बिडम्बना यह है कि समय-समय पर माननीय सदन में बहुत सी चर्चायें नोयडा और ग्रेटर नोयडा के संबंध में होती रही हैं । वहां पर जो अधिकारी हैं, वह अपने आपको शासन से ऊपर मानते हैं । हमारे नेता सदन जो पी०सी०एस० की नियुक्ति नहीं कर सकते लेकिन वहां के अधिकारी पी०सी०एस० आदि की नियुक्ति कर लेते हैं जो काम यहां के लोग नहीं कर सकते, वह काम वह लोग कर लेते हैं, उन अधिकारियों को किसी का भय और खौफ नहीं है ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि नोएडा की स्थापना 1976 में हुई थी, वहां 18-5-2001 को बरौला गांव में जो वहां के गरीब, मजदूर दलित और पिछड़ेवर्ग के लोग हैं, जो वर्षों से वहां बसे हैं, उनके मकान गिरा दिये गये । इसी क्रम में बताना चाहता हूं कि धन्नी और हो राम दोनो भाई कश्यप समाज से हैं, उनके 4-4- पुत्र हैं । धन्नी के विशम्भर, अतर सिंह, बालकराम, और राजाराम पुत्र हैं, जबकि होराम के धारा, परमाल, चन्द्रभान और बाबूराम पुत्र हैं, यह सभी लोग वहां पिछले 50 वर्षों से बसे हुये हैं और इन सभी के वहां आवास हैं, बिना नोटिस दिये इन सभी लोगों के जबरन मकान नोयडा प्राधिकरण द्वारा गिरा दिये गये । मान्यवर, इसी प्रकार जगपाल चौहान तथा श्याम लाल चौहान, इनकी जमीनें एक्वायर हुई हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी जमीनों का मुआबजा नहीं लिया है, उनके भी मकान गिरा दिये गये । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन आंठों लड़कों के पास नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जा चुके हैं और उनसे कहा है कि यह बात कहीं मत कहना, तुम लोगों के मकान गलती से गिरा दिये गये हैं, उसका मुआबजा दिला देंगे ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि क्या लोगों को उजाड़ना ग्रेटर नोएडा और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के शौक में शामिल हो गया है । न उन्हें नक्शे की जानकारी है, न शिजरे की जानकारी है और न गांव की आबादी के बारे में पता है । एक और दबाव उनके ऊपर है, अगर किसी का 20 बीघा कच्चा का नं० है और 200-300 गज में आबादी बनी है तो कहते हैं कि आबादी का मुआबजा लेगा, जब बाकी का मुआबजा मिलेगा । इन अधिकारियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, इस्तेमाल कर रहे हैं और मुआबजा भी नहीं दे रहे हैं, यह बड़ी हास्यास्पद स्थिति है । वहां के जो मूल निवासी हैं वह आज नं० 2 के नागरिक होकर रह गये हैं । इसी प्रकार वहां पिछले 23 अप्रैल को 81 ग्राम सभाओं को अस्तित्वहीन कर दिया गया, उनके जन प्रतिनिधि समाप्त कर दिये गये । इन 81 ग्राम सभाओं में न कोई प्रधान है, न बी०डी०सी० और न कोई जिला पंचायत सदस्य है । आखिर इन लोगों का दर्जा क्या है, जो वहां रहते हैं, उन लोगों का दोष मेरी समझ में नहीं आया । मान्यवर, चूंकि संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे जनपद के प्रभारी भी हैं और मान्यवर, इसे पहले आप भी माननीय अधिष्ठाता जी, आप भी इस जनपद के प्रभारी रहे हैं, आप भी भिज्ञ हैं इसलिए मैं आपके संज्ञान में यह प्रकरण विस्तार से लाना चाहता हूं, मान्यवर, जिन गांवों को सरकार ने अस्तित्व विहीन कर दिया है, यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है । उनका दोष क्या है ? एथारिटी में किसान अधिकारी के पास जाता है, किसी अधिकारी के पास किसानों से मिलने का समय नहीं है, मजदूर की बात छोड़िये । वहां के अधिकारी इतने निरंकुश हो गये हैं, करोड़ों-करोड़ों के घपले, अभी हमने पिछले हफ्ते भी आपके संज्ञान में यह बात लाये थे कि पिछले वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ का घपला है लेकिन उसके बाद भी उनका पेट नहीं भर रहा है । इन गरीबों के जो एक-एक दो-दो कमरे के मकान हैं इनके बुल्डोजर चाहे किसी का बच्चा दब जाय, चाहे उसका सामान दब जाए, लेकिन उसको गिराते चले जाते हैं । मान्यवर, इन लोगों पर सरकार अंकुश लगाये ।

जो एक सरकार की विश्वसनीयता लोगों के बीच में होनी चाहिए, वह लोगों में नहीं रही है । वहां लोगों में बड़ा आक्रोश है और उनमें भय व्याप्त है । मान्यवर, इस अविलम्बनीय और लोक महत्व के विषय पर सदन के सारे काम रोककर कर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जिन माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था वे तो बोल ही चुके हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत सब के दस्तखत हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

नियम 311 की सूचना तो अस्वीकार हो गयी थी, लेकिन एक अवसर दिया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने एक बातचीत में यह बात कही है कि चार माननीय सदस्य, तीन हम हैं और एक भाटी जी बोलने को हैं ।

* श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, आपने इस प्रश्न की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया, हम आभारी हैं । मान्यवर, पूरे प्रदेश में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इरादा बनाकर के जगह-जगह सैकड़ों साल से नगरों में, महानगरों में बसे हुए कच्चे-पक्के मकान बनाकर रह रहे दलितों को, पिछड़ों को उजाड़ कर तबाह, बर्बाद करने का मन बना लिया है । मान्यवर, दुख होता है जो गौतमबुद्ध नगर महामानव भगवान गौतमबुद्ध के नाम से बनाया गया, जिस महामानव ने पूरी दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाया...

श्री अधिष्ठाता–

क्या यह सब नोटिस में लिखा हुआ है ? जो लिखा है उससे बाहर नहीं जा सकते, आप दो मिनट में बोल लीजिये ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, उसी गौतमबुद्ध नगर में बी०जे०पी० के शासनकाल में इंसानियत में हैवानियत की जा रही है । मान्यवर, यह बड़ा दुखद है । मान्यवर, नोयडा विकास प्राधिकरण इस गौतमबुद्ध नगर के सदरपुर, होशियारपुर, बरौला आदि गांवों के कच्चे-पक्के मकानों को गिरा रही है । आज वहां जानवर मर रहे हैं, उन लोगों का सामान दब रहा है, वहां तबाही मची हुई है । मान्यवर, जब प्रतिरोध किया गया तो गरीब निरीह महिलाओं, बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया, मारा-पीटा गया । पुलिस एवं नोयडा विकास प्राधिकरण ने जिस तरह से बर्बरतापूर्ण एवं अभद्र व्यवहार किया वह निन्दनीय है । कैसी विडम्बना है कि एक गरीब जो कच्चे-पक्के मकान बनाकर किसी तरह से रह रहा है उसको उजाड़कर धनवानों के लिए पार्क की व्यवस्था की जा रही है जिससे उन्हें खुली हवा मिल सके । गरीबों को इसके लिए हटाया जाये यह अच्छी बात नहीं है । यह बस्ती 100 साल पुरानी है, वह वहां के मूल निवासी हैं वह कहां जायेंगे ? 1997 में जब बहिन कु० मायावती जी की सरकार थी तो विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन हुआ कि अगर किसी को हटाना जरूरी है तो जब तक वैकल्पिक व्यवस्था उनके रहने की न कर दी जाये,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्हें हटाया न जाये । इस अधिनियम का पालन सरकार नहीं कर रही है, यह दुःख की बात है । मेरी मांग है कि जो अभी नहीं उजाड़े गये हैं, उन्हें न उजाड़ा जाये और जो उजड़ गये हैं उन्हें अलग बसाने की व्यवस्था की जाय । नोयडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पुलिस ने जो अत्याचार किया, अभद्र व्यवहार किया, अश्लील हरकतें की हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो, उन्हें दण्डित किया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिये ।

श्री आर० के० चौधरी–

मान्यवर, विषय गम्भीर है, लोक महत्व का है और तात्कालिक है । सम्पूर्ण विपक्ष ने नियम 311 व 56 में सूचनायें दीं, सत्तापक्ष के माननीय विधायक ने नियम–51 में सूचना दी । इससे महत्वपूर्ण, तात्कालिक और अविलम्बनीय क्या होगा ? मान्यवर, लोक महत्व का विषय है इसलिए इस पर सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिन तथ्यों की ओर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी और श्री आर० के० चौधरी ने आपका ध्यान आकर्षित किया है उसकी पुनरावृत्ति न करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अगर विकास प्राधिकरण की जमीन पर भी काफी दिनों से गरीब लोगों ने अपनी झुग्गी-झोपड़ी बना ली है और ज्यादा दिनों से रह रहे हैं तो उनको भी तब तक बेदखल नहीं किया जायेगा जब तक उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था न कर दी जाय । इसी के तहत जब बहिन मायावती जी मुख्य मंत्री थी और लालजी टण्डन जी आवास एवं नगर विकास मंत्री थे तो इन्हीं की देखरेख में विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन हुआ है । आज उस कानून के रहते हुए यह घृणित कार्य किया गया । जिनको उजाड़ा गया है वह प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा नहीं किये हुए थे वह वहां 100-150 सालों से रह रहे थे, उनकी जमीनों को तो विकास प्राधिकरण ने ले लिया लेकिन जो उनकी आबादी है, विकास प्राधिकरण में व्यवस्था है कब्जे का एक्वीजीशन की कार्यवाही जब तक समाप्त नहीं किया जाता प्राधिकरण उस पर कब्जा नहीं कर सकता । बल्कि उस आबादी को विकसित करने की व्यवस्था है । जबरदस्ती बिना किसी कानून के आश्चर्य होता है कि किस आधार पर इनको उजाड़ा गया, मकानों को तोड़ा गया, सामान दब गया, जानवर दबकर मर गये और वे लोग इस चिलचिलाती धूप में रहने को मजबूर हो गये । यह सरकार का कौन सा नजरिया है अगर अधिग्रहण मनमानापूर्ण है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस कार्यवाही को रोकना चाहिए । आज भी कार्यवाही चल रही है दो हजार घर तोड़ दिये गये हैं, तो मान्यवर, एक तरफ तो जो पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी हैं, उनको बसाये हैं, जमीन-जगह दी है, और कश्मीर से विस्थापित होकर आये हैं, उनको रहने की जगह दी है, पाकेट एलाउन्स दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो हमारे मूल निवासी हैं उनको बेघर किया जा रहा है ।

मान्यवर, आज विकास प्राधिकरण की जमीनें जो उन पर माफियाओं ने कब्जा कर रखा है लेकिन सरकार में यह हिम्मत नहीं है कि वह जमीन उनसे मुक्त करवा ले । लेकिन जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके घर तबाह कर दिये गये हैं । उनके जानवर मर रहे हैं, वह चिलचिलाती हुई धूप में रहने के लिए मजबूर हैं, तो क्या मान्यवर, जो लोग हमारे मूल निवासी हैं, जो गरीब हैं, या छोटी-छोटी झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, छोटी-छोटी जमीनों में अपना कच्चा-पक्का मकान बनाकर रह रहे हैं तो क्या उन गरीबों को रहने नहीं दिया जायेगा । मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस सरकार में जरा सी भी संवेदनशीलता है, जरा सी भी लाज है तो उन गरीबों को उजाड़े नहीं । वह देखें कि यदि इसमें यह जो जंगल के कानून का राज चल रहा है,

उसमें जो गरीबों के घर तोड़ दिये गये हैं, इस घटना में जो अधिकारी शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें और यदि कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तो उनको आज इस सदन में माफी मांगनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि कानून पर और अधिकारियों पर हमारा कन्ट्रोल नहीं रह गया है । यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय । मान्यवर, इसमें जो अधिकारी सम्मिलित हैं, जिन्होंने गरीबों के अनुसूचित जाति के लोगों के बर्बरतापूर्वक घर तोड़ दिये हैं, जिनकी संख्या लगभग दो हजार के करीब है, उनके रहने का कोई प्राविधान किया जाय और जिन अधिकारियों ने इस कार्य को अंजाम दिया है उनके खिलाफ एफ०आई०आर० लिखकर तात्कालिक प्रभाव से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और अगर इसमें यह कहा जाय कि सूचना सत्य नहीं है तो मैं सदन से कहना चाहूंगा कि सदन के सदस्यों की एक संयुक्त समिति बना दी जाय और उसमें उस क्षेत्र के विधायकों को भी शामिल किया जाये जहां यह घटना घटित हुई है, बर्बरतापूर्वक जहां पर गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा गया है उस जगह की जांच करा ली जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा कराने तथा उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं जिनके द्वारा यह कृत्य किया गया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नोयडा का जो मुख्य मार्ग है, जो दादरी मार्ग है, उसके ऊपर अतिक्रमण को लेकर कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया है, उस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । जो वहां के स्थानीय विधायक नवाब सिंह नागर हैं उन्होंने मुख्य कार्यपालक अधिकारी से शिकायत की है, जिसके ऊपर जांच कमेटी का गठन किया गया है । हमारी जानकारी में है कि कुछ ज्यादतियां हुई हैं, स्थानीय लोगों ने शिकायतें की हैं, इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये गये मैं उनकी जानकारी देना चाहता हूं कि नोयडा विकास प्राधिकरण कोई भी अतिक्रमण हटाने के पूर्व सबसे पहले एक निश्चित नीति तैयार करे और निश्चित कार्यक्रम तैयार करे और उसके बाद ही अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चलाये । आपने जो जानकारी दी है उसको आधार मानकर सदन को आश्वस्त करता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर सारी समीक्षा करूंगा और प्रभावी कार्यवाही की जायेगी । एक प्रकरण माननीय भाटी जी ने बड़ी चतुराई से उठाया और कहा कि जनप्रतिनिधियों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही थीं, माननीय सदस्य की जानकारी में रहा होगा कि जिला पंचायत और प्रधान के बीच में मुकदमा चला और सर्वोच्च न्यायालय में चला गया । दो संस्थायें हैं एक कहती थी कि यह मेरा अधिकार है, दूसरी कहती थी कि मेरा अधिकार है । सारी बात को समाप्त करके कानून में संशोधन किया गया है । आज तक किसी जनप्रतिनिधि को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया गया है । वहां के जनप्रतिनिधियों की प्रभावी भूमिका और क्या होगी अब वहां की स्थिति बदली हुई है प्राधिकरण के गठन के बाद गांवों का विकास भी हुआ है । प्रधानों का चुनाव होता है, प्रधान चुनने के बावजूद प्रधान अपनी प्रभावी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं, इस समय प्रश्न यह था कि जनप्रतिनिधियों की भूमिका को प्रभावी कैसे बनायें ? जब तक निर्णय अन्तिम नहीं होगा प्रधान अपने पद पर यथावत् बने रहेंगे । यहां भ्रम फैलाने का आप काम न करें, सारी बातों का उत्तर आ जायेगा । मैं यथाशीघ्र वहां जाकर उनकी नीति और कार्यक्रमों की समीक्षा करूंगा और जो भी शिकायत होगी, शिकायत के आधार पर कार्यवाही होगी । जिस नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है उसके ऊपर विस्तृत वक्तव्य भी आयेगा । कार्य स्थगन की सूचना निरस्त की जाये ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूं और सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। वहां अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, बल्कि 100-150 साल पुरानी बस्तियों को उजाड़ा गया है। बस्तियों को उजाड़ा इसलिए गया है चूंकि इनका पाप यह था कि वे दलित समाज, पिछड़े समाज में पैदा हो गये, उनको उजाड़ दिया गया और जिन अधिकारियों ने उजाड़ा है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त इस सूचना को निरस्त करता हूं ....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, यह नहीं लिखा जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि इस पर वक्तव्य आयेगा और वह स्वयं वहां जायेंगे। अब इसके बाद कौन सी बात रह गयी है।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक विस्थापित न किया जाय यही ऐक्ट की मंशा भी है। मैं जानना चाहता हूं कि अपने दल के विधायक की बात को सही मानकर आप निर्देश दें कि जिन अधिकारियों ने अधिनियम का उल्लंघन करके वैकल्पिक व्यवस्था किये बगैर घरों को गिराकर विस्थापित किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

पहले समीक्षा तो हो जाने दीजिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि जो नियम 51 की सूचना है उस पर वक्तव्य आ जायेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वह वहां जायेंगे और समीक्षा करेंगे और जो आवश्यकता होगी करेंगे। अब बिना जांच और समीक्षा के किसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, वहां घरों को तोड़ा गया है, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी है। इस पर जांच की क्या जरूरत है जब सरकार स्वीकार कर रही है तो अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

नोट :—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने तो स्वयं कहा । वहां पर यह शिकायत आयी कि ज्यादती की गयी है और उसकी शिकायत जो वहां के विधायक हैं उन्होंने मुख्य कार्य पालक अधिकारी से की । मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कल ही इसके लिए एक समिति गठित कर दी । आज उस समिति का परिणाम कैसे आ जायेगा । मैंने कहा है कि जो शिकायत आयी है उसकी समीक्षा कर लूंगा । आपने एक और सूचना दी है जिसमें नदी नालों आदि के प्रदूषण का जिक्र किया है । लेकिन आपने उसमें ध्वनि प्रदूषण का जिक्र नहीं किया ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सौन्दर्यीकरण के नाम पर गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा गया है । सरकार उनकी रोजी-रोटी छीन रही है ।

(श्री आर० के० चौधरी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री मुराद लारी तथा श्री भोला शंकर मौर्य आदि बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य वेल में आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सदन के फ्लोर पर आये सदस्य नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा ।)

श्री अधिष्ठाता–

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह लोग जिस तरह के नारों का इस्तेमाल करके इधर इंगित कर रहे हैं इनको अधिष्ठाता महोदय, नियंत्रित किया जाय । वेल में आने का तो अधिकार है लेकिन इस तरह से नारे लगाना उचित नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 2.00 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 2 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया । 2 बजकर 32 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई । (गणपूर्ति के अभाव में 2 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने आपके माध्यम से सरकार से स्पष्टीकरण चाहा था कि गौतमबुद्ध नगर में सदरपुर, होशियारपुर बरौला में दलितों और पिछड़ों को उजाड़ा गया था, तो जिन्होंने यह उजाड़ने की कार्यवाही की है, जो दोषी हैं, उनको सरकार दंडित करेगी कि नहीं ? सरकार मौन है । उनको मुआवजा दिया जायेगा कि नहीं ? इस प्रश्न पर भी सरकार मौन है ।

श्री अधिष्ठाता–

मौर्या जी, आपकी बात आ चुकी है । मैं इसको निरस्त कर चुका हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह सरकार मनमाने ढ़ंग से काम कर रही है । दलितों, पिछड़ों को न्याय देने में यह सरकार मौन है । मैंने कहा था कि जिनके घर उजाड़ दिये गये हैं, उनको पुनर्स्थापित किया जायेगा कि नहीं, लेकिन इसके जवाब में सरकार मौन है । मनमाने तरीके से बर्बर अत्याचार कर रही है, लोगों को बेघर कर रही है । खुले आसमान के नीचे यह लोग भूखे, प्यासे नंगे रह रहे हैं । सड़कों पर आ गये हैं । यह सरकार इस बात को जाहिर करती है कि यह सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी है ।

श्री अधिष्ठाता–

मौर्या जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, सरकार मनमाने तरीके से दलितों, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार कर रही है । यह मनुवादी व्यवस्था को फिर से लागू करना चाहती है, दलितों, पिछड़ों और अकलियत समाज के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दे दें जिससे हम लोग आश्वस्त हो जायं । जिस तरीके से गलत ढ़ंग से बुलडोजर चलाकर लोगों को उजाड़ दिया है, बेघर कर दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

कोई भी ऐसी बात नहीं है जो स्पष्ट न हो । आपकी तरफ से बात आ गई, संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ से बात आ गई । सूचना मैंने निरस्त कर दी है । आप एक ही बात कई बार रिपीट कर रहे हैं इसलिये कृपा करके स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यह सरकार गूंगी और बहरी है दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है । यहां सरकार दलित और पिछड़ा विरोधी है इस कारण बहुजन समाज पार्टी इस सदन में नहीं रहना चाहती है । मैं और मेरा दल सरकार की इन नीतियों के विरोध में सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं जिस विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । कभी हमारा भारत देश नैसर्गिक सुन्दरता और स्वच्छ जलवायु के लिये जाना जाता था कुछ समय से पर्यावरण की दृष्टि से मानकों के हिसाब से हम ऐसे वातावरण में प्रवेश करते जा रहे हैं कि जहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है । हम शुद्ध पानी के लिये तरस रहे हैं लेकिन सरकार इस पर गम्भीर नहीं है आज पानी में कितना प्रदूषण है, जो जलवायु है जहां हम सांस लेते हैं उसकी स्थिति क्या है ? मान्यवर, गंगा नदी जो हमारे देश की पवित्रतम नदी है उसमें कितना प्रदूषण है ? गंगा, गोमती, यमुना, सई, हिण्डन, सरजू, घाघरा, राप्ती, नैनीताल, रामगढ़ आदि ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके किनारे लोग वास करते थे । अब डी०ओ० बी०ओ०डी०, टोटल, कालीफार्म खासतौर से टोटल डीजाल्व सालिड, फीकल डिजाल्व सालिड फास्फेट क्लोरोन की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि वह गंगा नदी का पानी जो सालों साल संचित किया जाता था और जो पवित्रता का

प्रतीक है कानपुर इलाहाबाद में उसका पानी पीना तो छोड़ दीजिये उसके अन्दर जो अवयव निकलते हैं उसके बाद कुछ कहने को नहीं रह गया है । एक गंगा आचमन प्लान बना था जिसको राजीव जी ने चलाया था, उसमें करोड़ों रुपया चला गया ऐसे ही पड़ा है । मान्यवर, कानपुर मे टोटल कालीफार्म की मात्रा कानपुर शहर में गंगा नदी में सीवेज मिलने के कारण निर्धारित मानकों से काफी अधिक पाई गई है । बी०ओ०डी० की मात्रा 3.1 मि०ग्राम/लीटर एवं 5 मि०ग्रा० ली० जो निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई । कानपुर में सचेत किया गया है कि कानपुर में गंगा नदी के चले जाने के कारण पानी पीने लायक नहीं रह गया है । इलाहाबाद, संगम जहां है दुनिया का सबसे बड़ा मेला जहां लगा था वहां बी०ओ०डी० की मात्रा अपस्ट्रीम में 2.9 मि०ग्राम/ली डाउन स्ट्रीम में 3.4 मिग्रा० ली० है । टोटल कालीफार्म की मात्रा इलाहाबाद अपस्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम में निर्धारित मानकों से अधिक है । यहां का पानी नहाने लायक नहीं रह गया है । श्रीमन् विषलहरी के नाम से तमाम बोतलें 10-15 रुपये में बिक रही है । श्रीमन् फैजाबाद में सरजू के जल में डी०ओ० की मात्रा 9.4 मि०ग्राम/ली०, बी०ओ०डी० 2.4 मि०ग्राम/ली टोटल कालीफार्म 5560.0 एम०पी०एन०/100 मिली है । टोटल कालीफार्म की मात्रा बहुत अधिक है । इसी प्रकार देवरिया में घाघरा के जल की डी०ओ 8.03 मि०ग्रा०/ली० बी०ओ०डी० 1.73 मिग्रा/ली है तथा टोटल कालीफार्म की मात्रा 106 एम०पी०एन०/100 मिली है । इसका जल भी स्नान करने योग्य नहीं है गोरखपुर राप्ती के जल में डी०ओ 8.07 मिग्रा० ली बी०ओ०डी० 1.79 मिग्रा ली० एवं एम०पी०एन० 104/100 मिली पाया गया है । हमारे शहर लखनऊ में एस०पी०एम० आर०एस०पी०एम० की मात्रा मानकों से अधिक पाई गई । किदवईनगर और फजलगंज में एस०पी०एम० तथा आर०एस०पी०एम० की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई । सोनभद्र में एस०पी०एम० तथा आर०पी०एम० सल्फर डाई आक्साइड तथा नाइट्रोजन की मात्रा मानकों से अधिक पाई गई । यही मान्यवर, इसलिये ध्यान इनका खीचा है यह किसी राजनैतिक दल से संबंधित नहीं है । जो हमारा पीने का पानी है पवित्र नदियों का पानी है वह दूषित है और वह तमाम बीमारियों का कारण है । मान्यवर विधान सभा मार्ग से पांच बजे आप निकल जायें तो सबसे बड़ा दोषी कौन है । बगल से जो बस वाला निकलता है वह ढेर सारा धुंआ उगलता है आज क्लीनिक खुल रहे हैं, हेल्थ क्लब खुल रहे हैं तो वह इसलिये खुल रहे हैं कि आक्सीजन ले सकें । हमें विदेशों से इस बात का संकल्प लेना होगा कि वह पानी को प्रदूषण से मुक्त कर सकें । इस वातावरण को प्रदूषण से मुक्त कर सकें, जिससे हमें शुद्ध वायु और शुद्ध जल मिल सके । महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि वायु और जल यह बीमारी का कारण बनता जा रहा है । आज टी०वी० और हाथ पैरों में सूजन जैसी बीमारी फैल रही है । इसलिये मैं चाहूंगा कि लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा कराई जाय ।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, नियम 56 में इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई सवाल नहीं हो सकता है । यह चिन्ता का विषय है आज पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिये आज यह पर्यावरण हर तरह से दूषित हो रहा है । चाहे जिधर चले जायें, चाहे वह जलवायु हो, जैसा कि प्रमोद जी ने नदियों के नाम गिनाये हैं कि इनमें प्रदूषण व्याप्त है, या फिर वायु या ध्वनि का प्रदूषण है । मान्यवर मानव जाति संक्रमण काल से तीन तरह से इससे ग्रसित है । मान्यवर, जब-जब सभ्यता का विनाश हुआ चाहे मोहन जोदड़ों की सभ्यता हो, चाहे सिन्धु घाटी की सभ्यता हो, चाहे इण्डस वैली की सभ्यता हो, उसका कारण रहा है प्रदूषण वृक्ष काटे गये और उनके कटने से इनका प्रदूषण मानव जाति में फैला और सभ्यता का विनाश हुआ । तिवारी जी ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गंगा नदी की बात उठाई, यमुना नदी की बात उठाई । टण्डन जी कई सालों से गोमती नदी को साफ करवाते आ रहे हैं । एक बात कहना चाहूंगा कि गंगा नदी का उदगम है गोमुख और गंगोत्री । वहां पर प्रदूषण है । जो प्लास्टिक बैग्स और खाने पीने का समान ले जाते हैं वह सामान वहीं छोड़ दिया जाता है और यह भी पाया गया कि वहां का पानी प्रदूषित है । मान्यवर, वह गंगा जल जिसको वह सालों साल रखते थे और वह प्रदूषित नहीं होता था उसमें गुणवत्ता नहीं रह गई है । मान्यवर, गंगा एक्शन प्लान बनाया और उसके बनने के बाद नतीजा क्या हुआ कि जितना एम०एल०डी० पानी जाता था उससे दो गुना जाने लगा ।

मान्यवर, हमारे जो सीवेज प्लांट हैं कई जगह लगे हैं कानपुर, बनारस, इलाहाबाद तमाम शहरों में लगे हैं लेकिन उनका उपयोग क्या होता है कुछ घंटे चलाकर उनको बन्द कर दिया जाता है । स्थिति यह है कि फायदा होने के बजाय मर्ज बढ़ता ही जा रहा है । मान्यवर, आज जल प्रदूषण के साथ-साथ हमारा जो जमीन के नीचे का सल्फेस वाटर है वह भी प्रदूषित होता जा रहा है । मान्यवर, जो हमारे खेतों में कैमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टीसाईड आदि इस्तेमाल हो रहे हैं मान्यवर, इसमें तमाम तरह की विकृतियां पैदा हो रही हैं मान्यवर, दूसरी तरफ ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में कहना चाहूंगा मान्यवर, वायु प्रदूषण कणों के द्वारा होता है जो पूरे वायुमण्डल में चारों तरफ फैल जाते हैं और जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा अन्दर चले जाते हैं मान्यवर, इन्हीं के कारण अजा अस्तमा, कैंसर और स्वास्थ्य की तमाम बीमारियां पैदा होती हैं यह खाली परिवहन से नहीं पैदा होता है परिवहन में धुआं निकलता है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री कुँवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, खनन से भी और निर्माण कार्य की जो गतिविधियां हैं उससे भी यहां होता है प्रदूषण यह चिन्ता का विषय है । मान्यवर, डब्लू०एच०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार वायुमण्डलों में इन धूल कणों की वजह से 5 साल के कितने बच्चे हैं, 80 प्रतिशत बच्चों की मौत इसी कारण से हो जाती है मान्यवर, कारण क्या है वह जाकर बैठ जाते हैं सांस की नली में मान्यवर, इसी प्रकार से देखें हानिकारक जो विषैली गैसें निकलती हैं उसमें अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हो रही है और मानवता और मानव खतरे के प्रश्न चिह्न से कहीं अधिक निकल गया है मान्यवर, वायु में आर०एस०पी०एस०, सोडियम डाई आक्साइड सांस लेने से कुल अन्दर चली जाती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है मान्यवर, आगे 10 साल, 5 साल में आक्सीजन मुंह पर लगाकर लोग सड़कों पर निकलेंगे शुद्ध वायु मिल नहीं पायेगी । मान्यवर, जितने आपके तापीय विद्युत गृह हैं चाहे सोनभद्र में हो या कहीं और जो धुआं निकलता है वह पूरे वायुमण्डल को प्रभावित करता है और उससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है । मान्यवर, लखनऊ की बात कर रहा हूं यह वायु प्रदूषण में लालबाग व चारबाग जहां टण्डन जी का घर है जिसमें प्रदूषण देखा जा सकता है मान्यवर, उसी तरह से अलीगंज, गोमतीनगर, हजरतगंज, लालबाग में चौक में जहरीली गैसें चारों तरफ फैल रही हैं । मान्यवर, ध्वनि प्रदूषण के बारे में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा मान्यवर, ध्वनि प्रदूषण में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट बना 1986 में प्रोटेक्शन आफ इन्वायरमेंट उसमें एक बात की चिन्ता जाहिर की गई कि सबसे ज्यादा प्रदूषण लाउडस्पीकर द्वारा पैदा हो रहा है और इसलिये उस ऐक्ट में यह प्राविधान किया गया कि लाउडस्पीकर जो है वह 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक नहीं बजाया जायेगा और बजाया जायेगा तो स्पीडोमीटर लगा रहेगा जिससे कम आवाज में उसकी आवाज निकले जिससे डिस्टरबेंस न हो । आज मानीटरिंग कमेटी बनाई इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर और उसने उगदल कोड आफ कंडक्ट बनाकर उसमें डी०एम० और एस०पी० को जिम्मेदारी दी गई कि वह उसको कन्ट्रोल करे । मान्यवर, यह अगर उसको देखलें तो

लखनऊ में 50 डेसिबिल से 78 डेसिबिल और यह होना चाहिये 30 डेसिबिल, मेरठ में है 82 डेसिबिल, इलाहाबाद में 75 डेसिबिल, गोरखपुर में 74 डेसिबिल, आगरा में 72 डेसिबिल, इसी तरह से बनारस में 70 डेसिबिल तो इससे यह जाहिर होता है कि कितना ध्वनि प्रदूषण है । मान्यवर, इस ध्वनि प्रदूषण की वजह से बहरापन और दिमागी तनाव आदि तमाम रोग ध्वनि प्रदूषण से पैदा होते हैं । ऐक्ट भी बना है और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का फैसला भी है लेकिन मुझे लगता है कि सरकार में इच्छाशक्ति नहीं है । मैं सरकार की कोई आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि इसको कड़ाई से लागू करें और इसमें ऐसे कारगर कदम उठाये जिससे मानवता को जो खतरा हो रहा है हर इंसान के सुखी जीवन में बाधा पहुंच रही है उसको रोकने में सहायता मिले ।

डा० अशोक बाजपेई–

मान्यवर, अभी जो माननीय रेवती रमण सिंह जी ने और प्रमोद कुमार जी ने कहा है मैं उसको दुहराऊंगा नहीं मैं इसके अतिरिक्त कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है जिस तरह से हमारा सारा वायुमण्डल प्रदूषित हो रहा है, जलस्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, जिस तरह से यह प्रदूषण हमारे सार्वजनिक जीवन और मानव के जनजीवन के लिये एक गम्भीर चुनौती बन गया है इसके लिये इस सदन में इस पर गम्भीर चिन्तन किया जाना नितान्त आवश्यक है, समीचीन है । यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है लेकिन मानवता से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण विषय है । आज जिस तरह से वनों का बड़े पैमाने पर क्षरण हुआ है वनों के क्षरण से जितनी आक्सीजन हमको प्राप्त होती थी उसमें कमी आई है, क्योंकि वातावरण का विषैलापन पेड़ अपने में सोखकर शुद्ध वायु देने का काम करते थे, उसका क्षरण हुआ है । आज उत्तरांचल अलग होने से वन बहुत कम हुये हैं 4 प्रतिशत वन क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में रह गया है । जहां 15 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की हैं यहां के पर्यावरण को सुधारने के लिये सरकार को यह संकल्प लेना होगा कि तत्काल बड़े पैमाने पर प्रदेश में वनीकरण कराये तभी वातावरण में परिवर्तन हो सकता है । इसी तरह से जल प्रदूषण का है जहां पर नदियों का उद्गम होता है वहीं से ही यह प्रदूषण प्रारम्भ हो जाता है । आपने पिछले दिनों सुना हो कि जिस तरह से ग्लैशियर सिकुड़ रहे हैं जहां से उद्गम है, जहां से गंगा यमुना नदी निकलती है जिस तरह से ग्लैशियर सिकुड़ना शुरू हुये हैं तो कहीं वह दिन जल्दी न आ जाय जिस दिन ग्लैशियर विलुप्त न हो जाय और नदियां सूख न जायं जो आपके उद्योग हैं, भट्ठे हैं, थर्मलपावर स्टेशन हैं इससे लाखों क्यूबिक धुवां प्रतिदिन निकलता है इससे पूरा वायुमण्डल प्रदूषित है । इस पर गम्भीर चिन्तन की आवश्यकता है । आज पूरा भूमण्डल इस प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है जिस तरह से तमाम वैज्ञानिकों ने चिन्ता व्यक्त की है कि ओजोन में छिद्र बढ़ता जा रहा है जब हमको प्रदूषित वायु मिलेगी जल मिलेगा ग्लैशियर सूखेंगे । बढ़ता मोटर व्हैकिल आज पूरे शहर में प्रदूषण का कारण बन गये हैं । इसकी रोकथाम के कदम उठाये जाने चाहिये । न तो औद्योगिक विकास को रोका जा सकता है, न परिवहन को रोका जा सकता है । इसको रोकने के लिये संयंत्र डेवलप किये जाने चाहिये । आज करोड़ों लीटर डीजल-पेट्रोल इन वाहनों में प्रतिदिन उपयोग हो रहा है, आज इनसे निकलने वाले धुएं से तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं । अस्थमा, तपेदिक और कैन्सर के संबंध में जो अध्ययन आया है, उसमें भी यह एक प्रमुख कारण हैं । मैं चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक उठापठक से ऊपर उठकर दलगत भावना से ऊपर उठकर इस पर विधान सभा में चिन्ता व्यक्त की जाय । इससे ज्यादा समसामयिक विषय और कोई हो नहीं सकता, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय कोई नहीं है और यह पूरे जन-जीवन से जुड़ा सवाल है । मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी स्पष्ट व्यवस्था दें और सदन की शेष कार्यवाही रोककर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो । सरकार अपना पक्ष रखे, हम लोग अपना पक्ष रखें और दोनों मिलकर इस प्रदूषण जैसी विभीषिका से कैसे लड़ा जा सकता है इसका अभियान चलाने का काम करे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, विषय वास्तव में बहुत गम्भीर है । नियम 56 के अन्तर्गत ही सही, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, विचार व्यक्त किये गये । इस पर ध्यान जाना अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिये मुख्य कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन, औद्योगिक प्रदूषण, वाहनों की संख्या में दिनोंदिन होती वृद्धि नगरीय मल-जल को बिना शुद्धीकरण के नदियों एवं अन्य स्थानों पर निस्तारित किया जाना, यह इसके मुख्य कारण हैं । कानून एक नहीं अनेक बने हैं और केन्द्र सरकार द्वारा 1994 में पर्यावरण प्रभावी मूल्यांकन संबंधी अधिसूचना जारी की गई जिसमें व्यवस्था की गई कि प्रदूषण में सहायक होने वाली अत्यधिक प्रदूषणकारी विशिष्ट इकाइयों की स्थापना के पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है । यह एक प्रिवेन्टिव एक्शन लिया गया, जिससे आगे प्रदूषण न हो सके ।

वायु प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से वायु प्रदूषण रोकने संबंधी प्राविधान हैं जिसके अन्तर्गत वाहनों के इंजन की गुणवत्ता में सुधार तथा सी०एन०जी० का प्रयोग आदि है और उत्तर प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतुजल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम 1974 वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाया गया, इसके अन्तर्गत प्रदूषण रोकने संबंधी नियम बनाये गये । यह तो कानून की स्थिति रही । कानून बनते रहे, कानून बनते रहेंगे और कानून बनवाने के लिये लोग बनते रहेंगे । लेकिन जो स्थिति, जो रुप स्वरूप यह प्रदूषण धारण कर चुका है, उसमें केवल कानून से काम चलने वाला नहीं है । आज आवश्यकता इस बात की है कि जन प्रतिनिधि सबसे पहले पहल करें जो नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग हैं, कैसे लोगों में जागृति पैदा हो, इस काम को करें ।

आज हर व्यक्ति केवल अपने घर की सफाई तक सीमित हो गया है और अपने घर का सारा कूड़ा घर के बाहर गली में डाल देता है । इस प्रकार नदियां जो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, उनको गंदा करने कोई आई०एस०आई० का आदमी नहीं आया, बल्कि हमी लोगों ने इनको गंदा किया है । अगर हम लोग वास्तव में समाज का दायित्व संभालने वाले लोग अग्रणी भूमिक अदा करें और समाज में जागृति पैदा करें, तभी यह काम हो सकता है । आज हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के बाद जहां जहां हम लोग आवास, प्रवास करते हैं, इस संकल्प के साथ जायें कि अपनी बस्ती में जितनी भी इस किस्म की गतिविधियां होती हैं, प्लास्टिक आदि हैं, उसको रोकेंगे, इसमें हमारे पत्रकार बन्धु भी आगे आयें, आप भी आगे आयें, तब देखिये, समाज में कैसे जागृति आती है । जब तक समाज में जागृति नहीं होगी, तब तक इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है । केवल चर्चा से काम चलने वाला नहीं है । अब नाऊ और नेवर वाली बात आ गई है । आज गोमुख तक प्रदूषण की स्थिति आ गई है । जहां से शुरुआत है और जहां अन्त है, सब जगह यह पहुंच गया है, इसके लिये आवश्यक है कि समाज का वह वर्ग जिसको दायित्व नेतृत्व सौंपा गया है, चाहे राजनैतिक दायित्व हो, चाहे प्रशासनिक दायित्व हो और चाहे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, सब मिलकर आगे बढ़े और इसमें सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा । नियम 56 के अन्तर्गत इस सूचना को निरस्त कर दें ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि इसके लिए नियम कानून से ज्यादा जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर अभियान चलायें । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के कथन का स्वागत करता हूं, बशर्ते पहले सरकार इस कदम को आगे बढ़ाये, हम सब इसके लिए तैयार हैं लेकिन सरकार पहले संकल्प के रूप में निकल कर जनजागृति का काम करे ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, किस प्रकार हमने लखनऊ में चलाया है, यदि आपके भी प्रयास हैं तो और बल मिलेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं समझता था कि इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार गम्भीर होगी और कोई कार्य योजना बनायेगी लेकिन...

श्री हुकुम सिंह–

जब तक आपके हाथ में चूड़ियां नहीं आयेंगी आप जगेंगे नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी सन्त बन गये और अपना प्रवचन दे दिया । कोई कार्य योजना सरकार द्वारा ही लायी जायेगी, अपोजीशन तो नहीं लायेगा । जो भी फैक्ट्रियां हैं और उनमें जो सुदृढ़ीकरण योजना लागू है वह सरकार द्वारा लगायी गयी है । मान्यवर, यह प्रदूषण मानव द्वारा तो 5 प्रतिशत ही है, कानपुर में जो चमड़ा मिलें हैं और उसके कारण जितना प्रदूषण फैल रहा है उसके लिए तो आपको और आपके पर्यावरण विभाग को ही कुछ करना होगा । आप इस बारे में कोई कार्य योजना नहीं बता रहे हैं । मान्यवर, मेरा एक सवाल है, साधारण सा, मान्यवर, सई नदी है रायबरेली में वहां पर एक इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री और एक शुगर मिल है । आई०टी०आई० भारत सरकार की है और शुगर मिल उत्तर प्रदेश सरकार की है, इन फैक्ट्रियों का सारा प्रदूषण सई नदी में जाता है, वहां का पानी इतना विषैला हो गया है कि जानवर उस पानी को पी-पी कर मर रहे हैं तो क्या मंत्री जी इन फैक्ट्रियों द्वारा जो प्रदूषण फैलाया रहा है उसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठायेंगे ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, विवाद का कोई लाभ निकलने वाला नहीं है । मान्यवर, मैं इस विधान सभा के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि गांव में कभी प्रदूषण नहीं था, आज वहां भी प्रदूषण हो गया है, वहां तालाब खत्म हो रहे हैं, उन पर कब्जा हो रहा है, मेरी अपील है कि हर विधायक अपनी विधायक निधि से तालाबों की खुदाई और पर्यावरण के लिए 2-2 लाख रुपये आज सदन् में देना घोषित कर दे और मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं इस काम के लिए जो इस बार मिलेगा 2 लाख रुपये दूंगा । यदि सभी माननीय सदस्य घोषित कर दें तो एक शुरुआत हो जायेगी ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय प्रमोद कुमार जी ने एक समस्या का जिक्र किया है, यदि वहां सुदृढ़ीकरण का यन्त्र नहीं लगा है, हम सुनिश्चित करेंगे कि वह लगवाया जाए । कुंवर रेवती रमण जी ने अच्छी पहल की है । हम घोषणा करते हैं कि हम अपने क्षेत्र में इसी विधायक निधि से इसके लिए 2 लाख रुपये देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं इसमें एक सुझाव दूंगा जो विधायक निधि 75 लाख रुपये की है उसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपया कर दिया जाये और जो 25 लाख रुपये बढ़े उसको इस काम के लिए दे दिया जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस मत का हूं कि यह सूचना नियम 56 में नहीं आती । अतः मैं इसे निरस्त करता हूं ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयी हैं, उनके नाम हैं श्री कौकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, श्री विजयपाल सिंह एवं डा० धर्मज्ञ मिश्र । विशेष उल्लेख के जरिये दो माननीय सदस्य अपनी बात दो-दो मिनट में रखेंगे ।

*श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, 4732 राजकीय शिक्षक उत्तरांचल में पोस्टेड थे । जब उत्तरांचल सरकार बन गयी तो उन लोगों से विकल्प-पत्र मांगे गये । उन्होंने अपना विकल्प दिया कि वह उत्तरांचल में नहीं रहेंगे और अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में रहेंगे, जो उनका प्रदेश है । उस विकल्प-पत्र को उत्तरांचल सरकार ने स्वीकार कर लिया । उन्होंने यह मान लिया है इनको वापस अपने प्रदेश में भेजा जाये । मान्यवर, आज सरकार अपने आपको संवेदनशील बताती है उन चार हजार लोगों को बेघर कर रखा है । मान्यवर, उन्होंने 30 तारीख को राजघाट दिल्ली में धरना दिया और आज विधान सभा के सामने बैठे हुए हैं । यही नहीं अफसोसजनक बात यह है कि इन लोगों को धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इनको मारकर बाहर निकाला जाये । उत्तरांचल के नेता बयान दे रहे हैं कि इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाये और यहां की सरकार ख़ामोश बैठी है । यह सरकार का फर्ज है और यहां के कानून का भी जब आपने उनसे कहा कि विकल्प-पत्र दे दो, उन्होंने दे दिया, तब वह आपके ही शिक्षक हैं उनको समायोजित करना आपका फर्ज ही नहीं धर्म भी बनता है । वहां उनकी जान का खतरा है, उनके परिवार को जान का खतरा है । मान्यवर, यह बहुत संवेदनशील मसला है । इस पर कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

श्री समरपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत ही लोक महत्व का प्रश्न है । कौकब हमीद जी ने जो बातें कही हैं मैं उसे दोहराना नहीं चाहता । साढ़े चार हजार से ज्यादा शिक्षक उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र के मूल के हैं और उत्तरांचल में कार्यरत हैं । वे यहां के रहने वाले हैं । विकल्प-पत्र में आपशन उत्तर में नौकरी करने का दिया है लेकिन सरकार समायोजित नहीं कर रही है और उत्तरांचल की सरकार तरह-तरह से उत्पीड़ित कर रही है । वहां की आम जनता का यह मानना है कि इन लोगों की वजह से हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है । वहां के राजनेता कह रहे हैं कि विकल्पधारी शिक्षकों को प्रदेश से बाहर खदेड़ा जाये । अगर उत्तर प्रदेश सरकार आज उनको स्वीकार नहीं करती है, तो जो वहां पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है उससे सिर्फ वही लोग नहीं जुड़े हुए हैं, यह उनकी सुरक्षा का सवाल है, उनके परिवार का सवाल है, आज उन्हें वहां तरह-तरह से परेशान किया जा रहा है । आज वहां की सरकार से जब वे अपने उत्पीड़न का मामला उठाते हैं तो उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टियां जारी की जा रही हैं, वहां की सरकार ने, अधिकारियों ने उनका खुलेआम उत्पीड़न शुरू कर दिया है । इस प्रकार आज उनके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है, उनमें असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गयी है, यह उनके भविष्य और उनकी सुरक्षा का सवाल है ।

मान्यवर, आज वहां पर जो 4732 शिक्षक हैं, उनसे जब विकल्प-पत्र भरवाया गया तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में कार्य करने की इच्छा जताई, लेकिन आज उनके विकल्प-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, मान्यवर, वहां की हालत यह है कि वहां जो शिक्षकों को आवास दिये गये थे, वह उनसे जबर्दस्ती खाली कराये जा रहे हैं, उनका सामान वहां से निकालकर फेंका जा रहा है, वहां की सरकार आज उनको अपने वहां रखने के लिए तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, सदन में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गयी थी और उनसे विकल्प-पत्र भरवाये गये, उन्हें यहां की सरकार आर्थिक कारणों या अन्य किसी कारणों से सेवा में लेने के लिए तैयार नहीं और वहां की सरकार उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टियां जारी कर रही है, तो उनके भविष्य पर जो एक प्रश्न चिन्ह लग गया उसकी जिम्मेदारी इस प्रदेश सरकार की है कि उन्हें अपने यहां समायोजित करके उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलवाये ।

मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है और अविलम्बनीय लोक महत्व का मुद्दा है । उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नौकरियों में लिया गया था और आज जब वह अपने प्रदेश में आना चाहते हैं, वह कोई भीख नहीं मांग रहे हैं यह उनका अधिकार है, प्रदेश सरकार उनको अपने यहां समायोजित नहीं कर रही है । मान्यवर, गत 30 अप्रैल को उन्होंने इसके लिए दिल्ली में राजघाट पर धरना दिया था और आज वह यहां विधान सभा के सामने धरना दे रहे हैं । मान्यवर, यह उनके परिवार के सदस्यों और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है और अत्यन्त तात्कालिक प्रश्न है । इसलिए मान्यवर, मैं उनके सम्बन्ध में आपकी पीठ से निर्देश चाहता हूं कि आज इस सदन में यह घोषणा हो जाय कि उनको यहां समायोजित करने की कार्यवाही हो । मान्यवर, यह अत्यन्त लोक महत्व का तात्कालिक अविलम्बनीय प्रश्न है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं ।

*श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह निश्चित सूचना है कि उनको वहां पर जो सरकारी आवास आवंटित हुए हैं उन पर वहां के लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं । श्रीमन् मैं सिर्फ इसकी गम्भीरता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसका उत्तरदायित्व सरकार का है कि वह उनके जीवन की रक्षा करे, उनके परिवार की रक्षा करे । श्रीमन् उन्होंने अपने प्रदेश में आने के लिए जो आदेश दिया है । उनका पूरा परिवार हमारे प्रदेश में है, यह एक गम्भीर स्थिति है इस पर सरकार को निर्देशित करने का काम करें कि जो अपने प्रदेश में आना चाहते हैं उनको यहां बुला लिया जायेगा, इस पर घोषणा आज सदन में सरकार द्वारा की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

माध्यमिक शिक्षा, भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, उत्तरांचल दूसरा राज्य बन गया है । पहले उत्तर प्रदेश का भाग था । राज्य बन जाने के बाद व लॉ एण्ड आर्डर देखने का काम वहां की राग्ज्य सरकार का है । यह आप्शन तब लिए गये थे जब उत्तरांचल उत्तर प्रदेश का भाग था । इस सम्बन्ध में मेहता कमेटी बैठा दी गयी है और रिपोर्ट आ गयी है । यह नीतिगत प्रश्न है और नीति के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि लॉ एण्ड आर्डर कहां की स्थिति है हम नहीं जानते जो गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी, जो विकल्प मांगा गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने विकल्प मांगा और उन्होंने विकल्प दिया तो दायित्व किसका है, उत्तर प्रदेश सरकार का ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सरकार ने विकल्प मांग लिया है । इसलिए विकल्प दिया है, तो यह सरकार बाध्यकारी है उनको समायोजित करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सरकार ने जब एक बार विकल्प मांग लिया तो विकल्प के आधार पर बाध्यकारी है । सरकार उनको समायोजित करे ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया लॉ एण्ड आर्डर वहां की स्टेट का मामला है जिनसे आपने विकल्प ले लिया उनको समायोजित करें । उनकी जान का खतरा है । मा० मंत्री जी यह चाहते हैं कि अगर वहां लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन है तो वह जो समस्या पैदा हुई यह आपके कारण पैदा हुई है । जब उन्होंने आपको विकल्प मांगा और उन्होंने दे दिया तो आप उनको समायोजित करें ।

माध्यमिक शिक्षा, भाषा मंत्री (डा० नैपाल सिंह)–

मान्यवर, जो लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न उठा रहे हैं वहां पर जो स्थिति है उसकी जिम्मेदारी उस राज्य सरकार की है ।

श्री राम प्यारे सिंह–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं लिखा जायेगा । आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं और उस राज्य में वहां के शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं । वहां पर उनके साथ ज्यादती हो रही है ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, विकल्प आपने मांगा था, आप उनको समायोजित करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक अजीब स्थिति है । एक विभागीय मंत्री खड़े हुए हैं बात तो उनको आ जानी चाहिए ।

डा० नैपाल सिंह–

मान्यवर, उनसे आप्शन मांगा गया था । इस आधार पर नहीं मांगा गया था कि सब को बुला लेंगे । यह वित्त से जुड़ा मामला है । जहां पर रिक्तियां नहीं हैं तो उनको समायोजित कैसे करेंगे ? अब वह राज्य अलग बन गया है । अब यह समस्या दोनों राज्यों की है । एक मेहता कमेटी बैठी हुई है । यह नीतिगत प्रश्न बन गया है, सरकार इस पर वार्ता करेगी तभी कोई सेल्यूशन निकल पायेगा ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि रिक्तियां नहीं हैं । यह राज्य सरकार का दायित्व है, मैं कहना चाहता हूं कि उनको समायोजित करें । यह दोनों राज्यों की समस्या नहीं है । यह आपकी समस्या है । वहां के लोगों ने यह मान लिया है कि इनकी वजह से वहां बेरोजगारी फैल रही है । यहां के शिक्षित बेरोजगार आन्दोलन कर रहे हैं । अगर आन्दोलन उग्र हो गया तो इनकी जान को खतरा होगा इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

इसकी अनुमति नहीं है, आप बैठिये ।

श्री समरपाल सिंह–

यह लोग उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, इनके परिवार यहां पर हैं । उनका उत्पीड़न किया जा रहा है । उनको यहां पर समायोजित किया जाना चाहिए, साढ़े 4 हजार शिक्षकों से जुड़ा मामला है ।

श्री कौकब हमीद–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं लिखा जायगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से.....

श्री प्रमोद कुमार–

यह सरकार संवेदनहीन है, यह ज्वलन्त समस्या है । सरकार शिक्षकों को समायोजित नहीं कर रही है, इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री प्रमोद कुमार तथा श्री कौकब हमीद ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधान सभा के तीन सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि :–

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 10 मई, 2001 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त निकाय में कार्य करने के लिए तीन सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर मा० अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त निकाय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।"

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह प्रदेश के नागरिकों से जुड़ा मामला है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं । प्रश्न यह है कि "यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के तीन सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 10 मई, 2001 को स्वीकार किया गया है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए,

---

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त निकाय में कार्य करने के लिए तीन सदस्यों का निर्वाचन करने के स्थान पर मा० अध्यक्ष, विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त निकाय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

यह सरकार नाकारा है यह विपक्ष के लोगों की कोई बात सुनना नहीं चाहती है । हम इस शून्य में आलाप नहीं करना चाहते हैं । सरकार के इस रवैये के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री अम्बिका चौधरी ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–2 आवास विभाग, अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग

*आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 89,36,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

* श्री लालजी टण्डन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,75,03,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मुझे बहुत ज्यादा सहायता मिलती अगर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हमारे सामने बैठते हैं वह यहां उपस्थित होते । मुझे जानकारी प्राप्त करने के लिए, सहभागिता के लिए उनका सहयोग आवश्यक है । गत वित्तीय वर्ष में आवास एवं नगर विकास और नगरीय विकास अभिकरण इनके द्वारा जो कुछ कार्य प्रदेश में किये गये हैं मैं कह सकता हूं कि प्रदेश में पहली बार नगरों की समग्र समस्याओं के ऊपर एक साथ विचार करके उन्हें दूर करने की कोशिश की गयी उसका परिणाम देखना है । नदियों के पर्यावरण के बारे में पहले बातें कही जाती थीं अगर कोई कार्य चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाए तो कोई कार्य ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता है । इसका उदाहरण है कि जो इस नई शताब्दी का प्रयाग में कुम्भ हुआ उसके पहले कहा जाता था कि 32 करोड़ लीटर नालों का पानी जिस गंगा में जा रहा हो उसको स्नान करने के लिए कौन आएगा हमें सन्तोष है कि इसमें सभी का सहयोग है मैं केवल सरकार का ही योगदान नहीं मानता सबका उसमें सहयोग है । सारी दुनिया के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि जिस गंगा के बारे में ऐसी बात कही जाती थी उसमें डेढ़ दो महीने मेले में तीन बार पानी की टेस्टिंग की गयी उसमें स्नान करने योग्य ही नहीं आचमन करने योग्य पानी था । आधे नाले को जिसमें सीवर आदि का पानी था उसको डायवर्ट करके सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट में ट्रीटमेंट के लिए डाला और आधे नाले को जो ऊपर गिरता था उसको बांध बनाकर रोक दिया । क्योंकि इतने कम समय में वह डायवर्ट नहीं किया जा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकता था । आगे यह गंगा एक्शन प्लान में कार्य प्रस्तावित है । परिणाम यह हुआ कि शुद्ध गंगा जल में लोगों को स्नान करने को मिला । मैं समझता हूं कि इस तरह का कार्य साधारणतः दो वर्ष में होना चाहिए था । लेकिन यह दो महीने में हो गया । इसमें एक अधिकारी की उस परिश्रम के दौरान जो जल निगम के महाप्रबन्धक थे उनकी मृत्यु भी हो गयी । इसमें जिस श्रद्धा के साथ लोग आते हैं पूरी श्रद्धा के साथ पूरी दुनिया के लोगों ने स्नान किया अगर सर्वानुमति बन जाए तो ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता है । विश्व के लिए यह आश्चर्य की बात है कई बार लोग बात करते हैं और कुम्भ के विषय को राजनीतिक विषय बना रहे हैं यह कुम्भ पहली बार नहीं शुरू हुआ यह अनादिकाल से होता रहा है सारे विश्व ने पहली बात देखा कि कुम्भ क्या है इन्टनेट के जरिये देखा, इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिये देखा ब्राडकास्टिंग के जरिये देखा साढ़े दस करोड़ लोगों का वहां जमावड़ा लगा भूमण्डल में इसके पहले एक जगह इतने लोग कहीं नहीं एकत्र हुए थे । उनके लिए कहीं आमंत्रण नहीं दिया गया कोई विज्ञापन नहीं निकाला गया एक दिन में साढ़े तीन करोड़ लोगों ने स्नान किया जिसमें यहां जितना लिखा होगा ।

इससे कहीं ज्यादा पश्चिम और दूसरे देशों की मीडिया में जनता ने इसका महत्व समझा । भारत सरकार के पास यह विषयक बधाई के रूप में पत्र आये कि दुनियां के और किसी देश में इस तरह का कार्यक्रम संभव नहीं है । सारी दुनियां ने इसका लोहा माना है । यहां तक कि दुनियां भर के लोग आबाध बन्धन में आयोजन विषयक भारत से सीखने आ रहे हैं । इस बीच एक भी दुर्घटना नहीं हुई एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया । आतंकवादी घटनाओं की बात कही जा रही थी तो मैंने कहा यहां का वातावरण ही कुछ ऐसा है कि लोगों की मनोदशा अपने आप बदल जाती है । लखनऊ में जो आतंकवादी मारे गये वहां कुम्भ में इसी आशय से मौजूद थे लेकिन उस आध्यात्मिक वातावरण में सबका हृदय परिवर्तित हो जाता है । तुलसीदास जी ने कहा है देव दनुज किन्नर नर श्रेणी यह सभी त्रिवेणी में आकर स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं इसलिए यह कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हुआ और यह सरकार कोई इसे राजनीतिक श्रेय नहीं देती है ।

प्रदेश में बिजली की समस्या के रूप में रोज चर्चा करते हैं लेकिन मैं ऊर्जा विभाग की तारीफ करता हूं कि इस डेढ़ महीने में डेढ़ मिनट के लिए भी बिजली नहीं गई । हमने बड़े बड़े जनरेटर्स के इंतजाम कर रखें थे कि यदि बिजली जाती है तो वहां पेयजल का अन्य संकट या भगदड़ न हो लेकिन एक मिनट के लिए भी उनको चलाने की जरूरत नहीं पड़ी । जो यह बड़े शहरों की बढ़ती हुई आबादी विस्फोटक होती जा रही है हमें गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि लखनऊ शहर का इन्फास्ट्रक्चर एक लाख आबादी के लिए बना था लेकिन आज 30 लाख लोगों को सुविधायें देनी है इसके बावजूद हमने एक नया प्रयोग पहली बार किया, सभी विभाग के संसाधनों को एकत्रित करके एक साथ विकास कार्य शुरू किया । हमने 12 कारपोरेशन टाउन का विकास किया जिसमें एक उत्तरांचल में चला गया । एक एक दिन में सौ-सौ डेढ़-डेढ़ सौ शिलापट्टिकाओं का अनावरण होता था एक साथ इतनी योजनाओं की शुरूआत हुई लोग हैरान थे । मुझे आज कहने में खुशी है कि उत्तर प्रदेश के किसी भी महानगर की गिनती देश के हिस्से में नहीं होती थी । लेकिन लखनऊ राजधानी होने के बाद भी विकास नहीं हो पाया तो हमने यह कर दिखाया हमें खुशी है कि चार शहरों का नाम जो दर्ज हुआ है उसमें लखनऊ भी एक हो गया है । यह सारे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है । हैदराबाद बड़ी तरक्की कर गया, यह सब कहा था । हैदराबाद और हम बराबर आ गये फर्क यह हुआ कि हैदराबाद की सड़कों का, नगरीय विकास हजारों करोड़ों रुपये कर्ज लेकर किया गया । शहर खूबसूरत हो गया और वहां की सरकार के सामने समस्या आ गई कि जो कुछ निर्माण किया गया था उसके मेन्टीनेंस के लिये पैसा नहीं । कर्ज को अदा करने के लिये पैसा नहीं । सरकार की आर्थिक व्यवस्था और गड़बड़ाती जा रही है । यहां पर हमने कोई कर्ज नहीं लिया । कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं थे । जो विभाग उसमें काम करते थे उनके जो संसाधन थे सबको एक साथ जोड़ दिया । सबकी मोनीटरिंग हमने अपने अधिकारियों और राज्य मंत्री के

साथ की । उसका परिणाम यह रहा कि 11 शहरों की शक्ल बदल गई । जो शहरी आबादी का मेजर शेयर है, बहुतांश उसका विकास हुआ है । अगर मैं कुछ उपलब्धियों के बारे में बताऊं तो आपको पता चलेगा कि इस कुम्भ से सारे देश में उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा है, इसको बिल्कुल राजनीतिक नहीं लेना चाहिए । मैंने तो जो वहां की स्थिति थी, देश के जितने भी अतिविशिष्ट व्यक्ति थे सबसे प्रार्थना की थी, रिक्वेस्ट की थी कि आप कुम्भ के दिनों में तो चूंकि वहां पर बहुत भीड़ होती है, उस समय स्नान करने न आयें और बाकी दिन आयें, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे क्योंकि उस समय अतिविशिष्ट व्यक्ति आने के कारण सारी व्यवस्था में व्यवधान होता है । जहां पर करोड़ों की संख्या में जनता आती है तो थोड़ा बहुत व्यवधान हो जाता है ऐसे समय में । जब हमको पता चला कि सोनिया जी वहां आयेंगी और स्नान करेंगी तो हमने उनसे भी कहा था कि आप विपक्ष की नेता हैं, आपसे भी हमें अपेक्षा है कि हमारा सहयोग करें । सोनिया जी का आग्रह हुआ कि वे स्नान करेंगी वहां पर तो उनके लिये व्यवस्था की गई । उसी दिन, चौधरी साहब आपके लिये खास तौर से कह रहा हूं श्री मुलायम सिंह यादव जी भी मौजूद थे लेकिन वे कुम्भ क्षेत्र में नहीं गये । उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने न जाकर कितना बड़ा सहयोग किया है । मैंने कहा कि आप राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर सकते थे । यह हमारी सांस्कृतिक विरासतें हैं, हम सबका दायित्व है । यह हमारी उपलब्धि है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का नाम आगे बढ़ सका है विश्व में हम आगे आ सके हैं अन्यथा जो छवि बन रही थी सारी दुनिया में, उसको नहीं मिटा पाते । इसीलिये इस तरह से हमने इसको लागू किया ।

आज प्रदेश पानी की समस्या से जूझ रहा है । हर स्तर पर उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं । 27 शहर छांटे हैं जहां पर पानी का अभाव है, वहां पर 20 करोड़ रुपये भेजे जायेंगे ताकि सारा काम युद्धस्तर पर शुरू हो जाय । हैण्ड पम्प रिबोर होने हैं तो रिबोर किये जायं, कहीं पर हैण्ड पम्प की मरम्मत होनी है, तो मरम्मत की जाय । जहां पर हैण्ड पम्प लगाने की आवश्यकता है, वहां पर नये लगाये जायं । कई अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिये कहा है । कुछ पिछली अधूरी योजनाओं को पूरा किया गया है लेकिन कुछ अभी भी बाकी पड़ी हैं । कई जगह पर इस तरह की दिक्कत आ रही है । मैं सदन के सामने आश्वासन देना चाहता हूं कि सदन के उपवेशन समाप्त होने के बाद उन व्यक्तियों के ऊपर कठोर कार्यवाही की जायेगी कि जहां पर पानी होते हुए पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है । जो जिम्मेदार होंगे मैं इस पवित्र सदन के सामने कहता हूं कि उनको बक्शा नहीं जायेगा । अगर पानी नहीं है तो वे क्षम्य हैं लेकिन होते हुए जो नहीं कर रहा है उसको बख्शा नहीं जायेगा वे सजा पाने के लिये तैयार रहें । उत्तर प्रदेश सरकार से गारन्टी लेकर जो ऋण लेता है यह आवास विभाग चाहे विकास प्राधिकरण हो या आवास विकास परिषद् हो, समय से पैसा अदा नहीं कर पाते थे । परिणाम यह होता था वह सारा पैसा राज्य का कहीं से मिलने वाली सहायता में कट जाता था ।

पहली बार निर्णय लिया गया, आपकी इतनी सम्पत्ति है, इतना पैसा है तो यह जिम्मेदारी भी प्राधिकरण आवास विकास परिषद् की है कि जो ऋण लीजियें उसको अपने पैसे से अदा करिए, यह निर्णय सरकार ने लिया है । दो तीन अथारिटीज रह गई हैं बाकी सभी रेगुलर अदा कर रहे हैं अपनी सम्पत्ति पर पैसा ले रहे हैं जो अदा करना है वह अदा हो रहा है । राज्य सरकार का पैसा और कामों में लगाया जाएगा, यह जो बोझ पड़ता था वह अब नहीं पड़ेगा । स्थिति सुधर रही है कोई टैक्स भी नहीं बढ़ाया गया है, मैं कह सकता हूं कि स्थानीय निकाय किस तरह से टैक्स बढ़ाने में सहयोग नही कर रहे हैं वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है बिना टैक्स बढ़ाये जल संस्थान की जो आमदनी है वह पिछले सालों के मुकाबले 30 प्रतिशत तक बढ़ी है 25 प्रतिशत कारपोरेशन की आमदनी बढ़ गई । कोई टैक्स नहीं लगाया गया है कठोरता की गई ताकि जो अवैध कनेक्शन हैं उनको वैध किया गया । इससे जल संस्थानों की स्थिति ठीक हुई है । सख्ती के साथ पैसा वसूला गया है आज स्थिति यह है कि 25

प्रतिशत निकायों की और 30 प्रतिशत जल संस्थानों की आमदनी बढ़ गई है । जो पहले कर्मचारियों को वेतन नही दे पाते थे आज वे कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में आ गए हैं ।

श्रीमन् अभी तक विकास की कल्पना शहरों और शहरों में मुख्य बाजार की होती थी पहली बार सुनियोजित ढंग से अन्तिम व्यक्ति जो मलिन बस्तियों में रहते हैं उसको सुविधा नहीं मिलती थी, हमने जाति से ऊपर उठकर गरीब चाहे किसी जाति का हो जाति के आधार से हटकर जो मलिन बस्तियों में है जिनके सिर पर छत नहीं है उन बस्तियों का हमने विकास किया है । आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे विकास हो रहा है । मैं सुझाव चाहता हूं । अभी कुछ योजनायें हमने शुरू की हैं इसमें सहयोग चाहिए । आजादी के बाद से अब हम एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं जो सर पर मैला ढोने की प्रथा है उसको बन्द किया जाए । यह प्रथा कैसे बन्द हो इसके लिए जब तक शौचालय फ्लश के नहीं बनेंगे तब तक यह बन्द नहीं हो पायेगा भारत सरकार ने कानून बनाया है उसी के आधार पर हम कानून बनाने जा रहे हैं सबको फ्लश लैट्रीन बनवानी होगी जो सक्षम हैं और जो नहीं सक्षम हैं दोनों को शौचालय बनवाने होंगे जो सक्षम हैं वह तो बनवा ही लेंगे उनसे कहा जाएगा, लेकिन जो सक्षम नहीं है उनको सरकार मदद करेगी हम सीवर लाइन पडवा रहे हैं । हमने एक प्रस्ताव भारत सरकार को दिया है उसको भारत सरकार ने मान लिया है । भारत सरकार की जो नीतियां हैं उसमें राज्य सरकार प्राविधान नहीं कर सकती है लेकिन हमने जो प्रस्ताव किया उसको भारत सरकार ने मान लिया है । उन्होंने हमारी प्रशंसा भी की है और दो पुरस्कार भी मिले हैं । लखनऊ भारत के जो चार राज्य चुने गए हैं उसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लिया गया है और सूडा को मा० केन्द्रीय मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है । हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं इसमें जो नये तरीके ईजाद किए हैं सब्सिडी दी जाती है सीवर लाइन के लिए । वायोगैस डायजेस्टर बनाया जाएगा लाभार्थी को खर्चा करना है । सारे शौचालय फ्लश के होंगे इस समय प्रदेश के लगभग 20 जनपद अछूते हैं और भारत सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि जितने भी शामिल कर सकते हों वहां करो और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के हर जनपद में इससे मुक्ति मिले । उनके लिए योजनाएं हो रही हैं कि उन्हें वैकल्पिक रोजगार दिलाया जाय । तो इस तरह से आवास तथा नगर विकास का गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है कि कीर्तिमान स्थापित हो । पहले तो स्वच्छकार विमुक्ति का कानून है । पहली बार कोई राज्य इसे अपनाने जा रहा है । दूसरा जो पेयजल का संकट है तो हमने आज प्राकृतिक संसाधनों का भी इस्तेमाल किया है । कई नये प्रयोग किये गये हैं । यह एक ऐतिहासिक शहर है और यहां अवध क्षेत्र में तीन चार सौ पुराने कुएं थे जिन्हें पाटकर लोगों ने कब्जा कर रखा था । उन्हें खाली कराया और खाली कराने के पश्चात् जो पानी का दोहन करना शुरू किया तो इससे एक ट्यूबवेल से ज्यादा पानी मिलता है । पम्पिंग सेट लगाकर पाइप सप्लाई दे रहे हैं । जहां पर 25 साल से एक बूंद पानी नहीं जाता था वहां पर पानी जा रहा है । तो इस तरह से 60 कुएं विकसित कराकर जो पुराना शहर है, जहां गरीब लोग रहते हैं कुछ अमीर भी हैं अगर एक कुआं भी मिल गया तो यह उनके लिए वरदान हो जायेगा । अमृत धारा के नाम से मैं समझता हूं कि जो पुराना प्रयोग है अगर यह सफल हो गया है तो आप हैण्ड पम्प की बात करते हैं अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । इसमें मिनी ट्यूबवेल की स्थापना की गयी है । इसमें टंकी में पानी सप्लाई करके भरी जाती है । एक टंकी में 6 हैण्डपम्प का पानी आता है । तो इस तरह से अगर 6 टंकी भरी गयी तो उसमें 36 हैण्डपम्प का पानी आ जायेगा और इसकी लागत भी कम है । इसमें एक हैण्ड पम्प में जितनी लागत आती है उतनी ही इस प्रोजेक्ट में आयी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपने इतनी अच्छी स्कीम बनायी और उसका नाम भी अमृत धारा रखा । लेकिन एक बार भी आपकी बैन्च से इसका समर्थन किसी ने नहीं किया ।

श्री लालजी टण्डन–

हमें तो आपका सहयोग चाहिए । हम लोगों ने बड़े-बड़े ठोस कदम उठाये हैं लेकिन आपका कभी असहयोग मिला ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं है । हमने आपसे मलिन बस्तियों के नाम भी मांगे थे अगर आप उनका सहयोग करना चाहते हैं, उनका उद्धार करना चाहते हैं तो अपने यहां उन मलिन बस्तियों का नाम दीजिये । मेरे पास 15 बस्तियों के नाम आये हैं । अगर आप लोग रुचि लें तो बड़े विकास का काम हो सकता है । आज समाज के अन्तिम व्यक्तियों के लिए जो काम हो रहा है वह कल्पना में नहीं हो सकता था । मान्यवर, उसमें 500 रुपये दिया जायेगा फैमिली प्लानिंग योजना के अन्तर्गत । दो बच्चियां पैदा हों तो दोनों बच्चियों को 5-5 सौ रुपये दे देंगे हमनें उसमें सुधार किया है हम 25,000 रुपये का बीमा करवायेंगे जिसमें 95 रुपये का प्रीमियम एक बार देना होगा मां बाप उस बच्ची का कोई मर जाये तो 25,000 मिल जायेगा, बीमा तब भी जारी रहेगा । लड़की पढ़ने लायक है मां बाप दोनों नहीं है उससे पढ़ाई का खर्च निकल आयेगा इसी तरह से शादी के लायक है तो बस्ती में कल्याण मण्डप बनाये हैं उस कल्याण मण्डप में आप देखें उसमें सारी सुविधायें दी गयी हैं जो एक आम आदमी को विवाह के समय चाहिए होती है उसमें बरात के समय उसके कुछ मेहमान और कुछ बराती आते हैं उसमें ठहरने की जगह बनायी है । मान्यवर, जितने सामुदायिक केन्द्र बने हैं उसमें सौ व्यक्तियों के ठहरने की सोने की एक-दो दिन रहने के लिए भोजन बनाने के लिए और खाने के लिए जिन बर्तनों की आवश्यकता होती है वे उपलब्ध है, पेट्रोमैक्स है । ईंधन के लिए गैस सिलेण्डर और चूल्हा है वह निःशुल्क उपलब्ध होगा । आप जायें देखें ।

इसी तरीके से हमने उसमें बुक बैंक योजना को शुरू किया है जिसमें जो विद्यालयीय शिक्षा के बच्चे हैं जिसमें देश का इतिहास दुनिया की जानकारी, महापुरुषों की जानकारी इस तरह की पुस्तकों की उपलब्धता पर ध्यान दिया जायेगा जो वह बच्चे वहीं पढ़ेंगे तो इस तरीके से एक क्रान्ति हो रही है और यह सारे कार्यक्रम बस्ती की महिलाओं द्वारा कराये जा रहे हैं । मान्यवर, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं अनुसूचित जाति के लोगों को मकान देने की बात थी शहर में भी हम इस पर महर्षि बाल्मीकि योजना के अन्तर्गत जो योजना है उसमें 50 फीसदी से अधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं इसमें समग्र विकास वहां इस योजना के अन्तर्गत होगा, अनुमानतः एक करोड़ रुपये उस बस्ती के ऊपर खर्च किया जा सकता है । सारे देश में पहली बार यह योजना लागू हो रही है जिसकी मैं सदन के अन्दर घोषणा कर रहा हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज कितने लोगों को 5 रुपये, 10 रुपये में मकान मिल रहे हैं मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप इन बस्तियों में जाकर देखें जिन लोगों को 50 सालों में एक छत उपलब्ध नहीं थी आज उनके लिए मकान उपलब्ध है हम आज शहरों में कितनी योजनायें लागू करने जा रहे हैं आप ऊब जायेंगे अगर सब बता देंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

बोर तो आपकी तरफ वाले हो रहे हैं ।

श्री लालजी टण्डन–

वह थक जाते हैं आपसे लड़ते-लड़ते । मान्यवर, अभी पर्यावरण और नदी प्रदूषण के बारें में बहुत अच्छे विचार आये । कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने, प्रमोद कुमार जी और डा० अशोक बाजपेयी जी ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं मान्यवर, कल अगर हमको जीवित रहना है तो आने वाली जनरेशन को तमाम कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ेगा, हमें इस बारे में आम राय बनानी होगी । सबको मिलकर आन्दोलन चलाना होगा । हमने गोमती को साफ करने का अभियान चलाया जगदम्बिका पाल जी यहां नहीं हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो उसमें वह शामिल हुए एक दूसरे सदस्य भी शामिल हुए थे उन्होंने उस कार्यक्रम को राजनीतिक नहीं माना मैंने उस कार्यक्रम को मंत्री या विधायक के रूप में नहीं शहर के

एक नागरिक के रूप में इस कार्यक्रम को लिया । आज 20 लाख लोग उसके पानी को पीते हैं । आज उसकी स्थिति यह हो गयी थी कि उसका प्रवाह समाप्त हो गया था, जलजीव पर गये थे, दुर्गन्ध से खड़े नहीं हो सकते थे । मैं लखनऊ की जनता का नमन करता हूं कि उन्होंने मानव हाथों से जितनी सफाई हो सकती थी, वह अभियान चलाकर समय-समय पर नदी की सफाई करा दी । लेकिन 20 लाख लोगों का मल मूत्र, गन्दे नाले अभी भी उसमें गिर रहे हैं मुझे आश्चर्य होता है । उसके लिए भी मैंने संघर्ष करके भारत सरकार से 278 करोड़ की योजना स्वीकार कराई है जिसमें वह नाले, सीवर जो उसमें गिर रहे हैं वह शुद्ध करके जल नदी में डाला जाये और नदी बिल्कुल पवित्र हो जाये । उसकी शुरूवात हो गयी लेकिन कुछ लोग उसमें भी राजनीति दिखाने लगते हैं तो मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट होता है । लेकिन यह जरूरी है कि हम 20 लाख लोगों की जिन्दगी के साथ इन्साफ करें, यह 2–4 भूमि चोरों के साथ जो जमीन कब्जा करके उसको बेचना और सरकार के ऊपर हर बोझ डाल देना यह उनका काम है, आज उनसे हमें कोई हमदर्दी नहीं है । वह कितने ही नारे लगाये, आन्दोलन करें ।

मान्यवर, आज 20 लाख की आबादी में एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट नहीं है, आज हम पहली बार बनवाने जा रहे हैं, एक छोटा सा है, जिसमें आपके गांधी भवन से गऊघाट तक जितने पम्पिंग स्टेशन हैं वहां के नाले का पानी डाइवर्जन करके शुद्ध करके नदी में डाला जायेगा ताकि नदी में पानी शुद्ध हो और बीमारी का खतरा खत्म हो जाय । आगे जाकर हम शहर के बाहर एक बड़ा ट्रीटमेंट प्लान्ट बनवाने जा रहे हैं तो उसमें पानी चला जायेगा तो गोमती शुद्ध हो जायेगी । आज हमारे पास पैसे की कमी नहीं है । कानपुर में गंगा बैराज बन रहा है एक नया वाटर बैराज बन गया उसमें केन्द्र का 50 प्रतिशत धन और 50 प्रतिशत राज्य सरकार का है । आज गोकुल बैराज बनकर तैयार हो गया है । मथुरा में आज मथुरा से लेकर आगरा तक शुद्ध पेयजल का स्रोत पैदा हो गया है और आप देखेंगे कि वहां के लोगों को इसका लाभ मिलेगा । इसी तरह से बुन्देलखण्ड जहां पेयजल के लिए हमेशा शुद्ध होता था, कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते थे कि वहां पर चाहे कितना ही सम्पन्न घराना हो लड़की पानी खींचते-खींचते मर जायेगी, हम नहीं भेजेंगे । आज वहां योजना शुरू कर दी है । बुन्देलखण्ड का कोई स्थान नहीं है जहां योजना न शुरू हो रही हो । यह इतिहास में पहली बार है । झांसी के बारे में कह सकता हूं कि अब यहां रहने वाली 30 हजार की आबादी के लिए जितना पानी आवश्यक है उतना इस समय झांसी के पास पानी है । डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का विस्तार करना है वह हो रहा है हम कर रहे हैं । ज्यों-ज्यों संसाधन मिलते जा रहे हैं, काम होता जा रहा है । बीच में कुछ विलम्ब हो सकता है लेकिन वह फिर शुरू हो जायेगा । संसाधनों की बात जहां तक है मैं यह विश्वास नहीं करता हूं अगर काम करने की इच्छा शक्ति है तो संसाधन कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है लेकिन वह संसाधन मुहैया कराये जा सकते हैं । हमने राज्य वित्त आयोग से जो धन मिलता था वह सब स्थानीय निकायों में उनके क्षेत्र को पापुलेशन के अनुपात में सीधा वितरण होकर चला जाता है अब उसके अतिरिक्त भी हम कुछ संसाधन जोड़ रहे हैं, 10 प्रतिशत रोक कर हुडकों से, वह 10 प्रतिशत पूरे साल में यूज नहीं होता है उस पैसे को लेकर हमें 300 करोड़ रूपये उनसे ऋण प्राप्त हुआ है और वह 300 करोड़ रुपये और 140 करोड़ रुपये अतिरिक्त, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा संसाधन दे दिये और करीब-करीब 250 करोड़ रुपये जो हमने नगरीय अवस्थापना विकास निधि से अलग से एकत्र किये हुए हैं तो हमारे पास जितना पैसा है उन सबको दिया है और उतना ही पैसा और उन संस्थाओं के लिए आ रहा है ।

जिसको हम पेयजल के लिये, जल निकासी के लिये, शहरों में जहां विकास की कमी है, उसके लिये खर्च करेंगे । आज जो हम यहां घोषणायें कर रहे हैं, उसमें कोई अपना-पराया नहीं है । हर विधायक का अधिकार है । आप हमें सुझाव दें, हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे । चूंकि अभी आप लोग अपने

विचार रखेंगे और विचार सुनने के बाद मुझे उत्तर देना होगा, इसलिये मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर, विगत वर्ष कटौती का प्रस्ताव दो माननीय सदस्य लाये थे । यहां पर जो घोषणायें की गई, चाहे वह पानी के संबंध में हों, या बस्तियों में रहने वाले लोगों के संबंध में, यह सभी महत्वपूर्ण योजनायें गरीबों से संबंधित हैं । पिछली बार एक कटौती प्रस्ताव श्री सुरेन्द्र अवस्थी तथा दूसरा श्री अम्बरीष कुमार लाये थे, दोनों ही चले गये, इसलिये आज जरा सोच-समझ कर ही कोई कटौती प्रस्ताव लाये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, क्या दोनों बजट प्रस्ताव एक साथ रखे गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

जी हां, दोनों एक साथ रखे गये हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

लेकिन कटौती तो अलग-अलग ही रखेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

पिछली बार जिसनें रखी थी, वह तो चले गये लेकिन इस बार जिसने बजट रखा है, मैंने कुंडली ज्योतिषी से दिखवाई है, वह उधर से इधर आ जायेंगे ।

* डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान तीन चीजें आती हैं । मकान का संबंध आवास विभाग से है । मान्यवर, शहरों में तीन भागों में बटी ऐसी आबादी है जो आवास की समस्या से जूझ रही है । पहला वर्ग रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर, निर्धनतम् जो बहुत गरीब हैं, ऐसे लोगों का है जो शहरों में नालियों के किनारे, नालों के और नदियों के किनारे, बेकार पड़ी सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, आवास उनकी बहुत बृहद समस्या है । दूसरा वर्ग उन मध्यम वर्ग के लोगों का है जो शहरों में किराये के मकानों में रह रहे हैं और जिनका कोई निजी मकान नहीं है । तीसरा वर्ग वह है जो अफसर वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, अच्छा व्यवसायी वर्ग है, चाहे वह दूसरे स्रोतों से अच्छी आमदनी करता हो, फिर भी उनके पास आवास नहीं है, उनका है । इन तीनों प्रकार के आवास विहीन लोगों के लिये आवास समस्या का समाधान करना इस विभाग का कर्तव्य है । मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिये जो समस्या के निराकरण के लिये काम किया जा रहा है, वह बहुत ही न्यून है । शहरों की 3 करोड़ आबादी में से 30–40 प्रतिशत लोग निर्धनतम् लोग हैं जिनके लिए आश्रय योजना है और इसके अन्तर्गत 5, 10 या 15 रुपये में उन्हें रोज की इन दरों पर मकान उपलब्ध कराये जा रहे हैं ऐसे लोगों में केवल 5 प्रतिशत लोगों को ही मकान उपलब्ध कराये गये हैं और इनमें भी कुछ लोगों ने दूसरों का हक हथिया लिया है । बड़े-बड़े लोगों ने अपने नौकरों के नाम पर, नौकरानियों के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नाम पर कई-कई मकान ले लिए हैं । केवल 5 प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को ही मकान मिल पाए हैं तो ऐसी स्थिति में 50 सालों में भी ये भवनहीन लोग भवन में नहीं आ पायेंगे और जो 60–70 प्रतिशत बचते हैं उनके लिए कोई ठीक योजना ही नहीं बनी है । उनके लिए कोई समीक्षा नहीं की गयी है, उनके लिए कोई उपाय नहीं सोचा गया है । ऐसे लोगों को भवन बनाकर देने की योजना सरकार की है लेकिन उसके लिए भिन्न-भिन्न तरह की योजनाएं बना दी हैं जैसे आवास विकास परिषद, 22 विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आवास बन्धु, आदि अनेक एजेंसियां काम कर रही हैं, ये सब अलग-अलग नामों से काम कर रही हैं और ये जनता को भ्रमित कर रही हैं । इतनी सारी एजेंसियों का औचित्य क्या है ? क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ऐसी सारी एजेंसियों को तोड़कर एक संस्था जैसे आवास विकास परिषद् बनाये जिससे पैसे की भी बचत होगी और अच्छा काम भी होगा । इसके लिए केवल एक संस्था की आवश्यकता है । मान्यवर, लगातार शहरी आबादी बढ़ रही है, सुरसा के मुंह की तरह बढ़ रही है इसका मुख्य कारण अशिक्षा है, शिक्षा के लिए स्कूल न होना और मनोरंजन के लिए कोई दूसरे उपाय न होना इसका बहुत बड़ा कारण है तो मान्यवर, अगर ऐसी समस्याएं बनी रहेंगी तो यह अन्तावरण होता ही रहेगा तो मान्यवर, देहातों पर भी ध्यान देकर कुछ ठोस योजनाएं बनायी जायें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप नगर विकास पर बोल रहे हैं, देहात से क्या सम्बन्ध हैं ?

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, शहर में आवास की समस्या पैदा हो गई हैं । एक समस्या और है वह है अतिक्रमण की । हमने देखा है कि शहरों के अन्दर बीचों-बीच सड़क में पूजास्थल बना लेते हैं, चाहे वह किसी धर्म के हों, मैं उसमें नहीं जाता । पूजा स्थल के चारों तरफ छप्पर डाल कर छोटा आवास बना लेते हैं उसके बाद उसको पक्का कर लेते हैं । इसी तरह से सड़क के किनारे पहले खोखा लगाते हैं फिर उसे पक्की दुकान बना लेते हैं । सड़क के किनारे जिन लोगों के मकान हैं वह आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित किया जाना चाहिए, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए । अतिक्रमण को बढ़ाने में नगर निगम/नगरपालिका के कर्मचारी/अधिकारी, कुछ नेतागण तथा कुछ सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं जब तक उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी विकास कैसे सम्भव होगा ? अतिक्रमण का हटना नितान्त आवश्यक है ।

शताब्दी वर्ष का जिक्र किताब में किया गया है, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में उसका जिक्र नहीं किया । उसमें कहा गया है कि पहला वर्ष, विकास वर्ष के रूप में मनाया जायेगा । यह पहला वर्ष है । यह मनाया जायेगा । माननीय मंत्री जी, जो भू-माफिया हैं जब तक उनके विरुद्ध अभियान नहीं चलाया जायेगा, माफिया लोग उनकी जमीनें हड़पते चले जायेंगे तो विकास कैसे होगा ? माननीय मंत्री जी के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो भू–माफिया तंत्र के रक्षक हैं और इस कार्य में संलग्न भी हैं । माननीय मंत्री जी कितनी भी कोशिश करें उनसे छुटकारा नहीं पा सकते अगर उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे तो समर्थन वापस ले लेंगे, इसलिए आप इससे भी छुटकारा नहीं पा सकते । इसलिए पहला वर्ष जिसको विकास वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है पूरा होने वाला नहीं है । आपने कहा है कि इस वर्ष सम्पत्ति कर में कुछ छूट देंगे जिससे विकास होगा । मेरे जनपद लखीमपुर में रजिस्ट्रेशन फीस इतनी बढ़ा दी गयी है कि लोग प्लाट खरीद लेते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने की हिम्मत नहीं होती । नतीजा यह हो रहा है कि भिन्न-भिन्न तरीकों से जमीन खरीदकर बिना रजिस्ट्रेशन के काम चला रहे हैं । मान्यवर, एक कहावत है– कथनी मीठी खाड़ सी, करनी विष की लोय । जो आप सम्पत्ति कर कम करेंगे कृपया मेरे लखीमपुर को दिखवा लें वह लखनऊ से ज्यादा रेट पर है । यह बहुत आवश्यक है । वास्तव में तरक्की चाहते हैं, विकास चाहते हैं तो इसको अवश्य दिखवा लें । माननीय मंत्री जी ने "ब्लू प्रिन्ट" तैयार करने

की बात कही है जिसके अन्तर्गत न्यूनतम निवेश के साथ अधिकतम लोगों को सहूलियत मिले, योजना कैसे बनेगी, इसका कोई पता ही नहीं है ? माननीय मंत्री जी ने एक बात और कही है ? लैण्ड बेल्ट तैयार करेंगे । वह बने कैसे, अतिक्रमण हटाकर आपके लोग अतिक्रमण हटाने कहां देंगे ? माननीय मंत्री जी ने 2001 की नीतियों के अन्तर्गत तमाम बातें कही हैं ? मान्यवर, नगर की जनसंख्या को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए बहुत आवश्यक है कि हवाई महल न खड़ाकरें, धरातल पर आयें । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो लोकप्रिय सरकार की बात कही है तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि लोकप्रिय सरकार का सबसे पहला फर्ज होता है कि वह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे । तो मैं कहना चाहूंगा कि इन्हें सबसे पहले शुद्ध पेयजल और निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए । लेकिन आपकी सरकार में बड़े–बड़े नगरों में शहरों में कहीं भी एक हैण्ड पाईप इण्डिया मार्का नहीं लगवाया गया और इसकी कोई योजना आपके पास नहीं है और पहले वाले सभी हैण्डपाईप खराब पडे हैं, टंकियों में पानी है नहीं सभी टंकिया सूखी पड़ी हैं । मेरे जनपद में लखीमपुर में सिर्फ 13 में से 4 कार्यरत हैं । मान्यवर, सड़कें टूटी है, नालियों की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है जो पाईपलाइन हैं उनका पानी प्रदूषित हो गया है, वह पानी संक्रमित हो गया है इससे तरह–तरह की बीमारियां फैल रही है, लोग यकृत रोग, उदरविकार से ग्रसित हो रहे हैं , हेपेटाइटिस-बी और मलेरिया फैल रहा है, तो सबसे पहले तो सरकार को शुद्ध पेयजल की निःशुल्क सप्लाई करनी चाहिए । लेकिन ऐसी कोई योजना आपने नहीं बनाई है, और कहते हैं विकास करेंगे ।

मान्यवर, यह भी सरकार का फर्ज है कि वह आवास विकास करे, जब तक नगरों में आवासों का विकास नहीं होगा तो नगर विकास कैसे होगा । मान्यवर, आवास विकास कालोनियां बनाकर तैयार कर दी गई, लेकिन उनमें सड़कें टूटी हुई हैं, नालियों की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश व्यवस्था नहीं है तो जब आप उनको नगरपालिका को स्थानान्तरित करते हैं तो वह लेने के लिए तैयार नहीं होते जब उनमें व्यवस्थायें नहीं है तो वे उसे लेने को कैसे तैयार होंगे । इसी तरह आपकी कालोनियां आज न तो नगर पंचायत और न ही नगर परिषदें लेने को तैयार है । आज बहुत से लोगों को निजी कालोनियां बन रही हैं, आप उनसे डेवलपमेंट चार्ज लें । लेकिन उन्होंने नाली पानी प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं की और पैसा कमा रहे हैं, उन्हें ठीक कराने का आपका ही फर्ज है । अगर आप ऐसा करो तो लोगों का भला होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप संक्षेप करें ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, इसी के साथ–साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि आपकी तमाम सरकारी विभागीय कालोनियां हैं, उनकी भी हालत यही है, सड़कें टूटी हुई, नालियों की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश व्यवस्था नहीं है क्या आपने इसके लिए कोई योजना बनाई है । नहीं बनाई तो जब तक आप इनकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो विकास कैसे होगा ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कुम्भ मेले में बहुत उपलब्धि पायी है और कुम्भ मेला और लखनऊ की बात कही है । क्या इसके अलावा क्या पूरे प्रदेश में किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं है । पूर्वांचल पश्चिमांचल, मध्यांचल है उनको भी विकास की जरूरत है । इनका भी विकास करने की जिम्मेदारी है । आपने कहा है कि कुष्ठ रोगी गंगा स्नान करने गये और वहां गंगा स्नान करने के उपरान्त कुष्ठ रोगी ठीक हो गये । यह बहुत अंध विश्वास की बात है । कुष्ठ रोग होता है बेसिलस लेपरा नाम के कीटाणु से जब वह शरीर में घुस जाता है तब यह रोग पैदा होता है और बिना दवाई के यह रोग दूर नहीं हो पाता । मा० मंत्री जी ने कहा कि कुष्ठ रोगियों ने दवाई नहीं लिया और रोग दूर हो गया । यह अंधविश्वास की बात है अगर यह बात सच होती तो पूरे विश्व के कुष्ठ रोगी

यहां आते और यहां आकर नहा लेते और उनका रोग दूर हो जाता और पूरे हिन्दुस्तान में कुष्ठ रोगियों की एक भी संख्या न होती ।

मान्यवर, आपने कहा कि लखनऊ कि आबादी 3 लाख से 30 लाख हो गयी तो 3 लाख थे और अब 35 लाख हो गये हैं । तो आपने इसके लिए योजनाएं बनाकर इस आबादी के लिए सुख–सुविधाएं जैसे–स्ट्रीट लाइट सड़कें आवास सुविधाएं उपलब्ध कराना आपका फर्ज है ! आपने अमृतधारा योजना के अन्तर्गत जल सप्लाई की बात की । इस योजना में आप 100 फीसदी फेल हो जायेंगे और कुछ ही दिनों में आपकी अमतृधारा बोजना फेल हो जायेगी । आपने कहा हम कुएं से पानी निकालने की योजना बना रहे हैं । कुएं से पानी छनकर आता है । कंकड़ बालू से पानी छनकर ऊपर आता है और 200 फीट पर जाके पानी मिलता है । वह साफ होता है । आपने जो कुएं से पानी देने की बात कही है उसमें भी आप 100 फीसदी फ्लाप हो जायेंगे । आपने पूरा भाषण एक सीमित दायरे में रखा और कुछ क्षेत्रों की बात कही है । क्या आप किसी क्षेत्र विशेष के मंत्री है, आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं । नदियों की सफाई, नालों की सफाई, शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी है ।

(लालबत्ती होने पर)

मान्यवर, लालबत्ती आपकी जल गयी है मैं तो इसका भी हकदार नहीं हूं । लाल क्या मैं नीली बत्ती का भी हकदार नहीं हूं । आप इसको बुझा दें । मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल दे रहा हूं ।

* श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, इस अतिमहत्वपूर्ण विभाग पर कुछ कहूं इससे पहले मैं आपके माध्यम से राज्यमंत्री महाना जी और सरकार की चिन्ता दूर करना चाहता हूं कि माननीय पुत्तू जी आपके बरगलाने से गये और माननीय अम्बरीष जी जब इस प्रदेश का बंटवारा कर दिया गया तो उसके कारण सदन से गये । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश की करोड़ों जनता कह रही है कि आने वाले समय में जहां पर आप बैठे हैं वहां हम सब होंगे यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं । मान्यवर, स्वायत्तशासी संस्थायें प्रजातंत्र की प्राथमिक पाठशालायें हैं और उनके माध्यम से यह गौरवशाली इतिहास रहा है कि पंडित मोती लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत इन्हीं संस्थाओं से की थी । मैं भी सौभाग्यशाली हूं कि स्वायत्तशासी संस्था के माध्यम से मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत की थी और आज सदन के सदस्य के रूप में हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल श्री एस०के० सिन्हा ने कहा था कि स्वायत्तशासी संस्थायें वह भावी संसद हैं जो विधान सभा सदस्यों के लिये प्राथमिक प्रशिक्षण का केन्द्र बिन्दु बनती हैं । मान्यवर, इब्राहिम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा था कि स्वायत्तशासी संस्थायें नागरिकों के द्वारा नागरिकों के लिये हैं । इसी प्रकार से जो उनकी महत्ता है वह प्राचीन काल से चली आ रही है । महाभारत और रामायण हो या वर्तमान सरकार का काल हो उनकी उपयोगिता बरकरार है । राम के नाम पर इस प्रदेश पर आपने कब्जा किया है तो उसी आदर्श पर आपने यदि इन नगरों को सजाने का काम किया होता तो अच्छा होता लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि न तो पिछले वर्षों में और न आज इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है । मान्यवर, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में चुंगी की शुरूआत हुयी जो आज भी आय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का एक स्त्रोत है । अंग्रेजी शासन काल में 1837 में पूरे देश में प्लेग की बीमारी फैली और उस समय अंग्रेज सैनिकों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था । उस समय सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी एक्ट लागू किया गया था । मान्यवर, 1870 में मेयो के प्रस्ताव से स्थानीय स्वायत्त शासन को बहुत से अधिकार मिले और 1882 में रिपुन का प्रस्ताव आया था जो स्वायत्त शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी । 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रान्तीय स्वशासन के प्रचलन से इन संस्थाओं का कार्यभार बढ़ा परन्तु कर निर्धारण की शक्तियां यथावत् रही और ब्रिटिश हुकूमत में नौकरशाही के चलते इन पर कुठाराघात हुआ और इस शासन काल में जो विकास होना चाहिये वह नहीं हो पाया ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नगर क्षेत्रों नगरपालिका और महानगर पालिकाओं को अधिक से अधिक अधिकार देने के लिये पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने दिल्ली में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया था । जहां पर इनको अधिकार देने के लिये निर्णय लिया गया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह 16 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और विश्व के स्तर पर यदि देखा जाय तो यह 6ठे नम्बर ऋण का देश है । यह देश एक कृषि प्रधान देश है यहां के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि है । ईसा से पूर्व भी सिंधुघाटी मोहनजोदड़ों और दजला फरात आदि के सर्वेक्षण से पता चलता है कि उन नगरों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सफाई रहा है । आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम छोटे शहरों में जाते हैं तो वहां की जो सफाई की व्यवस्था है उस पर हमारा ध्यान जाता है । 1960 और 1969 में सफाई कर्मचारियों के पदों के सृजन पर रोक लेगा दी गयी । तब से लेकर आज तक आबादी कई गुने बढ़ गयी है और हमारा जो मानक है उसके अनुसार प्रत्येक 10 हजार की आबादी पर 28 सफाई कर्मचारी होने चाहिये । क्या उस मानक को पूरा किया गया है । जो छोटी–छोटी पालिका परिषदें हैं और नगर पंचायतें हैं वह समर्थ नहीं है कि वह सफाई उपकरण खरीद सकें । ट्रेक्टर, ट्राली और अन्य प्रकार के जो साधन हैं उनकी वित्तीय स्थिति इन उपकरणों के खरीद की स्थिति में नहीं है, वह यह उपकरण नहीं खरीद सकती हैं । अगर कोई स्वायत्तशासी निकाय किसी प्रकार से लोडर खरीद भी लेता है तो उसको चलाने के लिए ड्राइवर नहीं है पद सृजित नहीं है उसको इस पद पर रखने का अधिकार नहीं है । स्वायत्तशासी संस्थाओं के सामने एक विकराल समस्या बनी हुई है । अगर कोई स्वायत्तशासी संस्था यह चाहती है कि वह सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराए तो उसको किसी को नौकरी पर रखने का अधिकार नहीं है । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनमें से बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो पुराने कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट चाहते हैं या वह बीमार हैं तो उनके परिवार के लोगों को उनकी जगह नौकरी दी जाए यह काम उनकी सहमति के आधार पर किया जा सकता है । यदि आप नियमों में ढील दे दें तो अगर कोई चाहे तो उसको रिटायरमेंट देकर उनके परिवार के लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय । 10 हजार की आबादी पर 28 सफाई कर्मचारियों का मानक है लेकिन मानक से 50 प्रतिशत पूरे करने की कोई योजना सुनिश्चित कराएं । स्वच्छकार बीमा योजना में नई कोई बात नही है । नगरों में नगर पालिका परिषदों में नगर पंचायतों में आप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं । इस पर समय–समय पर सदन में भी चिन्ता व्यक्त की जाती है मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश में 11 नगर निगम हैं, नगर पालिका परिषद् 194 हैं व नगर पंचायत 418 हैं 405 में यह पेयजल व्यवस्था लागू हुई है जी व्यवस्था है उसके अनुरूप कहीं कोई चीज आप सही ढंग से कहा नहीं पा रहे हैं । सदस्य जी कह रहे थे कि नगरों को पिछले तीन वर्षों में हैण्ड पम्प के लिए कोई अनुदान आपने नहीं दिया है । कोई भी योजना हो पेयजल की यह नहीं कहा जा सकता कि यह नगर के लिए है हैण्ड पम्प की चाहे व्यवस्था हो, पाइपलाइन की व्यवस्था हो टंकी की व्यवस्था हो स्थानीय निकाय को कोई सुविधा नहीं है । स्वच्छ जल का जो मानक है उसके अनुसार 100–150 सी० प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का मानक है आप इसको किसी भी तरीके से पूरा करने में सक्षम नहीं हैं । अगर आप मानक के अनुरूप 10 प्रतिशत ही पूरा करने की कोशिश करें तो तीन हजार से चार हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी । छोटी–छोटी नगर पालिकाओं नगर पंचायतों की विषम परिस्थितियां हैं कहीं उनका विद्युत विभाग से समन्वय नहीं है कहीं मोटर नहीं है कहीं मोटर है ट्रांसफारमर फुंके हुए हैं कहीं लो बोल्टेज है । इस बजट में कहीं भी इसके

लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई है । मानकों के अनुरूप कहीं पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं की गई । इस देश में जहां कहा जाता था कि दूध की नदियां बहा करती थीं आज स्थिति यह है कि लोगों को शुद्ध पेयजल भी नहीं मिल रहा है । जिस तरह से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी होती है उसी तरह से जलोत्सारण की जिम्मेदारी भी होती है 11 नगर निगमों में यह व्यवस्था है लेकिन 194 नगर पालिका परिषद् में मात्र 33 नगर पालिका परिषद् में सीवेज की व्यवस्था है 418 नगर पंचायतों में मात्र 4 नगर पंचायतों में सीवेज की व्यवस्था है । यह प्रश्न जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है इससे नाना प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है, और हम आपको बताना चाहते हैं जो हमने देखा है । मंत्री जी अभी सीवेज पर बोल रहे थे मैंने सुना । सन् 2000-2001 और आगे की व्यवस्था में जो सीवेज समस्या है आज तक बनी हुई है । जो सीवेज व्यवस्था शुरू की गई उसे अभी तक पूरा भी नहीं किया गया है । 1970 में 45 लाख रुपये से गोला गोकरन नाथ लखीमपुर खीरी में सीवेज व्यवस्था शुरू हुई करोड़ों रुपये अब तक उस पर व्यय हो चुके हैं लेकिन वह अभी तक पूरी पनप नहीं पाई । अनुमानित लागत से ज्यादा खर्चा भी हो चुका है ।

प्रदेश के अन्दर सभी जगह यही स्थिति है । जितने भी परिषद् हैं उनके क्षेत्रों में सीवर व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है । जो आपके नगर पंचायतें पालिकायें परिषदें हैं उनके आय के स्रोत निर्धारित हैं और उन पर व्यय का भार ज्यादा आ गया है । 97 में 47 मदों पर लाइसेंस फीस यदि बढ़ाई जाती है तो विरोध के चलते वापस ले ली गई, ले ली जाती है अधिकारी कहते हैं कि यदि लागू न की गई तो समस्या बढ़ेगी । करारोपण के समय मैं चाहता हूं कि जो नगरपालिकायें परिषद् हैं उनके अध्यक्षों को आमंत्रित करें उनके सुझाव लें । एक बात और कहना चाहता हूं वसूलियां में परिषदों के अध्यक्ष को कम अधिकार दिये गये हैं यह भी बहुत बड़ी समस्या है । बहुत से क्षेत्रों में पैसा बकाया रहता है जैसे हमारे भोलानगर में बजाज हिन्दुस्तान लीवर पर बहुत पैसा बकाया है लेकिन परिषद् वसूल नहीं कर पाती है कोर्ट कचेहरी का चक्कर हो जाता है स्थगनादेश आ जाता है । जो मनोरंजन कर है उसके माध्यम से नगरपालिकाओं की स्थिति को सुधारा जा सकता है होता यह है कि कर कोई लेता है जबकि सारी व्यवस्थायें नगर निगम पंचायतें परिषद् करते हैं । इसका सरलीकरण होना चाहिए । सन् 60 के बाद से जनसंख्या बढ़ी है गांव हो या शहर हर जगह जिससे सीमांकन की समस्या उत्पन्न हो गई है । इसमें सुधार किया जाय । सीमांकन के क्षेत्र से संबंधित 70-70 प्रतिशत पत्रावलियां आपके यहां पर लम्बित पड़ी हुई हैं । जिनके सीमांकन के लिए वह आपके यहां चक्कर लगा रहे हैं चाहे वह महमुदीनगर हो, गोला गोकरननाथ हो, लखीमपुर हो, पलिया हो । तमाम ऐसे हैं जिनका सीमांकन 1960 से नहीं हुआ है । बड़ी विषम परिस्थिति बन गई है । सीमाओं के अन्दर कैसे काम करें, बढ़ी हुई सीमा को नगर क्षेत्र में कैसे शामिल करें ।

मैं मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 17-2-60 के पत्र के माध्यम से महमुदीनगर का सीमांकन किया गया था, एक अध्यादेश के जरिये, महामहिम राज्यपाल के द्वारा हुआ । लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज तक उस बढ़ी हुई सीमा, जो भी आ गयी थी, अधिकार नहीं मिल सका कि उसको परिषद् क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है । यह राजस्व विभाग की लापरवाही है या नगर विकास विभाग की । तमाम नगर पालिकाओं के सामने समस्या है । माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि सीमांकन का कार्य ठीक से हो सके। मंत्री जी के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना उसमें कहीं पर भी इसकी व्यवस्था नहीं है । हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसमें उच्च स्तरीय समिति गठित की जाय । पूरे प्रदेश के जो नगर पंचायत हैं, परिषद हैं, जो सीमांकन की समस्या है, उसको ध्यान में रखा जाय और आने वाले समय में उनका निस्तारण किया जाय । गोला गोकरन नाथ भी इसी श्रेणी में आता है । इसके लिये पत्रावली कई बार जाती है । मैं स्वयं 5 वर्षों से इसको देख रहा हूं । जो भी आपत्तियां लगायी जाती हैं उनके निस्तारण करने की कोशिश करके फिर पत्रावली भेजी गई लेकिन फिर उसमें आपत्ति लग कर आ गई । इसके लिए मेरा निवेदन है कि इसमें प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, नगर विकास विभाग का स्वरूप बहुत बड़ा है । आपका यह परिवार सवा डेढ़ लाख पंचायत, परिषद्, नगर निगम निदेशालय का है लेकिन विडम्बना यह है कि जो पंचायत परिषद् का अधिकारी अनुभव जिसके होता है नागरिकों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण का उसकी उन्नति, तरक्की के लिये कोई रास्ता नहीं है आपके निदेशालय में । उसकी प्रोन्नति के रास्ते नहीं । उसका कारण यह है कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० सम्वर्ग के लोग उसको हेय दृष्टि से देखते हैं, अपने में शामिल नहीं करना चाहते हैं । उनके अनुभव का लाभ आपके निदेशालय को लेना चाहिए । आपके निदेशालय में ऐसे लोग हैं जिनको नागरिकों की मूलभूत समस्याओं की सही रूप से जानकारी नहीं है तब यह विरोधाभास पैदा होता है और परेशानी आना स्वाभाविक है । मैं इसीलिये कहना चाहता हूं कि जिला स्तर के ऊपर परिषद् हो, नगर निगम या आपकी पंचायतें हों, उनमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं है । अमूमन देखा गया है कि जिलाधिकारी इन सारे संस्थाओं के कार्यों का सम्पादन करते हैं लेकिन वे अतिरिक्त जिलाधिकारी को यह काम सौंप देते हैं । अतिरिक्त जिलाधिकारी के पास और भी इतने ज्यादा काम होते हैं कि वो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते । मेरा सुझाव और अनुरोध है कि जिले के ऊपर जिला नगर विकास अधिकारी की नियुक्ति करने का प्राविधान करें तो निश्चित रूप से इसमें कुछ सुधार हो सकता है । हम कह रहे थे और कहना भी चाह रहे थे कि जितनी भी योजनायें हैं, उनका बंटवारा हो गया है । इधर उधर व्यय हो गया, जिला स्तर पर कोई समन्वय नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

बहुत लम्बा हो गया है समाप्त कीजिए ।

श्री अरविन्द गिरि–

नगर विकास के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ध्यान तब जाता है जब किसी का हस्तक्षेप होता है या फिर नगरपालिका अध्यक्ष को प्रताड़ित करने पर ध्यान देते हैं । मेरा सुझाव है इसमें आप निश्चित रूप से प्राविधान करें कि जिला नगर विकास अधिकारी की नियुक्ति करें ताकि सोच ग्राम पंचायत.....

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें ।

श्री अरविन्द गिरि–

तक पहुंचे वह देखे कहां पानी की व्यवस्था करनी है कहां क्या व्यवस्था करनी है विभिन्न सरकार की जो योजनायें हैं उनका सम्पादन किस प्रकार करना है ऐसी सोच हो इसके लिए आवश्यकता है चाहे वह नगर विकास अधिकारी हो चाहे अधिशासी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो उनको परेशानी बताई जा सके । मैं इसमें यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें निश्चित रूप से जिला स्तर के ऊपर के अधिकारी नगरों के विकास के बारे में सोंचे, योजनाओं को कार्यान्वित करने की सोच हो इसकी मैं मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

संक्षिप्त करें ।

श्री अरविन्द गिरि–

जहां तक अतिक्रमण की बात है इसमें चिन्ता हो रही थी परिषद् पंचायत में चिन्ता का विषय है अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाते उसमें किसी पंचायत को विश्वास में नहीं लिया जाता है अगर इनको विश्वास में लेकर काम हो तो अंकुश लगाया जा सकता है । सहारनपुर, बलिया, लखीमपुर में

हंगामा हुआ । अध्यक्ष को पता नहीं होता है जहां कार्य होता है नगर पालिका के कर्मचारी हटवा रहे हैं यह समझा जाता है जबकि जिला प्रशासन हटवा रहा होता है क्योंकि जिलाधिकारी ने आदेश किया है तो यह बाधा होती है वह अतिक्रमण हटायें, अतिक्रमण हटना चाहिए लेकिन सही ढंग से अतिक्रमण का निराकरण हो इसकी आवश्यकता है । जहां अतिक्रमण की समस्या है वहां अतिक्रमण निश्चित रूप से हटना चाहिए लेकिन वहां के लोगों को विश्वास में लिया जाए । लखनऊ में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था एक वकील साहब हैं उन्होंने हसनगंज थाने में एफ० आई० आर० दर्ज कराई उनको न तो समय दिया गया न कुछ कहने का समय दिया इसी तरह से.....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें !

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि विधायक निधि से विधायक, चाहे नगर विकास हो, चाहे पंचायत हों, धन आवंटित करें । इसमें सहयोग करें मैं संज्ञान में लाना चाहता हूं नगर विकास के लिए 45 लाख रुपया दिया गया है । नगरों के सौन्दर्यीकरण के लिए 45 लाख रुपया दिया गया । सड़कें बनें, लोक निर्माण विभाग और आपके विभाग को पत्र लिखा गया जो हिम्मत की गई है इसमें आपका और आपके विभाग का सहयोग मिलना चाहिए इससे लोगों को साहस मिलेगा, लेकिन पत्र का जवाब नहीं आया मैं कहना चाहता हूं आपकी जो भी योजनायें हैं जिस तरह की हैं निश्चित रूप से हम ही नहीं प्रदेश के व्यक्ति कर रहे हैं सारे विकास की योजनायें सिमटकर रह गई हैं । रोजगार एवं नगरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है । अगर इस योजना का पचास प्रतिशत भी शहरों पंचायतों और परिषदों में लागू कर दिया जाय तो जो सोच है उसमें बल मिलेगा सार्थकता आयेगी । लोकन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मैंने इसको पूरा पढ़ा है, कहीं पर ऐसा नहीं है जिसके अन्तर्गत यह है कि योजनायें किसके लिए हैं । चाहे स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना हो, चाहे नगरीय मजदूर योजना हो या अन्य कोई योजना हो यह सारी योजनायें किसके लिए हैं, नगर के लिए हैं, नगर पंचायत के लिए हैं, परिषद् के लिए हैं या नागरिकों के लिए या विकास कार्यों के लिए हैं इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है । नगर पालिका, नगर पंचायत के चुने हुए व्यक्ति, अधिशासी अधिकारी उनकी कोई भागीदारी नहीं है । वहीं पर नगर अध्यक्ष को यह पता नहीं चल पाता है कि कहां क्या होना है । मान्यवर, लखीमपुर खीरी के अन्दर जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षा थी, कोई पुरी साहिबा थीं उनके शहर में आर० डी० एस० एम० योजना के अन्तर्गत भवन का निर्माण हुआ लेकिन उन्हें पता नहीं, [illegible] । उसका उद्घाटन संबंधित अधिकारी द्वारा कर दिया गया । स्वच्छकार विमुक्त योजना जो मुलायम सिंह जी का सपना थी एक महत्वपूर्ण योजना है उसका कैसे क्रियान्वयन हो पायेगा । मान्यवर, आई० सी० एस० आर०, सी० डी० एस० आदि योजनायें हैं इन समितियों का गठन शहर में हो जाता है । अध्यक्ष नियुक्त हो जाते हैं और नियुक्त होने के बाद सदस्य से कोई मतलब नहीं रहता है । यह एक बहुत बड़ी विडम्बना है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से संबंधित अधिकारी को निर्देश दें कि पंचायत के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित हो उनका क्रियान्वयन हो सके । इसी के साथ मे अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नगर विकास तथा आवास विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह दोनों विभाग बड़े महत्वपूर्ण और विस्तार के हैं, इसलिए ढेर सारे बिन्दु सामने हैं । मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं––

कहां से छेड़ूं तराना,
और कहां तमाम करूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आवास विकास से शुरू करिये और नगर विकास विभाग पर समाप्त करें।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, 53 वर्ष पहले जब देश आजाद हुआ, इसके पहले जो देश की स्थिति थी, आजाद होने के बाद भी यही अनुभव किया गया कि विगत 51, 52 वर्षों में वह आजादी की अनुभूति पूरे देश और प्रदेश में नहीं हो सकी। एक बहुत छोटे हिस्से में आजादी की अनुभूति होने लगी विकास के नाते और देश और प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा विकास से अछूता रह गया जैसा आजादी के पहले पराधीन देश में था मान्यवर, और दो हिस्से में खासतौर से, एक स्वाधीन प्रदेश और एक पराधीन प्रदेश की स्थिति आजादी के 50–52 वर्षों में लगातार निर्मित हुई है। विकास की दृष्टि से पूरे नगर, श्रीमन्, नरकों में तब्दील हो गये। न पानी, न मार्ग प्रकाश है, न सीवर, न चिकित्सा, न शिक्षा, न सड़क, न रोजगार। जर्जर स्थिति में इस पूरे उत्तर प्रदेश को 50 वर्षों के कार्यकाल में सरकारों ने पहुंचाया और उसके बाद इस वर्तमान सरकार को जब विरासत में जर्जर स्थिति में यह नगर निगम मिले तो इसमें दो राय नहीं कि हमारे माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री के सामने बहुत बड़ी चुनौती आयी और तब चिन्ता और भी बढ़ गयी जब विकास की दृष्टि से नगर निगम में असन्तुलन पूरी तरह से बढ़ा पाया गया। अभी आज भी माननीय केन्द्रीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का एक बड़ा ही सारगर्भित बयान आया उन्होंने इस बात को महसूस किया कि उन्होंने विकसित भारत और पिछड़े भारत में अन्तर करने की कोशिश की है। हमारी इस बात पर अपने विचार रखें।

मान्यवर, माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि उनके आराध्य देव वही हैं जिनकी पावों में बिवाइयां फूटी हैं शरीर पर वस्त्र नहीं है, अनिकेत हैं ऐसे लोगों को जब साफ-सुथरा मकान देंगे, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र देंगे, उनको रोजगार देंगे उनके पावों में बिवाइयां भरेंगी तभी असली स्वाधीनता आयेगी। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अपनी धारणा थी। आज ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी को अपना पौरुष और अपनी कार्य क्षमता दिखानी पड़ी है। मुझे प्रशंसा हुई जब माननीय मंत्री जी ने पूरे शहरों की जो परिस्थिति थी, अतिक्रमणों से सड़कें, फुटपाथ, पार्क पटे पड़े थे वह हट नहीं रहे थे उसे संज्ञेय अपराध के रूप में माननीय मंत्री जी ने घोषित किया इच्छा शक्ति और योजना दोनों इसमें परिलक्षित हुईं। लेकिन श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से और जितनी गम्भीरता से उसे अधिनियमित किया गया विगत 2-3 साल में उसका लाभ होता दिखाई नहीं पड़ रहा हैं। मैं अपने नगर निगम का जिक्र करूंगा। आप देखें कि आज कितने मार्गों से अतिक्रमण हटा, सड़कों से अतिक्रमण हटा, पार्कों से अतिक्रमण हटा, । आप कृपया गम्भीरता से इसका संज्ञान लें, जो उन्होंने नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों को अतिक्रमण मुक्त और अवैध कब्जों से मुक्त करने का प्रयास किया उस अधिनियम में अधिकारियों को भी जिम्मेदार माननीय मंत्री जी ने माना है। उसमें निचले स्तर पर जहां कार्यान्वयन नहीं हो रहा है उसका संज्ञान लें। आप कृपया रोज खबर लें कि इसे संज्ञेय अपराध बनाने के बाद अतिक्रमण कितना हटा और कितने लोग नहीं हटा रहे हैं, और जो अधिकारी कर्मचारी हैं, तो उसमें कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। अब श्रीमन्, आवास विकास के इस पुस्तिका में एक वार्षिक प्रतिवेदन में हमने देखा आवास विकास में एक रिपोर्ट छपी है। इसमें 1999-2000 में 1278 करोड़ की आय दिखाई गई है जबकि 2000-2001 में 1341 करोड़ की आय रही तो इसमें सम्भवतः या तो यह मिसप्रिन्ट है या मैं समझने में असमर्थ हो रहा हूं। इसमें लिखा गया है कि 105 प्रतिशत आय बढ़ गयी है जबकि मेरे देखने से यह कुल 63 करोड़ है। 1999-2000 और 2000-2001 का जो अन्तर है यह कुल 63 करोड़ का है लेकिन 105 प्रतिशत दिखाया गया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कैसे गलती हुई है। ऐसे ही 95 करोड़ रुपये की भूमि का अवैध कब्जे से मुक्त कराकर प्राप्त दिखाया गया है। मेरे यहां कानपुर विकास प्राधिकरण की सूची बन गयी है। मैं

विस्तार में नहीं जा पा रहा हूं । क्योंकि समय कम है । 15 हजार हेक्टेयर भूमि कानपुर विकास प्राधिकरण में श्रेणी–5 और श्रेणी–6 की भूमि है, माननीय मंत्री जी उसका अतापता नहीं है । जो अरबन सीलिंग एक्ट है उसकी सरप्लस जमीन है, जो रूरल सीलिंग एक्ट है उसकी सरप्लस जमीन है, जो स्वयं अर्जित की गयी है, वह जमीन है, नजूल की है । यह सब मिलाकर कम से कम 50 हजार एकड़ की जमीन कानपुर नगर में ऐसी है उसका अतापता नहीं हो पा रहा है यह बहुत बड़ी सम्पत्ति है यह मौटे तौर पर 20-22 हजार करोड़ की सम्पत्ति हो रही है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर एक कार्यदल बना दें जिसमें 5 वरिष्ठ आई०ए०एस० अधिकारी और 2 आई० पी० एस० अधिकारी रहें तभी यह इतना बड़ा कार्य हो पायेगा क्योंकि इसमें बड़े-बड़े अधिकारी लिप्त पाये गये हैं । जब माननीय मंत्री जी इसमें आप कुछ दबाव बनायेंगे तभी इसमें कुछ लाभ निकल कर आ पायेगा । इसमें कानपुर नगर निगम के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हजारों एकड़ जमीन कृषि फार्म के रूप में कानपुर नगर निगम की है और वह लम्बे समय तक पिछली सरकारों के जो कुकर्म होते रहे हैं, उसके अनुसार कानपुर के भूमाफिया और पूंजीपतियों को यह जमीन आवंटित की गयी है और जो भूमिहीन मजदूर कृषक हैं उनको यह किराये पर उठाते हैं । मेरा निवेदन है कि वह आवंटन उनसे वापिस लेकर जो संबंधित इलाके में भूमिहीन मजदूर हैं, किसान हैं उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में जो लाभकारी भी हो, उनको आवंटित करा देंगे तो नगर निगम की आय का स्रोत भी बढ़ जायेगा और सामाजिक न्याय भी होगा । शताब्दी उद्यान, हम सब लोगों ने मिलकर उसका उद्घाटन भी किया था लेकिन शताब्दी उद्यान में 100 एकड़ में शायद ही प्रति एकड़ पर एक-एक पेड़ बचा हो । यह उसकी दुर्दशा है ।

मान्यवर, ढेर सारी चीजें उस इलाके में बनी हैं लेकिन बनकर वह सैम्पिल मात्र रह गयी हैं आपरेट नहीं हो रही है जोनल पम्पिंग स्टेशन आपरेट नहीं हो रहे हैं, ओवरहेड टैंक आपरेट नहीं हो रहे हैं इसी तरह से ट्यूबवेल हैं तो हमारे पहले से बहुत से संसाधन हैं जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है तो बड़ी कृपा होगी अगर इस पर विचार करके अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि इन संसाधनों का जनता के हित में उपयोग हो । श्रीमन्, बहुत बड़ी परेशानी सहकारी गृह निर्माण समितियों को लेकर है । मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे वर्तमान नियम हैं उससे उनको रोकने का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है । वह अपने को पंजीकृत कराते हैं आवास विकास परिषद् में 5 एकड़ जमीन खरीदते हैं और 50–100 एकड़ जमीन कब्जा करके बेच देंगे । मास्टर प्लान और लेआउट प्लान से उनको कोई मतलब नहीं है, यह लोग कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं । अरबों रुपये अर्जित करके कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है । जब इनकी शिकायत होती है और आवास विकास परिषद् की तरफ से नोटिस जाती है तो जो पंजीकृत पतो पर कोई नोटिस लेने देने वाला नहीं होता और अंत में आवास विकास परिषद् उनका पंजीकरण निरस्त कर देता है, केवल इतना होता है । फिर वही लोग पुनः नये नाम से पंजीकरण कराकर बिजनेस शुरू कर देते हैं । इसको भी संज्ञान में लेकर गंभीरता से प्रभावी नियम कानून बनायें ताकि ऐसे लोग जो भू–माफिया हैं, समाज को इस तरह से नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध कड़ाई से कार्यवाही हो सके । एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह विषय दो तीन साल पहले आया था । मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरण बोर्ड में चाहे वह क्षेत्र से संबंधित विधायक हो या सांसद हो , उस बोर्ड का पदेन सदस्य होना चाहिये, यह मांग उठी थी । नगर निगमों में तो उसकी भूमिका होती है लेकिन विकास प्राधिकरणों में उसकी कोई भूमि का सीधे–सीधे नहीं हो सकती कि बोर्ड की बैठक में वह कोई नीतिगत निर्णय ले । मुझे प्रसन्नता है कि आप भी इस बार निर्वाचित होकर इस सदन में है इसलिये निर्वाचित सदस्यों की पीड़ा को आप ठीक से समझ रहे होंगे, इसलिये आप जनप्रतिनिधियों को विकास प्राधिकरण बोर्ड में पदेन सदस्य बनने की सुविधा प्रदान करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि कानपुर दक्षिण के लिये कोई मास्टर ड्रेनेज प्लान नहीं था । इस संबंध में आई०आई०टी० से सर्वे करके एक प्लान बना, लेकिन वह आज भी अधूरा पड़ा है । उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, यह बहुत गम्भीर संकट है । बरसात फिर सिर पर सवार होने जा रही है, मैं चाहूंगा कि इस पर गंभीरता से निर्देश देकर संबंधित अधिकारियों से इसका क्रियान्वयन कराने का काम करेंगे ।

श्रीमन् जो बाईपास है, मंधना से रूमा तक का, वह 1998 से प्रस्ताव पड़ा है, अब आपकी कृपा से धीरे–धीरे काम शुरू होने की स्थिति में है । यदि आप उस पर गंभीरता से ध्यान केन्द्रित करेंगे तभी उसका लाभ लोगों को मिल सकता है । मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि 10 ओवर हेड ब्रिजों का प्रस्ताव 2 साल से विकास प्राधिकरण से आकर यहां लम्बित पड़ा है, मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी ध्यान देंगे । इतना ही कहते हुये, यह निवेदन करूंगा कि इसमें जो आपने नया प्राविधान किया है, माननीय विधायकों की राय लेकर आश्रयहीन योजना रोजगार योजना, इंदिरा कूप, आदि की जो व्यवस्था की है, यह बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इससे आपने पराधीन और स्वाधीन भारत के बीच की दूरी को कम करने की दिशा में एक कदम उठाया है । इसका क्रियान्वयन हो जाय, यह कहते हुये मैं अंत में इतना की कहूंगा कि मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि जितने लोकप्रिय कार्यक्रम और योजनायें इस बजट में आई हैं, उसको सुनने के बाद माननीय सदस्यगण कटौती के प्रस्ताव को खुलेमन से वापस लेने की घोषणा करेंगे । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री सीताराम निषाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आवास विकास एवं नगर विकास के बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, बजट तो बहुत खूबसूरत है, ठीक ढंग से लच्छेदार भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया है लेकिन जो बातें उन्होंने बतायी हैं उसमें सच्चाई कम है । जहां तक महानगरों का सवाल है वहां पर तो कुछ योजनाएं चलायी जा रही है लेकिन जो नगर पालिका परिषदें हैं जो नगर पंचायतें हैं उनकी घोर उपेक्षा हो रही है उनके विकास के संबंध में जो योजनाएं माननीय मंत्री जी ने बतायी हैं वह योजनाएं वहां पर नहीं चलाई जा रही हैं ।

मान्यवर, मैं अयोध्या और फैजाबाद नगर पालिका परिषद् की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । अयोध्या नगर पालिका परिषद् के लिए सरकार की तरफ से धन तो बहुत दिया गया लेकिन उस धन का दुरुपयोग हो रहा है । करोड़ों रुपया जो दिया गया उससे जो योजनाएं बनायी गयी हैं उन योजनाओं में केवल धन का दुरुपयोग हो रहा है । वास्तव में उसके क्रियान्वयन में बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं । फैजाबाद नगर पालिका परिषद् का जहां तक संबंध है, यह अवध की पुरानी राजधानी है उसका ऐतिहासिक महत्व है लेकिन उसके विकास के लिए सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । वहां पर आवास एवं विकास परिषद् की तरफ से और विकास प्राधिकरण की तरफ से जो काम किया गया है वह भी संतोषजनक नहीं है । इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । आवास विकास परिषद् और फैजाबाद अयोध्या विकास प्राधिकरण की तरफ से महत्वपूर्ण योजनाएं बनाने की आवश्यकता है जिससे उसका विकास हो सके । मान्यवर, नगर पालिका परिषद् फैजाबाद में प्रदूषण बहुत है, वहां पर सीवर लाइन जो सैकड़ों साल पुरानी है वहां नालों व नालियों की व्यवस्था है उससे सारा नगर हमेशा प्रदूषित रहता है, महामारी फैलती है इसलिए फैजाबाद में सीवर लाइन की समुचित व्यवस्था करायी जाय । सीवर लाइन की व्यवस्था न होने से जो पानी नगरवासियों को पीने के लिए दिया जाता है, पुरानी पाइप में इन नालियों का पानी घुस जाता है, उसमें मलमूत्र जाता है । कई बार उसकी जांच भी हुई उसमें कीड़े पाये गये लेकिन सरकार का ध्यान अभी तक

उस तरफ नहीं गया है कि फैजाबाद नगर पालिका परिषद् के नागरिकों को शुद्ध जल देने के लिए वहां पर सबसे पहले सीवर लाइन की व्यवस्था की जाए और पानी की जो सैकड़ों साल पुरानी लाइन है उसे नये सिरे से मिला करके उसमें शुद्ध पानी देने की व्यवस्था की जाए । मान्यवर, नगर में नलकूपों की भी कमी है, हैण्डपाइप की भी कमी है, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए । मान्यवर, नगर पंचायतों की तो इतनी उपेक्षा हुई, न वहां के लिए बजट जाता है मेरे क्षेत्र में मान्यवर, बीकापुर नगर पंचायत है अभी तक उसको वास्तव में नगर पंचायत के रुप में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह शासन की तरफ से सुविधाएं नही दी जा रही हैं । मान्यवर, मेरे प्रस्ताव पर वहां पानी की टंकी नगरवासियों को शुद्ध पानी सप्लाई करने के लिए स्वीकृत हुई थी । पानी की टंकी का निर्माण 2 साल पहले जल निगम के माध्यम से किया गया है लेकिन उसका निर्माण इतना घटिया हुआ है कि जब उसमें पहली बार पानी भरा गया टंकी फट गयी और पानी बहने लगा । जो लाइनें हैं वह पी०वी०सी० की हैं उनमें पानी पहुंचा ही नहीं लेकिन लाइनें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं फट गयी हैं । मान्यवर, दो साल पहले निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी उस पानी की टंकी से नगरवासियों को पानी नहीं मिल रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकापुर नगर पंचायत में जो पानी की टंकी का निर्माण किया गया है उसमें घोर अनियमितता एवं घोटाला हुआ है । उसकी तकनीकी और विजीलेंस से जांच होनी चाहिए जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और उस टंकी की सुधार कर शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

सीताराम जी आप समाप्त करिये ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, अन्तिम अनुरोध करना चाहूंगा वहां पर नगरीय सुविधा बढ़ाने की व्यवस्था शासन की तरफ से नहीं है । मान्यवर, हर नगर में बिजली की व्यवस्था के लिए नगरीय फीडर होता है लेकिन बीकापुर के लिए कोई फीडर नहीं है । ग्रामीण फीडर से ही विद्युत की आपूर्ति हो रही है जिससे मात्र दो तीन घण्टे ही बिजली की आपूर्ति हो पाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी क्या आप वहां बिजली की व्यवस्था कर सकते हैं ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, वहां पर आवास विकास द्वारा कामिर्शियल काम्पलेक्स बनाने की आवश्यकता है गरीबों के रहने के लिए आवास बनाने की आवश्यकता है । मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि बीकापुर में नगरीय सुविधायें देने की कृपा करें । इन्ही शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए आपने अवसर दिया इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं । नगर विकास मंत्रालय किसी भी प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है । सामान्य रूप से सारी आबादी को दो भागों में बांटा जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र । यह सही है कि अगर नगर विकसित नहीं हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मॉडल कौन सा बनेगा ? आज भी हम जब चर्चा करते हैं तो चाहे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों या प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हों यही कहते हैं कि ग्रामों का विकास वैसे ही होना चाहिए जैसा नगरों में होता है । दुर्भाग्य है कि आज नगरों की स्थिति भी धीरे–धीरे बड़े स्लम्स के रूप में होती चली जा रही है उसका एक कारण सबसे बड़ा यह है कि नीतिगत दृष्टि से भी कई वर्षों से नारे के रूप में यह कहा जा रहा है कि ग्रामों का विकास होना चाहिए और नगरीय क्षेत्र उपेक्षित होता चला जा रहा है । इस बजट के बारे

में अगर मैं दो वाक्यों में कहूं तो जिस तरह से धनावंटन इस बजट के लिए होना चाहिए नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि क्या कारण है ? उस प्रकार की धनराशि इस बजट में प्रस्तावित नहीं है। माननीय मंत्री जी को साधुवाद देना चाहूंगा, माननीय राज्य मंत्री जी को भी कि उन्होंने योग्यतापूर्वक पिछले 3–4 वर्ष में जो काम किया है उससे नगरों का चेहरा बदला है विशेषकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चेहरा अन्तर्राष्ट्रीय जगत में चमचमा रहा है। मान्यवर, मैं दो तीन बातें अवश्य कहना चाहूंगा, विकास के लिए सरकार नगरों को शुद्ध पेयजल दे दे साफ–सफाई व्यवस्था ठीक कर दे और वहां पर्यावरण शुद्धिकरण कर सके तो मैं समझता हूं कि हमने 80 प्रतिशत काम समाप्त कर लिया। मुझे कहने में संकोच नहीं है सीमित संसाधनों के होते हुए भी पिछले 4 वर्षों में नगरीय क्षेत्रों में हमने वह काम किया है कि जो कि सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सभी विभागों के लोग इसके लिए साधुवाद के पात्र हो सकते हैं। अगर नगर विकास मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारी जो हैं अगर शक्ति और पुरुषार्थ के साथ हमारे साथ न लगते तो शताब्दी का सबसे बड़ा कुम्भ मेला सम्पूर्ण नहीं किया जा सकता था। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे प्रसन्नता हुई है कि उनका ध्यान इस ओर गया है कि जो गरीब लोग हैं, जो मलिन बस्तियों में निवास करते हैं जिनको सामान्य नगरीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं आपने उनका चिन्तन किया है। जो योजनाएं डूडा–सूडा के माध्यम से चल रही हैं उसके माध्यम से एक आम आदमी को, जो मलिन बस्तियों का रहने वाला है, 10–15 रुपये प्रतिदिन देकर अपने लिए आवास प्राप्त कर सकता है। इससे आने वाले दिनों में प्रदेश की स्थिति ठीक–ठाक होगी। इस प्रकार गरीब तबके के लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं वह भी अपने लिए आवास प्राप्त कर सकेंगे जो हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी होंगे। एक चिन्ता मेरे मन में यह आती हैं कि आज नगरीय क्षेत्रों में कालोनियां कुकुरमुत्तों की तरह जगह जगह बसती जा रही हैं उसके कारण तमाम नागरिक सुविधाओं पर भार पड़ रहा है। यह जो अनियंत्रित डेवलपमेंट है इसको हमें नियंत्रित करना पड़ेगा।

यह जो नगर नियोजन के कार्य हैं इनमें शुरू से ही यह दृष्टिकोण अपनाना होगा कि नियोजित तरीके से ही शहरों का विकास किया जाय और मूलभूत नागरिक सुविधाओं की प्रारम्भ से ही व्यवस्था की जाय। आज जो शहरों में आवश्यकता से अधिक बस्तियां बस गयी हैं और उनके द्वारा जो अतिक्रमण हो जाते हैं उनको हटाने में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें इसके लिए एक योजना बनानी चाहिए, केन्द्रीय सरकार हुडको या नाबार्ड से, जहां से भी हमें सहायता मिल सके वहां से सहायता लेनी चाहिए। मान्यवर, जहां तक पेयजल की सुविधा का प्रश्न है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कराना एक कठिन कार्य बन गया है। डब्ल्यू०एच०ओ० ने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर को और वृन्दावन को हेल्दी सिटी के रूप में अंगीकृत किया है और आन्ध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद उन्होंने विकसित की है। स्वाभाविक है कि जब नगरीय क्षेत्र में हेल्दीसिटी की बात हम कर रहे हैं तो जब तक प्रदेश सरकार इसमें सहयोग नहीं प्रदान करेंगी तब तक यह योजनाएं कभी भी सफल नहीं हो सकेंगी।

(इस समय 5 बजकर 24 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं मिर्जापुर के बारे में अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां पर सालिड बेस्ट मैंनेजमेंट के लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए और मलिन बस्तियों में सीवेज सिस्टम की व्यवस्था के आंकड़े आपके पास नहीं है। 70 प्रतिशत नगरों में सीवेज सिस्टम नहीं है जब तक सीवेज सिस्टम नहीं बनेगा तब तक नदियों के किनारे जो नगर हैं उन नगरों का पानी नदियों को प्रदूषित करता रहेगा। चाहे गंगा हो, यमुना हो या गोमती हो उनका पानी प्रदूषित होता रहेगा। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अंतिम बार निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज बेदर्दी और बेरहमी के साथ भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है।

विधान सभा में मेरा प्रश्न था मा० राज्य मंत्री उत्तर दे रहे थे पूरे प्रदेश में कुल 6.3 प्रतिशत सतही (SURFACE WATER) सरफेस वाटर जल जो हम पेयजल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं वह सरफेस वाटर हैं और बाकी सारा का सारा भूगर्भ जल का उपयोग कर रहे हैं और जब यह कहा जाता है कि सरफेस वाटर कहा जा रहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में जा रहा है और इसका उपयोग पीने के पानी के रूप में हो सकता था और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो भूगर्भ जल है वह सुरक्षित हो सकता था । हम अभी तैयार नहीं है कि आने वाली पीढ़ी के लिए जिस जल को सुरक्षित रखना है उसका उपयोग न करें, तर्क दिया जाता है कि जो सरफेस वाटर है उसके लिए योजना बनाने में धन अधिक खर्च होता है । मान्यवर, यह कोई दलील नहीं है । मान्यवर, यह आवश्यक है कि हम सरफेस वाटर की योजनाएं बनाने में धन लगायें । मान्यवर, मिर्जापुर नगर में एक टाडा फाल है जो वहां की 30 प्रतिशत जल की आपूर्ति करता है । 1913–14 में यह बना था । कुछ दिनों बाद 100 साल का हो जायेगा । इस 90–95 सालो में कुल धन 54 लाख और इसके पहले 33 लाख किया है । आप जो नये ट्यूबवेल लगाते हैं उनमें तमाम धन खर्च होता है और उनके लिये आपरेटर आदि कर्मचारी रखने पड़ते हैं । यह ट्यूबवेल फेल हो रहे हैं । कभी इनका पम्प खराब है तो कभी मोटर जल गयी इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि नगरीय क्षेत्रों में एक दीर्घकालिक योजना बनायें और सरफेस वाटर का इस्तेमाल करें, ताकि जो हमारा भूगर्भ जल है वह हमारी भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहे, अगर उसका ज्यादा उपयोग किया गया तो हमारे नगर ब्लैक जोन होते जायेंगे और शहरों में पेयजल समस्या उत्पन्न होने पर वहां के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में मांगेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कहां जायेंगे । यह मैं नहीं कह सकता हूं और स्थिति भयावह हो जायेगी । इन्ही शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री राम कुमार एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आवास एवं नगर विकास के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि प्रदूषण के सवाल पर जो माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि कानपुर में गंगा नदी का नगर विकास विभाग द्वारा बंटवारा किया जा रहा है । कानपुर में अरबों रुपयों की योजना चल रही है वहीं पर हमारे जनपद उन्नाव में जो औद्योगिक प्रदूषण पैदा हो रहा है उसको दूर करने के लिए कोई योजना नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है कि गंगा नदी के एक किनारे पर प्रदूषण नियंत्रित किया जाय और दूसरे किनारे पर न किया जाय और सारी गन्दगी को नदी में आने दिया जाय । इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । कुछ परिसम्पत्तियां जो नगर विकास और आवास विभाग की हैं उनमें आपस में झगड़ा है । नगर विकास उन परिसम्पत्तियों को लेने को तैयार नहीं है क्योंकि वहां पूर्ण सुविधायें नहीं हैं और दूसरी तरफ आवास विभाग कहता है कि हमने कालोनी हस्तगत कर दी है उसके रखरखाव की व्यवस्था करना नगर विकास विभाग का काम है । इस पर आपको ध्यान देना चाहिए । यह जो आपकी निराश्रय आवास योजना है चाहे आवास हों या भैसों के चट्टों को हटाकर वहां जगह दी गयी हो वहां पर लोग अनधिकृत क़ब्जे कर रहे हैं । वहां पर कालोनी विकसित करने में नगर विकास विभाग का धन लगा है अगर वहां अनधिकृत कब्जे होंगे तो उनको हटाने की समस्या होगी । वहां पर जो आवास बन गये हैं उनको नगर विकास के कर्मचारी किराये पर उठा रहे हैं । जब उनको किसी को आवंटित किया जायेगा और वह उन आवासों को लेने जायेंगे तो उनमें रहने वाले अनधिकृत लोग खाली नहीं करेंगे और मामले न्यायालयों में जायेंगे और यह विवाद के बिन्दु बनेंगे । इसके बारे में मंत्री जी अवश्य ध्यान दें । मान्यवर, उन्नाव जनपद के संबंध में डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के अन्तर्गत बजट का आश्वासन दिया गया था कि उसके लिए धन अवमुक्त किया जा रहा है लेकिन पूरा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वर्ष हो गया है आज तक धन अवमुक्त नहीं किया गया है । मैं अनुरोध करूंगा कि इस योजना के अन्तर्गत उन्नाव जनपद के लिए जो प्रस्ताव लम्बित है उस पर शासन द्वारा धन अवमुक्त किया जाय ताकि उन्नाव की सड़कों का विकास हो सके । धन्यवाद ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये आवास एवं नगर विकास के बजट पर आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नगरों एवं गांवों का विकास का संकल्प लिया गया है जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक है । मंत्री जी ने आवास व्यवस्था, मलिन बस्तियों के सुधार और दबे कुचले वर्ग के लोगों के विकास के लिए हर स्तर पर योजनायें बनायी हैं यह प्रयास एक मील का पत्थर साबित हुआ है । आजादी के बाद नगरों की यह हालत थी कि वहां की नालियां बजबजाती थीं, रास्ते खराब थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था । लगता था कि कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है । लेकिन इस कालखंड में जो विकास के काम हुए हैं वह बहुत ही सराहनीय हैं । मलिन बस्तियों का सुधार किया गया है, सड़कें बनायी गयी हैं, गरीब दबे कुचले लोगों को 10–15 रुपये पर आवास देने की योजना बनायी गयी है इससे उनको अच्छे घर मिल सकेंगे । इसी तरह से पेयजल के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में पेयजल की व्यवस्था की गयी है । बुन्देलखण्ड में झांसी तथा अन्य क्षेत्र जहां पर वास्तव में पेयजल की समस्या थी वहां पर विकास कार्य किये हैं और विकास को एक नया आयाम दिया गया है । अनेक ऐसे कार्य हुए हैं जिनसे विदेशियों का भी ध्यान आकर्षित किया गया है । कुंभ मेला का जो सफल आयोजन हुआ है वह अपने आप में महत्वपूर्ण है । अगर हम देखें तो लगता है कि एक दृढ़ इच्छाशक्ति से सारे कार्य किये गये हैं इसके पहले बहुत सी सरकारें आयीं लेकिन इस तरह से कार्य कभी नहीं किये और पक्षपात पूर्ण ढंग से कार्य किये गये । लेकिन इन 4-5 वर्षों में जो कार्य किये गये हैं वह सराहनीय हैं, अतुलनीय है । इसके साथ-साथ मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जहां विकास के कार्यों के लिए धन जाता है वहां वह धन विकास के मदों पर न खर्च करके वेतन व अन्य मदों पर खर्च कर दिया जाता है इससे विकास के कार्य बाधित होते हैं आपके माध्यम से इस संबंध में निर्देश जाने चाहिए कि नगरों एवं ग्रामों के विकास के लिए जो धन जाए वह विकास के मद में ही खर्च हो, वेतन व अन्य मदों पर खर्च न हो इसके लिए व्यवस्था हो जाए कुछ कार्यदायी संस्थाएं हैं जो हमारे जनपद में ही नहीं अन्य जनपदों में कार्य कर रही हैं सी० एफ० डी० एस० संस्थाएं बड़े-बड़े बजट के माध्यम से कार्य करती हैं जहां तक मेरे जनपद की बात है हर जगह काम अधूरा पड़ा है पैसा तो दे दिया कार्य नहीं हुआ है इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए कड़े निर्देश जाने चाहिए कि उन कामों को पूर्ण कराया जाए । पूर्वांचल में एक बहुत ही पौराणिक, धार्मिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान सीतामढ़ी सेतु है, आपने घोषणा भी कर दी कि गंगा नदी के तीन तरफ से घिरा हुआ वह स्थान विन्ध्यांचल प्रयाग और काशी के बीच में वह पौराणिक स्थल है वहां पर पैन्टून ब्रिज का निर्माण किया जाए कुम्भ मेले के समापन के बाद आपका निर्देश गया है किन्हीं कारणों से वह काम रुका हुआ है उस कार्य को पूर्ण हो जाना चाहिए उसमें शायद धन की आवश्यकता है । हमारे जनपद में नगर पंचायतों परिषदों में दो तीन बातें हैं वहां रिवाल्विंग फंड से पैसा अवमुक्त हुआ है अभी पहुंचा नहीं है किन्हीं कारणों से रुका है । जहां तक विकास कार्यों की बात वह निश्चित रूप से नगरों से लेकर मलिन बस्तियों तक पहुंचा है । सारे कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह कहा जा सकता है कि आपमें प्रबल इच्छाशक्ति है इसका सीधे-सीधे लाभ मिल रहा है पूरा प्रदेश इन लाभों से आच्छादित हुआ है इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके द्वारा रखे गये बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं ।

श्री राम प्यारे सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी हमारे नगर विकास मंत्री ने बड़े सुन्दर ढंग से शानदार वाणी में उन्होंने बजट पेश किया। कुम्भ मेले की आपने तारीफ किया। जब पूरे विश्व में अफवाहों का बाजार गर्म करके आपने गणेश जी को दूध पिला दिया मैं समझता हूं कि अगर वाणी से विकास कार्य होना होता तो अब तक हो गया होता। लखनऊ चूंकि राजधानी और प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है व नगर विकास मंत्री जी लखनऊ में बसते हैं इसलिए यहां भले कुछ दिखाई देता हो लेकिन प्रदेश की जितनी भी नगर पंचायतें हैं अध्यक्ष महोदय, अगर आप चलकर किसी नगर पंचायत को देख लें तो नगर पंचायतों की जो दुर्दशा है उसके कहीं न कहीं आपके मन में भी एक पीड़ा उत्पन्न होगी। कोई भी विकास के नाम पर कार्य नहीं हुआ है। मेरे अपने क्षेत्र में जो नगर पंचायतों की बात मैं कहना चाहता हूं। जीवनपुर और अजमतगढ़ दोनों नगर पंचायतों में विकास के नाम पर शून्य हैं कोई मार्ग नहीं पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें भी हालत ऐसी हैं कि जल निगम द्वारा जो लगाई गई पानी की टंकियां हैं वह आज भी जल निगम द्वारा संचालित होती हैं वर्ष में कम से कम तीन-चार बार ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि जब हफ्ते-हफ्ते भर वहां के नगरवासियों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता कारण जल निगम और विद्युत विभाग के बीच का झगड़ा है बकाया बिल के भुगतान को लेकर विद्युत विभाग कनेक्शन काट देता है और पिसती है वहां की जनता। वहां पर बड़े-बड़े तालाब है जिसमें नगर का गंदा पानी कूड़ा कचरा भरता है और उसके सड़ने से वहां बीमारियाँ फैली है प्रत्येक वर्ष एक दो बच्चों की जाने जाती हैं। कई पत्र हमने लिखे हैं आपको लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर इन तालाबों का सौन्दर्यीकरण करा दिया जाता, तो जहां एक ओर नगर की सुन्दरता बढ़ती वहीं जो बच्चे दुर्गन्ध से फैली बीमारी के कारण मर जाते हैं ऐसा नहीं होता। वहां पर नालियां आज भी टूटी पड़ी हैं और मैं समझता हूं कि विगत कई वर्ष में कोई भी अनुदान के रूप में धन नहीं दिया गया वहां नगर पंचायत के पास सीमित संसाधन है छोटी नगर पंचायत है वहां के कर्मचारियों को एक-एक वर्ष से तनख्वाह नहीं मिली है वे छोटे-छोटे ठेलों पर कूड़ा ढोते हैं। मैं चाहता हूं कि जहां कूड़े ढोने की समुचित व्यवस्था नहीं है वहां पर एक-एक ट्रैक्टर मुहैया करा दिया जाय। ग्रामीण अंचलों में तो इन्दिरा आवास की व्यवस्था है लेकिन टाउन एरिया में जो गरीब हैं जो पालीथीने लगा कर रह रहे हैं उनके लिए भी आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। आजमगढ़ नगर में वर्षों पहले अधूरी सीवर लाइन बनाई गई थी उसे पूरा नहीं किया गया जिससे वहां पानी निकासी की ठीक व्यवस्था न होने के कारण पूरे क्षेत्र में पानी भर जाता है और पूरा शहर गंदे पानी से डूब जाता है। आजमगढ़ नगर परिषद् और जीवनपुर अजमतगढ़ को विशेष रूप से दिखवाकर सौन्दर्यीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके साथ ही मैं गिरि जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आवास एवं नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा इलाहाबाद में महाकुम्भ का सफल आयोजन हो सका। हमारे ऊपर यह भी आरोप लगे कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए यह कर रही हैं तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मेला बहुत पुराने समय, महाराजा हर्षवर्धन के काल से लगता चला आ रहा है। मंत्री जी का इसलिए भी आभारी हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कालेज, हास्पिटल, स्टेडियम जो बने हैं और विद्युत उपकेन्द्र जो बनने जा रहा है, के लिए आवास विकास परिषद् से भूमि उपलब्ध कराई। विद्युत उपकेन्द्र बन रहा है। मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महानगरों के सौन्दर्यीकरण, साफ सुथरी चौड़ी सड़कों और सौन्दर्य की छटा बिखेरने वाले पार्कों

की, मलिन बस्तियों की भी चिन्ता की और डूडा के माध्यम से जो सबसे बड़ी समस्या लखनऊ में पेयजल की थी, उसका समाधान करने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि समाधान किया है । लखनऊ में लगभग 61 इनदारा कुएं जलापूर्ति के लिये बनकर तैयार हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही 13 इंदारा कुएं हैं जहां नलकूप लग गये हैं और उनको वाटर कनेक्शन के लिये जल संस्थान से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई है । कहीं कहीं पर तो यह जोड़ दिये गये हैं और इनसे पानी मिलना प्रारम्भ हो गया है । सबसे बड़ी समस्या लखनऊ की, सीवर की है । इस विषय में, मैं कहना चाहता हूं कि 1980 में लखनऊ के साथ एक बहुत बड़ा आत्मघाती फैसला हो गया । जहां सैलेज फार्म था वहां गोमती नगर बन गया । लखनऊ का सारा सीवेज उस सैलेज पार्क में जाता था और वहां पर ट्रीटमेन्ट होता था । गोमतीनगर बन जाने से 25 बड़े नाले और छोटे-मोटे और कई नाले अब गोमती में आकर गिरने लगे । जिससे गोमती का बेड मल-मूत्र से इतना ऊंचा हो गया कि जब पम्पिंग स्टेशन से पम्प चलता है और गोमती में जब पानी का जल स्तर गिर जाता है, तो उसमें मल-मूत्र युक्त जल आने लगता है । यह जल प्रदूषित जो है यह एक चिन्ता का विषय है । कई सालों से हो रहा है कि जून के महीने में जब गोमती का जल स्तर गिर जाता है तो शारदा सहायक से एडिशनल वाटर लेने की आवश्यकता पड़ती है । मैं पहले से आगाह कर रहा हूं ताकि समय पर तैयारी कर ली जाय और लखनऊ वासियों को पेयजल की समस्या से न जूझना पड़े । मैं पुराने लखनऊ का रहने वाला हूं । पुराने लखनऊ में पानी की पुरानी लाइनें ड़ेढ़ दो इंच की पड़ी हैं । जिसको बदलकर 5-6 इंच पाइप लाइन की व्यवस्था की जाय । वहां कैम्पवेल रोड के क्षेत्र में पहले खेत थे, उन खेतों में खेती होती थी लेकिन शहर की आबादी बढ़ने के साथ-साथ वहां तमाम अवैध कालोनियां बन गई । यह पूरे लखनऊ की समस्या है । जगह-जगह अवैध कालोनियां बन गई हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन अवैध कालोनियों को वैध करने के लिये उपाय करें । वहां के नागरिकों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करें । मान्यवर, मैं बहुत चिन्ता का एक विषय आपके सामने रखना चाहता हूं । मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि दुनिया की आधी आबादी को पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं और उपलब्ध पेयजल का 70 प्रतिशत भाग प्रदूषित है । मान्यवर, तेजी से कम होते जा रहे हैं स्वच्छ पानी के स्रोत यह चिन्ता का विषय लखनऊ में भी है । समाचार पत्र के माध्यम से यह पढ़ने को मिलता है कि किन-किन मोहल्लों में प्रदूषित पेयजल की सप्लाई होती है जिससे संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं । माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगें । माननीय मंत्री जी का अब अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में एल०डी०ए० की कालोनियां राम नगर कालोनी, टिकैतराय कालोनी मोतीझील कालोनी हैं । इन कालोनियों की सड़कों में जलभराव की समस्या को दूर करने तथा सड़कों को बनाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन ने अधिकारियों को आदेश दिया लेकिन वह अधिकारी धीमी गति से काम कर रहे हैं बरसात का महीना आने वाला है, वह अधिकारी बहुत ही शिथिलता से काम कर रहे हैं, वहां तेज गति से काम कराने की आवश्यकता है । श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने से मोतीझील कालोनी में बूचड़खाना स्थित है, मैंने कई बार इस बात को प्रश्न के माध्यम से उठाया है प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि सरकार ने यह फैसला किया है कि इसको हटवा दिया जाएगा । जमीन तलाशी जा रही है लेकिन इसको हटाया नहीं गया है चार वर्ष व्यतीत हो गए हैं जब लोग अपने घरों में खाना खाने बैठते हैं तो चील कौए बूचड़ खाने के मांस के टुकड़े उनके खानों में गिराते हैं, उसको वहां से हटाया जाए । पॉलीथिन पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में मंत्री जी ने कहा है । गोमती को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया है । इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं । अंत में, मैं बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहीं कोई भेदभाव नहीं बरता है जो विकास कार्य हुए हैं वह सब

महानगरों में, नगरों में बराबर हुए हैं इसी के साथ जो कटौती का प्रस्ताव हमारे मित्र ने रखा है उनके लिये मैं कहना चाहूंगा–

हमें मालुम था फिर भी न बढ़ाई दूरियां हमने ।
चिरागों को जलाने में जला लीं ऊंगलियां हमने ।।

* मास्टर छोटेलाल गंगवार–

मान्यवर, आपने अरविन्द गिरि जी द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । श्रीमन्, बरेली महानगर की कुछ समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बरेली महानगर का गठन हुआ तो बरेली महानगर के चारों तरफ के गांव बरेली महानगर में ले लिए गए उन गांवों की सैकड़ों बीघा जमीन ग्राम समाज की थी सैकड़ों बीघा जमीन सीलिंग से मुक्त थी यह बरेली विकास प्राधिकरण के जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर भू-माफियाओं ने लगभग 500 करोड़ की लागत की भूमि पर कालोनियां बना लीं एक बात मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि बरेली महानगर की पीडवारे नहर सीनगंज रजवहा बनी नहीं हैं कालोनी बस चुकी है और नहर पट चुकी है । इसका पैसा सरकार को नहीं दिया गया है और न ही सिंचाई विभाग को पैसा दिया गया है यही नहीं यह जो कोलोनाइजर भू-माफिया हैं यह बहुत कम रेट पर भूमि खरीदते हैं इससे सैकड़ों रुपयों करोड़ों रुपयों के स्टाम्प का नुकसान होता है, राजस्व का नुकसान होता है इसके संबंध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से शिकायत की मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश से शिकायत की, सतर्कता सचिव से भी शिकायत की कि विकास प्राधिकरण में घपला है इसकी जांच कराएं लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

मान्यवर, आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि बरेली के अन्दर अगर 100 मकान बन रहे हैं तो 10 तो नक्शे से बन रहे हैं और 90 ऐसे हैं जो विकास प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से बन रहे हैं जो शासन ने यह कहा था कि कालोनियां इस तरह से बनायी जायें कि वह हवादार हो, चौड़ी सड़क हो, बिजली की व्यवस्था, सीवर लाइन पड़ी हो और जो आवश्यकता थी नगरों को व्यवस्थित रखने की तो वह अव्यवस्थित हो रही है । हवाई अड्डे के निकट बगैर एअर पोर्ट के एन०ओ०सी० लिये उसका ले आउट पास कर दिया है । हवाई अड्डे के नजदीक कालीनियां बना रहे हैं, न तो सीवर लाइन डाली है न पाइप डाले हैं और जो जमीन के अन्दर पानी जाने के लिए हाउस में एक तरफ तो टैंक बना दिया और वहीं दूसरी तरफ हाउस में हैण्ड पाइप लगा दिया है । जो सैफ्टी टैंक से नीचे जायेगा वही ऊपर को आयेगा और इससे भयंकर महामारी फैलने की आशंका है ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नगर पालिका और परिषद् तथा पंचायतों की तरफ दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, वहां पर सिखाल खासी में बहुत बड़ा पेयजल संकट है । वहां पर जो टैंक बने हुए हैं वह बहुत पुराने बने हैं । वहां पर नये टैंकों का निर्माण कराया जाय । हमारा आपसे यह भी निवेदन है कि नगर पालिका, नगर पंचायत में इण्डिया मार्का–II लगाने की घोषणा करें । मान्यवर, कई बार घोषणा की है कि जो विधायक हैं, जो अपने शहर में प्लाट या मकान लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं । मैंनें कई बार बरेली में अनुरोध किया लेकिन बरेली के अधिकारियों ने केवल सत्ता पक्ष के विधायकों को ही प्लाट या मकान दिया । विपक्ष के किसी विधायक को नहीं दिया । मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां के अधिकारियों को निदेशित करें कि वह विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी प्लाट या मकान आवंटित करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय डा० कौशल किशोर और अरविन्द गिरी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* श्री दीपलाल भारती:–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री जी के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, पूरे नगर निकाय में सफाई कर्मचारियों को वेतन समय से मिल रहा है लेकिन आज जितने नगर पंचायत, नगर पालिकायें हैं और जिस अनुपात में वहां सफ़ाई कर्मचारी होने चाहिए उस हिसाब से कर्मचारी नहीं रखे गये हैं जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था प्रभावित है सफाई कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी की जाये। मान्यवर, नगर विकास में सामुदायिक विकास समिति 1997 से संचालित है जिसके तहत बहुत सी ऐसी मलिन बस्तियां, गरीब बस्तियों में जो निर्माण कार्य, विकास कार्य कराये गये हैं उससे अच्छा प्रभाव पड़ा है जनता में अच्छी ख्याति मिली है। मान्यवर, मैंने विधायक निधि से स्थानीय निकाय डूडा को धन दिया था कि इतने रुपये में सफाई उपकरण ठेला गाड़ी, भैंसा गाड़ी खरीद ली जाये लेकिन कहा गया कि इसमें क्रय करने के लिए पैसा नहीं दिया जा सकता है।

मान्यवर, आपने एक पत्र भेजा था माननीय विधायकों से आग्रह किया था कि अपने स्थानीय निकाय में विधायक निधि से धन आवंटित करें इसीलिए मैंने भी ठेला गाड़ी, भैंसा गाड़ी और सफाई उपकरण क्रय करने के लिए 5 लाख, 10 लाख रुपये दिया था और सी०डी०ओ० ने वापस कर दिया कि नगर विकास में यह उपयुक्त नहीं है आप दूसरी मद में ले सकते हैं, लिहाजा वह पैसा वापस हो गया। मान्यवर, जल निगम के बारे में आपसे आग्रह है कि जितनी नगर पंचायतों में जल निगम के कार्यालय हैं जो पानी वाटर सप्लाई किया जाता है तो अगर बिजली गुल हो जाती है और जनरेटर नहीं हैं तो पानी की आपूर्ति नहीं की जा सकती है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां जेनरेटर नहीं हैं वहां जेनरेटर सुविधा उपलब्ध करायी जाय। मान्यवर, अभी हम लोगों को 50-50 हैण्ड पम्प दिये गये हैं आप भी नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं को इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प दे दें। मान्यवर, बहुत से हैण्ड पम्प लगे हुए हैं और पानी नहीं दे रहे हैं जिनका रिबोरिंग कराना आवश्यक है अगर आप रिबोरिंग करा देते हैं तो बड़ी कृपा होगी। इसी के साथ मैं आपके बजट का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जो भी आपके कार्य हैं अच्छे हैं और जनता के हित में हैं।

कल ऊर्जा विभाग का बजट प्रस्तुत होने तथा बजट साहित्य प्राप्त न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

कुंवर रेवती रमण सिंह–

व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर, कल ऊर्जा का बजट है और जब से यह आपका ऊर्जा विभाग परिषद् में विभाजन हुआ है तब से पिछले साल भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनायी गयी अभी तक कोई साहित्य नहीं आया है अगर संभव हो सके तो यहीं पर उपलब्ध करा दें या आज रात्रि तक हम लोगों के घर पर पहुंच जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वित्त मंत्री जी, कृपया देख लें। अगर साहित्य उपलब्ध हो तो यहां बंटवा दें।

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मा०, अभी दिखवा लेता हूं और सुनिश्चित करवा लेता हूं।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–2 आवास विकास, अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग (क्रमागत)

श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, मुझे आपने नगर विकास और आवास विभाग के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर, जो माननीय डा० कौशल किशोर जी ने व श्री अरविन्द गिरि जी ने रखा है पर बोलने का मौका दिया, आभारी हूं। मैं आजमगढ़ की बात कहना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैंने पिछली बार बजट पर इस बात को रखा था । आजमगढ़ में जो सीवर है आज 15 साल से जिसमें 6 करोड़ रुपये डम्प पड़ा हुआ है, वह बना हुआ है लेकिन वह कहां जाकर निकलेगा उसके निकलने का कोई उचित स्थान नहीं है । पिछले दिनों जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जिधर पानी डाला गया वहीं लौट जा रहा था इसको दिखवाने का काम करें और जो 6 करोड़ रुपया डम्प पड़ा हुआ है उसको सही दिशा देकर आगे बढ़ाने का काम करें । जो सड़कों पर बारिश के दिनों में पानी बहने लगता है और सड़कें नदियों की तरह हो जाती है तो इसको सुधारने का काम करें । इसी तरह से आजमगढ़ मण्डल हो जाने के बावजूद आवास विकास कालोनी को चिन्हित तो कर दिया लेकिन अभी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जिसकी वजह से जो जमीन चिन्हित की गयी है उसको भू-माफिया बेचने का काम कर रहें है, उसका अधिग्रहण हो रहा है इसको दिखवाने का काम करें । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में दो नगर पंचायतें हैं बिलरियागंज और महराजगंज । बिलरियागंज में पानी की व्यवस्था नहीं है, पिछले 4-5 साल से वहां पैसा गया है लेकिन बोरिंग नहीं हुई है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है इसको दिखवाने का काम करें । मान्यवर, नालियों की सफाई के लिए 2-3 सफाई कर्मी हैं । एक तो वहां पर नाली नहीं है जिसके कारण पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है । जहां भी थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो वहीं सड़क पूरी पूरी पानी से भर जाती है और घन्टों आवागमन बाधित रहता है । वहां की टूटी-फूटी सड़कें चलने लायक नहीं है इसी तरह से महराजगंज में पिछले दिनों माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में वाटर टैंक बना है लेकिन उसको चालू नहीं किया गया है उसको चालू करवाने का काम करें वहां जो सड़क हैं छिन्न-भिन्न हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है सफाईकर्मी कम होने के कारण सफाई नहीं हो पाती है इसलिए उसकी भी व्यवस्था करने का काम करें । तथा 25-25 हैण्डपम्प लगवाने का कष्ट करें जिससे शुद्ध पेय जल नागरिकों को मिल सके । इसके साथ ही माननीय कौशल किशोर जी ने और गिरि जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

* विद्या सागर गुप्त–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने आवास विकास एवं नगर विकास के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, लखनऊ में पिछले 4-5 वर्षों में जो सड़कों का, पार्कों का विकास कार्य हुआ है वह वाकई सराहनीय है और उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं । मान्यवर, कुछ सुझाव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । मान्यवर, कई एक पुल लखनऊ में बने हुए हैं और पुल के नीचे जगह जगह इन्क्रोचमेन्ट है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि जैसे दिल्ली या बाम्बे में है कि उन पुलों के नीचे छोटी छोटी दुकाने बनाकर लागों को आवंटित करने का काम करें तो इससे इन्क्रोचमेन्ट भी हटेगा और दूसरे जो पुलों के नीचे गन्दगी का वातावरण है वह दूर होगा ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र जुगौली में गोमतीनगर में पिछले 6 वर्षों से फौज का आतंक है । इस मामले को दिल्ली तक पहुंचाया गया । हाईकोर्ट ने इनके विरुद्ध फैसला दिया था और सुप्रीमकोर्ट में एसएलपी भी खारिज हो चुकी है परन्तु अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है इससे वहां पर रहने वाले 25 हजार लोग आतंकित हैं । मेरा अनुरोध है कि वहां से सेना को हटाने की कार्यवाही करें ताकि वहां का समुचित विकास हो सके । मान्यवर, पूर्वी क्षेत्र में बहुत पार्क पिछले 3-4 वर्षों में बनी हैं । लालबाग पार्क और विधान सभा, अमीनाबाद में जो पार्क है बन रहा है उसको जल्दी से जल्दी कम्पलीट कराने की कोशिश करें और हजरतमहल पार्क में काम ढीला है उसको जल्दी करवायें । हैरिटेज जोन बन रहा है उसका बहुत प्रयास किया है लेकिन विभागों की तरह से काम ढीले तरीके से चल रहा है मंत्री जी से निवेदन करूंगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कि एक समयबद्ध योजना के अन्तर्गत उस कार्य को पूरा कराया जाय । मवइय्या लेबिल क्रासिंग पर एक पुल की नितान्त आवश्यकता है । इस क्रासिंग से रोज करीब 50 हजार लोग आते जाते हैं लेकिन छोटी लाइन का स्टेशन ऐशबाग बनने जा रहा है, जो 3 महीने बाद चालू होने जा रहा है, ऐसी स्थिति में दिन भर फाटक बन्द रहेगा और पहले से अधिक परेशानी का वातावरण पैदा हो जायेगा, इसलिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मवइय्या लेबिल क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनवाने की कृपा करें । मान्यवर, सीवर के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, लखनऊ शहर में सीवर की बुरी हालत है, ज्यादातर जगहों पर सीवर लाइन चोक पड़ी है, जिसका खोला जाना बहुत जरूरी है, इसकी एक वृहद योजना बनाकर सीवर की लाइनों को ठीक कराया जाय । इन शब्दों के साथ, मैं माननीय आवास एवं नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का अनुमोदन करता हूं ।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, आपने मुझे इस बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, मैं आभारी हूं । आवास एवं नगर विकास विभाग के बजट पर रखे गये कटौती प्रस्ताव पर, जो चिन्ता मुझे सता रही थी, वह राज्य मंत्री सतीश महाना जी ने इंगित करके और बढ़ा दी । गत वर्ष जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखा, उन्हें जोड़-तोड़ करके अपनी तरफ बुला लिया और दूसरे अम्बरीष जी, जिन्होंने रखा, उन्हें प्रदेश से बाहर कर दिया । इसलिये मैं सोचने पर मजबूर था कि कटौती रखने वाले और उसका समर्थन करने वालों का हश्र क्या होगा ? मा० महाना जी ने पहले ही चेतावनी दे डाली और मेरी चिन्ता बढ़ा दी, इसी चिन्ता के साथ, मैं केवल दो-तीन सुझाव रखकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । माननीय टण्डन जी ने जो योजनायें अपने बजट भाषण में बताई, मैं उनका विरोध तो नहीं कर रहा, लेकिन लखनऊ की जिस हद तक तारीफ की गई, गोमती की सफाई की गई, तो लखनऊ में केवल हुई, जैसे सिर्फ लखनऊ में ही गोमती बहती है । सीवर लाइन, सड़कें, रोड लाइट सब लखनऊ का ही जिक्र हुआ है, होना भी चाहिये, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र हैं, माननीय टण्डन जी का क्षेत्र है । मैं लखनऊ के बारे में कहने की हिम्मत तो नहीं कर रहा था, लेकिन जब एक माननीय सदस्य ने लखनऊ की कमियां गिनाना शुरू किया तो मैं भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कराना अवश्य चाहूंगा । जब प्रदूषण की बात हो रही है, जैसा माननीय कुंवर साहब ने कहा कि प्रदूषण ध्वनि, वायु और जल का होता है । इसी लखनऊ में हमारा मुख्य मार्ग विधान सभा मार्ग है, जो स्टेशन से शुरू होकर हजरतगंज होते हुये निशातगंज तक जाता है । इस सदन में मैं पहले भी दो बार नोटिस दे चुका हूं । रात 10 बजे के बाद आप इस मार्ग को हैवी ट्रैफिक के लिये खोल देते हैं और अक्सर 4-4 घन्टे इस रोड पर जाम लगा रहता है, इस मार्ग पर ओ०सी०आर०, जिसमें माननीय सदस्य रहते हैं, दिन भर इस सदन में आपके साथ बैठते हैं, रात को तैयारी करते हैं, इसी मार्ग पर रायल होटल, विधान सभा का खुद का भवन, आकाशवाणी, दारूलशफा सब इसी मार्ग पर स्थित हैं । रायल होटल के चौराहे से होकर रायबरेली और सीतापुर को जाने वाले ट्रक भी इसी चौराहे से पास होते हैं, इस रास्ते में राजभवन भी आता है और विधान सभा भी आती है । माननीय मंत्री जी क्या आपने कभी रायल होटल के चौराहे की स्थिति पर गौर किया, न किया हो तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि कभी 10 बजे के बाद इस चौराहे से गुजरें । यहां पर लगभग रोज एक्सीडेंट होते हैं और टेम्पो, ट्रक काफी स्पीड से पास होते हैं, एक्सीडेंट हो जाने पर जाम लगता है और उससे हवा का प्रदूषण तथा ध्वनि का प्रदूषण होता है । आप जरा टेम्पो के आवाज का इमेजिन कीजिये, इस प्रदूषण में माननीय सदस्यों की क्या हालत होती होगी ? इस पर आप जरा सा ध्यान दें और बहुत जल्दी कोई ऐसी योजना बनाकर इस समस्या से छुटकारा दिलायें । जहां से आप इन्हें दिन में पास करते हैं, वहीं से पास करायें, यह 10 बजे के बाद क्यों खोल देते हैं, इसका कोई बाईपास करा दीजिये ।

मान्यवर, सूडा और डूडा नगर विकास विभाग की योजनायें हैं । मैं आज तक समझ पाने में असमर्थ हूं कि इन योजनाओं में विधायकों का क्या अस्तित्व है ? मैं यह जानना चाहता हूं, 5 साल हो रहे हैं मेरे

महानगर मुरादाबाद में भी सूडा और डूडा की योजनाएं चल रही हैं । आज तक 5 साल में किसी भी एक बैठक की कोई सूचना इन दोनों योजनाओं से नहीं प्राप्त हुई जबकि मेरे क्षेत्र में 5 वार्ड आते हैं, मैं नगर निगम का पदेन सदस्य हूं लेकिन इन दो योजनाओं में कभी भी आमंत्रित नहीं किया गया । कृपया आप इसका भी ध्यान दें कि माननीय सदस्यों की इसमें क्या हैसियत है । जबकि मेरे क्षेत्र में सारी ही मलिन बस्ती हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक जानकारी और चाहूंगा एम०डी०ए० से जो आप प्लाट देते हैं, आवास विकास से जो देते होंगे, उन पर आप 10 परसेंट लीज रेन्ट लगाते हैं, साथ ही साथ आप 2 परसेंट फ्री होल्ड चार्ज भी लेते हैं । यह दोनों कैसे हो रहा है, इसका क्या औचित्य है, समझ में नहीं आता और ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल रही हैं ? कृपया इसे भी आप देख लें । मान्यवर, डेवलपमेंट चार्ज, नक्शा पास होता है एम०डी०ए० को जाता है, ट्रान्सफर होता है । चार्ज कोई संस्था ले और विकास खर्च कोई करें इसे भी आप देख लें । शायद गत वर्ष इसमें आश्वासन भी दिया गया था । मान्यवर, अनाधिकृत कब्जे जो कालोनी में बन गये हैं । पीतल नगरी में ब्रास वेयर कारपोरेशन ने एक नगरी बनायी थी आज वह लावारिश पड़ी है, आज भी वहां पर एक छोटा सा आफिस ब्रास वेयर का बना हुआ है, एम०डी०ए० उसको टेकअप करने को तैयार नहीं है । वहां पर न पानी की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था न सड़क की व्यवस्था, लावारिशों की तरह वह कालोनी है । इसके लिए प्रस्ताव भी हुआ कि पूरे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को हैंडओवर कर दीजिए । इसमें 250 आवास ब्रास वेयर कारपोरेशन ने बनाये थे । मेरा निवेदन है कि इसे आप कहीं स्थापित करने का निर्णय लें । मान्यवर, अनाधिकृत कब्जों की बात मुरादाबाद शहर में, इससे जे०पी० सिंह साहब भी सहमत होंगे 1/3 शहर खोखा पर आबाद हैं । अन्य शहरों में भी हैं । हर जगह हर नगर पालिका में खोखा रखने वाले माफिया काम करते हैं । नगर निगम के कर्मचारियों का हर जगह एक गैंग बना हुआ है, वहां पर आपके सारे कानून बेबस क्यों हो जाते हैं । आपने बड़े अच्छे अभियान चलाकर खोखा हटाये हैं । लेकिन ठीक उसके 8 दिन या 15 दिन के बाद जो कच्चा था वह पक्का बना दिया जाता है, उससे बेहतर बन जाता है । जब आप कब्जा हटा देते हैं तो उसकी रखवाली की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, मंत्री जी इस पर भी ध्यान दें । अनधिकृत कब्जे हटाने का, प्रयास आपका अच्छा है, अनधिकृत कब्जे हटवाइये, वहां के क्षेत्रीय विधायकों व जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लीजिए । लेकिन यह काम अवश्य कीजिए । मान्यवर, दो साल पहले मुझे नासिक जाने का मौका मिला । महाराष्ट्र में सबसे अच्छा सफाई का अवार्ड नासिक नगर निगम को ही दिया गया था । आपके यहां नगर की सीमा बढ़ती जा रही है, नई कालोनियां बसती जा रही हैं, आपने 5-10 साल से कोई सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं की तो सफाई कहां से होगी । वहां उन्होंने एक पालिसी एडाप्ट की और सफाई की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर को दे दी । छोटी गलियों में छोटी गाड़ी और जहां चौड़े रास्ते हैं वहां बड़ी गाड़ियां दिन में दो बार जाती हैं, एक बार सुबह और फिर शाम को, लोग अपने-अपने घरों का कूड़ा पालिथीन में डालकर उस गाड़ी में फेंक देते हैं वह गाड़ी उस कूड़े को ले जाती है ।

मान्यवर, ''नासिक'' शीशे के मानिन्द चमक रहा था । मान्यवर, वहां पर भी कुम्भ का मेला आयोजित होता है । यह महाराष्ट्र का सबसे साफ-सुथरा शहर है । अगर आप कर्मचारी भर्ती नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसी योजना बनाईये कि सफाई का काम प्राईवेट सेक्टर को दे दीजिये । सस्ते में आपके ठेके उठेंगे और यह मुश्किल आपकी आसान हो सकती है । माननीय मंत्री जी, इस पर ध्यान दें । मान्यवर, अपने क्षेत्र मुरादाबाद के बारे में कहना चाहूंगा कि नेशनल हाई-वे सम्भल रोड घोषित हो गया है । नगर निगम के चुनाव के 15 दिन पहले माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम मुरादाबाद में लगा था । उस रोड का उद्घाटन भी करने जा रहे थे । उसको फोर लेन बनाने का प्रस्ताव आपके यहां था लेकिन वहां पर इन्क्रोचमेन्ट हो रहा है । वह बहुत चौड़ा रोड है और नेशनल हाई वे रोड डिक्लेयर कर दिया गया

है–सागर अलीगढ़ मुरादाबाद व नैनीताल रोड । उसका शिलान्यास जल्दी करा दें । ताकि इन्क्रोचमेन्ट होने से रुक जाय । मान्यवर, जो नई कालोनी बनी है उसकी आबादी एक लाख से ज्यादा है । उसके अन्दर तो आपने सड़क पक्की बना दी है लेकिन जो मुख्य मार्ग है वह कच्चे पड़े हैं । मान्यवर, सम्भल रोड से मण्डी समिति, सम्भल रोड से धीमसी तक और सम्भल रोड से जयन्तीपुर यह जो 3 रोड हैं यह कच्चे पड़े हैं आप अपने प्रभाव से इनको पक्का करा दें यहां पर चार ट्यूबवेल और चार टंकी व पाइप लाइन करा दें । माननीय मंत्री जी मुख्य मार्ग किस योजना में रह गयी । जब मुख्य मार्ग ही पक्की नहीं होगी तो गली को पक्का होने से क्या फायदा है इस क्षेत्र में बिजली के खम्भे और तार भी नहीं हैं । मेरे क्षेत्र में एक नगर पंचायत भोजपुर है । 35 वर्षों से यहां बिजली पहुंची हुई है । 35 साल बाद उसका खम्भा तार बदलने का सड़क बनाने का काम नहीं हुआ है । मान्यवर, आप पिछला रिकार्ड देख लीजिए नगर पंचायत ''भोजपुर'' को अपने मंत्रालय से अनुदान या किसी शक्ल में कुछ नहीं दिया है, मान्यवर, यह अन्याय मत होने दीजिए । हमारे भोजपुर नगर पंचायत व बराबर में ग्राम पीपालसाना को नगर पंचायत बनाकर उस को भी कुछ दीजिए । छोटा बिजली घर होना चाहिए । बुद्ध बिहार कालोनी आवास विकास परिषद् की वहां पर है । वह मेजर जे०पी० सिंह का क्षेत्र है, उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए वहां पर एक बंधा बनाने की मांग चली आ रही है हर साल कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक होती है लेकिन आज तक उस बंधे के लिए कोई योजना नहीं बनी अगर वह नहीं बनेगी तो महानगर को बाढ़ से डूबने से नहीं बचा पायेंगे । इसी तरह से एक शिकायत करते हुये अपनी बात खत्म कर रहा हूं । मेरे क्षेत्र में ओमकार सिंह एक हाई स्कूल है जहां एक लाख की आबादी है उसके बराबर में दो गड्ढे हैं, जिनका खसरा नं०–122 व रकबा नं०–198 है जिसके लिए नगर निगम ने बोर्ड से प्रस्ताव करके शासन को 1998 में लेटर लिखा था कि वह गड्ढे उस स्कूल के लिए आवंटित कर दें, जिससे कि वह अपने स्कूल का विस्तार कर सकें, इसका प्रस्ताव सरकार को कई बार भेजा जा चुका है कार्यवाही नहीं हुई । माननीय बालेश्वर त्यागी को गाजियाबाद में निःशुल्क आपने प्लाट आवंटित कर दिया । माननीय मंत्री जी तो बड़े आदमी हैं वह कई प्लाट खरीद सकते हैं और कहीं भी खरीद सकते हैं । अगर आप वह जमीन मुरादाबाद में ओंकार सरन स्कूल के लिए उपलब्ध करा देते तो गरीबों का भी कुछ उद्धार हो जाता । लेकिन आज 3 साल हो गये हैं बार-बार कहने के बावजूद भी आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । जब कि माननीय बालेश्वर त्यागी जी को आपने फ्री में स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध करा दी है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप स्कूल के लिए वह जमीन उपलब्ध करा दें जिससे गरीबों का कुछ उद्धार हो सके ।

मान्यवर, लीला गुप्ता एक विधवा औरत हैं, उनकी 1994 में 18 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई थी लेकिन उसका पैसा उन्हें आज तक नहीं प्राप्त हो सका जबकि उसकी कीमत का 20 परसेन्ट उसी समय तुरन्त दिया जाना चाहिए था । जब वह इसके लिए अधिकारियों से मिली तो कोई उनसे 10 लाख मांगता है तो कोई 20 लाख और जब इसके लिए लखनऊ आती हैं तो कुछ और ही कहा जाता है । यह आपकी बदनामी का वाइस है । यह जो आपका विकास प्राधिकरण है इसमें विधायकों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए, इसको पदेन मेम्बर बनाया जाना चाहिए । इसके लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता है । आपको, यह जो मेयर्स होते हैं उनकी पावर बढ़ानी चाहिए । मान्यवर, मेयर जनता द्वारा चुना जाता है । मान्यवर, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इसको चुने हुए सभासद अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए चूंकि मेयर जनता द्वारा चुना जाता है इसलिए उसको हटाने का अधिकार जनता को ही होना चाहिए । मेयर जनता द्वारा चुना गया नगरपालिका का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, तो उसे कुछ और अधिक अधिकार प्राप्त होनी चाहिए इसके लिए नियमों में संशोधन की आवश्यकता है । मान्यवर, मेयर नगर का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है, आप लखनऊ में भूतपूर्व मुख्य मंत्री के लिए आवास बनवाते हैं, भूतपूर्व मुख्य मंत्री के लिए आवास की व्यवस्था करते हैं,

तो जो मेयर नगर का सर्वप्रमुख व्यक्ति होता है, प्रथम पुरुष और प्रथम नागरिक होता है और वह जनता द्वारा चुना जाता है, उसके लिए भी नगर में पूर्व मेयर के लिये भी एक आवास आवंटन की व्यवस्था की जानी चाहिए । क्योंकि जो मेयर ईमानदार होते हैं वह अपनी कोठी नहीं बनवा सकते हैं और जो बेईमान होता है, वह तो एक क्या 10 कोठियां बनवा सकते हैं, तो ऐसे मेयर के लिए कम से कम नगरों में उसके कार्यकाल के बाद एक आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वह उसमें सम्मान के साथ रह सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मुझे बहुत लम्बी बात नही कहनी है 2-3 बात करनी है एक तो यह कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जो आ भी गये हैं । [× × ×] मान्यवर, ऐसी बात नहीं है, सत्यता यह है कि माननीय नगर विकास मंत्री नियोजित नियोजन के द्वारा जिस तरह से नगरों का सुन्दर रूप बनाया है उससे ऐसा लगने लगा है कि यह पैसा आ कहां से रहा है । इन्होंने अपनी सूझ-बूझ, निर्णय के द्वारा सिद्ध कर दिया है कि पैसा भले ही कम हो, लेकिन कम पैसे से किस तरह अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अच्छा काम किया जा सकता है, विकास को गति दी जा सकती है जो पूरे प्रदेश में किसी भी जगह जाइये यह दिखाई देता है । पिछले 2-3 वर्ष पहले जहां चारों तरफ कचरे दिखाई देते थे आज वहां शीशे जैसी चमकती गलियां दिखायी देती हैं । इस तरह की स्थिति आज नगर विकास के द्वारा हो गयी है । यह कहना कि धन झांसी में जा रहा है यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक भी पैसा अतिरिक्त झांसी को नही मिला है । यह जरूर है कि झांसी बुन्देलखण्ड की राजधानी है । चूंकि झांसी बुन्देलखण्ड की हृदयस्थली है, ऐतिहासिक स्थल है [× × ×] झांसी पर हमें गर्व है वीरांगना महारानी लक्ष्मी बाई ने 1857 की क्रांति में अपना बड़ा योगदान दिया है जहां चन्द्रशेखर आजाद पले-पोसे हैं, झांसी ने उनको स्थान दिया है उसके बारे में इस तरह का भाव नेता प्रतिपक्ष द्वारा नहीं करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

डा० जैन ललितपुर के हैं और ललितपुर धन देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, झांसी ने नगर निगम बनने की सारी अर्हताएं पूरी कर ली हैं । मैं चाहूंगा कि झांसी की जनता बड़ी बेसब्री से इस बजट में घोषणा का इन्तजार कर रही है और वहां के लोगों की उत्कृष्ट लालसा है कि आज निश्चित रूप से इस सदन के अन्दर घोषणा हो जायेगी और झांसी नगर निगम बन जायेगा और मुझे विश्वास है कि माननीय लालजी टण्डन जिनको मैं अपना अग्रज मानता हूं उनसे बहुत प्यार मिला है, मैं चाहूंगा आज यहां पर घोषणा करें । आज नगरों के अन्दर इन्क्रोचमेन्ट की समस्या है वह बहुत जबरदस्त है । यह महामारी की तरह फैल रही है । जो ऐक्ट बनाया गया है उस ऐक्ट का प्रभाव कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है । केवल संज्ञेय अपराध घोषित करने से यह समस्या हल होने वाली नहीं है । इसका क्या प्रतिफल हुआ, क्षेत्र में इसका पालन हुआ कि नहीं इस पर प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता है, यह चिन्ता करने की आवश्यकता है और अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करनी पड़ेगी । इसके लिए नीतिगत रूप से आगे बढ़ें । एक-एक क्षेत्र का अनुश्रवण करें यह केवल कागजी खिलौना बनकर रह गया है । एक प्रभावी योजना बनाकर इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

नोट :–[× x ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, आपने आदरणीय कौशल साहब और आदरणीय गिरि साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रवीन्द्र शुक्ल जी की बात पर बल देते हुये कहना चाहता हूं कि हम सब लोग सहमत हैं, अगर झांसी को नगर निगम बनाने की घोषणा करने की जो मांग माननीय शुक्ल जी ने की है तो हम आपसे सहमत हैं।

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

माननीय शुक्ल जी और माननीय सदस्य के आग्रह के ऊपर मैं झांसी को म्युनिसिपल कारपोरेशन घोषित करता हूं।

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, मैं इसके लिये धन्यवाद दे रहा हूं।

श्री राम औतार शाक्य–

शुक्ल जी मुझे भी धन्यवाद दीजिये। बड़ी खुशी की बात है। मैं माननीय मंत्री जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लेकिन दुःख इस बात का है कि शुक्ल जी ने झांसी के लिये राजधानी शब्द का इस्तेमाल किया। इससे ऐसा लगता है कि वह किसी और प्रदेश को मांग रहे हैं। मान्यवर, मैं आवासीय योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं।

(इस समय 6 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए।)

आवासीय योजनाओं का जो प्लान बनाया जाय वह दीर्घकालीन बनाना चाहिये। 10-12 साल के बाद मुख्य मार्ग ऊंचे हो जाते हैं और आवासीय सड़कें और निकलने के रास्ते नीचे हो जाते हैं जिससे वहां के लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है मेरा निवेदन है कि आवास विकास विभाग इस बात को ध्यान में रखकर आवासीय योजनायें बनाये। एक बात मैं इन्क्रोचमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूं। कालोनियों में जो पार्क होते हैं। उन पर इन्क्रोचमेन्ट हो जाता है और स्थायी निर्माण हो जाते हैं। इसी तरह से जो प्लेग्राउंड हैं उन पर इन्क्रोचमेन्ट हो जाते हैं और जो नाले होते हैं उन पर मकान बन जाते हैं जिससे बरसात में पानी नहीं निकल पाता है और पानी की निकासी न होने से गंदगी इकट्ठी होती है। आपके माध्यम से मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस तरफ ध्यान दें। अभी सौलत अली साहब ने नगर पंचायतों-और नगरपालिका परिषदों को अधिकार देने की बात कही आप सहमत होंगे कि पहले इनके चेयरमैनों को चुनने का काम चुने हुये सभासद किया करते थे इसके पीछे कांसेप्ट यह रहा होगा कि इसमें निष्पक्षता नहीं होती है, आपने इनका चुनाव जनता द्वारा करने की पद्धति शुरू की। लेकिन इससे उनकी गर्दन पर तलवार लटकी रहती है और सभासद उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं और उनको हटा सकते हैं। इस प्रथा को समाप्त करना चाहिये। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाय कि जनता ही इन चुने हुये प्रतिनिधियों को हटा सके तो ज्यादा अच्छा होगा और चेयरमैन या अध्यक्ष अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। जो डूडा और सूडा की बात कही गयी है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं और इस कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

मान्यवर, अभी यह कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद हुसैनगंज से ट्रक नहीं गुजरने चाहिये यह उचित नहीं है। अगर यह घूमकर रायबरेली रोड पर जायेंगे तो करोड़ों रुपयों का डीजल लगेगा। रात को साढ़े 10 बजे हुसैनगंज में ट्रैफिक निल, बहुत कम हो जाता है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपके ट्रक चलते हैं क्या ?

डा० अरविन्द कुमार जैन–

हम तो डाक्टर हैं, ट्रक का क्या करेंगे ? आप लोग मरीज हैं तो हमें क्या दिक्कत है ।

* श्री गोमती यादव–

मान्यवर, आपने जो मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह बजट आम नागरिकों की आवासीय सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है । इसमें अल्प आय वर्ग की समस्याओं को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है और नगरीय क्षेत्र के पूर्ण विकास हेतु भी बजट में प्राविधान किया गया है । मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3-4 वर्षों में विभाग द्वारा जो कार्य किया गया है और जो विकास हुआ है वह पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है । मान्यवर, बड़ा आश्चर्य होता है कि जब विपक्ष के सदस्य बार-बार लखनऊ का नाम लेते हैं कि यहां पर बड़े कार्य हो रहे हैं । अगर वह चारबाग स्टेशन से चलते हैं तो वहां पर लिखा है कि मुस्कराइये कि आप लखनऊ में हैं ।

मुस्कराइए कि आप लखनऊ में हैं अगर यहां सड़क नहीं होगी पानी नहीं होगा तो फिर यह लिखा जाए कि रोइए कि आप लखनऊ में हैं । लखनऊ का विकास जरूरी है मैं अभी कानपुर गया था महाना जी बैठे हैं मैंने कानपुर देखा वहां घंटाघर चौराहा गया, फूलबाग गया मैंने देखा कि वह लखनऊ से अच्छा है । मैंने नोएडा देखा ग्रेटर नोएडा देखा अलीगढ़ देखा यह मुझे लखनऊ से अच्छे लगे । नवरात्रि में मैं विन्ध्यांचल के दर्शन करने गया था मैंने बनारस देखा तो बनारस मुझे कानपुर लखनऊ से अच्छा लगा । गोरखपुर इधर मैं कई दिनों से नहीं गया हूं वहां के मेयर किन्नर महोदय हैं लेकिन टण्डन जी ने वहां भी भेदभाव नहीं किया है । विकास कार्य वहां भी अच्छा हुआ है । यह कहना कि मात्र लखनऊ में ही विकास कार्य हुआ है उचित नहीं ।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है । इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है । जहां एक ओर विभाग के द्वारा अनेकों योजनायें चालू की गई हैं । आश्रयहीन योजना, अल्प आय वर्ग योजना, पांच रुपये, दस रुपये देकर गरीबों को आवास दिए जाने की योजना जो लोग सड़कों के किनारे रहते थे, नहरों के किनारे रहते थे उनको वहां से हटाकर आश्रयहीन योजना के तहत बसाया गया है । उसकी तारीफ हिन्दुस्तान में ही नहीं विदेशों से टीम आई थी मंत्री जी के साथ वहां दौरा हुआ था उन लोगों ने इस योजना की तारीफ की है । मैं इसके साथ ही कुछ सुझाव देना चाहता हूं । आवास विकास परिषद् और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो योजनाएं प्रस्तावित की जाती हैं जो भवन बनाए जाते हैं उसमें कब्जा लेने की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उसमें पांच-पांच साल, आठ-आठ साल लग जाते हैं तो मकान जैसे ही पूर्ण हो तुरन्त कब्जा देने की प्रक्रिया करनी चाहिये होता यह है कि यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अगर कोई मकान बनाकर उसमें ताला लगाकर पांच साल के लिए चला जाता है तो उसमें कहीं न कहीं सीलन आ जाएगी, दरवाजों में घुन लग जायेंगे अन्य नुकसान होगा जब आवंटी 6-6, 8-8 साल में कब्जा लेने जाता है तो कहता है कि घटिया मकान बनाए गए यही मकान अगर अतिशीघ्र आवंटित कर दिए जाएं । तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी । ई०डब्लू०एस०, एल०आई०जी० आदि के जितने मकान बनाकर देते हैं उसमें लगभग 30 प्रतिशत लागत एक्स्ट्रा बढ़ जाती है । लैण्ड एक्वीजीसन ऐक्ट में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए । जब लैण्ड एक्वीजीसन के लिए नोटीफिकेशन 417 व 617 का किया जाता है उस समय इस बात को देखा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाना चाहिए कि कोई मकान उसमें बना है, कोई रहट लगी है, पुल बना है आवास बना हुआ है अगर यह बने हों तो उसको पहले से चिन्हित कर लेना चाहिए बाद में कराने का काम नहीं करना चाहिए बल्कि पहले चिन्हित कर लेना चाहिए ।

आजकल आवास समितियां हैं इनकी एक बाढ़ सी आ गई है । प्लाटिंग बनाकर हट जाती है और हम लोगों से कहती हैं कि विधायक जी सड़क बनाईये नाली बनाइए रोड बनाने के लिए जगह नहीं छोड़ी जाती । मंत्री जी ने इस संबंध में कठोर कदम उठाएं हैं उनको दण्डित करने का काम किया है । ऐसे भी भू-माफिया हैं जो आवास समितियों के माध्यम से हमारी कीमती जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं, गोमती नगर फेस–3 योजना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । फेज–3 योजना महत्वपूर्ण योजना है । सौ करोड़ की योजना से शहीदपथ बनने जा रहा है । एक्सटर्नल डेवलपमेन्ट होने जा रहा है । वहां पर 6-7 समितियां ऐसी हैं जिन्होंने ढाई सौ से तीन सौ एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है । वे यह प्रयास कर रहे हैं कि एल०डी०ए० से छुड़वाकर प्लाटिंग कर दें । मान्यवर, जो योजना बनाई जाय उसमें जो गांव आते हैं उनका सर्वांगीकरण विकास किया जाना चाहिए । जब गांव समाज की सैकड़ों एकड़ जमीनें जो होती हैं वह नगर निगम की हो जाती है । जो भी गांव योजनाओं के बीच आते हैं, उनके चारों ओर सड़क छोड़ी जाय पार्क बनाये जायं और सभी ग्रामीणों की जमीनें जो अधिग्रहीत की जाती हैं कम से कम 80 प्रतिशत उनका भुगतान पूर्व में दिये जाने की व्यवस्था पर मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं । यह जारी रहनी चाहिए जो जमीन स्कूल के नाम पर ली जाती हैं उनकी जांच होती रहनी चाहिए कि वे विद्यालय ही बन रहे हैं या नहीं ।

गोमतीनगर में दस हजार स्क्वायर फिट के अन्दर बहुत बड़ा ऐसा हाल बना है जिसमें 40 हजार प्रति शादी के लिए लिया जाता है जबकि उसको जमीन विद्यालय के लिए दी गई थी । गोमतीनगर में अस्सी करोड़ की भूमि एल्डिको को गलत तरीके से दी गई है जबकि वह 110 बीघा पर कब्जा किये हुए हैं साथ ही बगल की 150 बीघा भी अब भू-माफियाओं को दी जा रही हैं । एक प्रस्ताव आया विधायकगणों को वहां भू-आवंटन कर दिया जाय लेकिन ऐसा नहीं हुआ । उस जमीन को एल०डी०ए० को देकर वहां अच्छी कालोनी बनाई जाय । आवास विकास के द्वारा कोई प्रापर्टी ट्रांसफर होती है तो उसका चालीस प्रतिशत लिया जाता है इसमें सुधार होना चाहिए । यह और कहीं नहीं है । हमारे यहां एक जानकीपुरम् योजना है ।

जानकीपुरम् योजना जीर्ण-शीर्ण हो गई है, वहां सड़कों की हालत भी बहुत खराब है । लखनऊ, आपका भी क्षेत्र है, मेरा भी क्षेत्र है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी क्षेत्र लखनऊ है । इस लखनऊ शहर की हालत इतनी खराब है, इसका सर्वांगीण विकास किया जाय । मान्यवर, इस प्रकार की कालोनियों को जब विकास प्राधिकरण या आवास विकास परिषद् बनाता है तो उनको तुरन्त ही नगर निगम को हैण्ड ओवर कर देना चाहिए ताकि वहां पर सफाई और पानी आदि की समुचित व्यवस्था वो कर सकें । मान्यवर, गोमतीनगर में विनयखण्ड में एक कम्युनिटी सेन्टर बना है और उसमें सी०आर०पी०एफ० 8 सालों से पड़ी है, उसको वहां से हटाया जाय । कोई आन्दोलन करता है तो वे बन्दूक लेकर निकल आते हैं । अतः आपसे निवेदन है कि उनको वहां से हटाया जाय । अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि आपसे हर विधायक को 50-50 हैण्ड पम्प देने की बात कही गई है । यदि आप यह दे दें तो हम भी अपने यहां जल्दी से हैण्ड पम्प लगवा लें ताकि पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अफजाल अहमद–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आवास एवं नगर विकास के बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह पांचवां बजट माननीय मंत्री जी पेश कर रहे हैं । मैं अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । मान्यवर, मै

पूर्वांचल के जौनपुर जनपद के नगर क्षेत्र से जहां 45 लाख की आबादी है । जहां पर 8 नगर पालिकाएं हैं, एक नगर परिषद् है, 2 नगर निगम हैं, 5 नगर पंचायत हैं । 3 लाख की आबादी से चुनकर आया हूं । आपने इस जनपद जौनपुर को कुछ नहीं दिया है । मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यहां पर नालियां टूटी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं । शुद्ध पेयजल के लिये 13 नलकूप हैं जिनमें से 7 बेकार हैं और 6 चल रहे हैं । माननीय मंत्री जी आपने अपने भाषण में गोमती एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान की बात कही है । मान्यवर, गोमती नदी लखनऊ से बहकर जौनपुर होकर जाती है । जौनपुर में भी गोमती एक्शन प्लान अधूरा है । गंगा एक्शन प्लान अधूरा पड़ा है । गंगा मां जो कि पवित्र हैं, जिसको मां का दर्जा दिया गया है । सरकार में बैठे हुए लोग उस पवित्र गंगा मां को मैली कह रहे है अपवित्र कह रहे हैं जो कि अपने सीने में कितनों को समेटे हुए है । मान्यवर, हम मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं लेकिन जो हमारी गंगा मां हैं, जिसको हम पवित्र मानते हैं, उसमें स्नान करते हैं, वजू करते हैं, नमाज करते हैं, उसे सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा अपवित्र कहा जा रहा है जो कि बड़े ही शर्म की बात है । गंगा मां का जो पवित्र स्थान है, उसको वह स्थान दिया जाय । मैं इस बी०जे०पी० की मिली जुली सरकार से कहना चाहता हूं कि चाहे गंगा हो, गोमती हो, जमुना हो, सबकी अपनी-अपनी मर्यादा है । इन मर्यादों का ध्यान रखते हुए कभी भी किसी ने इस तरह का आक्षेप नहीं किया । हम भी सरकार में थे और गंगा मां का पूरा-पूरा सम्मान किया है । मां की कोख पवित्र होती है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनको अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए ।

मान्यवर, मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र जौनपुर की तरफ ले जाना चाहता हूं कि नगर पालिका में सुधार करने के लिये जल्दी से जल्दी धन हमारे यहां पहुंचा दिया जाय । वहां पर वातावरण बहुत ही खराब हो रहा है । नालियां गन्दगी से भरी पड़ी हैं और बजबजा रही हैं । जिससे वहां पर कई संक्रामक रोग फैल रहे हैं । अभी माननीय सदस्य लखनऊ की बात कर रहे थे, बनारस की बात कर रहे थे । मान्यवर, बनारस तो बनारस के नाम से प्रसिद्ध है, लखनऊ शान-ए-अवध है तो मान्यवर, जौनपुर भी कम नहीं है वहां पूर्वांचल में कबीरदास जैसे महापुरुष पैदा हुए, राम मनोहर, महाबीर, राजनारायण जैसे लोग पैदा हुए । जौनपुर में एक ही पुल है, वहां पर दो पुल होने चाहिए । इसके साथ इतना कहना चाहता हूं कि नगर की व्यवस्था में जो भी सुधार कर सकते हैं उसके लिये धन आवंटित शीघ्र करें ताकि कुछ सुधार हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

19 सदस्य भाग ले चुके हैं अभी कम से कम 10 नाम और हैं बहुत लम्बा समय हो जाएगा ।

(व्यवधान)

अभी एक बजट और है । वर्मा जी आप एक मिनट में अपनी बात कहेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

एक मिनट में कौन कहेगा एक मिनट में तो आप भी नहीं कह पाएंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

दो मिनट में अपनी बात कहिए ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पानी की आदमी को एक दिन में मिनिमम कितनी आवश्यकता होती है एक दिन में कितना पानी मिलना चाहिए । कैसे इसका मानक बने आपके जो विशेषज्ञ हैं उनसे बात करावें । एक बात आपने कही कि मानक के अनुसार पेयजल की सुविधा होगी ।

(व्यवधान)

सुन लें बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। पांच लाख की आबादी वाले जो शहर हैं वहां प्रति व्यक्ति पानी देंगे डेढ़ सौ लीटर। एक लाख से पांच लाख की आबादी वाले जो शहर हैं वहां प्रति व्यक्ति पानी देंगे सवा सौ लीटर और 20,000 से एक लाख की आबादी वाले जो शहर हैं वहां प्रति व्यक्ति पानी जो देंगे उनको देंगे 100 लीटर और 20 हजार से कम की आबादी के जो शहर हैं वहां प्रति व्यक्ति पानी देंगे 70 लीटर मलिन बस्तियों को देंगे 40 लीटर प्रति व्यक्ति पानी, मैं जानना चाहता हूं क्या पानी की प्यास हर आदमी को आबादी के हिसाब से ज्यादा होगी बड़े शहर वालों को पानी ज्यादा पीने को जो उससे कम आबादी के हैं उनको उससे कम और जो उससे कम हैं उनको और ज्यादा कम आप गरीब आदमी के पीने का पानी घटाते जा रहे हैं और बड़े आदमी का बढ़ाते जा रहे हैं मैं इसका मानक जानना चाहता हूं, क्या यह सांइटिफिक मानक दिया है, हवा में तीर चलाने की बात नहीं है गांव जिले, कस्बे, महानगर, नगर और नगर पंचायत के व्यक्तियों को पानी पिलाने का काम आपका है इसमें जो विसंगति पैदा है आपने मानक बनाया है। इसके पीछे क्या षडयंत्र है। जैसे-जैसे धन का अभाव आपकी जेब में आ रहा है आप योजनाओं को घटा रहे हैं बड़े आदमी के लिए बढ़ा रहे हैं छोटे आदमी के लिए योजनाओं, उनके आकार में कमी कर रहे हैं। आप छोटे व्यक्ति के लिए पीने का पानी कम कर रहे हैं। दबाव डाल रहे हैं इसका उत्तर चाहते हैं। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, हिन्दुस्तान की सामाजिक संरचना के आधार पर उत्तर चाहते हैं। मानक जो छोटे आदमी के लिए कम कर रहे हैं जो शारीरिक मेहनत करता है पसीना निकालता है उनको पानी कम कर रहे हैं और जो एयरकंडीशन वाले हैं उनके लिए मानक ज्यादा है जिनको कम चाहिए यह विसंगति क्यों है। ठंडी जगह एयरकंडीशन में बैठने वालों को डेढ़ सौ लीटर पानी और गैर एयरकंडीशन वालों के लिए कम पानी का प्राविधान किया गया है।

भारत सरकार की पानी के मामले में रिपोर्ट आई एक यूनीसेफ की रिपोर्ट है एक एन०एस०ए० की रिपोर्ट है यह लोग अगर यह मानक देंखे तो इनको भी विसंगति मिलेगी और उत्तर प्रदेश में आपका महकमा है वह अवनति की ओर ले जायेगा। जिन शहर की आबादी 20 हजार रखी है भूगर्भ जल नीचे चला गया और वहां पर पानी की स्केरसिटी हो गयी तो आप वहां पर उसकी मिनिमम आवश्यकता को कम आंकते जा रहे हो। यह नहीं कि भूगर्भ जल में वृद्धि करके पानी के स्रोत को बढ़ायें। तो यह जो योजना बनायी है यह बिल्कुल अव्यवहारिक है और सही मामले में आप छोटे आदमियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। यह माननीय सदस्यों की आपकी चिलम भरने की पद्धति है इसको त्यागिये। आपके अधिकारियों ने जो सुझाव दिये हैं यह ठीक नहीं हैं।

एक बात और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी से आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं आपकी तरफ से सवाल पूछना चाहता हूं। आप भी ट्रेन से यात्रा पर जाते हैं और गये थे हर आदमी कह रहा था कि शहरों की हालत बहुत खराब है और शहर के बाहर भी हालत खराब है। शहर में जहां देखिये गन्दगी का ढेर लगा हुआ है। मक्खी, मच्छर, मैला फैला हुआ है, जल निकासी नहीं है, जगह-जगह पानी भरा है, सीवेज चोक है। यह स्थिति है। यमुना एक्शन प्लान 1996 से लागू हो गया, गंगा और गोमती एक्शन प्लान आ गया लेकिन फिर भी यह मैली की मैली है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि गोमती नदी का पानी प्रदूषित हो गया है। इतनी सारी योजनाएं आ गयीं, पैसा लग गया और फिर भी गंगा, यमुना और गोमती का पानी ठीक नहीं हुआ तो यह सबके लिए कलंक की बात है। इसको कैसे दूर करें इसके लिए चर्चा होनी चाहिए और इस पर माननीय सदस्यों को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, फिरोजाबाद में चार लाख की आबादी है और वहां पर पानी का घोर संकट है। इसी बात को लेकर पांच घंटे नेशनल हाईवे पर जाम रहा। बिजली नहीं आ रही थी इसलिए पानी भी नहीं मिल पाया। एक कुंआ वहां बोर हुआ लेकिन उसका पानी भी खारा था, लेकिन खारे पानी की सप्लाई हो रही है जो नहीं हो सकता है, तो इससे ज्यादा दुख, कलंक और लज्जा की बात क्या हो सकती है। एक साल के अन्दर वहां यह स्थिति होगी कि लोगों को पानी नहीं मिलेगा। मान्यवर, आगरा की बात कहना

चाहूंगा, वहां पर कोई आदमी नल की टोटी का पानी पीना पसन्द नहीं करता है। मान्यवर, देखते ही घृणा होती है रंग ऐसा है जैसे कोई पेशाब करके उसे शुद्ध कर दिया हो लेकिन उसका अभी पानी नहीं बदला। मान्यवर, दिल्ली में ओखला से जमुना जी का पानी नहीं है वह पूरा गाजियाबाद, नोयडा और हरियाणा आदि का गन्दा पानी आगे जा रहा है और ओखला के बाद जमुना का पानी नहीं है आप उस कचरे को साफ कर आगरा को पिला रहे हैं इससे ज्यादा लज्जा की बात हो ही नहीं सकती इस पानी के मामले में सफाई के मामले में आपने कानून बनाया कि कोई भी नदी में नगरपालिका अपना कचड़ा नहीं फेंक सकती है फेंक देगी तो जुर्माना होगा सारी नदियां गन्दगी से ओतप्रोत हो रही हैं। इस सरकार के लिए इससे ज्यादा और शर्म की बात क्या हो सकती है कि आप कीचड़ का सड़ा पानी लोगों को पिला रहे हैं इस पर गम्भीरता से विचार करें।

वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं है शराब पीओ और खुश रहो शराब की नीति आपने बना दी। आप हुडको से धन ले रहे हैं, टच योजना से पैसा ले रहे हैं और भी जगहों से नगर विकास और आवास की मद में पैसा ले रहे हैं इसका सदुपयोग होना चाहिए। आगरा में एक सीवेज प्लांट, धांधूपुरा में बनकर तैयार नहीं हो पाया वह.....

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त कर दें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

सीवेज प्लांट बन कर दैयार नहीं हुआ है वह जमीन में बैठ गया है जो दोषी हों उसमें आप जांच कराकर कार्यवाही करायें इसी के साथ मैं प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अभी हमारे माननीय सदस्य शुक्ला जी जो अधिष्ठाता के रूप में अपनी सीट पर मौजूद हैं उन्होंने अपने भाषण में यह कहा कि नेता विरोधी दल ने महान पुरुषों के स्टेच्यू लगाने के लिए जो हमारे आदर्श हैं उसके सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जब बजट के ऊपर बोला था तो उस समय मैंने कहा था कि नगर विकास विभाग का जो बजट है वह विगत वर्ष से इस वर्ष कम है जबकि हर वर्ष 10 परसेंट व्यय बढ़ जाता है। चाहे इक्रीमेंट के रूप में हो या मंहगाई के रूप में हो तो फिर कोई नया काम होने की संभावना हो ही नहीं सकती। हां इतना अवश्य है कि माननीय मंत्री जी सफाई के ऊपर खर्चा कम करें या पेयजल के ऊपर खर्चा कम कर देंगे तो बात अलग है। अब हम यहां पर यह कहना चाहते हैं। हम माननीय मंत्री जी से दो प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। मेरा पहला प्रश्न है –जो अभी हमारे शुक्ल जी ने कहा था उसके अनुसार क्या माननीय मंत्री जी केवल एक काम यह करेंगे कि बिठूर घाट पर एक गंदा नाला बहता है जो तमाम गन्दगी लाता है। हमारे कानपुर के विधायक भलीभांति परिचित होंगे कि उस नाले का लोग पानी पीते हैं, नहाते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी उसको डाइवर्ट करके पूर्व में कहीं डालने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट सब जगह टाउन एरिया के लिए कम किया है लेकिन हमारे दो टाउन एरिया विधुना और अहल्ला दोनों में कम किया है तो इसे दोनों में किस लिए कम किया है यह मैं नहीं जान पा रहा हूं।

(श्री लालजी टण्डन के खड़े होने पर)

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, अभी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है जब आप उत्तर भाषण दें तो उसी समय अपनी बात कह दें ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, नेता विरोधी दल के बोलने के बाद अब किसी के बोलने का औचित्य नहीं रहता है इसके बाद विभागीय मंत्री को ही जवाब देना रहता है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, जब पार्टी के नेता खड़े होते हैं तो उनको मौका दिया जाता है, स्पीकर साहब भी इसको कहे हैं । आप मौका नहीं दे रहे हैं कृपया बता दें ।

श्री अधिष्ठाता–

सबसे पहले जब चर्चा प्रारम्भ होती है तो माननीय सारे दलों के नेताओं से अनुरोध किया जाता है कि कृपया अपनी सूची पहुंचा दें लेकिन आज तक यह हो रहा है कि समाजवादी पार्टी की सूची आ जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सूची आ जाती है जब बहुजन समाज पार्टी के लोग होते हैं तो वह सूची भेज देते हैं, आपकी न तो सूची आई न आप थे ।

मैंने चर्चा समाप्त नहीं की है । (व्यवधान)

चर्चा प्रारम्भ होने पर न आप यहां होते हैं और न नाम होता है । मैंने मंत्री जी को अभी नहीं बुलाया है । मैं आपको अनुमति दे रहा हूं, आप बैठें ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब नेता पार्टियों के खड़े होते हैं तो उनको नाम भेजने की जरूरत नहीं होती है जब वह खड़े होते हैं तो उनको बुला लिया जाता है । ऐसा होता रहा है और ऐसा होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको अनुमति दे रहा हूं और आप व्यग्र हो रहे हैं आपका नाम जिस क्रम में है उसमें मैं आपको अनुमति दे रहा हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं दोनों कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश की तकरीबन 7 करोड़ आबादी आपकी निगाह के नीचे है, जो आपके मंत्रालय के अन्तर्गत आपकी तरफ देख रहे हैं । जो नगरपालिकाओं, महानगर पालिकाओं और शहरों में रहते हैं, वह 7 करोड़ आदमी हैं । जब जिक्र आता है तो महानगर पालिकाओं में लखनऊ का आता है । लखनऊ यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की कांस्टीट्वेन्सी है । यहां मुख्य मंत्री भी रहते हैं, आप भी तशरीफ रखते हैं, थोड़ा बहुत तरक्की तो जरूर होगी । लखनऊ की अगर बात की जाय तो महानगर, गोमती नगर, इसके अलावा पुराना लखनऊ भी है । आप उसकी तुलना भी करके देखिये, अपने वहां और यहां में क्या अन्तर है । आपने जितने फ्लाईओवर यहां बनाये, बहुत अच्छे हैं । मगर उसकी तुलना में जो लखनऊ का अन्दरूनी इलाका है, जहां आदमी पैदल जा सकता है, वहां की हालत क्या है, उसके ऊपर भी आपको गौर करना पड़ेगा । सिर्फ महानगर पालिका ही इस प्रदेश का शहरी क्षेत्र नहीं है । आपकी निगाह उन पर भी पड़नी चाहिये, जो नगर पालिकायें हैं, नोटीफाइड एरियाज हैं, टाउन एरियाज हैं । आपने उनका कोई बहुत लम्बा जिक्र नहीं किया, केवल अपने भाषण में बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ इन बड़े-बड़े शहरों का ही जिक्र कर दिया और

उन सारी नगरपालिकाओं, टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज को भूल गये, इसका नतीजा यह हो रहा है कि 4-5 साल से वहां बजट योजना में कोई ऐसी चीज नहीं पहुंच पाई जो आप यहां कह सकें। आप खुद भी नहीं कह पाये कि हमने इस टाउन एरिया में, इस नोटीफाइड एरिया में यह काम करा दिया, हो सकता है, एक आध जगह कोई काम हुआ हो, लेकिन आप ऐसी जगहों पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा पाये, वहां आज वही स्थिति है, जो आज से 10 से 15 साल पहले थी, पिछले 2-4 साल से आपने वहां कोई हैन्डपम्प नहीं दिया, 30 साल से जल निगम द्वारा कोई ओवरहेड टैंक नहीं बनाया गया, यह समस्या अपनी जगह बरकरार है। जो जनता वहां रहती है, उसकी भी संख्या 2-3 करोड़ है, उसके प्रति भी आपका फर्ज बनता है कि जब आम नगरपालिकाओं की बात करें तो छोटे टाउन एरियाज, नोटीफाइड एरियाज की भी बात करें।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो बिल्डिगें आपके यहां बन रही हैं, जो गुजरात में भूकम्प की त्रासदी आई, उससे जो समस्या आई, मैं जानना चाहूंगा कि खुद लखनऊ के अन्दर जो प्राइवेट या आपकी एथारिटी एल०डी०ए० अथवा के०डी०ए० जो बिल्डिगें बना रहे हैं, क्या वह मापदण्ड कर रही हैं, जो भारत सरकार ने निर्धारित किये हैं, मेरे ख्याल में नहीं और मान्यवर, अगर ऐसा प्रकोप आ गया तो फिर यही लिखा जायेगा कि हमें करना चाहिए था मगर हम उनको नहीं कर पाये। मान्यवर, मेरी जानकारी में यह है कि पूरे प्रदेश में जहां भी आपके निर्माण कार्य हो रहे हैं, जहां भी तिमंजला, चहुमंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, जो भारत सरकार ने बना कर दिया है और जिसे जरूरी बना दिया है उसे आप नहीं अपना रहे हैं। महोदय, मेरे पास एक तस्वीर भी है और यह रजनीखण्ड, जो आपके यहां शारदा नगर लखनऊ में है, यह मकान एल०डी०ए० ने बनाये हैं। मान्यवर, उन 600 मकानों में जाने का कोई रास्ता है नहीं अगर आप उसमें जाना चाहें तो आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन मकानों में घुसने के लिए। मंत्री जी आपको यह भिजवा दूंगा। मान्यवर, जहां दरवाजा है उससे 10 फीट नीचे रास्ता जाता है, उसमें चौखट खत्म हो गयी है। इन मकानों को प्रधानमंत्री की स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार के पैसे से बनाया गया था तो मान्यवर, यह इन एथारिटी की टेक्निक है।

मान्यवर, दो एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि सूडा और डूडा जो दो स्कीम हैं, यह भारत सरकार की हैं और यह भी निर्णय है कि यह मलिन बस्तियों के लिए है लेकिन आपका इन्साफ सही नहीं है, इसमें आपकी मर्जी तो होनी ही चाहिए, उसमें आपकी सेंग्शन तो होगी ही। आप जब सेंग्शन करें तो उसमें इतनी सिफारिश न कर दें कि एक ही जगह सूडा और डूडा का पैसा लगा दें, मैं बता भी सकता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर तुतिया मई में जितना आपने दिया है, पश्चिम के नगर में आपने उतना नहीं दिया है। यह विवेक पर है, इसको आप देखें भी। मान्यवर, जहां आपकी निगाह जाती है केवल वहीं पर मलिन बस्तियां नहीं होती, मलिन बस्तियां वहां भी होती हैं जहां आपकी निगाह नहीं जाती है। मान्यवर, मैं एक बात आपके दिमाग में डालना चाहता हूं जो मेरठ में हो रहा है। वहां आपके जितने भी बस स्टेशन थे या जो हैं रोडवेज के, वह बिक गये हैं खत्म कर दिये गये हैं यह कहकर कि यहां भीड़ बहुत हो जाती है लेकिन मान्यवर, अभी तक हिन्दुस्तान का कोई हिस्सा अमेरिका नहीं बना है। यहां अभी रहने की सुविधा को भी देखा जाता है, क्या आप हर बस स्टेशन शहर से 20 कि०मी० दूर बना देंगे और उस जमीन को भू-माफियाओं को दे देंगे ? मान्यवर, मेरी जानकारी में यह है कि यू०पी० रोडवेज भैया जी का जो स्थान है वह भी बिकने की स्थिति में है और निगाह लगी हुई है, अथार्टीज मिलकर उसे बेचना चाहती हैं। उसे रुकवा दीजिए क्योंकि यह करोड़ों रुपये की जमीन है। धन्यवाद।

* डा० पूर्णमासी पंकज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे आवास एवं नगर विकास विभाग के बजट में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात प्रारम्भ करता हूं।

दबे कुचलों को खुश नुमा उपहार, यह बजट
नगरीय मलिन बस्ती करे, सुधार यह बजट,
शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोटी, भवन मुफ्त में
सुख सुविधा सम्पन्न करे हर परिवार, यह बजट ।।

सफाई कर्मियों का बहु कल्याण कर रहे
स्वच्छकार मुक्ति योजना का विधान कर रहे
सिर पर मैला ढोने की प्रथा बन्द कर श्रीमन्
शौचालयों का अधिकाधिक निर्माण कर रहे ।।

रहने को जगह है नहीं जो दीन हीन हैं
आश्रय हम दे रहे जो यहां छत विहीन हैं
निःशुल्क भूमि और भवन की व्यवस्था कर
परिवार खुश रखेंगे हम, योजना नवीन है ।।

क्या एक योजना में यह अधिकार बनेगा
बेकार नौजवान दुकानदार बनेगा
कालोनियों में अवैध अतिक्रमण को रोक कर
बेरोजगारों को वही पर सफल रोजगार मिलेगा ।।

सरकार मलिन बस्तियों के द्वारा चल पड़ी
नगरों के चौपालों पर हर शुक्रवार चल पड़ी
पिछड़े गरीब, दलित जो असंगठित रहे
समस्या निवारणार्थ हर प्रकार चल पड़ी ।।

मलिन बस्तियों का सर्वांगीण विकास करेंगे
एक सौ उन्नीस करोड़ खर्च का प्रयास करेंगे
बाल्मीकि मलिन बस्ती सुधार योजना द्वारा
यू०पी० में पहली बार ऐसा खास करेंगे ।।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा

नगरों में पूर्ण रूप गरीबी उन्मूलन करेंगे
प्राकृतिक संसाधनों का भी विदोहन करेंगे
पेयजल के लिए अमृत धारा योजना चला
विकास का सफल प्रयास श्री लालजी टण्डन करेंगे ।।

माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि सुरियावां नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा शीघ्र प्रदान किया जाय । भदोही नगर के अन्दर से बूचड़खाना सलाटर हाउस नगर के बाहर भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ किन्तु बीच में बन्द कर दिया गया है उसे शीघ्र पूर्ण कराया जाय । मान्यवर,

विकास हो रहा है बड़े जोर-शोर से
आवाज आ रही है श्रीमन् चारों ओर से
कटौती न करे बजट हैं महत्वपूर्ण यहां
निवेदन है हमारा श्रीमन् कौशल किशोर से ।।

भदोही नगर का सीवर कब से पड़ा जाम है
जल जमाव से दुखी सारा अवाम है
टूटी है सड़कें, मच्छरों की भीड़ बढ़ी है
धन की व्यवस्था कर दे बड़ा पुण्य काम है ।।

पानी की टंकी बन रही पड़ी है अधूरी
संकट है पेयजल का है बनना भी जरूरी
पैसा चला गया अधिकारी सुस्त पड़े हैं
टाउन नई बाजार से क्यों रखे हैं दूरी ।।

सुरियावां में पेयजल का है किल्लत प्रचण्ड से
टंकी अधूरी छोड़ गये अधिकारी उदण्ड से
सड़कें हैं टूटी, जल जमाव दूर करायें
धन शीघ्र दिलायें यहां रिवाल्विंग फण्ड से ।।

सी० एण्ड डी०एस० तो नाक में है दम कर रहा
धन भी हड़पने का धन्धा गरम कर रहा
अधूरे हो पूर्ण, जांच करा कर करें दण्डित
जनता में भी तो यह विश्वास खत्म कर रहा ।।

कार्यों की समीक्षा डेज टू डेज कीजिए
गलती करने वालों से भी परहेज कीजिए
बदनाम करने की भी जो है साजिश कर रहे
उनके विरुद्ध कार्यवाही भी तेज कीजिए ।।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, समय बहुत थोड़ा है और इस पर बहुत गंभीर चर्चा हुई है इस पर और गंभीर चर्चा करके इसको बोझिल नहीं करना चाह रहा हूं। आवास एवं नगर विकास विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव डा० कौशल किशोर और अरविन्द गिरि ने रखा है उसके समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर,

"सारा शहर कर्ज में डूबा हुआ है,
बोझ उठाने को मेरा गांव तो है।"

मान्यवर, जिस तरह से बड़े-बड़े दावे और आडम्बर खड़ा कर जो तस्वीर बनाने और दिखाने का प्रयास किया जा रहा है यह वास्तविक तस्वीर नहीं है, यह छलावा है और इस छलावे में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब आदरणीय टण्डन जी प्रदेश के लिए आवास एवं नगर विकास विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो बजट साहित्य में जो चर्चा आयी है वह कुछ और ही है और बजट भाषण में कुछ और श्रेष्ठतम मंत्री हैं किन परिस्थितियों में मुख्य मंत्री नहीं हो सके। एक बात हमने बड़े गौर से देखी है कि आज चार शहरों का नाम सबसे ज्यादा लिया गया, कई बार लिया गया, माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय शीमा रिजवी जी, माननीय टण्डन जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र हैं। उनका इतना ख्याल रखा गया, रखना ही चाहिए। आज की चर्चा में सबसे ज्यादा नाम इन्हीं के क्षेत्रों का आया है। इसके अतिरिक्त एक नाम और आया है, वह है कानपुर। कानपुर आपके राज्य मंत्री जी का क्षेत्र है इसलिए उस क्षेत्र का नाम आज चर्चा में कई बार आया है। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो क्षेत्र हैं, उनका नाम नहीं लिया गया। प्रतिपक्ष के जो सदस्य हैं, उनके क्षेत्रों का नाम आज चर्चा में नहीं आया है केवल उन्हीं क्षेत्रों का नाम अधिकाधिक बार आया है जो बड़े प्रतिभा वाले लोगों के क्षेत्र हैं। अन्य क्षेत्रों के नाम माननीय टण्डन जी आज चर्चा में न रख सके। अन्य जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर आपकी नजर एक बार भी गयी। सबसे ज्यादा जिक्र जिस क्षेत्र का किया गया है वह है लखनऊ।

मान्यवर, आज सबसे ज्यादा जिस समस्या का जिक्र किया गया है वह है शुद्ध पेयजल और इसके बारे में माननीय टण्डन जी ने प्रकारान्तर में इसी सदन में प्रत्येक विधायक के क्षेत्र में 50-50 हैण्डपाईप लगवाने का जिक्र पिछली बार किया था लेकिन माननीय टण्डन जी ने अपनी घोषणा को आज के कैटेगोरिकली साफतौर से उसको मना कर दिया। तो यह जो काम सदन में हुआ है तो मैं चाहूंगा अभी जब वह अपना उत्तर भाषण देंगे जो बातें पीछे कहीं थीं उन्हें दोहरा देंगे कि जो प्रदेश के शहरी और नगरीय क्षेत्र हैं उनमें 50-50 हैण्डपाईप दिये जाने का काम किया है। मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो कुम्भ मेले के संबंध में कही गयी है कि मैंने प्रदेश में पहली बार कुम्भ मेले में ऐसी संस्कृति का समावेश किया, पहली बार ऐसी व्यवस्था की गयी जिसे सभी ने सराहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संयोगवश मुख्य मंत्री जी 6 माह से मुख्य मंत्री हैं। मान्यवर, पहली बार मुख्य मंत्री हो गये तो जबसे माननीय मुख्य मंत्री जी, मुख्य मंत्री हुए हैं तब से इस सदन में पहली बार का एव तकिया कलाम सा शुरू हो गया है आज माननीय मंत्री जी ने कुल मिलाकर सदन में 9 बार "पहर्ल बार" शब्द का प्रयोग किया है। पहली बार दलितों के लिए यह व्यवस्था की गई है। पहली बार या प्लान्ट स्थापित किया गया है। तो मान्यवर, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहली बार किया गया है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध है कि जो वह बार-बार, "पहली बार" दोहरा रहे हैं उसे न दोहराया जाय । इसमें पहली बार जैसी कोई बात नहीं है कि "पहली बार" किया जा रहा हो । मान्यवर, गंगा एक्शन प्लान्ट का जो हश्र हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप संक्षेप करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, गंगा एक्शन प्लान विदेश से अनुदानित योजना थी यह गंगा नदी को शुद्ध करने के लिये थी लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया है । गंगा नदी को सचमुच प्रदूषण से मुक्त किये जाने का प्रयास होना चाहिये था लेकिन वह नहीं किया गया । मान्यवर, इस तरह से गोमती एक्शन प्लान शुरू हुआ इसका जिक्र नहीं किया । यह 100 करोड़ रुपये की योजना थी इसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला । सभी सदस्यों की चिन्ता है कि गोमती के पानी की क्या हालत है नागरिकों के सहयोग से स्वच्छ करने के लिए योजना थी, लेकिन इसकी सफाई नहीं हुई, मल-मूत्र को चाहे जितना छाना जाये वह पेयजल नहीं हो पायेगा । इस संबंध में आपने मथुरा का जिक्र किया कि गोकुल बैराज बना दिया गया है वहां की समस्या का समाधान हो गया है । अजय कुमार पोइया जी कम से कम इस सत्र में 8 बार मथुरा की पेयजल समस्या के बारे में कह चुके हैं । हां या तो उनकी कथनी झूठ होगी, लेकिन मैं मान नहीं सकता कि उनकी कथनी झूठ है । बुन्देलखण्ड में सर्वाधिक पानी की समस्या है । वहां के सदस्यों से बात होती है तो बताते हैं कि पेयजल का संकट है । आपने कहा कि झांसी में अगले 30 वर्ष के लिए पानी का इंतजाम कर दिया है । मान्यवर, इस तरह की रिपोर्ट दे करके आप समस्याओं की अनदेखी करने जा रहे हैं इसके लिए विशेष प्रबन्ध किये जाने जरूरी हैं । मान्यवर, पेयजल की जो समस्या है वह राजभवन से लेकर हर क्षेत्र में पेयजल की समस्या है ।

एक बात कहना चाहता हूं कि पूर्व के बजट भाषण में आपने चर्चा की थी अम्बेडकर नगर उद्यान की । आपने इस तरह की चर्चा की थी जैसे शाहजहां ने कोई ताजमहल बनवा दिया हो । आदरणीया बहन जी जब आपके साथ थीं आपका उनका भाई-बहन का रिश्ता प्रगट था और भाई-बहन ने कैसे सुन्दर गालियां एक दूसरे को दिया वह आप जानते होंगे मैं उसके बीच में नहीं पड़ना चाहता । भाई-बहन दोनों ने मिलकर अम्बेडकर उद्यान को एक महत्वाकांक्षी योजना बताते थे, लेकिन आज बजट में कहीं उसका जिक्र नहीं है, कोई खबर नहीं है अम्बेडकर उद्यान के बारे में । अम्बेडकर नगर उद्यान के बारे में जांच हुई आपका विभाग उसमें किस तरह पकड़ा गया, किस-किस को आपने सजा, किस-किस को छोड़ दिया । मित्र को छोड़ दिया और दुष्ट को दण्डित किया यह आप जानें । पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है । अम्बेडकर उद्यान में जो इतने बड़े घपले हुए हैं और उस संबंध में क्या स्थिति है उसकी जानकारी आप सदन में दें । मान्यवर, लखनऊ में सौन्दर्यीकरण हो रहा है, लेकिन अम्बेडकर उद्यान का कोई जिक्र नहीं है । लगता है कि कोई बड़ा भारी घोटाला है । मैं निश्चित रूप से जानना चाहूंगा कि जब उत्तर भाषण में इसके बारे में बतायें । अंत में मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आजादी की लड़ाई चल रही थी, उससे आपको लेना-देना नहीं है । हिन्दुस्तान आजाद हुआ इसलिए आप नगर विकास मंत्री हैं और हम विधायक हैं । हिन्दुस्तान में सबसे पहले आजादी की लड़ाई बलिया से शुरू हुई थी । सारे हिन्दुस्तान में मिदनापुर, बलिया में आजादी के दीवानों ने परचम लहराया ।

मान्यवर, बलिया में खजाने पर कब्जा कर लिया गया और ऐसा करके बरतानियां हुकूमत के गाल पर तमाचा मारने का काम किया है । मान्यवर, बलिया के लिये 1909 में सरकार ने एक योजना की घोषणा की थी, आप बलिया के बारे में योजना को स्वीकृत करने के बारे में अपने उत्तर भाषण में जरूर कहें । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

डा० कौशल किशोर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नगर विकास विभाग पर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही थी ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी कटौती नगर विकास पर नहीं है आप भूल जाते हैं ।

डा० कौशल किशोर–

जब मैं घर पहुंचता हूं तो आवास विभाग हो जाता है और जब मैं रास्ते में होता हूं तो नगर विकास विभाग होता है । इसी कारण मैं भूल जाता हूं और गड़बड़ी हो जाती है । दोनों में बहुत निकट का संबंध है । मान्यवर, अभी एक बात कही गयी थी मैं उसको दोहराना नहीं चाहता और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां डूडा के अन्तर्गत एक कालोनी का निर्माण किया जाना था । मैंने लखीमपुर के लिये एक कालोनी को प्रस्तावित किया लेकिन उसमें केवल एक सड़क बना दी गयी तो इससे कहां विकास हो गया । हमारे सत्ता पक्ष के लोग अपने नेताओं को बहुत जल्दी भूल जाते हैं । इन्होंने दीनदयाल योजना के अन्तर्गत सड़क बनाने की बात कही लेकिन उनको भूल गये, इसी तरह से भाऊ राव देवरस के नाम से कालोनी बनाने की बात कही लेकिन उनको भूल गये और आज उनका जिक्र नहीं किया । लखनऊ के बारे में यहां पर बहुत जिक्र आया अगर आप लखनऊ का बहुत विकास कर देंगे तो क्या उससे सारा प्रदेश विकसित हो जाएगा । अगर किसी गांव में एक आदमी बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाय तो क्या सारे गांव को पढ़ा हुआ माना जायगा । आपको और नगरों की भी चिन्ता करनी चाहिये । मेरठ, आगरा, और पूर्वी जिले हैं जिनका कहीं जिक्र आपने नहीं किया । समस्या थोड़ी जल सप्लाई की है जहां-जहां आप भवन बनाएंगें वहां जल सप्लाई होनी चाहिये । मैं चाहूंगा कि जितने भी टाउन एरिया हैं उनमें सबसें पहले जल समस्या को दूर करने के लिए इण्डिया मार्क टू हैण्डपम्प लगाएं । एक समस्या लखनऊ की है कल्याणपुर में पानी की टंकी है राजीव नगर में बनी है उसके आस-पास सड़क कहीं नहीं है इसके कारण जल भराव हो जाता है इसलिए सड़क बनाकर कंचना बिहार मार्ग तक जोड़ा जाए तो कुछ विकास हो सके । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं एक डकैत मालिक के यहां गया उसने कहा कि मैंने बन्दूक चलाना छोड़ दिया है क्योंकि यह गलत काम है लेकिन मेरा अनुरोध है कि सारा धन मुझे दे दो । यही काम सरकार ने किया । पिछले साल हमारी तरफ से कटौती का प्रस्ताव आया था व जो बजट पास हुआ था उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ इसलिए पुनः कटौती का प्रस्ताव लाया गया है व मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहूंगा कि इसे स्वीकार किया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अरविन्द जी संक्षेप में अपनी बात रखें ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, नगर विकास के इस कटौती के प्रस्ताव पर श्री बाल चन्द्र मिश्र, श्री सीताराम निषाद, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री राम कुमार एडवोकेट, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री राम प्यारे सिंह, श्री सुरेश श्रीवास्तव, श्री छोटे लाल, श्री वशीम अहमद, श्री दीपलाल भारती, श्री राम औतार शाक्य, श्री गोमती यादव, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री अफजल भाई, श्री पूर्णमासी पंकज, श्री अम्बिका चौधरी जो बहुत

वरिष्ठ सदस्य हैं आदि माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे । मुझे खुशी है कि मेरा यह पहला प्रयास था मैंने आलोचनात्मक कम सुझावात्मक बातें ज्यादा रखी कहीं न कहीं से सभी ने मेरी बात का समर्थन किया । मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं । जलापूर्ति की समस्या, जलोत्सारण की समस्या, सफाई कर्मियों की समस्या, स्थानीय निकायों के कर निर्धारण और कर वसूली की समस्या आदि अनेक समस्याओं का जिक्र किया गया । मंत्री जी आपका विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है । इस विभाग में स्थानीय निकायों का जो परिवार है चाहे अधिशासी अधिकारी हो या अध्यक्ष हो, सफाई कर्मचारी हों, या अन्य कर्मचारी यह एक संयुक्त परिवार है । अधिशासी अधिकारी और नगर अध्यक्ष इन दोनों के सामन्जस्य और समन्वय से यह परिवार फलता फूलता है व जनता के प्रतिनिधि अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं । वे जनता का विश्वास कायम रखने में सफल रहते हैं लेकिन बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां अधिशासी अधिकारी और नगर अध्यक्ष के मध्य विवादों का जन्म हुआ व आरोप प्रत्यारोप का जन्म हुआ तो जिस प्रकार संयुक्त परिवार में विघटन की स्थिति विषम परिस्थितियों को पैदा करती है उसी प्रकार इन स्थानीय निकायों में स्थिति बनी अगर ऐसी स्थिति आती है तो वह गम्भीर समस्या का जन्म होता है व ऐसी नगर पालिकाएं, नगर परिषदें, नगर पंचायतें व ऐसे नगर निगम अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते अतः इन स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और कार्य योजना बनाई जानी चाहिए । जिसका समय रहते उनका निपटारा हो । यदि ऐसा होता है तो आरोपों प्रत्यारोपों का जन्म नहीं होगा और जो विभिन्न समस्यायें हैं उनका भी निस्तारण हो सकेगा । जनता की उम्मीदों से काम होना चाहिए । इसके बाद जो सबसे बड़ी अहम समस्या है वह यह जिला प्रशासन का अपने अधिकारों से बाहर जाकर कर्मचारियों पर अपने अधिकारों का प्रयोग करना । कहीं-कहीं यह देखा गया है कि निगम, परिषद का अध्यक्ष किसी कर्मचारी को निलम्बित या वेतन रोकने का दण्ड देता है तो जिला प्रशासन उसको बहाल कर देता है जैसे कि मुहम्मदीपुर में एक कर्मचारी को अध्यक्ष ने उसके गलत व्यवहार के कारण निलम्बित किया तो जिला प्रशासन ने उसको बहाल कर दिया । यह परिस्थिति जहां-जहां पर होती है वहां कार्य प्रभावित होता है । मैं यदि बाबा भोलेनाथ की नगरी जहां हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं उसका जिक्र न करूं तो मेरी बात अधूरी रह जायगी । आपने कहा था विधायकों को नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में मदद करनी चाहिए तो यह पहला अवसर होगा कि 45 लाख रुपया विधायक निधि से गोलानगर के लिए दिया गया वहां तो आपकी वैसे भी कृपा है । इस नगरी के वक्ष स्थल पर बीचो-बीच में सात एकड़ भूमि खाली है वहां पर आईडीएसएम योजना जिसको कोई जौहरी साहब ने शुरू किया था पूरा नहीं किया गया उन जौहरी साहब का स्थानान्तरण कर दिया गया और जो दूसरे अधिकारी आये हैं वे उस योजना को प्लान नहीं कर पा रहे हैं । वहां पर पार्क बनाया जाना चाहिए मैं अनुमानित लागत का चाहता हूं कि आधा आप दे दे और आधा नगर के लोग देने को तैयार है । गोला के अन्दर बाई पास मार्ग की संस्तुति करने का कष्ट करें । नगर में मैं चाहता हूं कि 200 आवास उन आश्रयहीन लोगों के लिए बनाये जाने चाहिए जिनके पास आवास नहीं है । आपने कुम्भ मेले की बात कही मैं सराहना करता हूं लेकिन अन्य जगहों पर भी मेले लगते हैं हमारे गोलानगर में एक चैटी मेला हर साल लगता है उसमें 5 से 6 लाख लोग आते हैं वहां पर भी नगर विकास की तरफ से व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए । अलीगंज रोड पर एक ओवर ब्रिज बनाया जाय ताकि वहां की लोकल समस्या का हल हो सके । कहीं ऐसा न हो कि जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी पर हैदरगढ़ और ऊर्जा मंत्री पर हरदोई की कृपा का जो आक्षेप लगता है आप पर भी वैसा ही कोई आक्षेप न लग जाय । मैं अपनी कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । एक बात और कि.....

मान्यवर, सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी ने कुछ कहा था, मुझे याद नहीं रहा । कुछ उंगलियां छू जाने, जल जाने की बात कहीं थी । मान्यवर, पूरे प्रदेश की नगरीय विकास की जो योजनाऐं हैं, जो सपना है उसके लिये जरूर काम करें । इतना ही कहना चाहता हूं कहां तो तय था चरागां हरेक घर के लिये कहां

मयस्सर नहीं चरागां हरेक शहर के लिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, मैंने कटौती के प्रस्ताव को पेश करने वाले डा० कौशल किशोर जी और श्री अरविन्द गिरि जी को सुना और कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है । हालांकि मैं डा० कौशल किशोर जी क्या बोल रहे थे, समझ नहीं सका लेकिन गिरि जी ने जो अभी सारी पंचायत राज व्यवस्था के संचालन के बारे में पाजीटिव व्याख्यान दिया उससे मुझे जरूर बहुत लाभ हुआ है । यह ठीक है कि मलिन बस्ती सुधार योजना शुरू हुई । यह हमने पिछले साल भी कहा था उसके पहले भी कहा था और अगले साल भी कहेंगे । इसलिये कि एक वक्त वह था कि जब यह पैसा आता था लेकिन कोई नहीं जानता था कि 'सूडा' नाम की कोई संस्था प्रदेश में है । आज अपने हृदय पर हाथ रखकर ईमानदारी के साथ कहिये कि यह पैसा मलिन बस्तियों में लग रहा है कि नहीं ? हम मानते हैं कि सब पाक साफ है ऐसा नहीं है । कुछ न कुछ कहीं न कहीं दुरुपयोग भी होता है लेकिन हमने यह भी नहीं छोड़ा । भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्यवाही हुई हैं हमारे इन विभागों में जो एफ०आई०आर०हुई हैं वह 18 दर्ज हुई हैं । निलम्बन और वैभागिक कार्यवाही 941 हुई है । आरोप-पत्र और दण्ड की 388 कार्यवाहियां की गई हैं । मैं कहां कह रहा हूं कि सबका हृदय परिवर्तित हो गया है, सब पवित्र हो गये हैं, सब देवता हो गये हैं, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हैं यह दावा नहीं कर सकता । पूर्णता जो है वह कभी मनुष्य में नहीं आती । पूर्णता तो ब्रह्म हैं, परमात्मा है, जिसमें आप विश्वास करते हो, न करते हों इसलिये जो पूर्णता का दावा करते हैं, हमेशा दूसरों को धोखा देते हैं । जब मैं कहता हूं, आप कहते हैं कि कुछ है ही नहीं । सही अर्थों में हैदाराबाद के अलावा यह दूसरा राज्य है आन्ध्र प्रदेश के बाद, जहां पर हम पहली बार नागरिक चार्टर लागू कर रहे हैं । आज तक किसी ने यह साहस नहीं किया था । नागरिक चार्टर का अर्थ है कि जो जनता के लिये जो काम करना है, वह अधिकारी नहीं करता है तो जो उससे पीड़ित होता है उसको उसे 200 रुपये हर्जाना देना होता है । इसके बाद दूसरे चरण में यह देखा जायेगा कि जो जनता का अधिकार था उसको दिया जाना चाहिए था वह क्यों नहीं दिया गया ? इस सच्चाई तक जाने के लिये बहुत बड़े दिल के लोगों की आवश्यकता है । अभी हमारे नेता विरोधी दल ने कुछ कहा । उनका विशेष स्थान है, वे जो लिखकर दे देंगे, मैं नहीं देखूंगा उसी तरह कर दूंगा । नेता सदन मुख्य मंत्री हैं, वैसे ही नेता विरोधी दल हैं । उनको भी वही सम्मान है, लोकतंत्र में जो वे कह देंगे वह हो जायेगा । इसीलिये मैं उनकी बात का उत्तर नहीं दे सकता हूं । आपने जो कहा इसीलिये मैंने जब अपना बजट पेश करने के पहले लगभग सभी बिन्दुओं के ऊपर पारदर्शी नीति रख दी कि क्या हैं ? पेयजल के लिये आपको चिन्ता है, हमको नहीं है । हमने कहा है कि पेयजल के लिये कोई धन की कमी नहीं होगी । जहां-जहां योजनाएं अधूरी होंगी उनको पूरा किया जायेगा । बुन्देलखण्ड के लिये कभी नहीं कहा कि वहां सब पूरी हो गयीं । मैंने कहा बुन्देलखण्ड के अन्दर हर जगह पेयजल योजना चालू है । जहां पेयजल का संकट है इसके लिये पांच करोड़ रुपया भेज दिया गया है इससे कहीं हैण्डपम्प खराब है तो उसको ठीक कराया जाएगा ट्यूबवेल की री-बोरिंग कराई जानी है उसको कराया जाएगा ताकि पानी का जो संकट है उसमें तत्काल राहत मिले । चौधरी जी चले गये हैं मैं कहना चाहूंगा–

बड़े शौक से सुन रहा था जमाना
हम ही सो गए दास्तां कहते-कहते ।।

कई योजनायें चल रही हैं अधिकारी जिन क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं जहां बीहड़ क्षेत्र हैं ऐसे बीहड़ क्षेत्रों में काम हो रहा है । सदियों से जहां कोई योजना नहीं थी वहां हम योजनायें चला रहे हैं । पेयजल के लिये आप कहते हैं मैं बताना चाहूंगा कि 16 नगर ऐसे थे जहां पाइप सप्लाई नहीं थी । कौकब साहब आपको बताना चाहूंगा 16 जगह से पाइप सप्लाई शुरू हो गई है । 13 ऐसे नगर हैं जहां 40 करोड़ रुपया

खर्चा करके पाइप सप्लाई की गई है । यह पूरे होने के बाद प्रदेश में एक नगर ऐसा नहीं होगा जहां पाइप सप्लाई न हो । दूसरा प्रश्न है कि फिर भी कमी है, तो हम मना कहां कर रहे हैं आप भी होंगे तो यही कहेंगे । अभी तक जो मानक हैं वर्मा जी ने मानक की बात कही, पता नहीं यह आगरा का इतिहास जानते हैं या नहीं तीन बार राजधानी बदली है फिरोजाबाद तब आगरा में था, आगरा का पड़ोसी होने के नाते कुछ असर होगा । बुढ़ापे में प्यास बढ़ जाए तो गजब हो जाता है । (हंसी)

श्री अम्बिका चौधरी–

इनकी प्यास तो दुनिया जान गई ।

श्री लालजी टण्डन–

85 योजनायें अधूरी हैं अभी आप कह रहे थे आजमगढ़ के बारे में माननीय सदस्य चले गये मैं पिछले सप्ताह मुबारकपुर गया था पूरे शहर में शायद मैं समझता हूं यह लोगों का विश्वास होगा मैं आया हूं तो विकास हो जाएगा आपकी कृपा से मुझे जनता का यही ईनाम है । सब सहयोग दें, सबके कार्य हों, मैं अपने ऊपर नहीं ओढ़ता हूं विकास के काम में पक्ष और विपक्ष नहीं मानता हूं पक्ष विपक्ष तो नीतियों में है लेकिन अगर कहीं नाली बननी है गरीबों का मकान बनना है, पेयजल की व्यवस्था होनी है इसमें राजनीति की कौन सी विचारधारा है जिसको आप उचित नहीं कहेंगे, क्या मलिन बस्तियों में विकास नहीं होना चाहिये, क्या पेयजल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये । वर्मा जी ने कहा कि बड़े नगरों को पानी ज्यादा दिया जाता है तो यह भारत सरकार का मानक है कि प्रति व्यक्ति डेढ़ सौ लीटर पानी अनुमन्य है वहां बड़ी-बड़ी बिल्डिगें होती हैं उनकी धुलाई होती है आपने कहा मलिन बस्तियों को पानी कम दिया जा रहा है तो जिनका कोई वजूद नहीं है गरीब लोग रह रहे हैं इसलिये पानी की व्यवस्था की जा रही है । अब तो पेयजल के अन्य साधन हो गए हैं लेकिन हैण्डपम्प वहीं लगाते हैं जहां ढाई सौ की पापुलेशन होती है । ढाई सौ की पापुलेशन पर एक हैण्डपम्प होना चाहिये । वहां पर मानक जो है वह पर लीटर नहीं है । 150 तो वह हो गये जब 250 संतृप्त हो गये । प्रथम चरण में 250 होंगे । एक नयी जल नीति है इसमें यह है कि 10 प्रतिशत नागरिक स्वयं दें और 90 प्रतिशत सरकार देगी । अगर योजनाएं नहीं मालूम तो हम क्या कर सकते हैं । मान्यवर, 170 करोड़ रुपया पेयजल योजना पर खर्च कर रहे हैं । यह अलग हैं । जो सूडा के द्वारा जल योजनाएं हैं अमृत धारा और इन्दिरा कूप योजना है या अन्य बस्तियों में मिनी ट्यूबवेल लगा दिये हैं यह शामिल नहीं हैं । कितने संसाधन पानी के बढ़ रहे हैं । कौकब हमीद साहब कह रहे थे कि भूकम्प आया है कुछ नहीं किया । मान्यवर, भारत सरकार ने एक नियमावली बनायी है । उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने यह घोषणा की कि नक्शा जब तक पास नहीं होगा जब तक कि भूकम्प रोधी संयंत्र न लगाये जायें । यह पहला राज्य है जिसने जी० ओ० जारी कर दिया है । वाटर रिचार्जिंग जमीन से भण्डारण से पानी निकालते जा रहे हैं । हमें हैण्डपम्प चाहिये, ट्यूबवेल चाहिये हम निकालते जा रहे हैं लेकिन जमीन को लौटाने के लिये कुछ नहीं है । जब पानी नहीं होगा और पृथ्वी तेवर दिखायेगी तो कष्ट भोगना पड़ेगा । हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भूगर्भ जल इस्तेमाल न हो और सरफेस वाटर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो और दूसरा वाटर हारवेस्टिंग के लिये शासनादेश जारी कर दिये हैं । जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनायेगा उनको यह करना होगा कि बरसात का पानी जमीन के अन्दर जाये । कुछ दिन यह व्यवस्था हो, यह तालाब और पोखरे उन्हें हम फिर से पुनर्जीवित करें । अभी कौशल किशोर कह रहे थे कुएं का पानी स्वास्थ्य के लिये बड़ा हानिकारक है । जो इन्दिरा कूप योजना है इनकी परिभाषा इन्हें नहीं मालूम । आप देखिये कि उसका सिस्टम क्या है । जमीन के अन्दर जो तीन लेयर है उसमें लास्ट लेयर को तोड़कर कुआं बनाया जाय । यह तीन सौ साल पुराने कुएं हैं आज जो साफ हुए हैं । जो लोग काम कर रहे थे उनको अनुमान नहीं था । फब्बारे की तरह पानी आया था वह भी डेढ़ दो लाख में बन गया । इतना ही कम खर्च आया था और हमें जल प्राप्त हो रहा है । मान्यवर, यह रिचार्जिंग का काम कर रहे हैं । तो हम प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं । ज्यादा से ज्यादा

लोगों तक कैसे लाभ पहुंचे हम दृष्टिकोण पर सोच रहे हैं । आप (गिरि जी) बजट की बात कह रहे थे, इनकी बातों से लगता था कि इन्हें सिस्टम की जानकारी है । मान्यवर, 74वें संशोधन के बाद राज्य वित्त आयोग नियुक्त हुआ । सभी स्थानीय निकायों को शासन की ओर से क्या दिया जायेगा यह निर्धारित किया गया । और वह निर्णय यह हुआ मान्यवर, कि जो राज्य की रेवेन्यू है उसका 7 प्रतिशत यह स्थानीय निकायों को इनकी जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात में दे दिया जायेगा वह सारा उन्होंने वर्क आउट कर दिया । मान्यवर, आज जितने हमारे निकाय हैं कोई बाकी नहीं है जिसके पास पैसा नहीं पहुंच रहा हो यहां आने की भी जरुरत नहीं है वित्त विभाग से पैसा पहुंच जाता है । यह पहली बार हो रहा है । जब मैंने मंत्री पद संभाला था तो उस समय 456 निकाय थे जिनको चुनाव से लेकर एक पैसा नहीं मिला । राज्यपाल महोदय कहीं गये और एक टाउन एरिया में घोषणा कर दी और बाकी 99 पैसे के लिये तरस रहे हैं कोई मुख्यमंत्री गये घोषणा कर आये . मान्यवर, आज 700 करोड़ रुपया इन निकायों को सरकार की ओर से दिया जा रहा है । मान्यवर जो कार्य टास्क फोर्स की तरफ से करवा रहे हैं । अभी बात आयी कि मैंने लखनऊ के बारे में कहा अब वह शायरी की बात है मैं कहना नहीं चाहता हूं ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

इससे ज्यादा आइना इनको मत दिखाइये
बदशक्ल है, बदनूर हैं, डर जायेंगे ।

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट ऐसे 12 शहरों में था जहां कारपोरेशन बने थे । एक देहरादून उत्तरांचल में चला गया उसको सजाकर दिया गया है टास्क फोर्स में पिछली बार वह चयनित हुआ था । लखनऊ की जहां तक बात है उसे कोई विशेष अनुदान नहीं मिला है अब चूंकि मैं यहां पर हूं तो इसलिये उसकी मानीटरिंग हो जाती है । मान्यवर, वह सबसे ज्यादा नाकाबिल सरकार मानी जायेगी जिसकी राजधानी में गन्दगी हो जहां कुछ नहीं हो रहा हो । मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश की शक्ल के रूप में लखनऊ को देखकर बाहर से आने वाले लोग अपने मन में अच्छा भाव रखकर जाते हैं । मान्यवर, माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी के स्वर्गवास के बाद किसी को लखनऊ से कोई हमदर्दी नहीं रही । आज उत्तर प्रदेश वासियों को लखनऊ पर गर्व होना चाहिये मान्यवर, जो हिन्दुस्तान में 4 डेवलेप सिटी हैं उसमें लखनऊ भी एक है । (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, लखनऊ की बात सुनकर प्रसन्नता हुई है चूंकि यह आपके नेतृत्व में हुआ है इसलिये आपको बधाई देता हूं लेकिन मान्यवर, लखनऊ के अलावा प्रदेश के और भी शहर हैं आप की नजर वहां भी जानी चाहिये ।

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, मैंने कहा कि 11 कारपोरेशन हैं आप दिल्ली से इण्टर कीजिये गाजियाबाद पहले लगता था कि किसी स्लम में पहुंच गये हैं, आप दिल्ली और गाजियाबाद में कोई अन्तर नहीं है आज वहां एक इंच भी जमीन मिलना मुश्किल हो रहा है । आप यह कह रहे हैं कि लोगों को हटाया जा रहा है मान्यवर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का मात्र एक ऐसा शहर है जो झुग्गी मुक्त हो गया, आज वहां सड़क के किनारे कोई झुग्गी नहीं है । सब को मैंने आश्रय योजना के अन्तर्गत मकान दिया है । विकलांगों के लिये मकान बनवाये हैं, उन लोगों के लिये मकान बनवाये हैं जो अध्यात्मिक प्रर्सनाल्टी हैं । एक दक्षिण भारत की आनन्दमयी मां, उन्होंने कहा कि मैं 160 मकान बनवाकर विधवाओं को दूंगी उनको जमीन हमने उपलब्ध करा दी और उन्होंने मकान बनवा दिये और वह मकान निःशुल्क दे दिये । यह कितना क्रान्तिकारी परिवर्तन है । आपको यह सब नहीं दिख रहा है तो आपकी दृष्टि दूसरी हो गयी है, मुण्डे मुण्डे मर्ति

भिन्ना । हर आदमी के सोचने का तरीका अलग हो सकता है इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । नागरिक चार्टेड यह उत्तर प्रदेश में पहली बार हो रहा है । अगली बार आप कहेंगे कि आपने कह दिया और लागू नहीं हुई । यह कठोर है लेकिन हम इसको लागू करेंगे । हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, हो सकता है कि अगली बार कुछ कदम आगे बढ़ जाये । भू-माफियाओं के बारे में बात कही गयी । 190 करोड़ की जमीन हमने खाली करायी है और अभी करीब 500 करोड़ की जमीन चिन्हित कर ली गयी है । भू-माफियाओं के कितने बड़े हाथ हैं वह आप जानते हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

सब आपके ऊपर है ।

श्री लाल जी टण्डन–

विपक्ष भी भरा पड़ा है, आप उससे अपने को अलग न करें । जो यह प्रवृत्ति बन गयी है एक दिन में रातोंरात करोड़पति बनने की और उसके लिए भूमि कब्जा करने की और उससे कोई आसान तरीका नहीं रह गया है मालदार बनने का । मान्यवर, कोआपरेटिव सोसाइटी की बात कह रहे थे हमने 6000 सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया है । यह जमीन लेंगे आवास विकास परिषद् से, आवास संघ से ले, उसका ले आउट पास कराना होगा सहकारी आवास संघ से, और जितना नियंत्रण लगा सकते थे वह लगा रहे हैं कि कहीं कोई एक व्यवस्था बने । हमारा उद्देश्य यह है कि जो चीजें हैं उनको एक व्यवस्था के अन्दर लाई जाये । मान्यवर, हमारे प्रदेश से उत्तरांचल जाने के बाद यहां का पर्यटन व्यवसाय कम हुआ है हम कई स्थान डेवलप कर रहे हैं । अभी गोरखनाथ जी चले गये उन्होंने कहा विन्ध्यांचल और सीतामढ़ी, यह दोनों महत्वपूर्ण स्थान हैं, गंगा में पैन्टून ब्रिज बना दिया जाय तो इसकी तमाम दूरी कम हो जाती है वह दोनों एक हिस्सा बन जायेंगे और प्रयाग काशी के बीच में एक स्थान बन जायेगा । तो आप देखें कि प्रदेश में एक क्षेत्र में मैं नहीं कर रहा हूं । हमने प्रदेश की कितनी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं गढ़मुक्तेश्वर और ब्रजघाट को मिलाकर हरिद्वार में हरि की पैड़ी की तरह उसे सुन्दर बनाने जा रहे हैं उसमें काम शुरू होगा उसका शिलान्यास करने वाले हैं वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा राजस्थान उसकी एक श्रद्धा का केन्द्र है गढ़मुक्तेश्वर ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपने हमारे नेता मुलायम सिंह के क्षेत्र का ध्यान रखा आपको धन्यवाद ।

श्री लालजी टण्डन–

आपके नेता हैं, वह हमारे मित्र हैं हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं । वह जो निर्देश देते हैं वह करते हैं विपक्ष में होते हैं तो आलोचना करते हैं नहीं तो मित्रवत व्यवहार करते हैं । एक और बात आप सबसे चाहते हैं । कुछ लोगों को रोजगार दिलायें । यह शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत एक नई योजना शुरू की है । ऐसे लोग जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन वह मध्यम वर्ग के हैं, कुछ पढ़े-लिखे हैं, जो खोखा लगाकर, ठेला लेकर सामान बेच नहीं सकते, उनके लिये क्या क्यास्क बनाकर देने की योजना शुरू की गई है । इससे जो लोग कालोनीज में खोखा लगाकर कब्जा कर लेते हैं, वह बन्द हो जायेगा, इन क्यास्कों में लोग रोजगार करें, इससे एक अच्छी आमदनी हो सकेगी । जिस वातावरण में वह पड़े हैं, स्कूलों में शिक्षा पाई है, रोजगार का जरिया नहीं है, उनके लिये नई योजना शुरू की है । मैं आज सभी विधायकों से आग्रह करता हूं कि आप जो भी कुछ सुझाव देंगे, उनका पूरी तौर से क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा, उसमें आप लोग संकोच न करें । मैं समझ रहा हूं कि सब लोग ऊब रहे हैं । मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो जिले पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, उनके लिये 20 करोड़ रुपये उनके जिलाधिकारियों को भेजा गया है और कहा गया है कि जितने हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, वह रीबोर कर दिये जायें और जहां नये लगाने की आवश्यकता है, वहां नये लगा दिये जायें, उसके अलावा भी हम

हैण्डपम्प देंगे । कोई घोषणा इसलिये नहीं कर रहा हूं क्योंकि नियम के अनुसार कोई धनराशि नहीं है, क्योंकि जो सारा बजट है, वह ट्रांसफर हो जाता है, स्थानीय निकाय हो, और उनको ही करना होता है, वह उसको सुनिश्चित करेंगे । टास्क फोर्स के पास भी 1200 करोड़ रुपया खर्च करने के लिये है, आप जो कहेंगे, वह हम करायेंगे, इसलिये आप बतायें, कहां आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति होगी । मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और डा० कौशल किशोर जी तथा गिरि जी से निवेदन करता हूं कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और बजट को पास होने दें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, बजट से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन बजट में इस दौरान जो मुझे आरोपित किया गया है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से और माननीय नगर विकास मंत्री जी दोनों महानुभावों से यह जरूर अपेक्षा करूंगा कि वह वस्तुस्थिति से अवगत होकर, अगर उसमें वास्तविकता है तो निश्चित तरीके से वह सदन की कार्यवाही का अंग रहेगा और अगर बिल्कुल मिथ्या हो तो एक अंश भी उसमें न रहे । केवल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये अगर कहीं कोई आरोप लगा दिये गये हों तो मैं समझता हूं ऐसे माननीय सदस्य के खिलाफ जरूर इस सदन में दो शब्द कह दिया जाय । प्रश्न यह है श्रीमन, अभी एक सदस्य माननीय शुक्ला जी जो अधिष्ठाता पद पर आसीन हैं उन्होंने कहा कि झांसी को बहुत रुपया दे दिया गया विकास के लिये, नेता विरोधी दल ने इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिये . अगर इस तरह का भी एक शब्द कहा गया हो तो मैं दोषी हूं ।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ कुछ कहने पर)

श्री धनीराम वर्मा–

क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने [× × ×] बोलने की कसम खा रखी है तो मैं समझता हूं कि नैतिकता और वास्तविकता कुछ रह ही नहीं गयी । मैं यह चाहता हूं कि सारे भाषण हमारे दिखवा लिये जायें, जब से बजट शुरू हुआ है तब से, अगर एक शब्द भी कहीं मिल जाय तो निश्चित तरीके से मैं दोषी हूं अन्यथा जो आरोपित हो चुका हूं वह आरोप इस कार्यवाही से निकाल दिया जाय । श्रीमन्, यही मैं चाहता हूं । चूंकि आप इसी पीठ पर बैठे हुए हैं, आपसे अनुरोध क्या करें । इसलिये आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री और आवास मंत्री जी से अनुरोध किया है और वह संसदीय परम्परा से भी संबंधित है इसलिये मैंने अनुरोध किया है कि इसे दिखवा लिया जाए ।

श्री हुकुम सिंह–

बहुत पुरानी बात है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है ..

संसदीय कार्य, स्टाम्प, मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक सवाल उठाया, उस पर कोई व्यवस्था अभी आई नहीं । माननीय नेता प्रतिपक्ष की व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का मन्तव्य भी समझता हूं और इशारा भी समझता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है क्या वह पर्याप्त नहीं है ? कृपया बैठ जायें ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अगर माननीय सदस्य मौजूद नहीं हैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी ऐसे मिथ्या आरोप के लिये आप सदस्य की ओर से खेद प्रकट करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न उठाया अगर झांसी के संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष का इस तरह का वक्तव्य नहीं होगा तो यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। अब मैं प्रश्न उपस्थिति कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–02–आवास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 02–आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 89,36,15,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,75,03,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

* श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है इस महत्वपूर्ण बजट पर अनेक माननीय सदस्यों ने यहां काफी समय तक चर्चा की परन्तु समयाभाव की वजह से हर एक सदस्य अपनी बात नहीं कह पाया। मेरा अनुरोध है कि जो माननीय सदस्य लिखकर दे दें उसे भी सम्मिलित कर लें।

श्री लालजी टण्डन–

ठीक है।

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

* जल संसाधन एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त, 49,55,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(उक्त अनुदान की मांग पर सदन की सहमति से मंत्री जी का भाषण नहीं हुआ ।)

* श्री राम कुमार एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदानों के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक, आय व्ययक वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पृष्ठ–13 पर दिये गये आंकड़े भ्रामक हैं जो इसमें दिये गये आंकड़े से स्वतः सिद्ध हो रहे हैं । वर्ष 1999-2000 में इन कार्यक्रमों हेतु कुल 44000 हेक्टेयर लक्ष्य के विपरीत 31,840 हेक्टेयर भूमि उपचारित किया गया ।

(कई सदस्यों के आग्रह करने पर एवं सदन की सहमति से चर्चा नहीं हुई ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,55,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 21 मई, 2001 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर की है जो कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहन लाल गंज में गोसाईगंज मार्ग पर इन्द्रजीत खेड़ा ड्रेन की खुदाई/सफाई किये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत । दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है जो कि अनौपचारिक शिक्षा (निरीक्षण शाखा) के अधीन लगभग दो दशंक से कार्यरत अधिकारियों की लम्बी सेवा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए समान पद पर समायोजित करने एवं अवशेष देयों के भुगतान के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत, । तीसरी सूचना श्री वसीम अहमद की है जो कि जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत चकबन्दी विभाग की लापरवाही के कारण सड़क का निर्माण कार्य बाधित होने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत । चौथी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की है जो कि जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोयडा प्राधिकरण द्वारा ग्राम वरौला में ग्रामीणों के मकान गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत । पांचवी सूचना डा० पूर्णमासी पंकज जी की है, जो कि जनपद सन्त रविदासनगर भदोही में विद्युत विभाग की भूमि पर अवैध कब्जेदारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी । छठी सूचना श्री धर्मज्ञ मिश्र जी की है जो कि जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत स्वर्णजयन्ती

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राम–सदरपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में राजकीय बसों का स्टाप बनाये जाने तथा शासनादेशानुसार विकास किये जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी । सातवीं सूचना श्री राम कुमार एडवोकेट की है, जोकि भण्डार नियंत्रक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० उन्नाव द्वारा विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव को कण्डक्टर न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह सूचना केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी । आठवीं सूचना श्री रूप चौधरी जी की है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में है । यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गयी । नवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार जी की है जोकि निदेशालय महिला कल्याण में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं एवं जी० पी० एफ० पास बुकों को जनपदों से मंगाकर रखे जाने तथा मुख्यालय लिपिकों द्वारा सम्बन्धित कर्मियों को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में है । यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई । दसवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा जी की है, जो कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम आलमपुर कनेटा में विद्युत तार टूटने से मृत श्री नन्दराम तथा घायल श्री अवधेश के परिवार को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में है । यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरी सूचना पर वक्तव्य करा दें, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सूचना पर ध्यानाकर्षण हो गया है ।

ग्यारहवीं सूचना श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना की है, जो कि निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों की अन्तिम कोटिक्रम सूची के सम्यक् निर्धारण के सम्बन्ध में है, यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई । बारहवीं सूचना श्री जय प्रकाश जी की है, जोकि नगरीय रोजगार योजना एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल सुधार उपयोजना के टूल किट क्रय में की गयी धांधली के सम्बन्ध में है । यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई । तेरहवीं सूचना श्री राजपाल सिंह जी की है, जो कि जनपद एटा में कार्यरत दो पुलिसकर्मियों द्वारा ग्राम–नगला किशुनसिंह के निवासियों को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में है । यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई । चौदहवीं सूचना श्री मुराद लारी जी की है । जो कि माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–751/15–2–2000 दि० 11-4-2001 का अनुपालन सुनिश्चित कराएं जाने के सम्बन्ध में है । यह सूचना ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृति की गई ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम श्री अजय कुमार पोइया, श्री भीम प्रसाद सोनकर एव श्री छोटेलाल गंगवार हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–10, 11 एवं 12 पर जो वक्तव्य हैं उनको पढ़ा हुआ माना जाता है ।

प्रदेश में पूर्वांचल के औद्योगिक विकास हेतु स्थपित श्रम विभाग के उपनिदेशक कारखाना पद को इलाहाबाद से हटाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० पूर्णमासी पंकज, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर श्रम राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मपाल सिंह)–

[प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन के अन्तर्गत गठित कारखाना प्रभाग को शा० विज्ञप्ति दिनांक 27-9-84 द्वारा चार क्षेत्रों में विभक्त किया गया था :––

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

(1) मेरठ क्षेत्र

(2) बरेली क्षेत्र

(3) कानपुर क्षेत्र

(4) इलाहाबाद क्षेत्र

वर्ष 1990 में राज्य में स्थित कारखानों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया गया कि क्षेत्रीय अधिकारियों में कार्य का इस प्रकार से विभाजन हो, जो प्रशासनिक दृष्टि से तर्कसंगत एवं न्यायसंगत हो । तत्समय प्रदेश में 13 मण्डल स्थापित थे । अतः इन 13 मण्डलों की ग्रुपिंग का इस तरह से प्रस्ताव किया गया कि कारखानों की संख्या को देखते हुए सभी उपनिदेशक कारखाना, इन कारखानों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में सक्षम हो सकें । तद्नुसार शासकीय विज्ञप्ति दिनांक 17-2-92 द्वारा उपनिदेशक कारखाना के क्षेत्रीय कार्यालयों की परिसीमाओं को संशोधित कर निम्न सात क्षेत्र स्थापित किये गये :––

(1) मेरठ

(2) मुरादाबाद

(3) बरेली

(4) कानपुर

(5) लखनऊ

(6) इलाहाबाद

(7) आगरा

तत्पश्चात् श्रमायुक्त द्वारा अपने पत्रों के माध्यम से अनुरोध किया गया कि उपनिदेशकों का कार्यक्षेत्र, उपलब्ध पदों तथा कार्यभार को देखते हुए पुनः निर्धारित किया जाये । श्रमायुक्त द्वारा अपने पत्र दिनांक 2-7-92 द्वारा प्रदेश को चार सम्भागों–मध्य सम्भाग, पूर्व सम्भाग, पश्चिमी सम्भाग व गाजियाबाद सम्भाग में विभक्त करते हुए इनके मुख्यालय क्रमशः कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ व गाजियाबाद में स्थापित करने का अनुरोध किया गया ।

इसी संदर्भ में मा० विधायक श्री गजराज सिंह का पत्र दि० 5-5-94 प्राप्त हुआ था, जिस पर तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी ने आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे ।

तदुपरान्त शासन द्वारा तत्कालीन मा० मुख्य मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त कारखानों पर प्रभावी नियंत्रण, उपलब्ध पदों एवं व्यावहारिकता की दृष्टिकोण से विज्ञप्ति दिनांक 29-10-94 द्वारा प्रदेश को पुनः पांच क्षेत्रों में विभक्त किया गया :––

(1) कानपुर

(2) लखनऊ

(3) मेरठ

(4) बरेली

(5) गाजियाबाद

वर्तमान में कारखाना प्रभाग के पुनर्गठन का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है । इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव, श्रम के स्तर पर बैठकें आयोजित की गयी है । कारखाना

प्रभाग के पुनर्गठन के संबंध में निर्णय लेते समय माननीय सदस्य द्वारा इंगित बिन्दु पर विचार किया जायेगा ।]

प्रदेश के सभी चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एण्टी रैबीज इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एण्टी रैबीज इन्जेक्शन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में दिनांक 30-9-2000 को समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों/मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्टोर में 10 मरीजों की जरूरत के समतुल्य एण्टी रैबीज इन्जेक्शन की मात्रा रिजर्व स्टाक में रखें तथा एण्टी रैबीज इन्जेक्शन की मांग यथा समय भावी आवश्यकतानुसार की जाय एवं आकस्मिक प्रतिपूर्ति स्थानीय क्रय द्वारा सुनिश्चित की जाय । इस संबंध में यह भी निर्देशित किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में भावी स्टाक की अनुपलब्धता की सम्भावना तत्काल फैक्स/टेलीग्राम के माध्यम से उच्चाधिकारियों को दी जाय ।

जनपद वाराणसी ही नहीं अपितु प्रदेश के सभी अस्पतालों को वर्तमान में एण्टी रैबीज इन्जेक्शन की आपूर्ति मण्डलीय अपर निदेशकों के माध्यम से की जा रही है जिनके स्तर पर हर समय रिजर्व स्टाक उपलब्ध रहता है तथा प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में एण्टी रैबीज इन्जेक्शन उपलब्ध रहता है ।

2—गत वित्तीय वर्ष 2000-2001 में वाराणसी मण्डल में 2,56,500 एम० एल० एण्टी रैबीज वैक्सीन वितरित की गयी । इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, शिव प्रसाद गुप्ता चिकित्सालय को वर्ष 2000-2001 में कुल 95,020 एम० एल० की एण्टी रैबीज वैक्सीन आपूर्ति की गयी ।

3—लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए सरकार, प्रदेश के प्रत्येक चिकित्सालयों में चाहें वे शहरी क्षेत्र के या ग्रामीण क्षेत्र के हों, एण्टी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कटिबद्ध है एवं इसके लिए वित्तीय संसाधनों की कमी किसी भी दशा में नहीं होने दी जायेगी ।]

प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के बावजूद जनपद फिरोजाबाद के कतिपय ग्रामों में आज भी जमींदारी कुप्रथा लागू होने से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व राज्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व राज्य मंत्री (श्री बहोरन लाल मौर्य)–

[श्री रघुवर दयाल वर्मा, मा० सदस्य, विधान सभा, द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है, कि जनपद फिरोजाबाद के ग्राम रशीदपुर कनैरा दतौली आदि में आज भी जमींदारी प्रथा जारी है, जबकि उ०प्र० से जमींदारी का उन्मूलन हुए अनेक साल बीत गई और चकबन्दी प्रक्रिया में भूमि व्यवस्था हो गई है लेकिन फिरोजाबाद के इन ग्रामों में आज भी जमींदारी प्रथा के रहते ग्राम पंचायत के पास सार्वजनिक कार्यों के लिये कोई भूमि नहीं है प्रधान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं यह कैसी विडम्बना है यह तथ्य पूर्व में भी माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया था और जमींदारी की समाप्ति की घोषणा सरकार ने की किन्तु जमींदार, मा० उच्च

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

न्यायालय इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त करने में सरकारी शिथिलता के रहते सफल रहा । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 26-3-99 को जमींदार वादी की याचिका को अदम पैरवी में खारिज कर दी, और अब .मा० उच्च न्यायालय में कोई याचिका विचाराधीन नहीं है और न ही कोई स्थगन आदेश ही है परन्तु अभी तक जमींदार आज भी राजस्व की वसूली काश्तकारों से करने में लगे हैं तथा भूमि की बिक्री भी आज जमींदारी के रूप में हो रही जो एक अपराध है । अस्तु इस लोक महत्व की सूचना की विस्तृत जांच कराकर दोषी राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कराने के आदेश देकर राजस्व अभिलेखों में जमींदारी समाप्त कराई जावे तथा जमींदारी द्वारा वसूला राजस्व वापिस लिया जावे ।

2—उपर्युक्त .के संबंध में यह अवगत कराना है, कि जनपद–फिरोजाबाद के ग्राम रसीदपुर कनैटा, दतौंजी आदि में दिनांक 20-7-89 को जमींदारी प्रथा समाप्त करा दी गई थी और उक्त अधिनियम के अनुसार अभिलेख भी तैयार किये गये । इसी मध्य पूर्व जमींदार भारत स्टोर लि० ने मा० उच्च न्यायालय से दिनांक 23-1-91 को स्थगनादेश प्राप्त कर लिया, जिसका अमलदरामद खतौनी पर तत्समय किया गया । जमींदार द्वारा दायर रिट याचिका दिनांक 26-3-99 को अदम पैरवी में निरस्त हो गई है किन्तु इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त न होने के कारण इस आदेश का अमलदरामद नहीं हो सका है । संबंधित तहसीलदार को त्वरित कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित कर दिया गया है । अभी तक की किसी प्रकार की शिथिलता के लिये मण्डलायुक्त आगरा से जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी । वर्तमान में उक्त ग्रामों में भू-राजस्व की वसूली, जमींदारी विनाश अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत तहसील द्वारा कर कोषागार में निर्धारित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जा रहा है । जमींदार द्वारा कोई वसूली नहीं की जा रही है । इस प्रकार उक्त ग्रामों में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है ।]

जनपद मथुरा के अधिकारियों के संरक्षण में भू-माफियाओं की अवैधानिक गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोईया की सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–13 पर निर्धारित वक्तव्य को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है । इसको तत्काल स्थगित किया जाता है ।

मद संख्या–14, 15, 16, 17, 18, 19 पर निर्धारित वक्तव्यों को पढ़ा हुआ माना जाता है ।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवा की तहसील-खजनी के ग्राम साखहाड़ (बाबू) के विद्युतीकरण व विद्युत संयोजन दिये जाने के संबंध में श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र सहजनवां की तहसील खजनी के ग्राम साखहाड़ (बाबू) का ऊर्जीकरण दिनांक 30-3-84 को हुआ था ।

ट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त ग्राम की 11 के०वी व एल०टी० लाईन के पोल लकड़ी के थे । उक्त ग्राम का 11 के०वी० लाइन पानी भरे स्थान से होकर गुजरती थी । बाढ़ एवं आंधी के कारण उक्त सभी बल्लियां वर्ष 1994 में टूट कर गिर गई ।

ग्राम में कोई विद्युत कनेक्शन 3/1998 तक नहीं लिया गया । चूंकि उक्त ग्राम में कोई कनेक्शन नहीं था, अतः टूटे हुए पोलों को बदला नहीं गया ।

उपरोक्त ग्राम के कुछ लोगों ने गलत प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वतः घोषणा के अन्तर्गत कटिया के नियमितीकरण करने की स्कीम के तहत कटिया कनेक्शन नियमितीकरण शुल्क जमा किया है । जिन्हें साईट पर कटिया कनेक्शन न मिलने के कारण नियममितीकरण सम्भव नहीं है ।

उपर्युक्त ग्राम की लाइन तथा खम्भों को बदल कर पुनः ऊर्जीकृत उसी दशा में किया जा सकेगा जब पर्याप्त कनेक्शन लेने के लिये आवेदनकर्ता हो जायेंगे ।]

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत राजे सुल्तानपुर में सिंह चौक पर विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के संबंध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद–अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज के अन्तर्गत राजे सुल्तानपुर में लगे 250 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर के अति भारित होने से एक अन्य 250 के०वी०ए०, 11/4 के०वी० ट्रांसफार्मर को लगाने हेतु रु० 2.23 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है । धन की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक अनिवार्यता के अनुरूप उपरोक्त कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

7.5 कि०मी० वीजल कन्डक्टर पर निर्मित पुरानी लाइन के जर्जर तारों को हटाकर उसके स्थान पर रैकून कन्डक्टर डाल कर लाइन को सुदृढ़ किया जा चुका है, जिस पर रु० 2.10 लाख का व्यय आया है परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में पर्याप्त सुधार आया है । अभी भी कुछ शेष लाइनों के तार बदलने शेष हैं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को भी शीघ्र सम्पन्न किया जाना प्रस्तावित है । जिस पर बाद में इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति में वांछित सुधार आने की आशा है ।]

उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को वर्दीधारी घोषित करने के संबंध में आचार्य रामदेव वैश्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[होमगार्ड्स संगठन के लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों को वर्दीधारी घोषित किये जाने के संबंध में कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स, उ०प्र० द्वारा प्रस्ताव शासन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में पूर्ण वित्तीय भार, विभिन्न भत्तों एवं अन्य राज्यों में स्थिति आदि के विवरण प्राप्त किये गये हैं । पूर्ण विवरण प्राप्त होने पर एवं वित्तीय उपाशय निश्चित कर सम्यक् विचारोपरान्त संबंधित विभागों के परामर्श से यथासमय निर्णय लिया जायेगा ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बहराइच जिला अस्पताल में आंख आपरेशन थियेटर को संचालित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में डा० बकार अहमद शाह, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

[राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित मोतियाबिन्द जनित अन्धता निवारण परियोजना के अन्तर्गत जनपद बहराइच में नेत्र शल्य कक्ष का निर्माण किया गया है । नेत्र शल्य कक्ष हेतु एक उपचारिका का तथा एक पद चतुर्थ श्रेणी (स्वच्छकार) का संविदा के आधार पर मार्च, 2000 में स्वीकृत किया गया था । मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बहराइच द्वारा स्थानीय स्तर पर उक्त नेत्र शल्यकक्ष हेतु नेत्र शल्यक् एवं अन्य आवश्यक कर्मियों को तैनात करके जनवरी, 2001 में नेत्र शल्य कक्ष को क्रियाशील किया जा चुका है ।

2—बहराइच जिला अस्पताल में नेत्र शल्य कक्ष को सुचारु रूप से संचालित किये जाने हेतु मई, 2001 में चार अतिरिक्त उपचारिकाओं की तैनाती भी कर दी गई है । इस प्रकार वर्तमान समय में जनपद बहराइच अन्तर्गत नवनिर्मित नेत्र शल्य कक्ष के क्रियाशील होने में कोई बाधा नहीं है ।]

प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र के कतिपय जनपदों एवं गाजियाबाद जनपद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत अवैधानिक रूप से चल रहे बूचड़खानों एवं पशुबध पर रोक लगाये जाने के संबंध में श्री रूप चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[श्री रूप चौधरी मा० सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना दिनांक 11-5-2001 में विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा व आस-पास के जनपदों तथा गाजियाबाद जनपद अन्तर्गत पसौन्डा, शहीदनगर, लोनी, वार्डर व बागपत जनपद अन्तर्गत बागपत नगर खेकड़ा रटौल, बरनावा सहित मेरठ मुजफ्फरनगर, करैना, बुलन्दशहर, सहारनपुर आदि जनपदों में सैकड़ों स्थानों पर अवैध बूचड़खाने चलाकर हजारों पशुओं की निर्मम तरीके से हत्या की जा रही है । इन अवैध बूचड़खानों में पशुओं का बध करके मांस को बड़ी कम्पनियों को भेजा जाता है तथा उनके द्वारा पैकिंग करके इसे विदेशों में भेजा जाता है मा० सदस्य द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इस प्रकार की कम्पनियां गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद सेक्टर–4 मेरठ व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर है, जिनके पास स्वयं के बूचड़खाने नहीं हैं और इनके द्वारा अवैध बूचड़खानों एवं पशुबध को बढ़ावा दिया जाता है । मा० सदस्य द्वारा ऐसे बूचड़खानों को चिन्हित करवाकर उसे बन्द करवाने एवं इनको प्रोत्साहित करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर दण्डित करने का अनुरोध किया गया है ।

उपरोक्त के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद मेरठ में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है फिर भी इस ओर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है । जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा अवगत कराया गया है जनपद मुजफ्फरनगर की निकायों में कोई अवैध बूचड़खाना नहीं पाया गया । जिला अधिकारी बागपत द्वारा अवगत कराया गया है कि पुराना कस्बा बागपत में बूचड़खाने को छोड़कर जनपद बागपत में अन्य किसी स्थान पर कोई अवैध बूचड़खाना नहीं चल रहा है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तहसील खेकड़ा क्षेत्र की समस्त अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों/बूचड़खानों को बन्द करा दिया गया है । नगर पालिका परिषद् बागपत में चल रहा बूचड़खाना पालिका के उपविधि के अनुसार है । नगर पालिका परिषद् बड़ौत में कोई वैध या अवैध बूचड़खाना नहीं चल रहा है । ग्राम काठा में तीन व ग्राम रटौल में दो पशु बध गृह के लाइसेंस जिला पंचायत बागपत द्वारा निर्गत किया गया है । पश्चिमी क्षेत्र के अन्य जनपदों से मांगी गई सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है जिसे प्राप्त की जा रही है ।]

लोक निर्माण विभाग,' उन्नाव द्वारा एक लम्बे समय से निर्माणाधीन सड़कों को पूरा न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उदयराज यादव, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[जनपद उन्नाव में विधान सभा क्षेत्र पुरवा में वर्ष 94-95 में अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत मवई से चन्दाखेड़ा मार्ग नाम से कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है । कदाचित प्रकरण हिनौली से संदाना करदहा मार्ग से चन्दाखेड़ा मार्ग से संबंधित है । इस 4 कि०मी० मार्ग की शून्य से लेपन स्तर पर निर्माण हेतु रु० 22.00 लाख की लागत राज्य योजना वर्ष 93-94 में स्वीकृति प्रदान की गई । इस मार्ग पर मार्च, 2001 तक आवंटन रु० 14.97 लाख एवं व्यय रु० 14.97 लाख है । मार्च, 2001 तक इस मार्ग पर 3.85 कि०मी० में मिट्टी का कार्य एवं एक कि०मी० में सोलिंग कोट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । कराये गये कार्यों के सापेक्ष व्यय अधिक प्रतीत होता है, जिसकी जांच कराई जा रही है । अतः वर्ष 93-94 में स्वीकृत इस कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति के उपरान्त पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा ।]

श्री अधिष्ठाता–

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 08 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक 21 मई, 2001

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पी० एस० यू० पी० एल० 335 विधान सभा (568)–9-1-2002–813 प्रतियां ।